राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 10] चतुर्थ विधान सभा के दशम् सत्र का सत्तरवां दिवस [संख्या 40

सोमवार, दिनांक 24 मई, 1971

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[देवस्थान, सिंचाई, वित्त, शिक्षा, आबकारी, यातायात, अकाल राहत, पुर्नवास, विद्युत्, चिकित्सा, पंचायत, पशु-पालन, राजस्थान नहर परियोजना, वन, अकाल सहायता—विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री दिग्विजयसिंह !

नवाब साहब टोंक को दिया गया ऋण

879. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नवाब साहब टोंक को वर्ष 1968-69 में 2 लाख रुपये का ऋण दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि जो ऋण विभाग द्वारा दिया गया था वह इसलिये दिया गया था कि नवाब साहब को हज करने जाना था व उनको ऋण चुकाना था ? यदि नहीं, तो ऋण देने के कारण क्या थे ?

(3) क्या यह सही है कि ऋण की शर्तों में यह है कि यह 12 किश्तों में वसूल होगा ? यदि हां, तो अब तक कितनी किश्तें जमा हो चुकी हैं ?

(4) जो किश्तें वसूल होंगी वे नवाब साहब को मिलने वाले प्रिवीपर्स में से होंगी और उस पर साढ़े बारह प्रतिशत ब्याज होगा ?

(5) क्या उक्त ब्याज हेतु नवाब साहब टोंक व राज्य सरकार के बीच कोई इकरारनामा लिखा गया है ? यदि हां, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या यह सत्य है कि नवाब सहाब टोंक द्वारा एक भी किश्त जमा नहीं कराई गई है ?

(7) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा नवाब साहब के पैलेस का 15 लाख रुपये सार्वजनिक निर्माण विभाग से तखमीना तैयार कराया गया है ?

(8) क्या सरकार इस ऋण को नवाब साहब का पैलेस खरीद कर पूरा करना चाहु

Page No 2

(श्री दिग्विजयसिंह)
रही है ? यदि हां, तो ऐसा किस आधार पर किया जा रहा है ?

देवस्थान मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) :
(1) जी हां।

(2) यह कर्जा पुराने ऋण चुकाने व अन्य घरेलू कार्यों के लिये दिया गया था।

(3) कर्जे की अदायगी के लिये 12 तिमाही किश्तें मुकर्रर की गई थीं उनमें से 8 किश्तें वसूल हो चुकी हैं।

(4) जी हां, ब्याज की दर 12 प्रतिशत है।

(5) कर्जा जिन शर्तों पर दिया गया था उसकी प्रतिलिपि संलग्न है। नवाब साहब द्वारा दिये गये घोषणा पत्र की प्रति भी संलग्न है।

(6) जी नहीं।

(7) कर्जे की अदायगी के लिये नजर बाग महल राज्य सरकार को रहन रखा गया है। इसका मूल्यांकन पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा 15 लाख रुपये का किया गया था।

(8) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री दिग्विजयसिंह : आपने खण्ड 6 में कहा है कि जी हां, कितनी किश्त जमा हो चुकी हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 8 किश्तें जमा हो चुकी हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : मैं एक जानकारी करना चाहूंगा। वे प्रिवीपर्स होल्डर हैं और उनको दो लाख 80 हजार का प्रिवीपर्स मिलता है और फिर उनको दो लाख रुपया दिया गया है लोन के रूप में तो यह कहां तक न्याय संगत है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : इसीलिये 12 प्रतिशत ब्याज की दर रखी है।

श्री दिग्विजयसिंह : जिनको कि आलरेडी प्रिवीपर्स मिलता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या इसी प्रकार से और जगह भी देने के लिये तैयार हैं ?

श्री दिग्विजयसिंह : यह देवस्थान विभाग के कौन से मद से दिया गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ट्रस्ट के मद से दिया गया है। कई ट्रस्ट की रकम है।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या पी. डी. अकाउन्ट से दिया गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो पैसा ट्रस्ट का होता है और जमा होता है उसको इन्वेस्ट करते रहते हैं। वह दिया गया है।

श्री दिग्विजयसिंह : पी. डी. अकाउन्ट से या अन्य सिक्यूरिटीज से ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : पी. डी. अकाउन्ट का कोई प्रश्न नहीं है। सिक्यूरिटिज को भुनाने का प्रश्न नहीं है। पुराने कर्जे की जो रकम आती है वह जमा होती है और उसको इन्वेस्ट करते रहते हैं।

Page No 3

श्री दिग्विजयसिंह : सिक्यूरिटीज भुनाने का प्रश्न नहीं है तो यह कहां से दिया गया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जो पैसा हमारे पास में आता है, उसमें जैसे बीकानेर के ट्रस्ट का 12 लाख रुपया है और जो दूसरे ट्रस्ट हैं उनका दिया है। उसको इन्वेस्ट करते रहते हैं और इसी तरह से जयपुर मिल को दिया गया है और उसकी किश्तें आती हैं। इस तरह से यह चलता रहता है। रोटेटिंग अकाउन्ट में से इनवेस्टमेन्ट करते हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : क्या वही पी. डी. अकाउन्ट है ?

श्री अध्यक्ष : यह पी. डी. अकाउन्ट क्या बला है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वही हो सकता है कि रुपया आकर के जमा हो जाता है और उसमें से निकाला जाता है। यह तो मैं जानता हूं।

श्री दिग्विजयसिंह : आपने कहा है कि सिक्यूरिटीज से नहीं दिया है जबकि आॅर्डर में साफ लिखा है कि देवस्थान विभाग से चार्ज करेंगे।

"The Devasthan Department shall arrange payment of this loan through encashment of the securities already held by them or fixed deposits. There will be no drawal of funds from the P. D. accounts."

सिक्यूरिटीज का आपने नहीं दिया है तो फिर दिया कहां से है ? आपके आॅर्डर में लिखा है सिक्यूरिटीज को भुनाना है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : सिक्यूरिटीज मेच्योर हो जाती हैं तो उसको भुनानी पड़ती हैं। वे मेच्योर हो गई होंगी।

श्री दिग्विजयसिंह : आपके गवर्नमेंट का आॅर्डर साफ है।

श्री अध्यक्ष : काफी प्रश्न हैं।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): एक प्रश्न है अध्यक्ष महोदय। जिस पैलेस को आपने गिरवी रखा है क्या यह सही है कि वह पैलेस पहले से ही कई कर्जदारों के यहां गिरवी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : कांग्रेस के लिये सपोर्ट लेने के लिये करते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री केदारनाथ ! श्री रामचन्द्र आर्य !

मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट

880. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) एवं **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मोतीराम कमीशन की नियुक्ति किस तिथि को की गई और उसकी कितनी बैठकें हुईं ?

(2) उक्त कमीशन द्वारा भूमि के गलत एलाॅटमेन्ट, तबादले आदि के कुल कितने मामलों की जांच की ?

(3) उक्त कमीशन ने अपनी जांच के मुख्य मुख्य क्या क्या आधार बनाये थे ?

Page No 4

(श्री रामचन्द्र आर्य एवं श्री केदारनाथ)

(4) कमीशन की मुख्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ? कृपया कमीशन की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त कमीशन को दोषी एलॉटीज के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार कमीशन को ऐसे अधिकार देने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

(6) कमीशन की सिफारिशों पर अमल करने में सरकार को अनुमानतः कितना व्यय वहन करना पड़ेगा ?

राज्य मन्त्री, उपनिवेशन (श्री मनफूलसिंह) : (1) मोतीराम कमीशन की नियुक्ति 6-2-70 को की गई थी। इसकी बैठकों का विवरण नहीं रखा गया।

(2) भूमि के गलत एलॉटमेन्ट की जांच करना इस कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में नहीं था अतः इस विषय में जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) कमीशन ने टर्म्स ऑफ रेफरेन्स को जांच का मुख्य आधार बनाया।

(4) यह रिपोर्ट अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(5) जैसा कि प्रश्न 2 में बताया गया है इस कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेन्स में एलॉटमेन्ट की जांच करना नहीं था इसलिये अधिकार देने का प्रश्न नहीं उठता।

(6) व्यय का अनुमान नहीं लगाया गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट तीन महीने में प्रकाशित करने की घोषणा की गई थी और आज एक साल से ऊपर हो गया है लेकिन यहां पर कोई मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट नहीं है और आप यह भी कह रहे हैं कि मीटिंग का कोई ब्यौरा नहीं रखा गया है। इस प्रकार का गोलमाल उत्तर आप दे रहे हैं। जो हमारा दूसरा प्रश्न था उसको एक बनाकर एलॉटमेन्ट के साथ घुसेड़ दिया गया है और कह दिया कि इसका भी कोई प्रश्न नहीं उठता। तो, अध्यक्ष महोदय, किस तरह से हम इस प्रश्न को पूछें।

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें परेशान न होइये।

श्री रामचन्द्र आर्य : सिंचाई मन्त्री जी का प्रश्न उपनिवेशन मन्त्री जी के साथ जोड़ दिया गया सिंचाई मन्त्री जी इस प्रश्न का उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : आप तो आगे बढ़िये।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह कमेटी को रिपोर्ट कब तक पेश कर देंगे, प्रकाशित कर देंगे ?

श्री मनफूलसिंह : सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या विचाराधीन है ? रोजाना विचाराधीन की बात कहते हैं। कोई तरीका होता है। एक तारीख निश्चित करके बताइये प्रकाशित होने के लिये। विचाराधीन है, कोई प्रश्न नहीं उठता, यह आप यहां पर कहते हैं। यह कोई तरीका नहीं होता। विचाराधीन तो बीस साल तक भी चल सकता है।

Page No 5

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार को जानकारी में है कि मोतीराम कमीशन की कितनी बैठकें हुईं और क्या उसका विवरण दे सकते हैं ?

श्री मनफूलसिंह : मैंने निवेदन किया है कि इसका विवरण नहीं रखा गया है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या यह सही है कि उस कमेटी के द्वारा कोई भी बैठक नहीं की गई है ?

श्री मनफूलसिंह : मैं अर्ज करूंगा····

उपनिवेशन मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं है कि कोई कमेटी रिपोर्ट प्रस्तुत करे और उन्होंने जानकारी न की हो, बैठकें न की हों, और दौरा न किया हो और वाकयात मालूम न किये हों और ऐसे ही रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हो, ऐसा तो सम्भव नहीं है। यह प्रश्न पूछा गया था कि कितनी बैठकें हुई थीं ? चूंकि जो रिपोर्ट सामने प्रस्तुत हुई है उसमें कब कब बैठकें हुईं उनका विवरण नहीं है। इस रिपोर्ट की जो कार्यवाही है उसमें यह नहीं कहा गया है कि कितनी बैठके हुई हैं और कब हुई हैं।

जहां तक इसको प्रकाशित करने का सवाल है, मैंने कई बार, अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर यह सूचना दी है कि यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है और उस पर सरकार का निर्णय होना बाकी है। लेकिन सदस्यगण ऐसा महसूस करते हैं कि उस रिपोर्ट को यहां पर रखा जाये, या प्रकाशित किया जाये, तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि उस पर सरकार का निर्णय होना बाकी है और यद्यपि सरकार इसके लिये बाध्य नहीं है, इसको आवश्यक नहीं समझती है, लेकिन अगर माननीय सदस्यों की भावना है तो यह स्पष्ट करते हुए उस रिपोर्ट को इस सदन को मेज पर रखने को तैयार हूं और इसे सदन की मेज पर रखता हूं।

(रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी गई)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न इसके साथ में जोड़ा गया है उसका उत्तर नहीं आया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अलॉटमेंट की टर्म्स ऑफ रेफरेन्स मोतीराम कमीशन के लिये नहीं थी····

श्री अध्यक्ष : अब तो रिपोर्ट आ गई है। सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री रामचन्द्र आर्य : जो हाई पावर कमेटी नियुक्त की है उसके बारे में····

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

वित्त मन्त्रीजी।

वरिष्ठ उप-निदेशक का पद

881. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य बीमा विभाग के वर्तमान निदेशक, इस पद पर नियुक्ति के पूर्व वरिष्ठ उप-निदेशक के पद पर कार्य कर रहे थे ? यदि हां, तो यह

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)
नियुक्ति कब और किस आदेश से हुई और इस नये पद की कब स्वीकृति हुई ? कृपया इन दोनों आज्ञाओं की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(2) इस पद पर वरिष्ठ उप-निदेशक के लिये उप-निदेशक पद की तुलना में वेतन तथा भत्तें में कितनी वृद्धि हुई और कितना, कितने समय का भुगतान किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि यह पद समाप्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और क्यों ? कृपया इस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी (राज्य मंत्री, वित्त) : (1) जी हां, बीमा विभाग के वर्तमान निदेशक इस पद पर नियुक्ति के पूर्व वरिष्ठ उप-निदेशक के पद पर कार्य कर रहे थे । दिनांक 1-3-62 से उप-निदेशक के पद को जिस पर कि वर्तमान निदेशक कार्य कर रहे हैं वरिष्ठ उप-निदेशक के पद में पुनः नामोदेशन (रीडेजिगनेशन) किया गया । वित्त विभाग के पत्र सं. डी. 7531 एफ/8 (42) एफ./कोम./61, दिनांक 27-12-1961 एवं एफ 8(42) एफ / कोम / 61, दिनांक 8-2-62 की प्रतियां संलग्न है ।

(2) उप-निदेशक एवं वरिष्ठ उप-निदेशक की वेतन शृंखला समान हैं । उप-निदेशक की वेतन शृंखला के साथ 100 रु. का विशेष वेतन था, उप-निदेशक के पद को वरिष्ठ उप-निदेशक के पद में पुनः नामोदेशन (रीडेजिगनेशन) करने पर विशेष वेतन 100 रु. बढ़ा कर दिनांक 1-3-62 से 150) रु. किया गया तथा वरिष्ठ उप-निदेशक के पद पर दिनांक 1-3-62 से 5-12-67 तक 650 रु. मासिक वेतन की वृद्धि हुई । और वृद्धि के फलस्वरूप दिनांक 1-3-62 से 5-12-67 तक 50) रु. माह की दर से 3,458) रु. का भुगतान किया गया ।

(3) जी नहीं, नवीन वेतन मान 1969 जो कि दिनांक 1-9-68 से प्रभाव में आये हैं उसमें वरिष्ठ उप-निदेशक के 150 रु. विशेष वेतन समाप्त कर दिया गया है और वरिष्ठ उप-निदेशक एवं उप-निदेशकों के पदों की वेतन शृंखला समान थी समान ही रखी गई । अतः सरकार ने राज्य बीमा सेवा नियमों, 1959 में वरिष्ठ उप-निदेशक के पद को सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं समझा और इस पद को भी उप-निदेशक का पद मान लिया गया ।

राज्य आदेश संख्या एफ. 8 (42) वित्त-लेखा/69, दिनांक 26-8-70 की प्रति संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस स्पेशल पे और अलाउन्स का भुगतान करने से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति नहीं थी ? ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी । नहीं, यह सही नहीं है । असल में राज्य सरकार द्वारा बाकायदा डिसीजन लेकर 100 रु. के बजाय 150 रु. की स्पेशल पे क्रियेट की गई थी । उसके सम्बन्ध में····

श्री अध्यक्ष : ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन ली या नहीं ली सीधा सा प्रश्न है ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन इम्पलाईड है जबकि स्पेशल पे सेंक्शन होती है तो फाइनेन्स डिपार्टमेंट को····

श्री अध्यक्ष : दी गई ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : जी ।

श्री भैरोंसिंह : इस पद पर जबसे कार्य सम्भाला है उस दिन से लेकर जब तक भुगतान किया गया—क्या यह सही है जिस समय कार्य भार सम्भाला और जिस समय भुगतान किया है, इस प्रकार के भुगतान करने के कोई आदेश नहीं थे ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : 100 रु० से बढ़ाकर जो स्पेशल पे की गई उसका बकायदा ऑर्डर···

श्री भैरोंसिंह : मैं पूछ रहा हूं क्या और जवाब क्या दिया जा रहा है । मैं तो अब आपके माध्यम से जानना चाहता हूं·······

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आप तो सीधे टक्कर लगायें ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है जिस पद पर वर्तमान निदेशक कार्य कर रहे हैं और जिस कार्य के लिये विशेष वेतन और भत्ता दिया गया, जिस समय का दिया गया उस समय एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्सन इस प्रकार की नहीं थी····

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है रिट्रास-पेक्टिव भुगतान करने के आदेश जारी किये हैं ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह सही नहीं हैं । जो अलग अलग सैंक्शन इश्यू की गई हैं । मेरे पास कागज हैं, आपको भी सम्भवतः दे दी है । नहीं दी गई हो तो मैं दे दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : बता दीजिये ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : This is order dated 27th December, 1961.

"I am directed to say that it is proposed to create two additional posts of Deputy Directors temporarily for one year from the next financial year. The post of existing Deputy Diaector will be re-designated as Senior Deputy Director in the scale of Deputy Director plus a Special pay of Rs. 150 per month. No special pay relating to maintenance of Provident Fund shall be paid to any of the Deputy Directors until further orders from the next financial year."

श्री भैरोंसिंह : यह ऑर्डर जो किया है । इस ऑर्डर के मातहत जितना भुगतान करना चाहिये था उतना हुआ है या नहीं ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : 50 रु० माह जैसा जैसा होना चाहिये वह किया है । 150 रुपये, 100 रुपये पहले ही मिलता था—स्पेशल पे 50 का ज्यादा हुआ है ।

Page No 8

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है यह आदेश केवल एक साल के लिये है और फिर कन्टीन्यू नहीं किया गया ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह लेंग्वेज है, उसके लिये एक साल कहीं जाहिर नहीं हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : लेंग्वेज को छोड़कर फिर बताइये।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह पोजीशन कन्टान्यू की, देखिये (विराम)

"I am directed to say that with effect from 1-3-1962 the special pays drawn by the Director and the Deputy Director of Insurance shall be charged to the Head "25-G. A. D.—Accounts Officers P. F. Accounts" instead of the present practice."

श्री भैरोंसिंह : इससे मतलब ?

श्री अध्यक्ष : आप यह बतायें क्या एक ही साल के लिए है या और आगे एक्सटेन्ड किया ?

एक माननीय सदस्य : इतना ज्ञान ही नहीं हैं।

श्री भैरोंसिंह : अब वह कह रहे हैं— इसको पूछकर जवाब दे दिया जाय।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : दो पोस्ट्स जो नई क्रियेट की गई थी—एक साल को इसके अलावा दो डिप्टी डाइरेक्टर की और पोस्ट हैं...

श्री भैरोंसिंह : जितना भुगतान किया गया है, क्या यह सही है कि गवर्नमेंट की सैंक्शन केवल एक वर्ष के लिए थी और निरन्तर आगे के वर्षों तक भुगतान किया गया है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह आपका लेटर है...

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यही पोस्ट जिसको री-डेजिगनेट किया है और दो डिप्टी डाइरेक्टर की नयी क्रियेट की हैं, उनके लिए है।

श्री भैरोंसिंह : "The post of existing Deputy Director will be re-designated as Senior Deputy Director in the scale of Deputy Director plus a special pay of Rs. 150 per month."

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : यह देखिये न...

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर।

श्री अध्यक्ष : No point of order in the Question Hour, Hon. Member.

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : "I am directed to say that it is proposed to create two additional posts of Deputy Directors for one year from the next financial year."

(श्री विश्वम्भरनाथ जोशी)
ये दो पोस्ट only for one year.

"The post of existing Deputy Director will be re-designated as Senior Deputy Director in the scale of Deputy Director plus a special pay of Rs. 150 per month."

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री वृद्धिचन्द जैन। (एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर) आप बैठिये प्रश्नकर्त्ता प्रश्न कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : अगर आप समझे हों तो? मैं तो कुछ नहीं समझा।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : बहुत स्पष्ट है। इसमें ज्यादा समझने की बात नहीं है। वन ईयर केवल दो न्यूली डिप्टी डाईरेक्टर की पोस्ट के लिये है जो न्यूली क्रियेटेड हैं। वहां वन ईयर है इसलिए जो रि-डेजिग्नेट की है उसमें वन ईयर का उल्लेख है और कोई जिक्र नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : अब तो यह मुझ पर पड़ गया है। मैं समझ गया हूं लेकिन आपको नहीं बताऊंगा।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब अध्यक्ष महोदय आप भी खाली हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि नई पोस्ट क्रियेट होती है तो गजट नोटिफिकेशन होता है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया के बराबर बोलते रहने पर)

प्रश्नकर्त्ता, श्री गाड़िया जी।

श्री भैरोंसिंह : यही प्रश्न है।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : क्या?

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है, वह पोस्ट जो क्रियेट की उस सम्बन्ध में न रूल्स अमेंड हुये हैं और न गजट नोटिफिकेशन हुआ है?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : इसके बारे में जिसकी आप सप्लीमेन्टरी कर रहे हैं? यह नई पोस्ट नहीं है। एग्जिस्टिंग पोस्ट को रि-डेजिग्नेट किया था।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा वह नई पोस्ट नहीं है। यह जो तीन आर्डर्स की कापी दी है। क्या इन कागजों के आधार पर रूल्स में अमेन्डमेंट किया जाना जरूरी है और गजट में नोटिफिकेशन हुआ है?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : गजट नोटिफिकेशन कोई जरूरी नहीं है और रूल्स में अमेन्डमेंट किया गया था—वह जरूरी है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय नियुक्ति की गई थी उससे लेकर जिस दिन भुगतान किया था उस दिन तक गजट नोटिफिकेशन नहीं हुआ और रूल्स में भी अमेन्डमेंट नहीं हुआ है।

एक माननीय सदस्य : वह तो गलत हुआ है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कब किया?

Page No 10

श्री अध्यक्ष : मैं जानना चाहता हूं क्या फरमाया आपने, मंत्री महोदय ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : मैंने यह निवेदन किया था कि तारीख मैं आपको नहीं बता सकूंगा कि इस तारीख में अमें-डमेन्ट किया गया ।

श्री अध्यक्ष : इसके पूर्व या इसके पीछे अमेंडमेंट की तारीख को छोड़कर ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इनको तो कोई जानकारी नहीं है ।

श्री विश्वम्भनाथ जोशी : अध्यक्ष महोदय, ऐसी एरर हुई है पढ़ने में कि एमेंडमेंट नहीं हुआ है ।

श्री लादूराम सुलानिया : आपकी आज्ञा से कहना चाहता हूं ...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लोज ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जब तक रूलस में अमेंडमेट इस प्रकार का नहीं हो तब तक नई पोस्टिंग के आॅर्डर व इन्क्रीमेंट करने की कार्यवाही करना यह किसी प्रकार से उचित नहीं था ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : सही नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बिना रूलस में एमेडमेंट किये सर्विसेज की कन्डीशन्स में कोई चेन्ज नहीं कर सकते हैं ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : एमाउन्ट बढ़ाने के लिए एमेडमेंट की आवश्यकता नहीं है । स्पेशल एलिजिबिलिटी थी । इट वाज नाट नेसेसरी । इट वाज नाट पार्ट आॅफ रूल्स ।

श्री भैरोंसिंह : एमेंड करने की आवश्यकता नहीं थी ।

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : अगर स्पेशल पे वगैरह करना हो तो । इस पर्टीक्यूलर केस में रूल्स के एमेंडमेंट करने की आवश्यकता नहीं थी ।

श्री भैरोंसिंह : मैं सीधा पूछ रहा हूं कि यह पेमेन्ट किया है । दो नई पोस्ट्स क्रियेट करवाई तो इस सारे प्रश्न में रूल्स को अमेंड करने की आवश्यकता थी या नहीं, आपने कहा, थी लेकिन एमेंडमेंट नहीं हुआ असलियत क्या है ?

श्री विश्वम्भरनाथ जोशी : आपका प्रश्न रिलेटेड था डिप्टी डाइरेक्टर की पोस्ट से वह मैं निवेदन कर चुका हूं । नई पोस्ट क्रियेट नहीं हुई है उसको रि-डेजिग्नेट किया गया था । उसके लिये रूल्स में एमें-डमेंट करने की आवश्यकता नहीं थी । बजट में चेन्ज की आवश्यकता थी 100 के बजाय 150 किया गया था । पोस्ट के लिए ग्रान्ट थी । उसके लिए जस्टीफिकेशन था ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री रिद्धिचन्द्र ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक तो प्रावधान रखा क्या यह सही है ....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य, इसो प्रश्न पर 10 मिनिट लेलिये ।

श्री देवादत्त गाड़िया : कोई प्रावधान नहीं था । न ए. जी. को सूचना थी और श्री टेमाणी ने मेन्युपुलेशन करके ए. जी. के आॅफिस में किसी आदमी से मिलकर बिल बनाया है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : XXXX

श्री अध्यक्ष : आप दूसरे माननीय सदस्य का भी ख्याल रखेंगे या नहीं ? इतना पर्याप्त हो गया। बहुत समय ले लिया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बजट में प्रावधान नहीं और टेमाणी जी खा गये।

श्री अध्यक्ष : दूसरे प्रश्न नहीं लेने देना चाहते हैं क्या ? ऑर्डर प्लीज। आप दूसरों को सहयोग दें, माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मन्त्री जी को जानकारी नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या 882.

श्री रिद्धिचन्द्र पल्लीवाल। शिक्षा मन्त्री।

उप-मंत्री, शिक्षा (राव श्री शेरसिंह): सवाल पूछा गया नहीं, अध्यक्ष महोदय, श्री रिद्धिचन्द्र जी अनुपस्थित हैं।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)।

श्री अध्यक्ष। नेक्स्ट।

सिरोही में शराब बन्दी

883. श्री मदनसिंह (सिरोही) : क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला सिरोही में शराब बन्दी की हुई है ?

(2) शराब बन्दी से पूर्व सरकार को सिरोही जिले से शराब के ठेकों से कितनी धनराशि सालाना प्राप्त होती थी ?

(3) क्या यह सही है कि अब भी पूरे जिले में खुले आम शराब बिक रही है ?

(4) क्या यह सही है कि शराब बेचने वालों से सरकारी कर्मचारी मिले हुए हैं ?

(5) राजस्थान में कुल कितने जिलों में शराब बन्दी है और उससे सरकार को कितने रुपये का नुकसान हो रहा है ?

उप-मन्त्री, आबकारी (श्री शिवचरण सिंह) : (1) जी हां।

(2) वर्ष 1966-67 में सिरोही जिले में शराब के ठेकों से 15,28,128 रुपयों की आय हुई।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) नशा बन्दी क्षेत्र का विवरण संलग्न है। नशा बन्दी के कारण राज्य सरकार को 83,54,123 रुपयों की वार्षिक हानि हुई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

XXXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 12

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकारी कर्मचारियों के घरों से नाजायज शराब पकड़ी गई ?

श्री शिवचरण सिंह : यह अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : आप कहना चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी इस धन्धे में नहीं तो अलग से कैसे हैं ?

श्री शिवचरण सिंह : जो प्रश्न पूछा गया है उसमें इसका जिक्र नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : प्रश्न के खण्ड (4) को पढ़िये। उसमें लिखा है—

"क्या यह सही है कि शराब बेचने वालों से सरकारी कर्मचारी मिले हुए हैं ?"

श्री शिवचरणसिंह : उसका मैंने उत्तर दिया है कि प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री विजयसिंह : यह श्री मेहरालाल माथुर कौन हैं ?

श्री अध्यक्ष : अभी प्रश्नकर्त्ता का प्रश्न है। आप मदनसिंहजी तो नहीं हैं।

श्री मदनसिंह : शराब को जीपों में लाकर बेचा जाता है। दूसरे ठेकेदार लोग बनाते हैं। शराब के अन्दर पानी मिला देते हैं और इस तरह से कई तरह की नाजायज हरकतें करते हैं यहां तक कि मूत तक भी मिला देते हैं।

श्री शिवचरण सिंह : यह, अध्यक्ष महोदय, सही नहीं है। 70-71 में 186 रेड किये हैं और छः स्पेशल रेड किये हैं। 301 केसेज डिटेक्ट हुए हैं जिनके केसेज सिरोही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहे हैं और डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी में 65 केसेज हैं…

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय, पर्याप्त उपाय किया।

श्री मदन सिंह : शराब के केसेज नहीं पकड़े जाते हैं। सरकारी कर्मचारी इसमें हैं। मैंने कलेक्टर को पत्र लिखा है 18-1-69 को और एस० पी० को लिखा है कि शराब खुले आम बिकती है। खुले आम रिश्वतखोरी होती है। जो केसेज बनते हैं उनमें पीने वाले लोग हैं उनको पकड़ते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या यह पत्र उनको मिला ?

श्री शिवचरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे पत्र नहीं मिला। आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि अगर ऐसी शिकायतें हैं कि जिनमें ऑफिसर इन्वाल्व्ड हैं तो बतायें तो एक्शन लेंगे।

श्री मदनसिंह : मैंने एस. पी. को लेटर दिया है उसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई और उसका यह जवाब मिलता है। हमारी पार्टी की गवर्नमेंट है, अच्छा नहीं लगता।

श्री अध्यक्ष : पार्टी की कहां चर्चा कर दी। भाषण नहीं, माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री मदनसिंह : क्या यह सही है कि आबकारी अधिकारी के हजार रुपये, एस. पी. के 500 रुपये, थानेदार के 200 और हैड कान्स्टेबिल के 100 रु. प्रति मास ठेकेदार से लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण सिंह : यह, अध्यक्ष महोदय, सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) आर्डर प्लीज। जवाब आने दें।

श्री शिवचरण सिंह : माननीय सदस्यों को इस प्रकार की जानकारी है ··

श्री अध्यक्ष : जानकारी का कैसे आ गया ?

श्री मदनसिंह : मेरा यह निवेदन है कि यह एक जिले का ही प्रश्न नहीं है जितने जिलों में शराबबन्दी की गई है वहां पर शराब बिकती है और लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है। लाखों रुपयों की इन्कम बन्द कर दी और इस तरह से यह काम कर रहे हैं।

श्री शिवचरण सिंह : इसकी जानकारी मंगा ली जायेगी और माननीय सदस्य के सहयोग से जो अधिकारी होंगे·······

श्री भरोंसिंह : क्या यह सही है कि श्री गेहूरालाल माथुर जो कि एक्साइज अधिकारी जोधपुर के हैं वे स्वयं अपनी जीप में कुछ बोतलें शराब की लेकर जा रहे थे। जीप का एक्सीडेन्ट हुआ और शराब की बोतलें फूट गईं और शराब बिखर गयी—इस बात की रिपोर्ट पुलिस में भी हुई है, और इस बात की रिपोर्ट एक्साइज डिपार्टमेंट में भी हुई है।

श्री शिवचरण सिंह : यह प्रश्न स्पेसिफिक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे···

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उस आबकारी अधिकारी को पकड़ा गया नाजायज शराब ले जाता हुआ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कोई भी शराब पीने वाले मंत्री को प्रोहिबिशन का मिनिस्टर बनायेंगे तो प्रोहिबिशन कैसे हो सकता है और जनता के लिये प्रोहिबिशन क्या आयेगा ? एक्साइज डिपार्टमेंट में जितने अधिकारी हैं वे शराब पीने वाले तो हैं····

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री शिवचरण सिंह : कितने अधिकारी हैं आप बता दें तो एक्शन लूंगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जितने केसेज आपने बताये हैं, उनमें कई केसेज ऐसे हैं—आप यह कह सकते हैं कि सब केसेज के लिये कैसे बता सकता हूं,—जिनमें कोई आबकारी अधिकारी स्वयं व्हीकल में नाजायज तौर पर शराब ले जाता हुआ पकड़ा गया है ? क्या इस प्रकार के केसेज हैं ?

श्री शिवचरण सिंह : मैं टोटल केसेज के बारे में बता सकता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप यह बताइये, मंत्री होने के नाते, कि क्या इस प्रकार के केसेज है, जिसमें आबकारी अधिकारी नाजायज शराब व्हीकल में ले जाते हुए पकड़ा गया ?

श्री शिवचरण सिंह : मैंने टोटल केस बताये, एक एक केस के बारे में....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : टोटल केसेज के बारे में नहीं, आप पर्टीक्यूलर केस के बारे में बताइये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर आरोप है। यह साधारण बात नहीं है कि एक आबकारी अधिकारी व्हीकल में शराब ले जाते हुए पकड़ा जाय।

श्री अध्यक्ष : आप जानकारी ले लीजिये कि है क्या ?

श्री शिवचरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो आपने जानकारी दी है, उसकी मैं जानकारी प्राप्त कर लूंगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह इतना बड़ा मामला है और इसकी आपको जानकारी नहीं है।

श्री लादूराम सुलानिया : माननीय मंत्री महोदय को इस केस की जानकारी नहीं है...

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री लादूराम सुलानिया : यह इनके विभाग से सम्बन्ध रखता है। यह उत्तर नहीं देना चाहते हैं...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री लादूराम सुलानिया : और मंत्री महोदय असत्य बोलते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ठेकेदार से मिलकर इस प्रकार नाजायज धन्धा करते हैं, यह सिरोही जिले का ही सवाल नहीं है, यह सारे राजस्थान के अन्दर समस्या पैदा हो रही है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इसको आमदनी का जरिया बना लिया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक सप्लीमेंट्री प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा आपकी आज्ञा से। क्या यह मंत्री महोदय नहीं जानते हैं कि सिरोही जिले में खुले आम शराब बनाते हैं, नाजायज कसीदी. शराब खुले आम बनाते हैं ? यह जानकारी भी मंत्री महोदय को नहीं है। मंत्री महोदय को यह भी जानकारी नहीं है तो वह मंत्री किस काम के। वास्तविकता क्या है, इसके बारे में मंत्री महोदय कुछ नहीं जानते, वह अनभिज्ञ हैं ? क्या इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय प्रकाश डालेंगे, अपने हृदय के ऊपर हाथ रख कर, ईमानदारी से। सच्ची बात जो है, वास्तविकता जो है, उस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय क्या प्रकाश डालने की कृपा नहीं करेंगे?

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह शराब बन्दी से रकम कमाते हैं। शराब बन्दी इनके लिए वरदान सिद्ध हुई है।

श्री अध्यक्ष : एक प्रश्न का उत्तर आने दीजिये।

श्री शिवचरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे शराब पीने वालों और पिलाने वालों का पता नहीं है। आपको जानकारी हो तो आप मुझे लिस्ट दे दीजिये, मैं उस पर कार्यवाही अवश्य कराऊंगा।

श्री मदनसिंह : मन्त्री महोदय को यह जानकारी नहीं है...

Page No 15

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपके नेता महोदय खड़े हैं।

श्री मदनसिंह : आपको यह जानकारी नहीं है, जो केसेज इन्होंने बताये ?

श्री अध्यक्ष : I am sorry । यह स्थिति है, कुछ है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा, शराब पीने वाले हैं, शराब पी जा रही है, लेकिन शराब बनाने वालों के खिलाफ सरकार क्या कर रही है? सरकार अगर शराब बनाने वालों को सजा नहीं देती है तो क्या यह स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि बाड़ खेत को खा रही है और सांठ-गांठ खुले तौर पर है ? क्या इस बात से यह सिद्ध स्पष्टतया नहीं होता है कि मुलाजिम और शराब बनाने वालों में सांठ-गांठ है ?

श्री शिवचरण सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा अर्ज किया, उस जिले में 301 केसेज बताये, उनमें स्पेशल रेड्स किये हैं, लगातार एक साल तक 186 स्पेशल रेड्स किये हैं और 301 केसेज बने हैं, जिनमें कुछ मामले कोर्ट में चले गये हैं, कुछ डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी में हैं और कुछ पेंडिंग हैं। इससे ज्यादा एक्शन क्या लिया जा सकता है ? इससे ज्यादा एक्शन आपके सहयोग से लिया जा सकता है, इसलिए मैंने निवेदन किया कि आप बतायें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह बताया है केस, माननीय अध्यक्ष महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न मैं फिर दोहराता हूं, सजा शराब पीने वालों को दी गई, लेकिन शराब बनाने वालों को सजा नहीं दी गई है। अभी इधर के एक माननीय सदस्य के द्वारा यह कहा गया कि एक जीप पकड़ी गई, शराब की बोतलें टूटीं, शराब ढुल गई थी—तो उस जीप को क्या आप नहीं पकड़ सकते हैं ? यह स्पष्ट बात है कि बाड़ खेत को खा रही है और मुलाजिम और शराब बनाने वालों में सांठ-गांठ है। आपका प्रोहिबिशन कागजों के अन्दर नहीं है तो क्या है ? यह क्या ढोंग नहीं है, यह क्या धूतक नहीं है ?

श्री शिवचरण सिंह : इसमें जो केसेज बने हैं, उनमें ज्यादातर बनाने वालों के काफी हैं, पीने वालों के भी शामिल होंगे, लेकिन थोड़े केसेज पीने वालों के हैं और बनाने वालों के ज्यादा हैं। इन 301 में पीने वालों के कम और ज्यादा बनाने वालों के हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या आप यह नहीं बता सकते कि आबकारी का अधिकारी पकड़ा गया ? इसका पता नहीं है तो हमें आशंका है कि ऐसा मिनिस्टर प्रोहिबिशन मिनिस्टर बना रखा है जो प्रोहिबिशन के पक्ष में नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस प्रोहिबिशन से तो प्रोहिबिशन नहीं रखना अच्छा है। सरकार प्रोहिबिशन करना चाहती है तो यह प्रोहिबिशन के नाम का मखौल है। एक तरफ लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ आप डींग अच्छी तरह हांक रहे हैं कि हम प्रोहिबिशन के हामी हैं। प्रोहिबिशन के हामी हैं तो इस प्रकार क्या आप जनता की नैतिकता का बिल्कुल

Page No 16

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

रसातल में ले जाकर चोरों के गिरोह को वहीं पनपा रहे हैं ? इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री मदनसिंह !

श्री मदनसिंह : मेरा निवेदन है कि न तो प्रोहिबिशन का बेस रहा और न व्यवहार। शराब वहां पहुंचती है तो इसकी वकत क्या है। यह नौबत आ रही है और आपको पता नहीं हैं, तो फिर पता क्या है। लोग शराब पिलाते हैं, शराब पहुंचाते हैं, सरकारी गाड़ियों के अन्दर शराब पहुंचाई जाती है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस पूरे मामले के अन्दर लाखों रुपया खर्च होता है, रिश्वत अलग से चलती है। उसके अलावा टैक्स लिया जाता है। शराब पहुंचाई जाती है। सो, दो सौ केसेज बनाये हैं, उनमें ज्यादातर गरीब आदमी हैं। इस प्रकार गरीब आदमियों को हैरान किया जाता है और हैरान करके उनसे रिश्वत लेने का काम किया जाता है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। भाषण नहीं।

प्रश्न संख्या 884

श्री गंगासहाय !

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 885

श्री अब्दुल हादी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री खेतसिंह : नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री दौलतराम सारण !

श्री विजय सिंह : खेतसिंह जी को नहीं देने दिया जवाब, हरफन मौला मंत्री को।

प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति

886. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नियमानुसार माध्यमिक शालाओं के प्रधानाध्यापकों में से पचास प्रतिशत भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा होने की व्यवस्था है। यदि हां, तो कब से ? क्या इसकी पालना हो रही है ?

(2) शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में सीधी भर्ती लोक सेवा आयोग द्वारा क्यों नहीं की जाती जबकि अन्य कालेजों में व्याख्याता पद लोक सेवा आयोग के चयन द्वारा भरे जाते हैं ?

उपमन्त्री, शिक्षा (राव श्री धीरसिंह) :

(1) जी हां। दिनांक 1-1-70 से। जी नहीं।

(2) राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 में यह प्रावधान है कि राजस्थान शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्राख्याताओं के पद शत प्रतिशत पदोन्नति से भरे जायं। इन महाविद्यालयों में प्राख्याताओं के पद प्र. अ., उ. मा. वि. के पदों के समकक्ष हैं। अन्य महाविद्यालय निदेशक कालेज शिक्षा के अधीन हैं जिनके नियम इस विभाग के नियमों से कुछ पृथक् हैं। इन महाविद्यालयों में छात्रों को पढ़ाया

Page No 17

(राव श्री वीरसिंह)

जाता है जहां केवल मात्र सम्बन्धित विषयों के प्राध्यातामों की ही आवश्यकता होती है जबकि शिक्षक महाविद्यालयों में अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके लिये अनुभवी प्राध्यातामों की आवश्यकता होती है। अतः इन महाविद्यालयों में विभाग से ही अनुभवी अध्यापकों की पदोन्नति का प्रावधान है।

श्री दौलतराम सारण : किस आधार पर।

राव श्री वीरसिंह : ट्रेनिंग कॉलेज के बारे में। ट्रेनिंग कॉलेज के अलावा जनरल एजुकेशन के कॉलेज हैं जहां लड़कों को पढ़ाते हैं वहां पर सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है इसलिए बगैर अनुभवी लोग जो सीधे लोग सब्जेक्ट में एक्सपर्ट मिलते हैं यूनिवर्सिटी से निकले हुए उनको ले लेते हैं। लेकिन यहां पर टीचिंग मेथड़ पर जोर दिया जाता है इसलिए जो अनुभवी होते हैं, जिनको मेथड़ की ज्यादा नॉलेज होती है, उनके प्रमोशन से पोस्ट भरने का प्रावधान है।

श्री दौलतराम सारण : प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों को प्रमोट किया जाता है या सीनियोरिटी के हिसाब से प्रमोट किया जाता है ?

राव श्री वीरसिंह : सीनियोरिटी के आधार पर प्रमोट किया जाता है क्योंकि वे ट्रेन्ड होते हैं उन्हीं को प्रमोशन का अधिकार रहता है, अनट्रेन्ड का इसमें प्रश्न नहीं है वरना डाइरेक्टली ले लेते।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री देवीदत्त गाड़िया।

देवली कैम्प में बंगाली विस्थापित परिवार

887. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) देवली कैम्प में बंगाली विस्थापितों के कुल कितने परिवार हैं और उनकी संख्या स्त्री, पुरुष एवं बच्चों की कितनी कितनी हैं ? और वे कितने समय से रह रहे हैं और उनमें कितने व्यक्ति किस किस योग्यता के हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) देवली कैम्प के विस्थापितों में अब तक कितने व्यक्तियों व बच्चों की मृत्यु हुई है ? सूची नामवार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) बंगाली विस्थापितों पर अब तक कुल कितना रुपया किस किस प्रकार से खर्च किया जा चुका है प्रति माह कितना व्यय होता है ?

(4) बंगाली विस्थापितों को बसाये जाने की सरकार ने क्या कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो योजना की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) विस्थापितों पर खर्च किये जाने वाले रुपयों में केन्द्रीय सरकार की सहायता कितनी है ?

(6) विस्थापितों के बच्चों को शिक्षा देने की क्या व्यवस्था है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (1) 933 परिवार। 1239 पुरुष, 1284 स्त्रियां, 1538 बच्चे। करीब 6 माह से।

Page No 18

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
17 मेट्रिक तथा 2 इन्टर मीजिएट। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) 22 व्यक्ति तथा 115 बच्चे। नामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) 17,08,976 रु. निर्माण कार्य पर, 5,10,328 रुपये जल प्रदाय पर, 3,42,105 रु. विद्युत् पर, 51,172 रु. यातायात पर, 16,130 रु. चिकित्सा पर, 15,500 निर्वाह भत्ता पर, 2,65,761 रुपये राशन अनुदान पर, 1,65,125 बर्तन पर, 18,215 रु. कपड़े व बिस्तर पर, 1,93,283 रुपये अन्य व्यय पर, 1,31,357 रुपये कुल खर्च किया जा चुका है। प्रति माह लगभग 3,000 रुपया राशन पर तथा 57,000 रुपया जीवन निर्वाह भत्ते पर होता है।

(4) जी हां रेवाइन रिक्लेमेशन योजना, मुर्गी पालन, दुग्ध योजना एवं मत्स्य पालन योजनायें भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भेजी हुई हैं। योजनाओं की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(5 शत प्रतिशत केवल शिक्षा, चिकित्सा व सुरक्षा के अन्दर 50 प्रतिशत।

(6) माध्यमिक पाठशाला खोली गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री देवीदत्त गाड़िया : बंगाली विस्थापितों में 19 व्यक्ति शिक्षित हैं मेट्रिक और इन्टरमीजिएट हैं, इनको राज्य सरकार ने नौकरी देने के लिए क्या कार्यवाही की और अब तक कितने व्यक्तियों को नौकरी दी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किसी को नौकरी नहीं दी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या सरकार उचित नहीं समझती कि इस प्रकार बंगाली विस्थापितों को आत्म निर्भर बनाने हेतु जो व्यक्ति शिक्षित हैं, उनको राज्य सेवा में नौकरी देकर आत्म निर्भर बनाया जाए ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आत्मनिर्भर बनाने के लिए जैसा मैंने प्रश्न के भाग 4 में उत्तर दिया है कि मुस्तकिल तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो योजनायें भारत सरकार को भेजी हैं उनकी मंजूरी पर उन योजनाओं को क्रियान्वयन करने पर ये सभी परिवार आत्मनिर्भर हो सकेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो मैट्रिक और इन्टरमीजिएट हैं, जब राज्य सरकार नई भर्ती करती है, तो कई बंगाली विस्थापित जो 19 परिवार हैं, उनमें शिक्षित परिवारों को नौकरी देने में क्या बाधा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा। एक एक अलग बिखरना नहीं चाहते है। ये सामूहिक तौर पर धंधा मिले, इस बात को वे चाहते हैं। इस कारण उनकी सलाह से और उनकी रुचि के अनुसार आवश्यकतानुसार योजनायें बनाकर भेजी हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

मेंहदीपुर के बालाजी में बिजली

888. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मेंहदीपुर बालाजी (पंचायत सांकरवाड़ा, तहसील टोडाभीम) में बिजली लगाने की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है ?

(2) क्या यह सही है सांकरवाड़ा ग्राम में बिजली मंजूर हो चुकी है और मेंहदीपुर बालाजी का स्थान इसी ग्राम का हिस्सा है ?

(3) क्या सरकार को जानकारी है कि बालाजी की प्रबन्ध समिति की ओर से पहले इस स्थान में बिजली लगी हुई थी, मगर नुकसान के कारण बन्द करनी पड़ी ?

(4) क्या सरकार को जानकारी है कि मेंहदीपुर के बालाजी में उत्तरी भारत के हजारों आदमी प्रति माह इलाज के लिए आते हैं और बिना बिजली के उनको बहुत असुविधा होती है ?

(5) क्या सरकार अब शीघ्र इस स्थान को बिजली देने की स्वीकृति देगी ? यदि हां तो कब तक बिजली दी जा सकेगी ?

उप-मंत्री विद्युत (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां।

(2) जी हां, ग्राम सांकरवाड़ा को दिनांक 30-3-67 को बिजली दी जा चुकी है।

मेंहदीपुर बालाजी का स्थान ग्राम सांकरवाड़ा का हिस्सा नहीं है।

(3) जी हां, मगर बिजली किस कारण बंद करनी पड़ी इसकी जानकारी विद्युत मंडल को नहीं है।

(4) हां यह सही है।

(5) हां, इस स्थान को बिजली देने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसमें क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री खेतसिंह : इसका एस्टीमेट बन गया है और चूंकि आप जैसे वयोवृद्ध ने प्रश्न पूछा है, जल्दी ही इसका विद्युतीकरण किया जाएगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें लिखा है कि इलाज के लिए बिजली नहीं है। तो वहां बिजली से इलाज होता है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इलाज तो बिजली से नहीं होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इस जगह पर जो इलाज होता है, उसकी यूटिलिटी को सरकार स्वीकार करती है ? क्या इस प्रकार की संस्थाओं को जो केवल रूढ़िवाद और अंधविश्वास पर जमी हुई हैं, सरकार विश्वास करती है, प्रोत्साहन देना चाहती है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : न रूढ़िवाद है न अंधविश्वास है, वहां लोग आते हैं, अंधेरा रहता है. जब सब जगह बिजली दी जाती है तो वहां पर भी दी जाए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिजली देने पर ऐतराज नहीं है, उसका इलाज के लिए उपयोग हो ...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: इलाज का सवाल नहीं है। आप अंधविश्वास की बात करते हैं, इनके घर वालों से पूछा जाए कि क्या वहां अंधविश्वास है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी घरवाली से पूछा जाए।

श्री अध्यक्ष : आपसी मतभेद है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : इसके लिए कमीशन नियुक्त किया जाए।

श्री विजयसिंह : दोनों ही घरवालियों के कब्जे में हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल : इस बात के लिए कमीशन नियुक्त किया जाए जो जांच करें कि दोनों की घरवालियां रूढ़िवाद में विश्वास रखती हैं या नहीं।

श्री अध्यक्ष : मैं मुकुटबिहारीलाल जी को इसके लिए मनोनीत करता हूं।

श्री हरजीराम बुरड़क।

कर्मचारियों के फिक्सेशन के मामले

889. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि नागौर जिले के अस्पतालों में कार्य करने वाले कर्मचारियों का अभी तक फिक्सेशन नहीं हुआ है ? यदि हां, तो किस किस कर्मचारी का अब तक फिक्सेशन नहीं हुआ और किन कारणों से नहीं हुआ, और अब कब तक कर दिया जायेगा ?

(2) उक्त कार्य में शिथिलता रहने के क्या कारण हैं और इसके लिए कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं ?

(3) फिक्सेशन का कार्य सम्पन्न करने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है और इस जिले के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बृजसुंदर शर्मा) : (1) नागौर जिले के अस्पतालों के कर्मचारियों में से 82 प्रतिशत के पे-फिक्सेशन किए जा चुके हैं, 12 प्रतिशत केसेज पर ओब्जेक्शन लगाए गए थे उन्हें सही किया जा रहा है, बाकी 6 प्रतिशत कर्मचारियों के केसेज अन्य स्थानों से सर्विस बुक उपलब्ध न होने के कारण विचाराधीन हैं।

(2) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित फिक्सेशन रूल्स के अनुसार ही कर्मचारी का फिक्सेशन किया जाता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

श्री हरजीराम बुरड़क : फिक्सेशन कब होने चाहिए थे और कितने हुए ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : होने तो बहुत पहले चाहिए थे लेकिन कई खामियां रह जाती हैं, उस कारण से फिक्सेशन नहीं होता है। कइयों के ट्रांसफर होने की वजह से सर्विस बुक्स नहीं आती हैं इस कारण से आदेश दिए जाते हैं कि जल्दी से जल्दी पे-फिक्सेशन किया जाए, कई समस्यायें होती हैं जिनका निपटाना जरूरी हो जाता है।

श्री हरजीराम बुरड़क: जिनमें आपत्तियां हैं वे आपने 6 प्रतिशत बतायें हैं, बाकी के पे-फिक्सेशन कर दिए हैं उनके कब होना चाहिए था, उनमें एक भी ऐतराज आज तक नहीं हुआ है। प्रश्न के भाग दो में कहा है आपने कि प्रश्न नहीं उठता, यह कैसे कहा ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : रिवाइज्ड पे-स्केल रूल्स के तहत फिक्सेशन्स होने चाहिए थे। अब तक 270 फिक्सेशन केसेज वहां के हुए हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : कब हुए ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : 49 कर्मचारियों का फिक्सेशन करना बाकी है और 15 कर्मचारियों के सर्विस बुक्स जो दूसरी जगहों से ट्रान्सफर होकर आए हैं, नहीं आये हैं, इस कारण फिक्सेशन उनका नहीं हुआ है, अब फिक्सेशन होगा तब जाकर…

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ।

श्री हरजीराम बुरड़क : जो फिक्सेशन आपने कर दिए हैं कब होने चाहिए थे और कब हुए ?

श्री अध्यक्ष ; श्री प्रेमसिंह सिंघवी ।

स्थगित प्रश्न

(29-3-71, 12-4-71 व 19-4-71)

पंचायत समिति छबड़ा की बकाया राशि

134. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगें:—

क्या यह सही है कि छबड़ा पंचायत समिति की बहुत बड़ी रकम तकावी लोन, पंपिंग सैट्स के लोन व खाद बीज के लोन, के रूप में बकाया है ? यदि हां, तो कुल कितनी रकम बाकी है तथा किन किन लोगों पर कितने समय से बाकी चली आ रही है।

उप मन्त्री पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : जी हां। कितनी कितनी रकम किन किन लोगों में कितने समय से बाकी चली आ रही है उसकी सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : यह जो लिस्ट दी है इसमें करीब 2034 आदमियों के नाम हैं। इनमें हैं नारायण, देवीलाल, काल्या इत्यादि। न किसी की वल्दियत है……

श्री अध्यक्ष : आप पहचानते होंगे। सूची लम्बी है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : एक ही नाम है जैसे कमलसिंह वल्द प्रद्युतसिंह। इसका चार चार बार नाम दिया है, पता नहीं पड़ता क्या ‥

श्री रामचन्द्र आर्य : इन नामों में घोतिया वल्द पोतियां भी है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लीजिए।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि कमलसिंह वल्द प्रद्युतसिंह, उसमें कितने सालों से रकम बाकी चली आ रही है और बाकी होते हुए भी उसको दुबारा कब कब रकम दी गई है ?

श्री परसराम मदेरणा : रकम कब से बकाया है, यह सूची दी गई है, कॉलम नं. 7 में है सारा विवरण।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मेरा प्रश्न यह नहीं है। जिस आदमी की तरफ आपकी बकाया 1960 की है उसको आपने फिर 1961 में दिया, 1963 में भी दिया। रकम भी कोई कम नहीं है, 3-3 हजार 4-4 हजार। वसूली नहीं हुई है, तीन तीन बार दे रहे हैं, वल्दियत का पता नहीं, कैसे मालूम करें ? पंचायत समिति में सरकार के 7-8 लाख रुपये फंसे हुए हैं। लिस्ट पूरी नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : इसलिए प्रश्न नहीं रहा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : प्रश्न कैसे नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : कोई बनाकर प्रश्न दे दें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : एक एक आदमी को दो दो बार तीन तीन बार ऋण क्यों दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या यह सही है कि कमलसिंह प्रद्युतसिंह को लगातार कई सालों तक नियमों के विरुद्ध ऋण दिया गया ? क्या कारण थे ?

श्री परसराम मदेरणा : सूची सदन की मेज पर रख दी है। एक सूची में 2056 व्यक्ति हैं जिनको दीर्घ एवं मध्यकालीन ऋण दिया गया है। दूसरी सूची में 1043 व्यक्ति हैं। कुल मिला कर 3 हजार हो जाते हैं। माननीय सदस्य एक एक के सम्बन्ध में पूछना चाहते हैं। इसकी वसूली की जिम्मेदारी पंचायत समिति की है, माननीय सदस्य स्वयं पंचायत समिति में हैं, वहां हाउस में आप पूछ सकते हैं कि फलां आदमी को क्यों दिया गया। एक आदमी के बारे में स्पेसिफिक प्रश्न पूछते तो मैं जानकारी देता। मेरे लिए संभव नहीं है कि एक व्यक्ति को कब पहली इन्स्टालमेंट दी दूसरी कब दी, यह जानकारी दे सकूं। पूरी सूचियां मैंने माननीय सदस्य को दे दी हैं।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहूंगा कि जो लिस्ट आपने दी है जितना बकाया है क्या इसकी वसूली करने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाये है ?

श्री परसराम मदेरणा : वसूली करने की कार्यवाही पंचायत समिति करती है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, दूसरी लिस्ट नहीं दी।

श्री अध्यक्ष : अब एक लिस्ट से ही हम थक गये हैं। ऐसा मालूम होता कि इतनी लम्बी चौड़ी लिस्ट है तो मैं मंगाऊ नहीं करता।

नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

स्थगित प्रश्न

(4-5-71 व 17-5-71)

पंचायत समिति शाहपुरा द्वारा कृषि कार्य

613. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शाहपुरा (जिला भीलवाड़ा) पंचायत समिति द्वारा

Page No 23

(श्री भैरोंसिंह)
पेटा काश्त कराई जाती है ? यदि हां, तो कब से ? कृपया अब तक का हानि लाभ का लेखा जोखा सदन की मेज पर रखें।

(2) इस पेटा काश्त के खाते ट्रैक्टर व अन्य मशीनें, पुर्जे, मशीनों की मरम्मत आदि के नाम पर प्रति वर्ष कितना कितना व्यय हुआ है ?

(3) पेटा काश्त से किस किस वर्ष में कौन कौन सा कितना कितना अनाज पैदा हुआ है और उसकी बिक्री से कितनी कितनी आय हुई ? कृपया अनाज के विक्रय के भाव बताने का कष्ट करें।

उप-मंत्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा): (1) जी हां, दिनांक 1-11-65 से पेटा काश्त कराई गई है। आय-व्यय का लेखा जोखा सदन की मेज पर रख दिया गया है। हानि लाभ का लेखा जोखा स्थानीय निधि लेखा अंकेक्षण विभाग द्वारा तैयार कराया जा रहा है।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह: क्या यह सही है कि सन् 65 से लेकर 1969-70 तक इस फार्म पर 22 लाख रुपये की आय हुई और 30 लाख रुपये का खर्चा हुआ और 7 लाख 24 हजार रुपये का घाटा हुआ है ?

श्री परसराम मदेरणा: माननीय सदस्य को मैंने वर्षवार सूचना जो पंचायत समिति से मिली है आय और व्यय की वह दी है। 22,93,111.53 की आय है और 30,18,616.77 रुपये का खर्चा है इसको जब देखते हैं तो 7,24,505.24 की हानि हुई है लेकिन इस संबंध में माननीय सदस्य की जानकारी के लिए निवेदन कर दूं कि 1970-71 में जो आय का आंकड़ा है वह मैं इसलिए नहीं दे सका हूं क्योंकि खर्चे का आंकड़ा कलेक्ट नहीं हुआ है। इसलिए जो तीसरी लिस्ट दी है जिसमें अनाज की क्वान्टिटी पूछी है उसमें 1970-71 में कम आय हुई है वह 4877.5 अलग है वह यहां पर इसलिए नहीं बताई कि खर्च का आंकड़ा 1970-71 का नहीं है इसलिए टोटल 7 लाख का नहीं होगा उससे कम होगा।

श्री भैरोंसिंह: कैसे होगा ? आपने जो आय बताई है तो व्यय भी नहीं बताया। तो क्या अन्तर रहेगा वह सामने आ जायेगा लेकिन जिस समय का आय-व्यय बताया है उसमें होता है 7 लाख 24 हजार का नुकसान होता है। क्या यह सही है कि इस नुकसान के अन्दर 5 लाख 52 हजार 374 रुपया केवल ट्रैक्टर और जीप की मरम्मत के ऊपर खर्च हुआ है ?

श्री परसराम मदेरणा: वह लिस्ट मैंने आपको दी है।

श्री भैरोंसिंह: टोटल यही है।

श्री परसराम मदेरणा: 5,52,374 रुपये सही है।

Page No 24

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह जो मरम्मत ट्रेक्टर और जीप के है उसके लिए स्पेयर पार्ट्स अजमेर की किसी एक पर्टीक्यूलर फर्म से की गयी है। खरीद और उस संबंध में मंत्री महोदय को कई बार शिकायतें भी की गयी और ऑडिट रिपोर्ट में भी उसका उल्लेख आया है ?

श्री परसराम मदेरणा : जो परचेजेज हुई हैं और जिस समय इन्टरनल चैक पार्टी हमारी गयी थी तो इन्टर चैक पार्टी ने अपनी रिपोर्ट के अन्दर अनियमितताओं का जिक्र किया है जिसमें मशीनरी के परचेजेज और स्पेयर पार्टस के परचेजेज का मामला भी है और इसके अलावा और बातें भी हैं और उस मामले में एग्जामिनर लोकल फण्ड ऑडिट को लिखा है और एग्जामिनर लोकल फण्ड ऑडिट की पार्टी 4 महीने तक शाहपुरा रह कर तमाम प्रॉफिट एण्ड लॉस अकाउन्ट और दूसरे जितने भी ऑब्जेक्शन्स थे उनकी रिपोर्ट ले आई है लेकिन अभी तक राज्य सरकार को प्रेषित नहीं की और वह तैयार कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि डिप्टी कमिश्नर डवलपमेंट ने जो ऑडिट पार्टी कि रिपोर्ट दी हुई है उसमें एम्बेजलमेन्ट और मिस-एप्रोप्रियेशन के केसेज का भी उल्लेख किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : डिप्टी डवलपमेन्ट कमिश्नर ने कोई पार्टी नहीं भेजी थी लेकिन मेरे ही आदेश थे जिससे कि इन्टरनल चैक पार्टी को भेजा गया था।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि उस रिपोर्ट में मिस-एप्रोप्रियेशन और एम्बेजलमेन्ट इस प्रकार के कई केसेज का उल्लेख है जिसमें केवल सीधी कार्यवाही करने की आवश्यकता थी कोई मजीद कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी।

श्री परसराम मदेरणा : उसमें जितने आब्जेक्शन्स थे वह 347 पेज की रिपोर्ट है...

श्री भैरोंसिंह : 700 पेज की होगी।

श्री परसराम मदेरणा : ...347 की है। जिसके लिए आप कह रहे हैं वह लोकल फण्ड ऑडिट की हो सकती है। लेकिन वह जो रिपोर्ट थी उसमें जो इर्रेगुलेरिटीज थी उन इर्रेगुलेरिटीज के बारे में जब कभी भी ऑडिट होता है तो पंचायत समिति को और विकास अधिकारी को जो भी कन्ट्रोलिंग ऑफिसर है उससे एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। सीनियर अकाउन्ट्स ऑफिसर, पंचायत समिति जो कि इसको डील कर रहा है उन्होंने एक्सप्लेनेशन काल किया। उस पर उन्होंने यह उत्तर दिया है उससे सेटिस्फाई नहीं होकर कुछ मुद्दों के ऊपर दुबारा एक्सप्लेनशन काल किया है और अभी तक उनका उत्तर नहीं आया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार के खर्चे को चैक नहीं करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार स्वयं को भी संकोच नहीं है और जो ऑडिट रिपोर्ट में बताया है वही अनियमिततायें आगे रेगुलरली रिपीट होती जा रही हैं कि खर्चा बढ़ता जा रहा है और आय घटती जा रही है।

श्री परसराम मदेरणा : इस साल तो नहीं करवाई है और वह इसलिये नहीं करवाई थी कि क्योंकि इसमें घाटा हो रहा है और प्राफिट एण्ड लॉस अकाउन्ट्स तैयार

(श्री परसराम मदेरणा)
होने के बाद भी क्लियर पिक्चर सामने आयेगी इसलिए हमने इस साल नहीं करवाई। जो पंचायत समिति को जमीन लीज आउट दी थी वह काश्तकार को सबलेट कर दी गयी—इस प्रकार की रिकमन्डेशन कलेक्टर की आई थी और वह राज्य सरकार ने मान ली। राज्य सरकार ने सभी पहलुओं को देखने के लिए एक कमेटी मुकर्रर की थी जिसकी रिपोर्ट भी राज्य सरकार के सामने आई है और विचाराधीन है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस वर्ष के अन्दर यह घाटा हुआ है उन दिनों एक ही बी. डी. ओ. था और उसको इसी कारण से नहीं हटाया गया कि यदि उसको हटा दिया गया तो सारी अनियमितताओं के मामलों में जो दोषी पाये जाने के कारण जिनको दण्ड दिया जाना चाहिए वह दण्डित किये जायेंगे इसलिये उसको एस.डी.ओ. बना दिया और इसमें माननीय श्री लड्ढा सिंचाई मन्त्री जी का हाथ है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल निराधार बात है कि बी. डी. ओ. को इसलिए रखा गया था कि दोषी आदमियों को बचाया जाये। जिस समय लालबहादुर शास्त्री की अपील थी, पी. एल. 480 के सम्बन्ध में भारत सरकार पर पोलीटीकल दबाव डाला जा रहा है, उसमें उन्होंने लार्ज स्केल पर काश्त करने का निर्णय पंचायत समिति ने लिया था और उसी के हिसाब से 3 हजार एकड़ के ऊपर काश्त की गयी और क्योंकि उस फार्म को शुरू से ही वे चला रहे थे इसलिए वहां पर आर. ए. एस. आफिसर था और उसको रखा गया और वह फार्म को चलाता रहा और पिछली साल भी जब इन्टरनल ऑडिट के सामने यह मामला आया और वह भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर वहां पर गये थे तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर से कुछ लोन मांगा तो उनको यह पता चला कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का फार्म नहीं है और पंचायत समिति का है, तो उन्होंने लिखकर दिया की यह पंचायत समिति का है और इसके पास इनवेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं हैं। पी. डी. अकाउण्ट का जो पैसा रहता था उसको खर्च पंचायत कर दिया करती थी और जितना पैसा था वह हमने पिछली साल विथड्रा कर लिया और इस साल इनवेस्टमैन्ट के लिए साधन नहीं रहे और जब मामला सामने आया तो आडिट पार्टी बैठी और कमेटी बैठी। मार्च 70 में कमेटी का पुनर्गठन किया और जो सजेशन्स उसने दिये हैं वे राज्य सरकार के सामने विचाराधीन हैं।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न तो बिल्कुल साफ है क्या यह सही है कि इस घाटे के लिए रेसपोन्सीबल बी. डी. ओ. को वहां से हटाया और एस. डी. ओ. बना दिया गया ताकि सारी इन्क्वायरी को स्मेश कर दिया जाये ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये।

श्री परसराम मदेरणा : कोई इन्क्वायरी को स्मेश करने का प्रश्न नहीं है। लेखे जोखे का मामला है और माननीय सदस्य हम सब जानते है कि कोई भी अधिकारी वहां रहे या चला जाये उससे इन्क्वायरी प्रभावित होने वाली नहीं है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, प्रश्न समाप्त हुये।

श्री मदनसिंह दांता : मेरा एक इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन था। मुझे यह कहा गया था कि एक हफ्ते में आ जावेगा।

श्री अध्यक्ष : आज तो नहीं है। कौनसा है ?

श्री परसराम मदेरणा : कल के क्वेश्चन में रिपीट हो गया।

श्री मदनसिंह दांता : मैं कल नहीं रहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी छाया रख दीजिये।

श्री मदनसिंह दांता : माननीय भैरोंसिंह जी को कह देता हूं।

श्री लाभचन्द वैद : 893 का जवाब दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास भी नहीं है।

श्री लाभचन्द वैद : लिखित में उत्तर दिलाया जावेगा।

श्री अध्यक्ष : आपको लिखित में उत्तर दिलवा दिया जावेगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं शिक्षिकाओं की बकाया

882. **श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल** (गंगापुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजकीय प्राथमिक कन्या माध्यमिक शाला, गंगापुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी व शिक्षिकाओं के वेतन अवकाश, वेतन अलाउन्स के एरियर बाकी है। यदि हां, तो कब से और क्यों और किस किसके एरियर रोके गये हैं।

उत्तर

प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त दोनों शालाओं में किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या शिक्षिका का कोई वेतन, अवकाश वेतन अलाउन्स एरियर बाकी नहीं है।

कठूमर-घोषराना मार्ग पर बसें

884. **श्री गंगासहाय** (कठूमर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कठूमर से घोषराना तक बनने वाली सड़क पर नियमित बसों के चलाने के लिये परमिट दिये हुए हैं। यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग पर बसें नियमित रूप से चलती हैं। यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां, कठूमर से घोषराना के लिए नगर मंडावर वाया कठूमर घोषराना मार्ग के परमिट दिए हुए है इस पर बस नियमित रूप से चलती है।

Page No 27

पानी पियाई के पैसे

885. श्री अब्दुल हादी (चौहटन) : क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चौहटन तहसील में 1969 में अकाल की वजह से ग्रामों में पीने के पानी के लिये पियाई कितने गांवों में शुरू करवाई गई थी।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम अब्दुर्रहीम का तला, ईसरोल, गौड़ का तला वगैरह काफी गांवों में पानी पिलाया गया मगर सम्बन्धित व्यक्तियों को अभी तक पेमेन्ट नहीं किया गया।

(3) क्या यह सही है कि उपर्युक्त गावों की पियाई बिल पास होने के बावजूद भी उनको पैसे नहीं मिले हैं ?

(4) क्या यह सही है कि बजट लैप्स होने की वजह से उनको पैसे नहीं मिले ?

उत्तर

(1) चौहटन तहसील में वर्ष 1969 में 103 गावों में पियाई स्वीकृत की गई थी।

(2) जी हाँ। ग्राम अब्दुर्रहीम का तला, गौड का तला, वगैरह गावों में पानी पिलाया गया। मगर इनकी पियाई का कोई बिल वास्ते चुकारा पेण्डिग नहीं हैं।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

वन खण्ड की भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तन करने की मांग

759. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई-माधोपुर) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिलाधीश, सवाईमाधोपुर के कार्यालय में कई आवेदन-पत्र अथवा ब्लाक कमेटी की शिफारिशें कई वन खण्ड राजस्व में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्तुत हुई हैं? यदि हां, तो कृपया मार्च, 62 से 31 मार्च, 71 तक किन किन ग्राम निवासियों के आवेदन-पत्र जिलाधीश महोदय की सेवा में प्रस्तुत हुये अथवा किस किस ब्लॉक कमेटी की सिफारिशें किन किन ग्राम निवासियों के आवेदन-पत्र पर प्राप्त हुई हैं, तथा यह आवेदन-पत्र अथवा सिफारिशें किस किस वन-खंड को राजस्व परिवर्तन करने के बारे में हुई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त आवेदन-पत्रों अथवा सिफारिशों में से जिला स्तरीय समिति द्वारा किस किस तारीख की मीटिंग में किस किस पर विचार किया गया और क्या क्या निर्णय लिए गये कृपया सूची सदन की मेज पर रखने कि कृपा करें।

(3) क्या ऐसे आवेदन-पत्रों के लिये जिलाधीश महोदय के कार्यालय में कोई पृथक् रजिस्टर इन्स्टीट्यूशन का रक्खा जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि वर्तमान में वन-खण्डों की भूमि राजस्व में हस्तान्तरित

Page No 28

(श्री हरिबल्लभ शर्मा)

करने हेतु अब ब्लॉक एडवाइजरी कमेटीज की सिफारिश की आवश्यकता नहीं समझी गई है, और जिला स्तरीय कमेटी को ही ऐसे आवेदन-पत्रों पर निर्णय देने के अधिकार दे दिये हैं ? यदि हां, तो क्या राज्याज्ञा के प्रसारण के फलस्वरूप ब्लाक कमेटीज में पैंडिंग मामले जिलाधीश महोदय ने अपने कार्यालय में मंगवा लिये हैं, अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) ब्लॉक कमेटीज के समक्ष ऐसे कितने कितने मामले पंचायत समिति खंडार, बोंली एवम् सवाई माधोपुर के इस समय पैंडिंग हैं, तथा किस किस ग्राम के काश्तकारों के किस किस वन खण्ड भूमि की मुक्ति में ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सत्य है कि जिला कार्यालय में प्रार्थना-पत्र अथवा ब्लॉक कमेटी के प्रस्ताव वन खण्ड राजस्व विभाग में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्राप्त हुए उनकी सूची संलग्न है। मार्च 62 से 31-3-71 तक 15 मामले प्राप्त हुए जिनमें से 6 का निर्णय हो चुका है।

(2) उक्त आवेदन-पत्रों अथवा प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया, वह लिस्ट में उनके सामने अंकित कर दी गई है।

(3) ऐसे प्रार्थना-पत्रों/प्रस्तावों का रजिस्टर पृथक् नहीं रखा गया बल्कि रजिस्टर में दीगर मिसलों के साथ इनको नियमानुसार दर्ज किया जाता रहा है क्योंकि ऐसे कोई अलग दर्ज करने के आदेश नहीं थे।

(4) यह सत्य है कि राज्य सरकार के आदेश सं. एफ. 7 (289) रा. क. / 70 द्वारा आदेश जारी हुआ है कि जिलाधीश एवं मण्डल वन अधिकारी अपने स्तर पर अन्तिम निर्णय लेंगे। ब्लॉक कमेटी सवाई माधोपुर-बोंली खण्डार में जो इस प्रकार के मामले विचाराधीन थे उन्हें मंगवा लिया गया है व बाकी को शीघ्र भेजे जाने के लिये लिखा गया है। चुनाव कार्य होने के कारण बैठक नहीं हो पाई है।

(5) ब्लाक कमेटी में जो मामले विचाराधीन थे निम्न प्राप्त हुये हैं:—

1. पंचायत समिति, सवाई माधोपुर	6 मामले
2. पंचायत समिति, खण्डार	32 मामले
3. पंचायत समिति, बोंली	कोई भी मामला नहीं है

पेण्डिग मामलों की सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सवाई माधोपुर जिले के शराब के ठेके

760. श्री रिद्धिचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस साल सवाई माधोपुर जिले में किस किस स्थान का शराब का ठेका कितने कितने रुपये में हुआ ?

(2) क्या यह सच है कि वजीरपुर का शराब का ठेका कम रुपये में दिया गया है ?

Page No 29

(श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल)

(3) क्या यह सच है कि उस शराब के ठेके को अन्य ठेकेदारान बढ़ाकर लेने को तैयार हैं ?

(4) 1971-72 के ठेके इस साल किस किस व्यक्ति को दिये गये हैं ? उनके नाम व पते बताये जावें ।

(5) क्या इनकी जमानत ली गई है ? अगर जमानत ली गई है, तो किस ठेकेदार की जमानत किसने दी है और कितने रुपये की दी है और क्या वे तसदीक से तसदीक हुई है ?

उत्तर

(1) सूची 'क' संलग्न है ।

(2) यह ठेका पिछली साल की रकम से कम में इस साल नहीं दिया गया है ।

(3) जी नहीं ।

(4) सूची 'क' में अंकित है ।

(5) ठेकेदारों से ठेके की 10 प्रतिशत राशि प्रतिभूति के रूप में जमा होने के कारण किसी से अलग से जमानत लेने की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

भारतीय विद्यामन्दिर, नवलगढ़ को एड-हाक ग्रान्ट के रूप में दी गई राशि

761. श्री सांवरमल बासोतिया (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मार्च, 1970 में श्री गजाधर जयपुरिया विद्यामन्दिर, नवलगढ़ को पांच हजार रुपये एड-हॉक ग्रान्ट के स्वीकृत हुए थे ।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्वीकृत रकम को संस्था के नाम ड्राफ्ट बनवाते समय नाम बदल गया और ड्राफ्ट भारतीय विद्यामन्दिर के नाम का तैयार किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि भारतीय विद्यामन्दिर नवलगढ़ की ओर से उस समय तक कोई अर्जी एड-हॉक ग्रान्ट के लिए नहीं आई थी ? यदि हाँ, तो फिर इस संस्था के नाम अचानक ड्राफ्ट पांच हजार का कैसे तैयार हो गया और वह ड्राफ्ट फिर कौन सी संस्था को दिया गया ?

(4) क्या यह भी सही है कि गत मार्च, 1971 में पुनः भारतीय विद्यामन्दिर, नवलगढ़, को माध्यमिक शाला के आधार पर 50 प्रतिशत अनुदान की स्वीकृति दी गई जबकि उस संस्था में छठवीं से आठवीं तक कोई कक्षा नहीं है और पांचवीं कक्षा तक भी सिर्फ 17-18 विद्यार्थी हैं तथा स्कूल कभी कभी खुलती है ?

(5) क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस संस्था द्वारा बार बार धोखा देने की कार्यवाही क्यों की जाती है और सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(शिक्षा मंत्री)

(3) ड्राफ्ट किसी भी संस्था को नहीं दिया गया। 5,000)रु० की धनराशि राज्य कोष में माह अगस्त, 70 में जमा करा दी गई।

(4) जी हां। गत मार्च, 1971 में भारतीय विद्यामन्दिर नवलगढ़ को नियमित रूप से प्राथमिक स्तर पर 50 प्रतिशत अनुदान की स्वीकृति दी गई थी। संस्था में एक से पांच तक कक्षा लगती है जिसमें छात्र संख्या 95 है।

(5) संस्था द्वारा बार बार धोखा देने के क्रम में कोई शिकायत अभी तक नहीं आई है।

गंगापुर में कालेज

762. श्री रिद्धीचन्द पल्लीवाल (गंगापुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में राजकीय कॉलेज खोले जाने का क्या आधार व नीति है ?

(2) क्या यह सही है कि गंगापुर सिटी की आबादी 32,000 से अधिक होने पर भी तथा छात्रों की संख्या 11 वीं में जिले में सब से अधिक होने हर भी गत बजट भाषण में गंगापुर का उल्लेख नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि गंगापुर सिटी जिले के बीचों बीच है तथा एडीशनल डिस्ट्रिक्ट जज का हैड क्वार्टर है ? यदि हां, तो फिर कलेक्टर हैड क्वार्टर को प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई है ?

(4) क्या सरकार जुलाई, 1971 से आरम्भ होने वाले सत्र से गंगापुर सिटी में कालेज आरम्भ कराने की कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार को राज्य में राजकीय महाविद्यालय खोलने की नीति यह है कि हर जिले के मुख्यालय पर कम से कम एक राजकीय महाविद्यालय हो।

(2) गंगापुर सिटी में राजकीय महा विद्यालय खोलने के बारे में राज्य सरकार के समक्ष कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है वैसे जिस जिले में गंगापुर सिटी पड़ता है उसका मुख्यालय सवाई माधोपुर है जहां पर इस सत्र में एक राजकीय महाविद्यालय चालू करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा ले लिया गया है।

(3) व (4) प्रश्न के भाग (2) के उत्तर के सन्दर्भ में प्रश्न नहीं उठता।

पंचायत समिति कठूमर के स्कूलों में पदोन्नतियां

763. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति कठूमर की स्कूलों में कार्यरत कितने अध्यापक, स्नातक तथा स्नातकोतर परीक्षायें उत्तीर्ण कर चुके हैं ? उनमें से कितने अध्यापकों को अन्य उच्च पदों पर तरक्की देकर भेजा गया है ?

(2) क्या इनमें से कुछ अध्यापकों को पंचायत समिति कठूमर में ही पदोन्नति देकर रखा गया है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति कठूमर की स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों में से दस

(शिक्षा मंत्री)
अध्यापक स्नातक तथा तीन अध्यापक स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं एक अध्यापक को द्वितीय वेतन शृंखला में पदोन्नत कर भेजा गया है।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है।

एम्पलायमेन्ट एक्सचेन्जों पर रजिस्टर्ड आदिवासी

764. श्री देवेन्द्र कुमार मीणा (गोगुन्दा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 1969-70 में उदयपुर डिवीजन में एम्पलायमेंट एक्सचेंजों पर कितने आदिवासी व्यक्तियों ने रजिस्ट्रेशन कराया?

(2) उक्त व्यक्तियों में से कितने व्यक्तियों को नौकरी मिली?

उत्तर

(1) वर्ष 1969-70 में उदयपुर डिवीजन में एम्पलायमेंट एक्सचेन्जों पर 3534 आदिवासी प्रार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया।

(2) उक्त व्यक्तियों में से 57 आदिवासी व्यक्तियों को नौकरी मिली।

भाषा विभाग में नियुक्तियां

765. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भाषा विभाग के प्रारंभ में उसके निदेशक कौन थे?

(2) उपरोक्त विभाग खोले जाने के समय कितने अधिकारियों की व अन्य कर्मचारियों की किस किस पद पर नियुक्तियां की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सच है कि अब इस विभाग में कोई पूर्ण रूपेण निदेशक कार्य कर रहा है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(4) क्या यह भी सच है कि विभाग के भूतपूर्व निदेशक ने कुछ पद आस्थगित (एवेइन्स) रखे? यदि हां, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि कुछ पद अपने चाहे व्यक्तियों को उन उक्त पदों पर अयोग्य होते हुए भी अन्तर्लीन करने हेतु समर्पित किये? यदि हां, तो ऐसे कौन कौन से कितने कितने पद हैं? और उन्हें किस कारण आस्थगित रखा गया है?

(5) क्या यह भी सच है कि विभाग के वर्तमान कुछ पदों को स्थाई किये जा रहे हैं? और कुछ पदों को छोड़ा जा रहा है? यदि हां, तो जिन पदों को स्थायी किया जा रहा है, उनके क्या कारण और आधार हैं तथा जिन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है उनके लिये क्या कारण हैं? जिन पदों को स्थायी किया जा रहा है और जिन्हें स्थायी नहीं किया जा रहा है उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) भाषा विभाग के प्रारंभ में शासन सचिव एवं पदेन निदेशक के रूप में श्री विष्णुदत्त शर्मा कार्य करते थे।

Page No 32

(भाषा मंत्री)

(2) यह विभाग 26 जनवरी, 1965 से कार्यरत है। प्रारंभ में हिन्दी विभाग के नाम से इस विभाग ने कार्य प्रारंभ किया था। उस समय भाषा सचिव के रूप में श्री विष्णुदत्त शर्मा तथा उनका वैयक्तिक अमला सचिवालय में नियुक्त हुआ था।

(3) जी नहीं वर्तमान में शासन सचिव ही पदेन निदेशक हैं। निदेशक का अलग से कोई पद नहीं है।

(4) जी हां, प्रार्थिक कटौती में कुछ पदों को दिसम्बर 1969 से आस्थगित रखा गया। जो पद समाप्त किये गये थे उन पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग ने नियमों के अनुसार अन्य विभागों में एब्जोर्व करवाया था। पद जो आस्थगित रखें गए उनकी सूची निम्न प्रकार है:—

(1)	क्षे. भा. अधिकारी	1
(2)	सहायक	1
(3)	सहायक मुख्यअनुवादक	2
(4)	कनिष्ठ लिपिक	3
(5)	अनुवादक	3

(5) पदों को स्थायी करने का मामला शासन के विचाराधीन है। निर्णय नहीं हुआ है।

फालना कार्यालय में प्राप्त पत्रों के उत्तर

766. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल, फालना कार्यालय में वर्तमान एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर श्री मूर्ति के आने की तारीख से लगाकर अप्रेल, 71 तक कितने पत्र जनता के आये और उनमें से कितने पत्रों के उत्तर दिये गये तथा कितने पत्रों के उत्तर नहीं दिये गये और क्यों ?

(2) राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल, फालना कार्यालय में वर्तमान एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर श्री मूर्ति के आने की तारीख से लगाकर अप्रेल, 71 तक कितने पत्र नागरिकों से डाक रजिस्ट्री से प्राप्त हुए और उनमें से कितने पत्रों के उत्तर दिये गये और कितने पत्रों के उत्तर नहीं दिये गये और क्यों ?

(3) क्या सरकार ने उपर्युक्त कार्यालय को जनता व उपभोक्ताओं के पत्रों (साधारण या डाक रजिस्ट्री से प्राप्त होनेवाले) का उत्तर देने का मना कर रखा है। यदि नहीं तो क्या पत्रों के उत्तर देने का श्री मूर्ति को सरकार आदेश देगी।

उत्तर

(1) श्री एच. सत्यमूर्ति, अधिशासी अभियन्ता, राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल, फालना के आने के दिनांक 2-12-1970 से लेकर अप्रेल, 1971 तक कुल करीब 103 पत्र जनता के आये उनमें से तीन पत्रों के जवाब स्वयं अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिये गये हैं तथा शेष पत्रों को सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया।

(2) रजिस्ट्री डाक द्वारा प्राप्त पत्रों का अलग से रिकार्ड नहीं रखा जाता और ऐसे पत्र उपरोक्त पत्रों में ही सम्मिलित हैं।

(विद्युत मन्त्री)

(3) जी नहीं। इस प्रकार के आदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सामान्यतः पत्रों का उत्तर दिया जाना सम्बन्धित अधिकारी से अपेक्षित है। पर अधिकांश पत्र इस प्रकार के होते हैं कि जिन्हें आवश्यक कार्यवाही करके ही फाइल कर दिया जाता है। ऐसे पत्रों का जवाब दिया जाना आवश्यक नहीं होता। जहां आवश्यक होता है, पत्रों का जवाब भी दिया जाता है।

फालना कार्यालय में जमा कराये मीटर

767. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज. विद्युत मण्डल, फालना कार्यालय में जो उपभोक्ता घरेलू (डोमेस्टिक) विद्युत कनेक्शनों के लिये निजी मीटर जमा करवाते हैं उनके मीटर गायब किये जाकर किन्हीं औरों को दे दिए जाते हैं। यदि हां, तो ऐसा करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं।

(2) क्या यह सही है कि:—

(i) श्री तेजमाल, निहालचन्द पुनमिया ब्राटाड़ा (तहसील देसूरी, जिला पाली) निवासी ने तीन विद्युत कनेक्शनों हेतु तीन निजी मीटर जमा करवाए थे परन्तु उन्हें दो कनेक्शन ही दिए गए और तीसरा मीटर गायब करके बहुत लंबे समय के पश्चात् भी आज तक तीसरा कनेक्शन नहीं दिया गया।

(ii) श्री जबेरचन्द, देवीचन्द पुनमिया लाटाडा (तहसील देसूरी, जिला पाली) निवासी ने चार विद्युत कनेक्शन हेतु चार निजी मीटर जमा करवाये थे परन्तु उन्हें तीन कनेक्शन ही दिये गये और चौथा मीटर गायब करके बहुत लम्बा समय बीतने पर भी आज तक चौथा कनेक्शन नहीं दिया गया ?

(3) (i) क्या यह सही है कि उपर्युक्त भाग (2) के (i) के उदाहरण वाले उपभोक्ता को तो यह भी उत्तर दिसम्बर, 70 में दिया गया कि उन्हें तीसरा शेष कनेक्शन आर्डर नम्बर 88/35, तारीख 22-2-1969 द्वारा दिया जा चुका है जब कि आज तक उन्हें सम्बन्धित कनेक्शन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो विद्युत मण्डल से इस सम्बन्ध में सर्विस लाइन का सामान आदि दिया गया वह सामान आदि एवं उपभोक्ता का निजी कार्य का क्या हुआ ?

(ii) उपर्युक्त गड़बड़ी के लिये कौन दोषी है ?

(4) क्या यह सही है कि भाग संख्या (2) के उदाहरणों (i) व (ii) से सम्बन्धित फ़ाइलें भी गायब करदी गई हैं।

उत्तर

(1) जी नहीं, मीटर गायब नहीं किये जाते। पर इनका कभी कभी दूसरे कनेक्शन में इस्तेमाल होना मुमकिन है।

(2) जी हां, श्री तेजमाल निहालचन्द पुनमिया ने 3 मीटर जमा कराये थे पर उपलब्ध रेकार्ड के अनुसार इन्होंने केवल 2 कनेक्शन्स के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे, जो कनेक्शन्स इनको दिये जा चुके हैं। चूंकि तीसरा प्रार्थना-पत्र उपलब्ध नहीं है। अतः यह कनेक्शन नहीं दिया जा सका।

(विद्युत् मन्त्री)

जी नहीं, ऑफिस रेकार्ड के अनुसार श्री जवेरचन्द देवीचन्द पुनमिया ने केवल 3 ही मीटर जमा कराये थे और इन्हें तीनों कनेक्शन्स दिये जा चुके हैं।

(3) उपभोक्ता को दिसम्बर, 1970 में दिये गये उत्तर में 'तीसरा' कनेक्शन शब्द कदाचित गलती से लिख दिए गये थे। परन्तु इससे आशय उस कनेक्शन से ही हैं। जो 22-2-1969 को दिया गया था।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

सलाहकार समितियों की बैठक

768. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) स्टेट रोडवेज कारपोरेशन को सलाह देने के लिये कितनी सलाहकार समितियां कब कब बनाई गई है।

(2) अब तक सलाहकार समितियों की कितनी बैठकें हुई हैं, और इनके द्वारा निगम को क्या सलाह दी गई है?

(3) सरकार ने किस किस सलाहकार समिति की किस किस सलाह को माना है और किसको नहीं? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लिये तीन उपयोग-कर्त्ता सलाहकार समितियां अगस्त, 1968 में बनाई गई थी।

(2) अब तक इन सलाहकार समितियों की 8 बैठकें हुई है। इन बैठकों के विवरण की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) इन समितियों का कार्य यात्रियों को दी जाने वाली सुख-सुविधाओं के सम्बन्ध में केवल निगम को उचित सुझाव देना है। एवं समितियों की बैठक में दिये गये सुझावों पर निगम द्वारा समुचित ध्यान दिया जाकर कार्यवाही की जाती है। वैसे इन समितियों द्वारा दिये गये सुझावों को मानने के लिये निगम बाध्य नहीं है। इन बैठकों के विवरण की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मंत्रियों के निजी सचिवों एवं सहायकों को कारों एवं स्कूटरों का अलॉटमेन्ट

769. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत पांच वर्षों में मंत्रियों के निजी सचिवों तथा सहायकों को कारों तथा स्कूटरों के अलॉटमेंट किये गये उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(2) किस किस को कितनी कितनी बार कारों तथा स्कूटरों का अलॉटमेन्ट किया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(यातायात मंत्री)

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जिला बूंदी में चम्बल की नहरों से सिंचाई

770. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बूंदी में चम्बल नहर के द्वारा कौन कौन से गांव ऐसे हैं, जिनमें गत वर्षों से सिंचाई नहीं हो रही है? और क्या वे ग्राम कमान्ड एरिया में घोषित हैं?

(2) जिन गांवों की भूमि में पानी नहीं पहुंच रहा है, क्या सरकार उनको कमाण्ड एरिये से बाहर निकालने का इरादा रखती है?

(3) जिन गांवों को पानी नहीं मिल रहा है उनके सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) इन ग्रामों को डी-कमाण्ड करने की कार्यवाही की जा रही है तथा आशा है कि निकट भविष्य में ही इन ग्रामों को डी-कमाण्ड कर दिया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

एयर कन्डीशन गाड़ियों की खरीद

771. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान परिवहन विभाग द्वारा कहां कहां पर एयर कन्डीशन गाड़ियां कब से चलाई जा रही हैं? और यह गाड़िया अभी भी चालू हैं या नहीं? अगर नहीं, तो क्यों?

(2) परिवहन विभाग द्वारा कितनी एयर कन्डीशन गाड़ियां खरीदी गई और उनकी कुल कितनी लागत लगी थी?

उत्तर

(1) राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा वातानुकूलित गाड़िया जयपुर-दिल्ली (वाया कोटपूतली) मार्ग पर दिनांक 15-8-70 से चलाई जा रही हैं और यह गाड़ियां अभी भी चालू हैं।

(2) भूतपूर्व रोडवेज विभाग द्वारा 4 गाड़ियां खरीदी गई थी जिनकी कुल लागत मय चेसेज के 4,28,160 रुपये थी।

यात्रीकर एवं रोड टैक्स की बकाया राशि

772. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) राजस्थान रोडवेज की तरफ यात्री कर व रोड टैक्स व जुर्माना आदि के रूप में गत छः वर्षों में कितना कितना बाकी चल रहा है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(2) राजस्थान रोडवेज की तरफ चल रही बकाया रकम वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की तरफ रोड टैक्स के 8,16,930 रुपये बाकी हैं।

यात्रीकर का सम्बन्ध वाणिज्य-कर विभाग से है।

(2) राज्य स्तर पर 8-1-71 को प्रधान प्रबन्धक निगम एवं परिवहन के अन्य राज्याधिकारियों की बैठक हुई थी तदनुसार गाड़ियों के चलने व न चलने की छानबीन कर वसूली की कार्यवाही चल रही है।

कुओं पर बिजली के लिए गारन्टी की राशि

773. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कृषि कुओं को विद्युत् कनेक्शन देने हेतु प्रत्येक कुए तक जितने स्तम्भ खड़े किये जाते हैं उसी दूरी के हिसाब से सम्बन्धित कुए की 'मिनिमम गारन्टी' निश्चित की जाती है ?

(2) यदि किसी कुए को विद्युत् कनेक्शन देने पर जो न्यूनतम गारन्टी निश्चित की जाती है वह उसी लाइन में से (उन्हीं स्तम्भों के बीच) अन्य स्तम्भ से अन्य कुओं को विद्युत् कनेक्शन दिया जाता है तो क्या ऐसे प्रत्येक कुए की भी न्यूनतम गारन्टी उसी रकम की निश्चित की जाती है ? यदि हां, तो एक ही खर्चे की विभिन्न कुओं से अधिक गारन्टियां क्यों ली जाती हैं ?

(3) यदि भाग 2 के अनुसार उसी खर्चे की विभिन्न कुओं से उतनी ही गारंटी प्रत्येक कुए से पृथक् पृथक् भी ली जाती है तो क्या सर्व प्रथम वाले कुए की गारन्टी उसी अनुपात में कम की जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, मिनिमम गारन्टी स्तम्भों की संख्या पर निर्भर नहीं करती अपितु यह कुए को कनेक्शन देने के लिए लाइन आदि खेंचने के खर्चे पर निर्भर करती है।

(2) नए कुओं को कनेक्शन देने पर जितना खर्चा होता है उसी के हिसाब से मिनिमम गारन्टी निश्चित की जाती है। एक ही खर्चे की विभिन्न कुओं से गारन्टी नहीं ली जाती है।

(3) सर्व प्रथम वाले कुए से जो गारन्टी ली जाती है उसे रिवाइज करने का अभी कोई प्रावधान नहीं है।

पारां बांध से सिंचाई

774. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पारां बान्ध नं. 2 से ग्राम फारकिया को पानी नहीं दिया जाता ?

Page No 37

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(2) क्या राज्य सरकार बान्ध फारकी नं. 2 का चेन नं. 36 व 37 के बीच में कैनाल की सर्वे करा कर कैनाल निकालने का विचार रखती है जिससे कि ग्राम फारकियां आबाद हो सके ?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम फारकियां में सिंचाई विभाग का तालाब कल्याण सागर भी है पर उसमें आव न होने की वजह से हमेशा खाली पड़ा रहता है और इससे कुछ भी सिंचाई नहीं होती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि फारकियां ग्राम की एक बीघा जमीन की भी सिंचाई नहीं होती लेकिन ग्राम वासियों से लगभग 500 बीघा की सिंचाई वसूल की जाती है ?

(5) क्या राज्य सरकार उक्त ग्राम को राहत पहुंचाने के लिए अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग, अजमेर को फारकियां ग्राम में भेज कर वहां के मौके की स्थिति का अवलोकन करा के उचित कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। कल्याण सागर फारकियां बांध में पानी की आव कम है परन्तु उससे सिंचाई होती रहती है।

(4) जी नहीं।

(5) अधिशासी अभियन्ता द्वारा इसकी जांच पिछले वर्ष की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में और कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

कुओं पर बिजली

775. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य विद्युत बोर्ड ने वर्ष 1970-71 में कितने कुओं पर बिजली दी है ।

(2) क्या विद्युत बोर्ड ने इसका मूल्यांकन कराया है कि अब तक बोर्ड को कृषि से रिटर्न कितना मिला है ? यदि हां, तो कितना ?

(3) क्या कोई स्कीमें ऐसी भी हैं जिनसे आज दिन तक कोई रिटर्न की उपलब्धि नहीं हुई है ?

उत्तर

(1) राज्य विद्युत मण्डल द्वारा वर्ष 1970-71 में करीब 9,663 कुओं पर बिजली दी गई है।

(2) जी नहीं, इस प्रकार मूल्यांकन करने की मंडल में कोई पद्धति नहीं है। प्रश्न नहीं उठता।

(3) उन ग्रामों की संख्या करीब 250 है, जिनमें अब तक कोई कनेक्शन नहीं हुए हैं तथा जिनसे कोई रिटर्न अभी प्राप्त नहीं हो रही है।

ग्राम चाणोद में बिजली

776. श्री फूलचन्द बाफना: (सुमेरपुर) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चाणोद (जिला पाली) बड़ा कस्बा है, व जिसकी जन संख्या प्राय: 7-8 हजार है, एवं जहां कृषि के कुए प्रायः ढाई सौ हैं और इसलिए ग्राम चाणोद को विद्युत् दिया जाना अत्यावश्यक व शीघ्रता का विषय है ?

(2) क्या यह सही है कि चाणोद व उसके आस पास के क्षेत्र में पिछले वर्षों में लगातार अकाल पड़ते रहे हैं और कुओं के पानी इतने अधिक गहरे चले गये हैं कि कि उन कुओं से पानी खींचकर निकालना बैलों के बस की बात नहीं रही है अतः चाणोद व आसपास के क्षेत्रों को विद्युत् दिये जाने की आवश्यकता है ।

(3) उपर्युक्त भाग 1 व 2 को देखते हुये चाणोद व उसके आसपास के क्षेत्र को कब तक विद्युत् दी जायेगी ? जबकि बिजली की लाईन चाणोद से प्राय: 7-8 मील दूर तक आ भी चुकी है ?

उत्तर

(1) सन् 1961 की जनगणनानुसार चाणोद की जन संख्या 4,164 है । सर्वे एवं स्कीम रिपोर्ट के अनुसार करीबन 300 चालू कुए हैं । बिजली के कनेक्शन कितने कुए वाले लेंगे यह अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

(2) इसकी जानकारी विद्युत् मंडल को नहीं है । विद्युतीकरण के लिये योजना तो बनवाई गई है । परन्तु ग्राम चाणोद जिला कृषि उत्पादन समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं है ।

(3) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

बारां नगर में लकड़ी के बिजली के खम्भे

777. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां नगर के कई वार्डों में एक लम्बे समय से आज भी लकड़ी की बल्लियों पर बिजली की लाइन लगी हुई है ? यदि हां, तो किस किस वार्ड में कितनी कितनी लकड़ी की बल्लियों पर तार लाइन खिची हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या लकड़ी की बल्लियों पर बिजली की लाइन लगा रहना विद्युत् मण्डल के नियमों के विरुद्ध है ? यदि हां, तो उक्त स्थानों पर अब तक खम्भे क्यों नहीं खड़े किए गए और अब कब तक उक्त स्थानों पर खम्भे लगा दिए जावेंगे ।

उत्तर

(1) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

Page No 39

ग्राम चांचोड़ी में तालाब की खुदाई

778. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम चांचोड़ी (तहसील देसूरी, जिला पाली) के गांवाऊ तालाब की खुदाई का कार्य हो चुका है परन्तु खुर का पक्का काम बाकी है और तालाब की पालें (घेरे की) बननी बाकी हैं जो जगह जगह टूटी हुई हैं और प्रति वर्ष टूट कर कम होती जा रही हैं? यदि हां, तो खुर्रा और पालें कब तक बनवा दिये जायेंगे?

(2) उपर्युक्त कार्य-पूर्ति की तारीख क्या है ?

उत्तर

(स्थगित किया गया)

पंचायत समिति केकड़ी द्वारा कृषि कार्य

779. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला अजमेर की केकड़ी पंचायत समिति को निजी आय वृद्धि हेतु खेती करने के लिए काश्त की भूमि मिली थी ? यदि हां, तो कुल कितनी भूमि का किस वर्ष किस अधिकारी द्वारा आवंटन किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति द्वारा खेती करने के लिये खर्चा किया गया है अगर हां, तो किस मद में कितना कितना रुपया ?

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति द्वारा खेती के लिए कृषि संबंधित मशीन व औजार आदि खरीद किये थे ? यदि हां, तो किस किस फर्म से कितने रुपयों की लागत से क्या क्या सामान खरीदा गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या उक्त खरीद के लिये टेण्डर आमंत्रित किये गये थे? अगर हां, तो किस-किस फर्म से टेण्डर मांगे गये और किन 2 से प्राप्त हुये ?

(5) उक्त फार्म से अब तक कुल कितनी आमदनी हुई ? और कुल कितना खर्चा हुआ ? वर्षवार-ब्यौरा बतायें ?

उत्तर

(1) जी हां। कुल 100 बीघा भूमि वर्ष 1968 में राज्य सरकार के आदेशानुसार आवंटित की गई थी।

(2) जी हां। किस कार्य पर कितना खर्चा किया गया सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) पंचायत समिति द्वारा कृषि फार्म के लिये भूमि आंवटन के पश्चात् खेती के लिये कृषि सम्बन्धी कोई मशीन व औजार नहीं खरीदे गये। अतः सामान खरीद की सूचना सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(5) प्रत्येक वर्ष की आय व व्यय का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

छात्रों की फीस का गबन

780. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि प्राथमिक शाला करसोली, पंचायत समिति, हिन्डौन, जिला सवाई माधोपुर के प्रधान अध्यापक ने सन् 1966 से 1969 तक छात्रों की फीस में गबन किया है ?

(2) यदि हां, तो कितने रुपये का गबन किया गया है और उसकी जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त जांच के अनुसार प्रधान अध्यापक के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी।

(2) शिकायत में रु० 107.50 पैसे गबन का उल्लेख था।

(3) पंचायत समिति की प्रशासन एवं वित्त स्थायी समिति द्वारा अध्यापक को निर्दोष पाया गया।

विकास अधिकारी के पद पर चयनित कृषि स्नातक

781. श्री देवेन्द्रकुमार मीणा (गोगुन्दा): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि कृषि स्नातकों को (बी. एससी. कृषि) को विकास अधिकारी के पद पर चयनित करने हेतु नियम बनाने गये हैं ? अगर हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सत्य है कि कृषि स्नातकों को (बी. एससी. कृषि) को विकास अधिकारी के पद पर चयनित नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? और भविष्य में कब तक चयनित किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान पंचायत समितियां (विकास अधिकारियों का चयन) नियम, 1968 की प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) कृषि विभाग ने अपने अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया था और उसके बिना नियमानुसार चयन संभव नहीं था। उक्त वरिष्ठता सूची अब बन गई है और शीघ्र ही कृषि सेवा से विकास अधिकारियों का चयन कर लिया जायेगा।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

देहाती रेडियो गोष्ठियां

782. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़): क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितनी देहाती रेडियो गोष्ठियां हैं ? वे कब कब स्थापित हुईं और उनका अन्तिम प्रश्न किस तारीख को आया ? प्राप्त प्रश्न का विभागीय पत्र प्राप्ति संख्या क्या है ?

(श्री दौलतराम सारण)

(2) क्या यह सही है कि पिछले दो वर्षों से सम्बन्धित विभाग ने कोई भी प्रश्नोत्तर आकाशवाणी जयपुर को नहीं भेजे ? यदि हां, तो न भेजने के क्या कारण हैं ?

(3) सन् 70-71 में कुल कितने प्रश्नोत्तर कब कब आकाशवाणी, जयपुर को भेजे गये ?

(4) विभाग में इस प्रश्नोत्तर कार्य-क्रम के लिये कब से क्या व्यवस्था है ? कौन कौन अधिकारी व कर्मचारी इस कार्य हेतु कब से नियुक्त हैं ?

(5) अब तक कुल कितना खर्च इस कार्य पर हुआ ?

(6) क्या यह सही है कि आकाशवाणी, जयपुर की ओर से सम्बन्धित विभाग को बार बार निवेदन करने के उपरान्त भी इस कार्य-क्रम में कोई सहयोग न करने के कारण देहाती रेडियो गोष्ठी के शंका समाधान कार्य-क्रम को बन्द करने की सलाह दी है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 803 देहाती रेडियो गोष्ठियां अब तक पंजीकृत हुई हैं। इनके वर्ष वार पंजीकरण की संख्या का विवरण संलग्न है। देहाती रेडियो गोष्ठी जाखण पंचायत समिति, ओसियां, जिला जोधपुर से दिनांक 10-5-71 को अन्तिम प्रश्न प्राप्त हुआ, जिसे विभागीय पत्र प्राप्ति पंजिका में क्रम संख्या 530 पर दर्ज किया गया है।

(2) जी नहीं।

(3) 1970-71 में कुल 54 प्रश्नों के उत्तर आकाशवाणी, जयपुर को भेजे गए हैं। जिनका विवरण संलग्न है।

(4) पृथक् से कोई व्यवस्था नहीं है व न इस कार्य हेतु कोई अधिकारी अलग से नियुक्त है।

(5) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(6) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

बनास नदी से लिफ्ट इर्रिगेशन योजना

783. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या पंचायत राज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, मांडलगढ़ में राजगढ़ के पास बनास नदी से लिफ्ट इर्रिगेशन का काम प्रारम्भ किया है ?

(2) यदि हां, तो कब किया था ?

(3) इस योजना पर कितने रुपये खर्च हो चुके हैं ?

(4) क्या इससे सिंचाई हो रही है ? यदि हो रही है, तो कितने बीघों की सिंचाई होती है और नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है ?

(5) अब इस कार्य में क्या प्रगति हो रही है और यदि नहीं हो रही है तो क्या सब सामान वहां से हटा लिया गया है ?

उत्तर

(1) राजगढ़ के पास बनास नदी पर लिफ्ट सिंचाई का कार्य प्रारम्भ किया गया था।

(पंचायत राज मंत्री)

(2) वित्तीय वर्ष 65-66 में प्रारम्भ हुआ था।

(3) कुल 56,404) रु० की राशि खर्च हुई है।

(4) कार्य पूरा नहीं होने से सिंचाई नहीं हो पा रही है।

(5) योजना की प्रगति नहीं होने के कारण सामान हटा लिया गया है।

ओलावृष्टि से क्षति

784. श्री फूलचन्द बाफणा (सुमेरपुर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष पाली जिले में ग्राम सींदरू से लगा कर ग्राम कीरवा तक सुमेरपुर-पाली सड़क के दोनों ओर प्राय: दस दस मील की सीमा में ओलावृष्टि हुई थी जिससे अनेक गांवों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई थीं ? यदि हां, तो इन गांवों की सूची देने की कृपा करें। क्या इस सूची में सींदरू सांडेराव, चांचोड़ी, मांडल, खूनी का गुड़ा, कीरवा, आकड़दा, नवा गुडा आदि आदि ग्राम सम्मिलित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उपर्युक्त गांवों (जिनमें ओलों से फसल बर्बाद हुई थी) में किसानों को हानि पहुंची थी, उन्हें आर्थिक राहत देने की घोषणा विधान सभा में सरकार ने की थी ? यदि हां, तो किन किन गांवों में किन किन को यह राहत दी गई ? यदि नहीं, तो कब दी जायगी ?

(3) (i) क्या यह सही है कि उपर्युक्त गांवों में गत दो वर्षों से अकाल तो था ही और ऊपर से खड़ी फसल पर ओलावृष्टि हुई फिर भी इस संकट से पीड़ित लोगों से भूमि लगान की पूरी वसूलियां हो रही हैं ? क्या एक वर्ष (इस सम्बन्धित वर्ष) का लगान माफ किया जाना उचित नहीं होगा ?

(ii) उपर्युक्त गांवों में तकाबियों की व अन्य ऋणों की वसूली भी क्या एक वर्ष के लिये स्थगित की जाने का विचार सरकार रखती है ?

उत्तर

(1) गत वर्ष पाली जिले में ग्राम सींदरू से कीरवा तक सुमेरपुर पाली सड़क के दोनों ओर ओलावृष्टि हुई थी, जिससे फसलों को क्षति हुई। क्षतिग्रस्त गांव निम्न प्रकार है:—

तहसील पाली:—निम्बाड़ा, प्रतापगढ़, चाचोड़ी, मांडल, गुडा खुनी, कीरवा, चांगवा, कल्याणपुरा, गुडा दुर्गादास, जेतपुरा, गुडा सोनीगरा, गुन्दोज।

तहसील बाली:—साण्डेराव, सिदरू, खिदाकागांव, बिरमी।

इस सूची में आकड़दा एवं नवा गुडा गांव सम्मिलित नहीं है।

(2) जी हां। जिन गांवों में ओलों से फसलें बर्बाद हुई थी, वहां प्रभावित किसानों को आर्थिक राहत देने की घोषणा सरकार ने विधान सभा में की थी। चूंकि इनमें से अधिकांश गांव पहले से ही अभावग्रस्त घोषित थे तथा लोगों को सभी प्रकार की आवश्यक आर्थिक राहत दी जा रही थी अत: और नये

Page No 43

(अकाल सहायता मंत्री)
सिरे से राहत देना आवश्यक नहीं समझा गया।

(3) (i) भूमि लगान की वसूलियां राज्य सरकार के निर्धारित आदेश के अन्तर्गत की जा रही हैं। नवीनतम आदेशों के अनुसार लगान वसूली में काफी सुविधायें दे दी गई हैं।

(ii) ऐसा कोई विचार नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(4-5-71 व 17-5-71)

सरकार द्वारा गुवार की निकासी के परमिट

590. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने सन् 1967-68, 1968-69 एवं 1969-70 में गुवार की निकासी हेतु परमिट दिये थे ?

(2) यदि हां, तो किस किस पार्टी को किस किस स्थान के कितनी तादाद के किस किस तारीख को परमिट दिए ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान से बाहर जाने पर पशु चारे की निकासी पर सरकार ने पाबन्दी लगा रखी है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जिस जिस पार्टी को जिस जिस स्थान के जिस जिस तादाद में जिस जिस तारीख को परमिट दिये गये, उनकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(3) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

स्थगित प्रश्न

(10-5-71 व 17-5-71)

ग्राम पंचायत कठूमर द्वारा प्लाटों का बेचान

657. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

कठूमर ग्राम पंचायत ने गत 5 वर्षों में कितने आवासीय अथवा दुकानों के लिये प्लाट बेचे हैं ? इन प्लाटों के बेचान से पंचायत को कितनी आमदनी हुई है ? इस रकम को कहां जमा कराया गया है तथा कब व उसमें से किस किस मद पर खर्च किया गया है ? क्या इस समय पंचायत कोष में कुछ रकम बाकी है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

कठूमर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पांच वर्षों में कुल 41 प्लाट व दुकानों के सामने की चबूतरियों की जमीन बेची है। इनके बेचान से 22,087-90 पैसे की आय हुई है। यह रकम ग्राम पंचायत की रोकड़ में जमा कराई गई है। यह रकम किस किस मद पर खर्च की गई इसका अलग से हिसाब नहीं है। सामूहिक व्यय इन पांच वर्षों में हुआ उसका हिसाब ग्राम पंचायत

Page No 44

(पंचायत मंत्री)

में उपलब्ध है। पंचायत कोष में दिनांक 31-3-71 को रु० 7,769.75 पैसे पोते हैं। यह रकम स्वयं सरपंच के पास है।

स्थगित प्रश्न
(10-5-71 व 17-5-71)

सवाई माधोपुर जिले में मत्स्य पालन कार्य

659. श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर पौष्टिक पदार्थ वितरण एवं मत्स्य पालन कार्यालय स्थापित है? यदि हां, तो कब से और इस पर 31 मार्च, सन् 71 तक क्या व्यय हुआ है?

(2) उक्त कार्यालय द्वारा अब तक कितना मत्स्य पालन किस किस बंधे में किया और किस किस किस्म का कितना पौष्टिक पदार्थ अब तक किस किस पंचायत समिति में वितरित किया है?

(3) क्या यह सही है कि इस कार्यालय पर हुए व्यय को देखते हुए इसके द्वारा किया गया कार्य नगण्य है? यदि हां, तो राज्य सरकार इसके सुधार के लिये क्या कदम उठाना चाहती है?

उत्तर

(1) जी हां,

(2) व्यवहारिक पोषाहार कार्य-क्रम 1966-67 से एवं मत्स्य विकास अधिकारी, सवाई माधोपुर का 1968-69 से है। व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत 31-3-71 तक 78,940/- व्यय हुए है। बन्ध मुई में 5-9711 मत्स्य बीज संग्रह किया तथा 2883-450 के. जी. पौष्टिक पदार्थ ग्राम करमोदा, सूरवाल एवं चक चैनपुरा में वितरित किया गया।

(3) जी नहीं। कार्य संतोषजनक हो रहा है।

स्थगित प्रश्न
(13-5-71)

वन विभाग से राजस्व विभाग को भूमि का स्थानान्तरण

697. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान में पिछले पांच सालों में वन विभाग की जमीनें राजस्व विभाग के अधीन ट्रान्सफर हुई हैं? यदि हां, तो कितनी व किस किस वर्ष में कितनी कितनी व कहां कहां किस किस जिले में?

(2) क्या यह सही है कि अधिकतर वो जमीने जो वन विभाग के अधीन थीं और जिन लोगों ने काश्त करली थी वो ही जमीनें सरकार ने राजस्व विभाग को सौंपी हैं?

(3) क्या यह सही है कि इस तरह से तहसील छीपा बड़ौद में भी महकमा जंगलात की जमीनें जो नाजायज काश्त हो रही थीं राजस्व विभाग के सुपुर्द हुई है? यदि हां, तो कितनी जमीन वन

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)
विभाग से राजस्व विभाग में ट्रान्सफर हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां। वन विभाग से राजस्व विभाग में स्थानान्तरित जमीनों की सूची संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

स्थगित प्रश्न
(17-5-71)

सरपंच ग्राम पंचायत रानोली द्वारा रकम का दुरुपयोग

718. श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उप जिला विकास अधिकारी, सीकर द्वारा जांच के पश्चात् ता. 20-11-67 के जरिये पत्र संख्या 4235 ग्राम पंचायत रानोली के सरपंच श्री हीरालाल को सचिव तथा चपरासी का वेतन चुकारा नहीं करने के लिये लिखा गया था ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त हुक्म के बावजूद सरपंच ने ग्राम पंचायत रानोली के सचिव तथा चपरासी को चुकारा कर दिया है ?

(3) क्या यह सही है कि तारीख 17-7-62 को पंचायत कोष में से एडवान्स 300 रुपये सचिव को और 300 रुपये चपरासी को दिये गये ?

(4) क्या पंचायत अधिनियम में रुपया एडवान्स देने का नियम है ? यदि नहीं, तो एडवान्स रकम दी गई उस पर सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(5) क्या यह सही है कि सचिव, ग्राम पंचायत, रानोली को (श्री सीताराम) 300 रु. कूप निर्माण हेतु और 400 रु. बैल क्रय हेतु पंचायत समिति, पिपराली से दिलाये गये थे ?

(6) क्या यह सही है कि श्री सीताराम सचिव के नाम कोई जमीन नहीं है ? अगर हां, तो झूंठी वेरीफाई सरपंच द्वारा की जाकर रकम के दुरुपयोग के साथ ही पद का जो दुरुपयोग किया गया है उसके लिये सरपंच के विरुद्ध क्या कार्यवाही अमल में लाई गई तथा सचिव से रकम वसूल करने की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

उत्तर

(1) सचिव का वेतन नहीं चुकाने हेतु लिखा गया था। चपरासी के वेतन नहीं चुकाने हेतु नहीं लिखा गया था।

(2) जी हां। सचिव को वेतन बावजूद हिदायत चुका दिया गया। चपरासी के वेतन को नहीं चुकाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां।

(4) पंचायत अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। एडवान्स राशि दिनांक

(पंचायत मंत्री)

31-3-64 को जमा हो चुकी है। दण्डनीय ब्याज की वसूली हेतु कार्यवाही की जा रही है।

(5) सचिव को 400) रु. बैल खरीदने हेतु पंचायत समिति, पिपराली द्वारा दिये गये थे। कूप निर्माण हेतु कोई राशि नहीं दी गई।

(6) सचिव के नाम पर खसरा नं. 436 रकबा 7)4 भूमि है। इसलिए सरपंच द्वारा झूठी वेरीफाई कर पद का दुरुपयोग करने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता। सचिव से रकम वसूली की कार्यवाही जारी है।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं:—

(1) श्री केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा ने गंगानगर शुगर फैक्ट्री के प्रबन्धकों द्वारा व्यास अवार्ड लागू न किये जाने से मजदूरों द्वारा हड़ताल के नोटिस के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) इन्हीं माननीय सदस्य ने एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें राजकीय वूलन मिल वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों व प्रबन्धकों के बीच राणावत कमीशन लागू करने, बोनस का भुगतान किये जाने, सीनियोरिटी के आधार पर फिक्सेशन आदि की मांगों के सिलसिले में समझौता वार्ता टूट जाने से मजदूरों में व्याप्त असंतोष का उल्लेख किया है।

(3) श्री बालसिंह सोढ़ा, सदस्य, विधान सभा ने जैसलमेर फील्ड फायरिंग रेंज के विस्थापितों की समस्या के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(4) श्री पृथ्वीसिंह, सदस्य, विधान सभा ने जिला पाली के गांव सेणा की भूमि, गोचर, पानी का पीचका आदि सवाई बांध भर जाने पर डूब में आ जाने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(5) श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा ने उप खण्ड अधिकारी बालोतरा द्वारा अनाज के व्यापारियों को हैरान करने एवं उनके विरुद्ध झूठे मुकदमे बनाये जाने के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(6) इन्हीं माननीय सदस्य ने एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें जयपुर नगर में रिक्शा चालकों का नगर परिषद् व रिक्शा मालिकों द्वारा किये जा रहे शोषण को समाप्त करने का आश्वासन सरकार द्वारा दिये जाने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है।

(7) श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा ने भाखड़ा सिस्टम से राजस्थान को बिजली सप्लाई में कटौती होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त सभी स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी

(श्री अध्यक्ष)
प्राप्त की जा रही है, जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

इनके अतिरिक्त 2 और स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं:

(1) श्री मनोहरसिंह मेहता, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान में लोक आयुक्त की नियुक्ति न होने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य, विधान सभा ने कस्बा नोहर में वाटर वर्क्स का पानी खारा होने से उत्पन्न स्थिति की सूचना दी है।

ये दोनों ही प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्त्व के नहीं हैं अत: इनको सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

निम्नांकित पेन्डिंग स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में भी राज्य सरकार को जानकारी प्राप्त हो गयी है ये प्रस्ताव इस प्रकार हैं:—

(1) श्री गंगानगर जिले के सिंचाई विभाग के तमाम इन्जीनियरों द्वारा अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री हरजीराम बुरड़क द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) बूंदी जिले के ग्राम पलेका के बांध का काम बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री केशरीसिंह हाड़ा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(3) अलवर शहर में पीने के पानी के अभाव के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(4) गांव मगरतलाब (पाली) में दिनांक 15-1-71 को कतल के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्तों को थानेदार द्वारा अपने क्वार्टर में रखे जाने के सम्बन्ध में श्री पृथ्वीसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(5) पुलिस लाइन, घाटगेट की बाउन्ड्री तुड़वा दिये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रवणलाल, श्री बालसिंह सोढ़ा व श्री पृथ्वीसिंह द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(6) दिनांक 17 मई, 1971 को नीम का थाना पुलिस द्वारा 2 व्यक्तियों से नाजायज गांजा पकड़े जाने एवं बाद में मुलजिमों को छोड़ दिये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री देवीदत्त गाड़िया व श्री लाभचन्द वैद द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(7) बूंदी में नाजायज तौर पर जंगल का कटाई के बारे में श्री केशरीसिंह हाड़ा व श्री कृष्णकुमार गोयल द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्त्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित किया जाकर इन पर विचार किया जाय। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री भैरोंसिंह शेखावत, श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें कहा गया है कि दिनांक 18 अप्रैल, 1971 को जयपुर नगर परिषद्

(श्री अध्यक्ष)

एवं सफाई मजदूरों के बीच हुए समझौते का नगर परिषद द्वारा पालन नहीं किये जाने के कारण सफाई कर्मचारियों ने दिनांक 20 मई, 1971 से हड़ताल कर रखी है।

इसी आशय के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री श्रवणलाल, सदस्य विधान, सभा से भी प्राप्त हुई है।

मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह चाहूंगा कि माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी स्थिति को स्पष्ट करते हुए शीघ्राति-शीघ्र वक्तव्य देने की कृपा करें।

मैं उक्त स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं देता हूं।

मैं माननीय सदस्यों से इन दो दिनों की कार्यवाही के सन्दर्भ में निवेदन करना चाहता हूं....

श्री भैरोंसिंह : एडजोर्नमेंट मोशन के लिये क्या होगा ?

श्री अध्यक्ष : पहले उस सम्बन्ध में कह दूं।

आज के बिजनिस में है याचिकाओं का उपस्थापन, विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन, मेज पर रखे जाने वाले पत्रों के अतिरिक्त वक्तव्य, आध घन्टे की चर्चा एक, आध घन्टे की चर्चा दो, दो आध घन्टे की चर्चा, दो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव हैं। इस सम्बन्ध में मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस सन्दर्भ में चूंकि समय कम रह गया है, मुझे ज्यादा आग्रह किया करते हैं और मैं भी अधिक से अधिक सहयोग दिया करता हूं प्रश्नों के रखने में इसलिए इतने प्रश्न एक साथ रखने पड़ रहे हैं और कल भी अधिक से अधिक रखने पड़ेंगे, मैं माननीय सदस्यों से पहले से ही सहयोग प्राप्त करता रहा हूं, इसलिये मैं आप से आग्रह करूंगा कि आपको कम से कम समय में अपने प्रश्न पूछने हैं ताकि अधिक से अधिक माननीय सदस्यों को लाभ मिल सके। यह मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता था।

जिन स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है, साधारणतया अस्वीकार करने के पश्चात् उन पर अधिक चर्चा हुआ नहीं करती है, किन्तु कभी 2 समय दे दिया करता हूं, अतः अस्वीकृत किये गये स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में समय न लिया जाय तो अधिक से अधिक माननीय सदस्य अन्य मुद्दों पर चर्चा में हिस्सा ले सकेंगे।

श्री विजयसिंह : चार साल से मेरा प्रस्ताव है।

श्री रामचन्द्र आर्य : पेय जल के सम्बन्ध में मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा था।

श्री अध्यक्ष : किस सम्बन्ध में ?

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा प्रस्ताव था। आपने जानकारी के लिये भेजा था। क्या जानकारी करना चाहते हैं। पानी लेकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष : आप शर्तनामे के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : पानी के बगैर लोग परेशान हो रहे हैं और वाटर वर्क्स बनने में कई वर्ष लगेंगे। सदन में इसलिये

(श्री रामचन्द्र आर्य)
पेश करता हूं कि आपको जानकारी की जरूरत नहीं है। कोई आदमी इसको पीकर जिन्दा रह सकता है क्या ?

श्री अध्यक्ष : आधा आप पी लिजिये, आधा मैं ट्राई कर लूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : आपने जानकारी चाही है इसलिये यह पानी पेश करता हूं।

इस सम्बन्ध में आज ही निर्णय हो जाना चाहिये कि वहां के लोगों को किस प्रकार पानी देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप अपनी बात पर भी नहीं टिकते हैं। क्या बात हुई और कहां चले गये।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप पी लीजिये।

श्री अध्यक्ष : आधा आप पी लीजिये और आधा मैं पी लूंगा। हां, तो प्रारम्भ कर दीजिये।

श्री श्रवणलाल : तीन रोज पहले मैंने स्थगन प्रस्ताव जानकारी के लिए भेजा था। आपने बगैर जानकारी किये ही कह दिया कि लोक महत्व का नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! मैंने उसको अस्वीकार किया है। और फिर मैंने माननीय सदस्य से निवेदन किया, यह समय बच जाय तो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वह चलेगा। इसलिये माननीय सदस्य अस्वीकार किए हुए स्थगन प्रस्ताव पर कृपया समय खराब न करें।

श्री श्रवणलाल : जब चेयर से इस प्रकार का""

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री श्रवणलाल : इस पर आदेश दिया जा चुका था कि इसकी जानकारी प्राप्त की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : अब तो अस्वीकार हो गया। जानकारी प्राप्त हो जाने के बाद अस्वीकार हो गया।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार धार्मिक स्थान को तोड़ा जाय और तोड़ने के बाद""

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो""

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी""

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव दिये गये हैं और जिन पर जानकारी चाही गई है, मेरा निवेदन है कि उनके महत्व को देखते हुए कल उन पर जानकारी करके व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : जितने स्थगन प्रस्ताव हैं उन पर निर्णय कल दे दूंगा ताकि माननीय सदस्य कहीं जायें तो मस्तिष्क में दुविधा लेकर नहीं पधारें।

श्री दिग्विजयसिंह : आपको भी चिन्ता नहीं रहेगी।

श्री अध्यक्ष : नहीं रहेगी।

श्री लादूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं""

श्री अध्यक्ष : किसके मुतल्लिक !

श्री लादूराम सुलानिया : सदन के सामने अनुसूचित जाति और जन जाति आयोग की रिपोर्ट आने के मुतल्लिक।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : आपकी इजाजत लेकर बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : अब तो दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री लादूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट पिछले सत्र में रखी गई थी, इस सत्र में उस पर···

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया। मैं जानकारी दे देता हूं, वह प्रश्न बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सम्मुख आया था। क्योंकि बिजनेस इतना ज्यादा था, इसलिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के पास समय नहीं था, जिसमें यह सदन में रखी जाय। यह जानकारी मैं देना चाहता हूं।

श्री लादूराम सुलानिया : आप कह रहे हैं, वह ठीक है····

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में···

श्री लादूराम सुलानिया : आसन ने आश्वासन दिया था····

श्री दौलतराम सारण : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हरिजन और आदिवासी सदस्य नहीं होते हैं, तो वह क्या इस रिपोर्ट के ऊपर सदन में विचार होने की गरिमा और महत्व को समझेगी।

श्री लादूराम सलानिया : हरिजन और आदिवासियों का मसला आता है उसमें इतना समय लगता है।

श्री अध्यक्ष : ही इज डवलपिंग दिस फेकल्टी।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं निवेदन कर दूं······

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! स्थान ग्रहण करें। (श्री श्रवणलाल के खड़े होने पर) मि० श्रवणलाल, जो जानकारी चाही वह दे दी, उस पर डिबेट अलाऊ नहीं की है और आपने वक्तव्य देना आरम्भ कर दिया। देखिये, सीमा के अन्दर। अब उस पर कोई प्रश्न नहीं होगा।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में·······

श्री अध्यक्ष : यह भी प्रश्न मैं और आपसे निवेदन कर दूं। दो दिन उस पर डिबेट होनी थी, दो दिन का समय इस अवधि में कहां से निकल सकता था ? आपकी व्यग्रता है, कई माननीय सदस्यों की व्यग्रता रही है, लेकिन इस समय इसको एडजस्ट करना बिलकुल सम्भव नहीं है। अब मैं खयाल करता हूं जब कभी समय आये तो इसको प्रायोरिटी दी जाय, प्राथमिकता दी जाय।

श्री लादूराम सुलानिया : चेअर से जैसा फर्माया कि प्रायोरिटी उसको दी जायेगी,

(श्री लादूराम सुलानिया)
लेकिन इतना लम्बा चला हाउस उसमें दो रोज नहीं दे सके, तो मेरा निवेदन है ......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री लादूराम सुलानिया : दो दिन सदन का समय बढ़ाया जाय ।

श्री अध्यक्ष : माननीय नेता, विरोधी पक्ष, यह बहुत व्यवधान बीच में डाल रहे हैं। केन आई नाट एक्सपेक्ट को-ऑपरेशन ? (व्यवधान) ऑर्डर प्लीज !

श्री लादूराम सुलानिया : बारबार यह निवेदन किया है, इस समस्या के हल करने के लिए विचार नहीं किया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर ! चेअर इज ऑन इट्स लेग ।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय कुछ कहने जा रहे हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे विशेष निवेदन नहीं करना है, मुझे अच्छी तरह से याद है। गत सत्र में इस सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया था कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। हर एक राज्य की लेजिस्लेटिव असेम्बली में, लोक सभा, राज्य सभा में साल में एक दफा शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्य ट्राइब्स की रिपोर्ट पर चर्चा होती है। क्या निश्चित रूप से, अध्यक्ष महोदय, आप आज्ञा देंगे कि अब मानसून सत्र में इस महत्वपूर्ण विषय पर कम से कम एक दिन....

श्री देवीदत्त गाड़िया : दो दिन !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : चर्चा के लिए दिए जायं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस महत्वपूर्ण प्रश्न को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्या आपका आदेश होगा, अध्यक्ष महोदय ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : एक निवेदन करना चाहता हूं, दो रिपोर्ट बाकी हैं, दो रिपोर्ट में से एक पेश हुई है, इस पर बहस नहीं हो और दूसरी रिपोर्ट पर बहस नहीं हो ..

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय ने आपकी ओर से निवेदन कर दिया ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं निवेदन करना चाहता हूं, दो रिपोर्ट होने के बाद भी विचार नहीं किया जाय, मैं समझता हूं कि हम लोगों को मजबूर करना है....

श्री अध्यक्ष : देखिये, विरोधी दल के नेता महोदय ने कहा है, मानसून सेशन में दो दिन का वाद-विवाद हो, मानसून सेशन में दो दिन रहने का दायित्व का प्रश्न उठाया जा रहा है, यह मुझ पर दायित्व नहीं है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : दायित्व नहीं है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का दायित्व है, उसके समक्ष आपके द्वारा सुझाव रखा जाय, सदन की प्रोसीडिंग्स के सम्बन्ध में आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का ध्यान आकर्षित करते हुए इस ओर ध्यान आकर्षित करेंगे, तो मैं समझता हूं कि कोई कारण नहीं है कि इस महत्वपूर्ण विषय के सम्बन्ध में चर्चा नहीं हो ।

श्री अध्यक्ष : देखिये, मैं फिर माननीय सदस्यों को निवेदन करूं कि यह गत सप्ताह में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बुलाई गई थी, वह इस प्रश्न पर बुलाई थी लेकिन समय न होने के कारण वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। अब जैसा माननीय नेता महोदय ने कहा, अगले आने वाले सत्र में यह प्रश्न क्योंकि महत्वपूर्ण है…

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सत्र नहीं आयेगा, अगला सत्र होगा नहीं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : फिर इन रिपोर्ट का क्या महत्व है, जब फिर आगे ले जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप फिर अवहेलना कर रहे हैं।

श्री श्रवणलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय….

श्री अध्यक्ष : मैं कुछ कह रहा हूं। आप स्थान ग्रहण करें। अब कोई समय नहीं आने वाला है, यह मतलब है…

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी नहीं, No session, No session hereafter because of Mid Term Elections in November.

श्री रामानन्द अग्रवाल : फेअरवेल के लिए एक दिन आयेंगे।

श्री अध्यक्ष : I cannot rely on presumptions.

यह प्रिजम्प्शन है। चुनाव के पूर्व एक सत्र आता है छोटा सा।

श्री रामकिशन : क्षमायाचना का।

श्री अध्यक्ष : यह क्षमायाचना थोड़ा आगे बढ़ा कर मैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से, उन सदस्यों से और दूसरे माननीय सदस्यों की ओर से आग्रह करूंगा कि इस रिपोर्ट को उस समय ले लिया जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नहीं साहब, यह ठीक नहीं है।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय….

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने जितना सहयोग निवेदन किया उतना सहयोग बराबर मिल नहीं पा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि कल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखूं वह सोच समझ कर रखूं और अधिक माननीय सदस्यों को सुविधा नहीं दूं। आपसे निवेदन किया, इस प्रश्न को यहीं छोड़ दीजिये, आगे का प्रश्न महत्वपूर्ण है, फिर एप्रोप्रियेशन बिल पर डिबेट है। आप फिर भी समय लेना चाहेंगे मुझ से।

श्री श्रवणलाल : यह सबसे बड़ा प्रश्न है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट का…

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर डिबेट अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री श्रवणलाल : दो साल के बाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य!

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय…

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

Page No 53

श्री श्रवणलाल : ×××

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री श्रवणलाल : ×××

श्री अध्यक्ष : इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री श्रवणलाल : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री श्रवणलाल : ×××

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री श्रवणलाल : ×××

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मन्त्री जी भी हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट के बारे में क्या विचार हैं, इस सत्र में विचारार्थ ली जाय या आयन्दा ली जाय इस सदन में—इस सदन के नेता की क्या प्रतिक्रिया है, यह हम जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रतिक्रिया क्या है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे खयाल में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात हो गई है।

श्री भैरोंसिंह : वह नहीं हुई है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह हो चुकी है।

श्री लादूराम सुलानिया : आपने आदेश दिया है वह सही है, हम आदेश का पालन सदा करते रहे हैं, करते रहेंगे। मैं सरकार से जानकारी चाहता हूं कि इस रिपोर्ट की अवहेलना क्यों करती है ?

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कर लीजिये।

श्री लादूराम सुलानिया : मैं जानकारी करना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कर लें। (श्री लादूराम सुलानिया के बोलते रहने पर) अंकित नहीं हो···

श्री लादूराम सुलानिया : ×××

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी शिकायत है।

श्री अध्यक्ष : अब तो नेता महोदय खड़े हैं आपके।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जैसे सर्तकता आयोग की रिपोर्ट आई मैंने कहा कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर रिपोर्ट दो-दो वर्ष पुरानी सदन के समक्ष आये और सरकार चाहे बहस की जाय तो हम लोग विरोधी पक्ष में बैठने वाले समझते हैं निरर्थक चर्चा करने से कोई लाभ नहीं है। इसी प्रकार महत्वपूर्ण रिपोर्ट शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट दो-दो वर्ष पुरानी आती है तो सरकार आखिर क्या चाहती है ? सरकार को अपना दायित्व समझना चाहिये। आखिरकार लेजिस्लेटिव असेम्बली को लेजिस्लेटिव असेम्बली समझकर मान देना चाहिये। यह तो लेजिस्लेटिव असेम्बली की

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

उपेक्षा हो रही है। अगर इस तरह का सरकार का रवैया रहा तो हम असन्तोष व्यक्त करेंगे। यदि बहस कराने के लिये बाध्य किया जायेगा तो हम कहेंगे बहस करने के लिये विवश हैं। रात को 12-12 बजे तक बैठ कर पुरानी रिपोर्ट पर तैयारी करना और उन पर सदन के समक्ष चर्चा करना निरर्थक है।

श्री अध्यक्ष: अब मैं आपकी सहमति से आगे बढ़ूं।

श्री लालूराम सुलानिया : हम आपको सहयोग देंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय सरकार से जानना चाहेंगे। शासन उनको भी तो बाध्य करे। शिड्यूल्ड कास्ट की रिपोर्ट पर असेम्बली मौन धारण करके बैठी रहे। लगभग 1 करोड़ हरिजनों की समस्या है। सरकार लाखों रुपया इन पर खर्च करती हैं और....

श्री अध्यक्ष: नेता महोदय ने यही कहा है।

श्री लालूराम सुलानिया : राजस्थान विधान सभा में हर साल आती है इसका क्या कारण है?

श्री विट्ठलभाई : अध्यक्ष महोदय, प्राक्कलन समिति से मैं अपना नाम वापिस लेता हूं।

एक माननीय सदस्य। धीरे बोल करके क्यों?

श्री अध्यक्ष: क्या ले लिया?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्राकलन समिति से श्री विट्ठल भाई ने अपना नाम वापिस लिया है। अध्यक्ष महोदय, जयपुर के सफाई कर्मचारियों के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी...

श्री लालूराम सुलानिया : मैं निवेदन करूंगा निराकरण हो जाय तो राज्य सरकार हर बजट सेशन में लेती है फिर...

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य।

(बराबर बोलते रहने पर : अश्रव्य) स्थान ग्रहण करें।

श्री लालूराम सुलानिया : इसका क्यों नहीं उत्तर दिलाया जाय?

एक माननीय सदस्य : आपने भी आश्वासन दिया था।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, हम लोग आपसे काफी निवेदन करने गये थे...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह हम लोगों के साथ राज्य सरकार का जुल्म है। दो-दो रिपोर्ट पेश हो जाय और उस पर विचार न करें। उस कमीशन से क्या लाभ है?

श्री अध्यक्ष: अंकित न हो।

श्री डूंगाराम राजोरिया : XXX

श्री अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण करें। मैंने यह निवेदन किया माननीय सदस्य यह सोचते हैं कि यह बिजबिस लेने का

XXX अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री अध्यक्ष)
दायित्व मुझ पर है, मुझ पर नहीं है क्योंकि बिजनिस एडवाईजरी कमेटी को ध्यान देने के लिये बुलाया गया है। अब क्योंकि बिजनिस एडवाईजरी कमेटी ने सहमति प्रकट नहीं की····

श्री रामकिशन : मंत्री जी ने यह कह दिया बाहर जा रहे हैं।

श्री लादूराम सुलानिया : मजबूर होकर कहना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर कार बिजनिस एडवाइजरी कमेटी में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का रीप्रजेंटेशन–प्रतिनिधित्व होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : उस पर विचार किया जा सकता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : भविष्य के लिये यह जो खामी है, वह नहीं रहे इसलिये बिजनिस एडवाइजरी कमेटी यह सिद्धान्तः स्वीकार कर लें इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : अबके सबको बना देंगे भाई।

श्री लादूराम सुलानिया : बिजनिस एडवाइजरी कमेटी का····

श्री अध्यक्ष : मैं फिर सदस्यों से निवेदन करूंगा। ये माननीय सदस्य अपनी सीमा से बाहर चले जा रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। इस प्रश्न पर बहुत कुछ चर्चा हो चुकी है। मुझे आगे का बिजनिस नहीं लेने देना चाहते हैं क्या? मैं यह भी निवेदन करूंगा श्री भैरोंसिंह, श्री विजयसिंह ने सदन के समक्ष जो वस्तुएं अथवा पत्र प्रस्तुत किये थे, उनको भेजे जाने के सम्बन्ध में सदन से अनुमति लेना आवश्यक है। पत्र ये हैं मेरे पास जो आये हैं, सूचना के लिए—श्री भैरोंसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा, ने कुछ समय पूर्व मादरा, सांगरिया तथा चूरू के गोली काण्ड की चर्चा के समय इस सदन में कुछ वस्तुएं, जिनमें एम्युनिशन बेल्ट, खाली कारतूस सम्मिलित थे, सदन के समक्ष प्रस्तुत की थी।

सचिव, जांच आयोग पुलिस फायरिंग एट भादरा, राजस्थान हाई कोर्ट बिल्डिंग, जोधपुर (कैम्प बीकानेर) ने इस सचिवालय को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि किसान संघर्ष समिति यह चाहती है कि इन वस्तुओं को कमीशन के अवलोकनार्थ मंगवाया जाय। तदनुसार सचिव, जांच आयोग ने निवेदन किया है कि इन वस्तुओं को शीघ्र ही जोधपुर कमीशन के ऑफिस में भेज दिया जाय।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं यह वस्तुयें इस समय सदन की कस्टडी में हैं और सदन की आज्ञा से ही भेजी जा सकती हैं। यदि सदन को कोई आपत्ति न हो तो इन वस्तुओं को जांच आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई आपत्ति नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक जानकारी करनी है। यह तो भेज दी

(श्री भैरोंसिंह)
जांय, ठीक है लेकिन सांगरिया गोली काण्ड में भी कुछ मुद्दे मैंने रखे थे—कपड़े वगैरह कई चीजें थी, बिना उनकी जांच किये ही कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी···

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भादरा और सांगरिया गोली काण्ड के लिये जो कमीशन बैठा है वह इस सिलसिले की जांच कर रहा है और उस सम्बन्ध में इस हाउस में कपड़े एम्युनिशन वगैरह पेश किये गये थे। उन डाक्यूमेन्ट्स को और आर्टिकल्स को कमीशन के सामने प्रस्तुत किया जाय लेकिन गृह मन्त्री जी ने प्रकट किया है सांगरिया गोली काण्ड की रिपोर्ट कमीशन ने दे दी है और सांगरिया गोली काण्ड को जस्टीफाई किया है। क्या सरकार स्पष्टीकरण देने को तैयार है? क्या यह सही है कि सांगरिया गोली काण्ड कमीशन ने बिना इन डाक्यूमेंट्स के और बिना इन आर्टिक्ल्स के देखे हुये फायरिंग की रिपोर्ट दी है। और अध्यक्ष महोदय ने इजाजत चाही है और अध्यक्ष महोदय ने प्रश्न विधान सभा के सामने रखा है और दूसरी तरफ रिपोर्ट दे दी है। तो इस हाउस को जानकारी दें कि ये दोनों बातें···

श्री अध्यक्ष : मेरे समक्ष यह प्रश्न नहीं है। अगर यह प्रश्न मेरे समक्ष आता है तो सदन की अनुमति ले लेता हूं। दूसरा प्रश्न यह है कि श्री विजय सिंह मकराना, सदस्य विधान सभा ने कुछ समय पूर्व श्री नवाब खां, पटवारी, मकराना के विरुद्ध बोलते हुये इस सदन में यह आरोप लगाया था कि इस पटवारी ने एक श्री बाघसिंह से 100 रु० की रकम लेकर तथा उसकी कच्ची रसीद देकर खयानत की है। माननीय सदस्य श्री मकराना ने यह कच्ची रसीद सदन की मेज पर रखी थी।

जिलाधीश, नागौर ने इस रसीद की उक्त पटवारी के विरुद्ध जांच में आवश्यकता बताते हुये इसको भिजवाने की प्रार्थना की है।

श्री मकराना ने भी सदन में भ्रष्टाचार के विषय में ही यह रसीद प्रस्तुत की थी और वे भी इस रसीद को भिजवाना चाहते हैं। चूंकि यह रसीद सदन की टेबिल पर थी अतः यदि सदन की कोई आपत्ति न हो तो इस रसीद को जिलाधीश, नागौर के पास भेज दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल :
श्री रामकिशन : } भेज दिया जाय।

श्री रामकिशन : रसीद वाले को भी भेज दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न विशेषाधिकार का है। श्री देवीदत्त गाड़िया ने, सदन की अनुमति से मामला सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाये—मैं इसके पूर्व दूसरा ले लेता हूं। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र···

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक छोटी सी जानकारी करना चाहता हूं। पहले दो विशेषाधिकार की रिपोर्ट और थी—इस सदन में उनके बारे में क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य वह आपकी अनुपस्थिति में नहीं लिया गया। आप अनुपस्थित थे इसलिये सदन ने उदारता से स्थगित कर दिया ··

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आज कृपा करके ले लेंगे?

श्री अध्यक्ष : आज कृपा नहीं हो सकती है, इसे भी कृपा नहीं हो सकती है।

एक माननीय सदस्य : इसको कब लिया जायगा....

श्री अध्यक्ष : आपने लेटर बॉक्स समझ लिया है क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने दो ढाई वर्ष पूर्व इस सदन में एक विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव की सूचना दी थी। उस सम्बन्ध में मैंने एक लिखित में पत्र गत सप्ताह में प्रस्तुत किया था। राज्य सरकार के यातायात मंत्री पर 15 हजार रुपया रिश्वत लेने का आरोप था। उस सम्बन्ध में मैंने विशेषाधिकार भंग के प्रस्ताव की सूचना दी थी। एक पत्र भी प्रकाशित किया गया था और उस सम्बन्ध में प्रिविलेज कमेटी से प्रार्थना की थी कि उसकी रिपोर्ट हाउस एडजोर्न होने से पूर्व प्रस्तुत की जाय और इस सम्बन्ध में निवेदन करूंगा अब हाउस एडजोर्न हो जायगा। कल ही केवल और मीट करने वाला है। नवम्बर में मध्यावधि चुनाव हो जायेंगे और यह सारा बिजनेस लेप्स हो जायगा। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में प्रिविलेज कमेटी की रिपोर्ट जो मैंने विशेषाधिकार भंग होने की—श्री अमृतलाल जी यादव पर और एक काउन्टर मोशन श्री मोहनलालजी मोदी ने एवं—श्री विजयसिंह जी ने रखा है—दोनों को हाउस में आज या कल पेश करके विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको देख लूंगा। विशेषाधिकार का प्रश्न।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, श्री देवीदत्त गाड़िया के विशेषाधिकार के प्रस्ताव के बारे में मैं एक जानकारी चाहूंगा, क्योंकि सदन तो कल तक चलेगा और वह प्रश्न इस तरह का था कि इस सदन की यह इच्छा रही है कि इस प्रश्न का तुरन्त निपटारा किया जाय तो मैं समझता हूं कि कल या आज इस प्रश्न के सम्बन्ध में विशेषाधिकार समिति विचार करके किसी तरह से इसका निराकरण करे।

श्री अध्यक्ष : किस प्रश्न पर ?

श्री भैरोंसिंह : अधिकारी वाला।

श्री अध्यक्ष : मैं इनको अभी इजाजत दे रहा हूं सदन के प्रांगण पर।

श्री भैरोंसिंह : किस की ?

श्री अध्यक्ष : विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में।

श्री भैरोंसिंह : वह नहीं। यह तो नया प्रश्न है। वह श्री पारीख के खिलाफ जो प्रस्ताव था, जिसको हाउस ने दुबारा कमेटी के पास भेजा था। अगर उस पर कल तक कार्यवाही नहीं होती है तो सदन की जो इच्छा थी कि सारे मामलों का तुरन्त निराकरण किया जाय उसकी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए आपके माध्यम से मैं विशेषाधिकार समिति के अध्यक्ष से यह निवेदन करूंगा कि किसी न किसी प्रकार सारे मामले की जांच करके•••

श्री अध्यक्ष : मैं जानकारी अथवा बातचीत से ऐसा प्रयत्न करूंगा और आपकी जो भावनायें हैं उनके संदर्भ में जो स्थिति है उस पर प्रयत्न करूंगा।

(श्री अध्यक्ष)

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। विद्युत् मंत्रीजी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (विद्युत् मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत् (सप्लाई) एक्ट, 1948....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह बाद में रखा जायगा।

श्री अध्यक्ष : ठहर जाइये, सिंचाई मंत्री जी। श्री देवीदत्त गाड़िया।

विशेषाधिकार प्रस्ताव

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं....

श्री अध्यक्ष : आप भाषण मत देने लग जाना। संक्षेप में।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कोटा से आने वाले माननीय श्री कृष्णकुमार गोयल ने कटौती प्रस्ताव के ऊपर टैक्सों की चोरी के प्रश्न को लेकर जे० के० सिन्थेटिक्स के बारे में कहा था कि उन्होंने टैक्सों की चोरी की है, उसके बारे में मुद्दे रखे थे। उसके ऊपर जे० के० सिन्थेटिक्स के डिप्टी जनरल मैनेजर, श्री आर० एस० अग्रवाल ने माननीय गोयल साहब को एक पत्र लिखा है और उस पत्र की प्रतिलिपि भी मैंने मेरे पत्र के साथ दी है, उस पत्र से ऐसा आभास होता है और ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य के विशेषाधिकार का हनन हुआ है। इसलिए मैंने प्रिविलेज मोशन मूव किया है। इसे विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जाय।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : वह लैटर क्या है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : The letter will be referred to the Prevelege committee.

श्री अध्यक्ष: My be referred to.

याचिका....

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र विद्युत मण्डल का 71-72 का आय-व्ययक व 70-71 का वार्षिक विवरण

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत् (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 61(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल का वार्षिक विवरण (आय व्ययक), 1971-72....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, Just a minute.

यह विद्युत् (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 61 (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण सदन की मेज पर विद्युत मंत्री महोदय रखना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में एक सीरियस ऑब्जेक्शन यह लेता हूं कि यह सन् 1971-72 का इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का बजट जब कि हाउस में इस बजट के सत्र के दौरान आया था तो अभी तक प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया? क्या आप इस पर डिबेट नहीं कराना चाहते हैं? अगर आप डिबेट कराना चाहते हैं तो डिबेट कब होगी? अगर डिबेट नहीं होगी तो फिर रखने का लाभ क्या है? अगर इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट पर डिबेट नहीं हो सकती है तो हाउस में पेश करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। अगर सरकार

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

यह कमिट करती है कि इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के बजट पर डिबेट होगी उसके बाद में हाउस एडजोर्न होगा और अगर डिबेट कराने के लिए तैयार न हो तो हाउस में फार्मेलिटी को पूरा करने के लिए, स्टेट्यूटरी प्रोविजन्स को पूरा करने के लिए, औपचारिकता निभाने के लिए जब कि कल यह सत्र समाप्त होने जा रहा है आप बजट पेश करना चाहते हैं तो यह ठीक नहीं है। पिछले लगभग ढाई महीने से बजट अधिवेशन चल रहा है तो कानून के तहत—कानून की जो मन्शा है उसके तहत इमीजियेटली बजट पास करना चाहते हैं और आज तक उसको हाउस में पेश नहीं किया और न 1970-71 का वार्षिक प्रतिवेदन हाउस के सामने पेश किया है जिससे कि माननीय सदस्यों को एप्रोप्रियेशन बिल पर बोलने में मदद मिल सकती थी वह भी आपने नहीं किया। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमेंट अगर यह कमिट करती है कि इस पर डिबेट होगी हाउस में और अगर गवर्नमेंट यह कमिट नहीं करती है तो इस प्रकार से बजट को और एन्युअल स्टेटमेन्ट को हाउस में पेश करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक इस पर चर्चा करने का प्रश्न है वह चूंकि 25 तारीख तक का ही कार्यक्रम विधान सभा का है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पहले पेश करना चाहिये था।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसलिए उसको बढ़ाना सरकार नहीं चाहती। इसलिए 25 तारीख तक चर्चा इस पर नहीं हो सकती है तो चर्चा बाद में जब कभी भी असेम्बली का सेशन होगा तभी हो सकेगी। आज तो केवल सदन की मेज पर रखने की इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : याचिका का उपस्थापन, श्री भैरोंसिंह!

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत् (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 61 (3) के अन्तर्गत राज्य विद्युत् मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्ययक), 1971-72 का सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल का वार्षिक प्रतिवेदन, 1970-71 भी सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिका का उपस्थापन

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, ग्राम बिड़ाली (जिला सीकर) में खेती के लिए कुओं को बिजली देने सम्बन्धी विषय पर सात याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी द्वारा वक्तव्य। (कई माननीय सदस्यों के जोरों से बातचीत करने पर) हाउस टू ऑर्डर।

देवली कैम्प के सम्बन्ध में जो वक्तव्य माननीय पुनर्वास मंत्री देने वाले थे उनको कहीं मृत्यु हो जाने से जाना पड़ा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किन की ?

श्री अध्यक्ष : उनकी तो नहीं वे तो सुरक्षित हैं ।

इसलिए मैं आधा घन्टे की चर्चा को पहले ले लेता हूं ।

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : मेरा भी तो एक स्टेटमेंट है ।

श्री अध्यक्ष: आपका कौनसा है ?

श्री हरिदेव जोशी : ब्यावर की सीमेंट फेक्ट्री पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है ।

श्री अध्यक्ष : आपको तो जल्दी नहीं है । आपके यहां तो शादी हो चुकी है ।

प्रधान, पंचायत समिति, लाडनूं द्वारा उठाये यात्रा भत्ते सम्बन्धी आधे घन्टे की चर्चा

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, प्रधान, पंचायत समिति, लाडनूं द्वारा यात्रा भत्ते के रूप में उठाई गई राशि सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या 142 के उत्तर से, जो दिनांक 20 अप्रेल, 1971 को दिया गया था, उत्पन्न मुद्दों पर मैं आप से निवेदन करूंगा कि···

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बीच में निवेदन करना चाहूंगा कि आज प्राक्कलन समिति, जनलेखा समिति और राजकीय उपक्रम समिति के लिए जिन लोगों ने नामांकन पत्र प्रस्तुत किये थे उनको 1-30 बजे तक नाम वापस लेना चाहिये लेकिन तीन दिन की छुट्टी होने के कारण माननीय सदस्यों का आपस में कुछ निर्णय नहीं हो सका इसलिए मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही स्थगित हो उसके पहले चर्चा करके मैं समझता हूं कोई कार्यवाही कर सकेंगे ।

श्री अध्यक्ष : नाम वापिस लेने का समय डेढ़ बजे तक का है ।

श्री भैरोंसिंह : डेढ़ बजे का नहीं 5 बजे तक का कर दिया जाय ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डेढ़ से साढ़े चार तक ठीक रहेगा ।

श्री अध्यक्ष: सदन की सहमति से मैं इसको करता हूं ।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : मैंने प्रधान, पंचायत समिति, लाडनूं के यात्रा भत्ते के संबध में उठाई गई राशि के लिए प्रश्न पूछा था जिसके उत्तर में राज्य सरकार ने जानकारी दी थी उसमें करीब 20 हजार रुपये की राशि प्रधान ने बिलों के जरिये उठाई है । इसमें जो लिखा गया है उसमें आप देखेंगे कि एक दिन में 1945 तक की राशि का एक एक बिल उठाया है । उसमें यात्राएं करने का जो कारण बताया गया है तो बम्बई, मद्रास, अहमदाबाद ऐसी जगहों की यात्राएं की गई हैं जहां पर पंचायत समिति का कोई कार्य नहीं हो सकता । पंचायत समिति के प्रधान को यात्रा करने के अधिकार नियम और एक्ट के अनुसार पंचायत समिति के कार्य के लिए ही है, और पंचायत समिति के कार्य के लिए यात्रा करते हैं, तभी वे पंचायत समिति से यात्रा भत्ता प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस सूची में जो कारण दिया गया है और जिन कारणों से यात्राएं की गई हैं उसमें एक भी कारण ऐसा नहीं है जो कि पंचायत समिति का कार्य हो और उसके लिए यात्राएं को गई हों । वैसे जिला परिषद् की मीटिंग या और कोई जो छोटे मोटे कार्य हो सकते हैं—इसमें कई जगह

(श्री हरजी राम बुरडक)
पंचायत समिति के क्षेत्रों की यात्रा का विवरण दिया गया है कि निर्माण कार्य देखने गये, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 5 साल के पीरियड में पंचायत समिति क्षेत्र में कोई भी निर्माण-कार्य चालू ही नहीं किये गये; एक भी निर्माण-कार्य शुरू नहीं हुआ तो निरीक्षण किस का किया गया ? लिखा गया 5 साल तक निरीक्षण करते रहे । इस प्रकार और भी कई ऐसी जगह हैं, जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर जिनमें सब में यह बताया गया है अकाल के काम से गये, कहीं योजना के लिए गये, कहीं मंत्री महोदय के साथ गये । इस प्रकार के कार्य बताकर पंचायत समिति से करीब 10 हजार की राशि प्राप्त कर ली । इसके अलावा कुछ ज्यादा रुपयों का बिल है हजार पन्द्रह सौ का ऐसे बिल अधिकतर ऐसे क्षेत्रों के हैं जहां पंचायत समिति का कोई वास्ता नहीं है, जैसे बम्बई, अहमदाबाद कितनी ही जगहों की यात्राएं की हैं ।

श्री अध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो गया । स्पष्टीकरण ले लें ।

श्री हरजीराम बुरडक : इसके अलावा 1945 रुपये के एक यात्रा भत्ता बिल का मैंने उल्लेख किया है । उसमें यह नहीं बताया गया है कि वह यात्रा कहां तक की गई थी और किस प्रयोजन से की गई थी । और अन्त में यह प्रश्न करना चाहता हूं कि उसके बाद जो दूसरी लिस्ट दी गई है उसमें यह बताया गया है कि यह बिल गायब हो गया है । कैसे यह बिल गायब हो गया और कब हुआ इसकी भी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मन्त्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 31-3-71 को जो प्रश्न पूछा गया था उसका जो उत्तर मैंने यहां पर दिया था उसके उत्तर पर माननीय सदस्य ने यहां पर कुछ मुद्दों को उठाया है । इस सम्बन्ध में पहला मुद्दा यह है कि इस सूची में जो दी गई है किन कारणों से ये सब यात्रायें की गई हैं उसकी प्रयोजन अङ्कित नहीं है । मेरा निवेदन है कि सब यात्राओं के प्रयोजन अङ्कित है सिवाय एक यात्रा के जो अप्रेल में है और उसका पेमेन्ट कर दिया गया है लेकिन वह बिल गुम हो गया है इसलिये किस प्रयोज से यह यात्रा की गई है उसका उल्लेख उसमें नहीं किया जा सका है । धनराशि उठाने के बाद बिल गायब हुआ है । जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं पंचायत समिति के प्रधान को बिल का पेमेन्ट होने के बाद वह बिल उनके पास नहीं रहता है । और न वह पंचायत समिति के विकास अधिकारी के पास रहता है। वह बिल कैशियर के पास जो सम्बन्धित क्लर्क होता है । उसके पास रहता है । अब वह बिल उसके पास में नहीं है और धनराशि उठा ली गई है । इस पर क्लर्क का एक्सप्लेनेशन लिया गया है । उसका एक्सप्लेनेशन सटिसफेक्ट्री नहीं है और इसलिये दि. 6-5-71 को कैशियर को सस्पेन्ड किया गया है और इस केस को पुलिस को दे दिया गया है । पुलिस इसकी इन्क्वायरी कर रही है ।

दूसरा यह मुद्दा उठाया गया है कि पंचायत समिति के प्रधान जिले से बाहर क्यों गये ? किन कारणों से गये हैं ? अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड, साइल कन्जरवेशन

Page No 62

(श्री परसराम मदेरणा)
आदि का काम, डिस्ट्रिक्ट फेमिन रिलीफ कमेटी की मीटिंग आदि यह सब पर्चेज उसमें जो सूची है उसमें अङ्कित हैं। अब हैदराबाद और बम्बई जाने का प्रश्न है। जो सूचना मुझे मिली है उस सूचना के आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि लाडनूं पंचायत समिति के मौजूदा प्रधान ने हैदराबाद और बम्बई की यात्रा की थी और उसमें उन्होंने यह उल्लेख किया है उस क्षेत्र के प्रवासी राजस्थानी वहां पर हैं और उनसे जन सहयोग प्राप्त करने के लिये उन्होंने यह यात्रा की है। जसवन्तगढ़ छात्रावास के भवन निर्माण के लिये उन्होंने सात हजार रुपयों का जन सहयोग प्राप्त किया है। इसी तरह से रोडू ग्राम के अन्दर वहां की माध्यमिक शाला के भवन निर्माण के किये 50 हजार का जन सहयोग उन्होंने प्राप्त करने का प्रयास किया है ऐसा मुझे बताया गया है कि पचास हजार का जन सहयोग प्रधान के प्रयासों से मिला है और प्राप्त हुआ है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि ये यात्राएं केवल मौज के लिये की गई है और पंचायत समिति के फण्ड्स का जो यात्रा के लिये है उसका कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है। प्रवासी राजस्थानियों को समझाकर उनसे जन सहयोग प्राप्त करने के लिए कोई जाता है या उसके लिये यात्रा करता है और उससे पंचायत समिति के क्षेत्र के अन्दर कोई निर्माण कार्य होता है तो राज्य सरकार इसको उपयुक्त समझती है।

एक दूसरा प्रश्न यह उठाया गया है कि इसके लिये अनुमति नहीं ली गई है। इस प्रश्न का निराकरण करने के लिये मैं माननीय सदस्य का ध्यान राजस्थान पंचायत समिति सदस्य भत्ता नियम, 1961 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें यह लिखा है:

"If a Pradhan undertakes a journey outside the District he shall not be entitled for T. A. unless the journey is approved by the Panchayat Samiti."

पंचायत समिति के क्षेत्र के बाहर और राजस्थान के बाहर की जो यात्रायें हैं उन सबके लिये पंचायत समिति की एप्रूवल होनी चाहिये। और पंचायत समिति ने इसके लिए एप्रूवल दे दी है और उसके टी. ए. के लिये भी एप्रूवल दी है। इसलिये इस पर कोई एक्शन लेने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री हरजीराम बुरडक : कब दी है ?

श्री परसराम मदेरणा : बोम्बे के बिल के बारे में दी है, कुछ मामलों की एप्रूवल अप्रेल में दी है ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जिन ऑब्जेक्शन का ऑडिट रिपोर्ट में जिक्र किया गया था और जो एतराजात थे कि कुछ एक्सेस ड्रा कर लिया गया है वह एक्सेस अमाउन्ट 5/-, 8/- और 10/- रुपयों का वह वापिस लौटा दिया गया है और कुछ मामलों में पंचायत समिति के प्रस्ताव कलेक्टर के पास भेज दिये गये हैं और अंकेक्षा प्रतिवेदन के मार्फत आपत्ति उठाई गई है उसके अनुपालना की जिम्मेदारी उनकी है और वह पंचायत समिति से सम्बन्धित एतराज था, उन ऑडिट एतराजात का जवाब दे दिया गया है। मैं समझता हूं कि जो मुद्दे यहां पर उठाये गये हैं उनका जवाब दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह ।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, पंचायत मन्त्री जी ने जो यह बताया है कि पंचायत समिति ने उसकी एप्रूवल दे दी है यह सरासर गलत है। पंचायत समिति की कार्यवाही 12-4-71 की यह है उसमें 65 की जितनी भी यात्रायें हैं और आज तक की हैं उन यात्राओं की एप्रूवल देने के लिये पंचायत समिति में 12-4-71 को रखा है और यह प्रश्न 30-3-71 को यहां पर आ चुका था। उसके बाद 6 साल के बाद यह रखा गया है जब कि पूर्व में यात्रा भत्ता उठाने की मन्जूरी नहीं ली गई है। यह पंचायत समिति की कार्यवाही की कॉपी है और यह अभी रखा है। पहले कोई एप्रूवल नहीं ली गई है।

श्री अध्यक्ष : क्या एप्रूवल नहीं ली गई है?

श्री हरजीराम बुरडक : अभी ली गई है।

श्री परसराम मदेरणा : यह मैंने नहीं कहा है कि अभी एप्रूवल ली गई है।

श्री हरजीराम बुरडक : 65 में यात्रा की गई है और उसकी एप्रूवल अब कैसे ले सकते हैं। मन्त्री महोदय कह रहे हैं कि यात्रा भत्ता उठाने की पहले एप्रूवल पंचायत समिति से ली गई है। 65 की एप्रूवल यह 71 में ले रहे हैं फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यह नियमानुसार है। सॉइल कन्जरवेशन की मीटिंग में या उसके कार्य के लिये जाना आपने कहा है। लेकिन मैं कहता हूं कि उस क्षेत्र में एक रुपये का भी सॉइल कन्जरवेशन का काम नहीं हुआ है और न ऐसी कोई स्कीम है। निर्माण कार्य भी नहीं हुआ। चन्दा लेने की बात कही गई है लेकिन प्रधान के द्वारा कोई चन्दा नहीं लिया गया है और न उनके द्वारा जमा हुआ है। यह फर्जी बिल बनाये गये हैं। पन्द्रह दिनों के अन्दर पन्द्रह सौ और अठारह सौ रुपयों का बिल कैसे बन सकता है। मन्त्री महोदय यह सरासर गलत उत्तर दे रहे हैं।

श्री दौलतराम सारण : हैदराबाद, बम्बई जो प्रवासी राजस्थानी रहते हैं उनसे निर्माण कार्यों के लिये प्रधान चन्दा लेने या जन सहयोग प्राप्त करने के लिये गये थे। मेरे क्षेत्र के जो प्रवासी हैं वे लन्दन में रह रहे हैं और क्या मैं भी विकास कार्यों के लिये मेरी क्षेत्र की पंचायत समिति से प्रस्ताव पास करा कर लन्दन जा सकता हूं। क्या यह मेरे को अनुमति राज्य सरकार की ओर से हो सकती है ?

श्री परसराम मदेरणा : इसके लिये भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी।

श्री दौलतराम सारण : यह तो पासपोर्ट या वीसा ही दे सकती है। क्या अनुमति पंचायत समिति से लेकर जा सकते हैं ? पंचायत समिति वह प्रस्ताव पास कर देगी और राज्य सरकार जो मेरे क्षेत्र के लोग लन्दन रह रहे हैं उनसे जन सहयोग के लिये जाने देगी ? क्या जवाब दे रहे हैं आप ? बड़ा लाजवाब है।

श्री परसराम मदेरणा : विरोधी दल की पंचायत समिति इस प्रकार का प्रस्ताव करती है और माननीय सदस्य वहां जाते हैं तो इसमें राज्य सरकार को कोई एतराज नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : मैं प्रस्ताव पास करा लूंगा और वह निश्चित रूप से प्रस्ताव पास कर देगी।

श्री अध्यक्ष । ऑर्डर प्लीज।

श्री मनोहरसिंह मेहता: अध्यक्ष महोदय,

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको इजाजत कहां मिलेगी ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : बाहर जाने के लिये प्रधान खर्चा करे और उससे विकास कार्य होते हैं तो अच्छा है लेकिन प्रधान वैसे ही भ्रष्टाचार करते हैं, लाखों हजारों रुपया खा गये हैं और आप इसी तरह से मन्जूरी देते हैं तो यह निश्चय ही गलत है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, मन्त्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : भ्रष्टाचार के बारे में माननीय सदस्य जो मॉण्डलगढ़ से आये हैं ···

श्री दौलतराम सारण : आप तो तथ्यों का उत्तर दीजिये।

श्री परसराम मदेरणा : If a Pradhan undertakes a journey outside the District he shall not be entitled for T. A. unless the journey is approved by the Panchayat Samiti."

इसका उल्लेख किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत समिति एक इलेक्टेड बॉडी है और जो उनको पावर्स हैं वे उसको एक्सरसाइज करते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं तो राज्य सरकार उसको मानती है। जो प्रस्ताव किया गया है उसको एप्रूव किया गया है। वह उचित है यह राज्य सरकार मानती है।

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न मैंने पूछे हैं उनका उत्तर नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : एक दफा प्रश्न हो चुका है।

श्री हरजीराम बुरडक : उत्तर नहीं आया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह उत्तर नहीं आया है इसलिए उन्होंने इसको फिर उठाया है। उस वक्त स्वीकृति कोई पूर्व में नहीं ली गई थी। तो क्या बाद में स्वीकृति करके उसको रेगुलराइज किया गया है—उसको आप सही मानते हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर 6 साल बाद में स्वीकृति दी जाती है और अगर पंचायत समिति को ऐसा अधिकार है तो क्या माननीय मन्त्री महोदय यह अनुभव करेंगे कि administratively it is a very bad decision. यह ऐसा नहीं होना चाहिये। अगर सरकार इसी तरह से डिसीजन लेती है तो मैं समझता हूं कि यह डिसीजन खराब है। आप एक अस्वस्थ परम्परा कायम करते हैं। क्या यह अनुभव नहीं करते हैं मन्त्री महोदय ?

श्री अध्यक्ष : एक और प्रश्न आने दीजिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : कलेक्टर जांच कर रहा है और ऑडिट ऐतराज है। तो कलेक्टर ने क्या जांच की है और कब की है ? इसके बारे में आपने नहीं कहा है।

श्री परसराम मदेरणा : विरोधी दल के नेता महोदय ने एक बात सदन में उठाई कि यदि रूल्स में इस प्रकार का प्रावधान है तो रूल्स को रीएग्जामिन कराया जाना चाहिये कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कर सकते हैं या नहीं ? जो इन्टरप्रेटेशन दिया गया है वह दिखता ऐसा है कि कर सकते हैं। फिर भी मैं लाडिपार्टमेंट से एग्जामिन करा लूंगा और उसके बाद रूल्स में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी तो राज्य सरकार उसके लिए भी तैयार है।

कलेक्टर की जांच के संबंध में कहा गया, कलेक्टर ने जो ऑडिट प्रतिवेदन पर ऐतराज उठाया था, उनकी अनुपालना के बारे में जांच की थी और बी. डी. ओ. से जवाब तलब किया गया था और जो रकम बताई गई थी वह 10) रु. से कम थी, वह जमा करा दी गई है और बाकी ऑब्जेक्शन्स की पंचायत समिति से प्रस्ताव पास करा के अनुपालना की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई। श्री दिग्विजयसिंह। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। माननीय श्री हरजीराम जी स्थान ग्रहण करें। अब नहीं।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे दिनांक 4-5-71 के तारांकित प्रश्न संख्या 611 के उत्तर में जो जानकारी दी गई उस संबंध में, मैं यहां कुछ बातें रखना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप सरपंच या पंच किसी पर आरोप लगाते हैं और उस संदर्भ में जब जांच करवाते हैं तो पहली जांच जिलाधीश या उप-जिलाधीश या इन्सपेक्टर स्वयं करते हैं। उसके बाद राज्य सरकार के पास में रिपोर्ट आती है। तब उन आरोपों की आप दुबारा जांच करवाते हैं। इस केस में श्री फौजमल पर जो आरोप लगाए गए उनके लिए आपने उनको चेतावनी दे दी कि भविष्य में सतर्कता से काम करेंगे और पंचायत के अन्दर इस प्रकार का दुरुपयोग या गबन न करें। इस प्रश्न में राज्य सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रारंभिक जांच से आरोप प्रमाणित पाए जाने पर राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत नियमों के नियम 21 (2) के अन्तर्गत आरोप-पत्र मय नोटिस 7-11-70 को दिया गया है और उप-जिलाधीश को फाइनल एन्क्वायरी हेतु लिख दिया गया है। फाइनल एन्क्वायरी के स्टेज तक आप पहुंच गए, उसके अन्दर या तो रखेंगे या डिबार करेंगे। मेरा निवेदन है कि नियम 17 (4) के तहत सस्पेंड करना चाहिए जबकि आपकी स्वयं की प्रारंभिक जांच मे 14 हजार रुपये का गबन साबित हो चुका है। इसलिए मैं ज्यादा न कहकर पुनः निवेदन करता हूं कि रूल 21 के तहत सरकार को पावर्स है किसी को जांच करने के लिए एपॉइन्ट कर दें तो जो ऑथोरिटी है वह सरकार का नॉमिनी है, वह सरकार ही एन्क्वायरी कर रही है, उसकी रिपोर्ट आपके पास आती है, उसके बाद में भी आप माफ करते हैं, यह विचित्र विषय है, क्योंकि वह व्यक्ति गवर्नमेंट को ही रीप्रेजेंट करता

(श्री दिग्विजयसिंह)

है। पहले एन्क्वायरी होती है, सरकार फिर किसी अधिकारी को नियुक्त करती है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार कहती है कि यह गलत है। इस प्रश्न पर खास मुद्दा यह है कि इस सरपंच महोदय ने करीब 19 हजार का गबन किया है और वह आज तक न सस्पेंड हुआ है न और कुछ हुआ है। इसलिए मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि फाइनल इन्क्वायरी कब पूरी होगी और इस दरमियान में हो सकता है कि क्योंकि उनके पास पंचायत रेकार्ड है, इस जांच के अन्दर वह रेकार्ड को इधर उधर करने में कामयाब हो सकते हैं। इसलिए निष्पक्ष जांच के हित में आप इस सरपंच पर जल्दी से जल्दी एक्शन लें।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री): करोड़ पंचायत के सरपंच श्री फौजमल का मुकदमा राज्य सरकार के सामने था उसमें वह निलम्बित थे। उस मामले में राज्य सरकार ने फैसला कर दिया जिसका उत्तर माननीय सदस्या को दिया जा चुका है। उसके बाद उनके खिलाफ कुछ और आरोप थे जिसकी प्रिलिमिनरी जांच कराई गई और उसके बाद में राज्य सरकार के पास में केस आया। राज्य सरकार ने सरपंच को नोटिस दिया कि कारण बताओ कि जो आरोप बनते हैं उनके लिए आपको कुछ कहना है क्या? उन्होंने इन्कार कर दिया तो भी राज्य सरकार ने प्राइमा फेसी केस को सही मानते हुए विस्तार से जांच के आदेश दिए। विस्तृत जांच होना बाकी है क्योंकि उस समय बी. डी. ओ. की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत की गई थी, सरपंच की इन्क्वायरी किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं था। अब क्योंकि इस मामले में प्राइमा फेसी केस एस्टेब्लिश हो गया है, उस समय आलरेडी सस्पेंडेड था इसलिए यह मामला राज्य सरकार के ध्यान में आ गया, मैं इसको देख रहा हूं और जो आरोप लगाए गए हैं उनकी गंभीरता को देखते हुए मैं एक दो दिन में निर्णय ले लूंगा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : श्री फतेहसिंह !

ब्यावर में सीमेन्ट उद्योग की स्थापना की घोषणा की कार्यान्विति न होने सम्बन्धी

श्री फतेहसिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, समय समय पर सरकार द्वारा घोषणा किए जाने के उपरांत भी ब्यावर में सीमेंट उद्योग स्थापित नहीं हो सका है जिससे वहां जनता में बड़ा असंतोष है। श्रीमान्, सरकार द्वारा 26-2-66, 4-5-67, 18-1-68 और 24-2-69 को ब्यावर में सीमेंट उद्योग स्थापित करने की राज्यपाल महोदय द्वारा घोषणा की गई थी। मेरे एक अतारांकित प्रश्न संख्या 37 के उत्तर में 19-3-71 को उद्योग मन्त्री महोदय ने उत्तर दिया था कि ब्यावर प्लांट के लिए भूमि आवंटन हो चुको है। दांता क्षेत्र से पानी लाने के लिए सर्वे हो चुका है, 15 हजार किलोवाट बिजली देने का आश्वासन दे दिया गया है, रेलवे ने साइडिंग का एलाइनमेंट सर्वे कर लिया है, मशीन का ऑर्डर पार्टी द्वारा दिया जा चुका है। पार्टी द्वारा 31-12-70 तक तीन लाख और कुछ रुपए खर्च हो चुके हैं और भारत सरकार से "कैरी ऑन बिजनेस"

(श्री फतेहसिंह)

लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पत्र-व्यवहार जारी है। श्रीमान् 5 वर्ष से ब्यावर में सीमेंट उद्योग स्थापित करने की बातें चल रही हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अब तक जो कुछ हो रहा है; सब कागजी कार्यवाही हो रही है। इससे ब्यावर की जनता, को, जो रोजगार चाहती है, संतोष नहीं हो सकता। भूखा भोजन चाहता है, थोथी बातों से काम नहीं होता। सरकार का व्यवहार ऐसा है मानो रोते हुए बच्चे को उसकी मां द्वारा चन्दा मामा दिखा कर भुलावे में डालकर चुप रखे।

ब्यावर में सीमेंट उद्योग स्थापित करने की अब तक की सरकार की नीति के खिलाफ मैं घोर असंतोष व्यक्त करता हूं और इस उद्योग को वहां यथाशीघ्र प्रारंभ करने को ओर माननीय उद्योग मन्त्री का ध्यान आकर्षित करते हुए स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि आखिरकार कब यह कारखाना बनकर सीमेंट का उत्पादन होने लग जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री उद्योग मन्त्री !

श्री हरिदेव जोशी (उद्योग मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने अभी इस सदन के समक्ष बतलाया है कि राज्य सरकार यह निरन्तर प्रयास कर रही है कि ब्यावर के क्षेत्र में सीमेन्ट उद्योग की स्थापना हो। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह बतादूं कि राज्य सरकार इस बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है। मैं माननीय सदस्य की एंगजाइटो और वहां के लोगों की भावनाओं को समझता हूं लेकिन कुछ अनियमिततायें पैदा हो गयी हैं जिससे कि इस क्षेत्र में सीमेन्ट उद्योग की स्थापना जो कि आज तक हो जानी चाहिये थी, वह नहीं हो सकी है और इतना समय निकल गया है। वह सीमेन्ट फैक्ट्री अभी तक नहीं लग पायी है। किन्तु इस मामले में कठिनाई भी वैसी ही रही है। पहले सीमेन्ट उद्योग लगाने के लिये कोई लाइसेन्स की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह उद्योग डीलाइसेन्स्ड था इसलिये हमने जहां जहां पर लाइम स्टोन था वहां पर लोगों को सीमेन्ट उद्योग लागू करने के लिये प्रोत्साहित किया। इसमें ब्यावर का भी एक क्षेत्र था। ब्यावर में जिस पार्टी ने एप्लाई किया था हमने उसे एक महीने के अन्दर अन्दर स्वीकृति दे दी। उसके बाद में उन्होंने भूमि के आवण्टन के लिये एप्लाई किया तो हमने उन्हें भूमि आवंटित करदी। राज्य सरकार ने इसके बारे में जो भी जांच करनी थी वह करदी और जो सहूलियतें राज्य सरकार द्वारा उन्हें मिल सकती थीं वह भी दे दीं। लेकिन इसी बीच में गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने ऐसा आदेश दिया कि जो सीमेन्ट फैक्ट्रीज डीलाइसेन्स्ड थीं उनके लिये भी लाइसेन्स लेना जरूरी हो गया। पर जो फैक्ट्रीज शुरू होने वाली थीं उनके लिये गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने ऐसा आदेश दिया कि जो फैक्ट्रीज चलने को हो थीं उन्हें लाइसेन्स मिल जायेगा। उन्हें सी. ओ. बी. लाइसेन्स लेना जरूरी होगा और राज्य सरकार को सर्टीफिकेट देना पड़ेगा कि इन्होंने कार्य शुरू होने में कोई विशेष देरी नहीं की। राज्य सरकार के सर्टीफिकेट पर उन्हें सी. ओ. बी. लाइसेन्स दे दिया जायेगा। पहले यह सब कार्यवाही की गयी। जयपुर उद्योग लिमिटेड को इस क्षेत्र में सीमेन्ट फैक्ट्री लगाने की

(श्री हरिदेव जोशी)
सैंक्शन थी। उन्हें जमीन दे दी गयी थी, बिजली की सप्लाई का भी इन्तजाम किया गया और प्लाण्ट के आर्डर्स भी उन्हें मिल चुके थे। इस प्रकार मोटे रूप से जो भी कार्यवाही करनी थी कर ली गयी। इन सब चीजों में दिक्कत भी आयी समय भी लगा। दूसरी बात यह थी कि गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया की यह पॉलिसी भी हो गयी कि देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों को मन्जूरी नहीं दी जावे। तो उसकी भी परमिशन करानी पड़ी। ब्यावर में सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि पानी की ब्यावर में बहुत दिक्कत है। राज्य सरकार का काफी खर्चा उस फैक्ट्री के लिये रेल्वे फैसीलिटी देने के लिये, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स के लिये जमीन, प्लान्ट्स के लिये मशीनरी और दूसरे कामों के लिये काफी खर्चा हो जाने के बाद भी गवर्नमेन्ट कोशिश कर रही है कि जल्दी ही काम शुरू हो जावे। इस बारे में ज्योलोजीकल सर्वे ऑफ इण्डिया से भी बात चीत की गयी।.. ...

श्री दिग्विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, हाउस ठण्डा अधिक हो रहा है, इसे कम कराया जाय।

श्री अध्यक्ष : अभी हो जायेगा।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, पानी के लिये वहां जो दिक्कत है उसका पता लगाया गया कि कहां से पानी आ सकता है तो यह बात एस्टेब्लिश हो गयी कि पानी दांता से आ सकता है। इसके बाद भी अध्यक्ष महोदय एक दिक्कत और आयेगी कि पानी को लाने के लिये खर्चा कहां से किया जायेगा। मैं आपसे यह निवेदन करदूं कि दांता से पानी आने का खर्चा करीब 50 लाख रुपये लगेगा। वह पचास लाख रुपये कहां से आवेंगे? क्योंकि गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया को जो लोनिंग एजेन्सी है वह किसी भी प्लान्ट के लिये पानी लाने हेतु लोन नहीं देती है यह बहुत ही बड़ी दिक्कत की बात है। राज्य सरकार इसका हल निकालने के लिये गम्भीरता से विचार कर रही है।

श्री दिग्विजयसिंह : एल. आई. सी. लोन देती है आप एल. आई. सी. से लोन ले लीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : एल. आई. सी. किसी भी पार्टी को सीधे सीधे लोन नहीं देती है। एल. आई. सी. गवर्नमेन्ट को लोन देती है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करदूं कि हमने एक डी. ओ. लैटर भारत सरकार के वित्त मन्त्री श्री वाई. बी. चव्हाण को इस बारे में नवम्बर में लिखा था तथा उसमें इस बात का भी जिक्र किया कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है, उद्योग कम है, अन-एम्प्लॉयमेन्ट की प्रोब्लम को ध्यान में रखते हुए कोई वाया मीडिया निकाले और इस फैक्ट्री के लिये जो पानी की कमी है उस व्यवस्था को पूरी करने के लिये लोन की स्वीकृति दी जावे।

दूसरा वाया मीडिया यह था कि एल. आई. सी. जो गवर्नमेंट को लोन देती है तो पहले स्टेट गवर्नमेन्ट एल. आई.सी. से लोन ले और फिर बाद में स्टेट गवर्नमेंट उस पार्टी को लोन दे ताकि जो अभी फैक्ट्री के समक्ष पानी की समस्या है वह हल हो जाये। इस तरह से गवर्नमेंट इन सब

(श्री हरिदेव जोशी)

प्रोबलम्स को मीट कर रही है। लेकिन अगर आप यह चाहें कि मैं आपको कोई निश्चित तारीख बतादूं कि फैक्ट्री कब चालू होगी तो मैं आपसे यही निवेदन कर सकता हूं कि मैं इस स्थिति में अभी नहीं हूं। इसका कारण यह है कि मैं पोजीशन क्लीयर कर दूं, जहां से फोर निम्बाहेड़ा पानी की कोई कमी नहीं है, रेल्वे साईडिंग का भी काम हुआ है, लाइम स्टोन की दिक्कत नहीं है वहां पर भी अब तक फैक्ट्री का काम शुरू नहीं हुआ है क्योंकि मशीनरी के आने जाने में और उसे डेस्टीनेशन तक पहुंचाने में बहुत समय लगता है। लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बारे में गम्भीरता से विचार कर रही है कि इन सब दिक्कतों को दूर करके जल्दी से जल्दी फैक्ट्री शुरू हो जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जे. बी. हायर सेकेण्डरी स्कूल लाडनूं के प्रबन्धकों द्वारा संस्थान में अनियमित कार्यवाही किये जाने…

श्री फतेहसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि एल. आई. सी. से स्टेट गवर्नमेंट कब तक लोन लेगी और उन्हें देगी। ताकि पानी की समस्या खत्म हो जाय और फैक्ट्री जल्दी ही कार्य करने लग जाय।

श्री हरिदेव जोशी : इसके बारे में यह निवेदन है कि अभी तक सी. ओ. बी लाइसेन्स इश्यू नहीं हुए हैं और सी. ओ. बी. लाइसेन्स इश्यू होने के लिये हमने गवर्नमेंट आफ इण्डिया को फिर लिखा है। सी. ओ. बी. लाइसेन्स आने के बाद पानी के लिये भी किया जायेगा।

श्री फतेहसिंह : मैं पूछ रहा था कि एल. आई. सी. लोन कब तक दे देगी।

श्री हरिदेव जोशी : गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो डी. ओ. लेटर लिखा है उसमें सारी पोजीशन उसमें क्लीयर कर दी गयी है और मैं आपसे एक बात और निवेदन करदूं कि यहां श्री बी. एल. राना आये थे जो कि लाइसेन्सिग कमेटी के चेअरमैन हैं उनके साथ बैठकर हमने बात चीत की और सारी बातें तय हो गई हैं इसलिये अब कोई दिक्कत नहीं आयेगी और जल्दी ही कार्यवाही हो जायेगी।

श्री शंकरसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी अजमेर जिले के उद्योगों के बारे में या अजमेर जिले के विकास के बारे में…

श्री फतेहसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी आवाज आप मन्त्री महोदय तक पहुंचा दें। काइन्डली परस्यू दी मेटर ओने परसनल लेवल।

श्री शंकरसिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी अजमेर के क्षेत्र में कोई उद्योग लगने की बात होती है या और कोई मसला अजमेर के बारे में होता है तो उसके बारे में मन्त्री महोदय कोई निश्चित तारीख नहीं बताते है। कम से कम कोई पर्टीकुलर महीना तो बता दें, अगर वह कोई पर्टीकुलर तारीख नहीं बता सकते हैं तो। ताकि मालूम हो जाये कि इस माह तक लग जावेगी।

Page No 70

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री हरजीराम बुरड़क।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री जे. बी. हायर सेकेण्ड्री स्कूल लाडनूं के प्रबन्धकों द्वारा अनियमित कार्यवाही के सम्बन्ध में।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय का ध्यान श्री जे.बी. हायर सेकण्डरी स्कूल लाडनूं के प्रबन्धकों द्वारा संस्थान में अनियमित कार्यवाही किये जाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस स्कूल में बहुत ही घोटाले थे और इस स्कूल को बन्द कर दिया गया है उसे वापिस शुरू करें। अध्यक्ष महोदय, इस स्कूल में जो खर्चा किया जाता है उसका आधे से ज्यादा खर्चा होता है उसके फर्जी बिल बनाये जाते हैं। इसको 70 प्रति शत ग्रान्ट दी जाती है राज्य सरकार द्वारा। अगर किसी ने ऐतराज किया तो उनकी सेवायें समाप्त करदी जाती हैं। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि श्री नौरतन मलजी पिछले 20 साल से अध्यापक थे और उन्होंने एक बार कह दिया कि हमको जो पैसा जितना दो उतना ही कैश बुक में लिखो या रसीद दो, तो इस बात पर उसकी सेवायें समाप्त कर दी गयी और आज 2½ साल से शिक्षा विभाग के वह अध्यापक चक्कर लगा रहा है लेकिन उसकी अपील का फैसला नहीं कर रहे हैं क्योंकि स्कूल पर दोष तो साबित नहीं होता इसलिए कागजों को दबा कर रखा हुआ है। इसी तरह से पानी का खर्चा जनरल कैश बुक में से निकाला जाता है और खर्चा अलग करके राज्य सरकार से पैसा ले लिया जाता है और सारी कार्यवाही के पीछे शिक्षा विभाग के अधिकारियों का हाथ है। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक ऐसा डाक्यूमेन्ट है जिसमें साफ लिखा है कि इन्सपेक्टर ऑफिस के कर्मचारियों को इतनी रिश्वत दी, डिप्टी डाइरेक्टर के ऑफिस को इतनी दी और डाइरेक्टर के ऑफिस को इतनी दी। इस प्रकार से सारी कैशबुक में इस तरह का हवाला दिया हुआ है और आय की तरफ दिखा रखा है कि इस अकाउन्ट से इतने रुपये काटे और इस माह में इतने काटे। पानी के फर्जी बिल से इतनी आय हुई-इस प्रकार के अकाउन्ट बनाये हुये हैं। राज्य सरकार को बार बार ध्यान दिलाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती। अध्यक्ष महोदय, पिछली साल ए० जी. ने इस संस्था का ऑडिट किया और ऑडिट में 70-80 हजार रुपये का गबन बताया गया। उस ऑडिट रिपोर्ट पर कार्यवाही नहीं करके इस साल उन्हें विशेष अनुदान देकर पुरस्कृत किया गया है। उसको 70 परसेन्ट एड मिलती है और एक साल में दो बार स्पेशल एड दी गयी है। इस सम्बन्ध में मेरे पास जो रेकार्ड है, और शिक्षा मंत्रीजी इस शिक्षा के मेनेजमेन्ट को भंग करके अपने अधिकार में, इस संस्था को लेकर जांच कराने के लिए तैयार हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपकी मार्फत वह रेकार्ड आपको दे सकता हूं……

श्री अध्यक्ष : अगर इस बात के लिए तैयार नहीं हैं तो नहीं देंगे ?

श्री हरजीराम बुरड़क : फिर क्या फायदा है देने से ? इस संस्था में घोटले होते हैं और बारबार कहते हैं कि हम जांच करा

(श्री हरजीराम बुरड़क)
रहे हैं और उत्तर भी दिया गया था कि एड बन्द कर दी गई है लेकिन फिर से वह चालू कर दी गई है। रेकार्ड के ऊपर साफ लिखते है जे. ओ. हायर सेकेण्डरी स्कूल, लाडनूं एक्स्ट्रा इनकम एण्ट एक्सपेंडीचर। स्कूल के हैड मास्टर, मैनेजर और कंशियर मिलकर ये अकाउन्ट्स तैयार करते हैं और सारे डबल अकाउन्ट्स रखते हैं। उसमें साफ लिखा है इस कार्य के लिए इतना रुपया और इस कार्य के लिए इतना रुपया।

श्री अध्यक्ष: रेकार्ड उनके ऑफिस से ही आया?

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के पास जो डाक्यूमेंट हैं और जैसा कि वे कह रहे हैं कि डबल अकाउन्ट्स रखे जाते हैं तो जो उनके पास अकाउन्ट बुक है हमने भी उसको देखा हैं जिसमें मोहर है और हैड मास्टर के दस्तखत हैं और जो एक्चुअल अकाउन्ट पेश किये गये हैं उनसे अतिरिक्त अकाउन्ट रखे जाते हैं और इन खर्चों का पूरा का पूरा अकाउन्ट है तो यह बहुत सीरियस मामला है।

श्री अध्यक्ष : सीरियस है माननीय सदस्य। अब उसका उपयोग कहां किया जाये।

श्री मदनसिंह: टेबल ऑफ दी हाउस।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कई बार इस किस्म के सवाल आये हैं कि राजस्थान के अन्दर जो शिक्षण संस्थायें हैं और जो ग्रान्ट इन एड लेती हैं उसका वे मिसयूज करती हैं और डबल अकाउन्ट मेन्टेन करती हैं और टीचर्स को पूरा पेमेन्ट नहीं करती हैं। तो जो डबल अकाउन्ट रखे जाते हैं तो उसमें उनकी तनख्वाह कुछ दिखाते हैं और देते कुछ हैं। अब बड़ी मुश्किल से केस पकड़ा गया है कि डबल अकाउन्ट्स रखे गये हैं और ओरिजिनल अकाउन्ट्स बुक ले आये हैं तो मैं समझता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र माननीय सदस्य के प्रति मंत्री महोदय को आभार प्रगट करना चाहिए। इसकी जांच कीजिए और आप यह कहें कि जब तक जांच नहीं होगी तब तक ग्रान्ट इन एड नहीं दी जायेगी। जब तक ऐसा एग्जाम्पलरी पनिशमेन्ट नहीं होगा तब तक इन शिक्षण संस्थाओं में सुधार कभी नहीं आयेगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट में ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह वाकय में जैसा कि माननीय सदस्य श्री सतीशचन्द्र जी ने कहा कि कई संस्थाओं को 75 परसेन्ट देते हैं और सेंटपरसेन्ट की भरपाई कराते हैं और ये लोग मदद इसलिए देते है कि वह चुनावों में मदद देते हैं ...

श्री अध्यक्ष : पर्याप्त है। भाषण नहीं दें।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कई संस्थायें ऐसा ही करती हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं सारी संस्थाओं पर नहीं चल रहा हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इसलिए इसमें सख्त कार्यवाही करनी चाहिए यह निवेदन ही मैं करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

Page No 72

राव श्री धीरसिंह (उप मंत्री शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर जो मुद्दे उठाये और एक आम शिकायत भी जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताई। शिक्षण संस्थाओं के बारे में अभी कुछ दिनों पहले मैंने प्रश्नोत्तर के समय जवाब दिया था कि यू० पी० में एक आर्डीनेन्स निकला है जिसमें प्रावधान सीधे निरीक्षक के द्वारा करने का किया है और वह हमारे विचाराधीन है और हम भी उस पर मनन करके शीघ्र ही इस प्रकार की दिक्कतों को दूर करने का निर्णय लेंगे जिससे कि आगे दिक्कतें न हो।

जहां तक जे. बी. हायर सैकेन्डरी, लाडनूं का सवाल है उसकी पहले ग्रान्ट इन एड बन्द करदी गयी थी और उसकी जांच करवाने के बाद जब इन्सपेक्टर ने रिपोर्ट दी तो उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि इसमें कोई ऐसी गम्भीर अनियमिततायें नहीं हैं इसलिए यह ग्रान्ट इन एड वापिस रिलीज करदी गई। अब इस प्रस्ताव में इन्होंने जो आडिट सम्बन्धी ऐतराज बताये हैं तो जितनी भी ग्रान्ट इन एड का पेमेन्ट होता है वह अकाउन्ट तस्दीक होने के बाद किया करते हैं। रिश्वत का आरोप लगाया है उसके लिए यदि आप निरीक्षक की रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं हों तो उसके बारे में डिप्टी डाइरेक्टर से जांच करा सकते हैं और आपके पास जो कागजात हैं वे भी आप दे दें और डिप्टी डाइरेक्टर जोधपुर को इन आरोपों के बारे में जांच करने के लिए आदेश दे दिये जायेंगे।

रांगफुल रिमूवल का जहां तक एक टीचर का सवाल बताया उसके लिए अपील पेन्डिग है और उसमें जल्दी ही निर्णय करने के लिए विभाग के अधिकारियों को आदेश दे दिये जायेंगे और भी कोई केसेज रांगफुल रिमूवल के इस कारण से कि उनको कम पैसा देकर ज्यादा पैसे के लिए दस्तखत कराये तो वह यहां भी बता दें उसके ऊपर काग्नीजेन्स लेकर कार्यवाही करली जायेगी और सारे मामले में अगर आप निरीक्षक की रिपोर्ट से जिसमें कि कोई आरोप होना प्रमाणित नहीं होता तो उसकी डिप्टी डाइरेक्टर जोधपुर से भी जांच कराली जायेगी और जो कागजात हैं वह आप हाउस में पेश करदें उनको भी कन्सीडर कर लिया जावेगा और डिप्टी डाइरेक्टर से जांच करा ली जायेगी।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैनेजमेन्ट अपने हाथ में ले लें। चाहे तो डिप्टी डाईरेक्टर को संभलायें या और किसी को जिसको भी आप उचित समझें संभलायें और उसके बाद में आप जांच करायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की शिकायत तो माननीय मंत्रीजी भी मानते हैं कि बराबर आती है लेकिन एक्चुअली इनको पकड़ना मुश्किल हो जायेगा तो यह तो एक आकस्मिक बात है कि इस स्कूल के बारे में इस प्रकार का जो डबल अकाउन्ट रखा जाता है वह पकड़ा गया है और वह आपके सामने पेश है इसलिए प्रिलिमिनेरी प्रूफ हो जाता है इसलिए गवर्नमेन्ट को इमीडियेटली इसी बेसिस पर माननीय अध्यक्ष जी आप अपने आप में संतोष कर लें और आप महसूस करते हैं कि अकाउन्ट बुक्स से ऐसा लगता है कि डबल अकाउन्ट्स हैं तो यह काफी बेसिस है इस स्कूल के मैनेजमेन्ट के खिलाफ एक्शन लेने के लिए

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कि न केवल उनकी ग्रान्ट ही बन्द नहीं की जाय बल्कि इस बेसिस पर कि मेनीपुलेटेड अकाउन्ट हैं, गवर्नमेन्ट इमीडियेटली इसको अपने हाथ में ले ले और फिर उसकी इन्क्वायरी शुरू कराई जाये और हाउस में इस प्रकार के अकाउन्ट्स पेश होने के बाद अगर गवर्नमेन्ट कहे कि किसी ऑफिसर से और जांच करायेंगे तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा और हाउस की डिग्निटी के भी उपयुक्त नहीं होगा। इस लिए यह अकाउन्ट बुक्स होना यहां पर काफी प्रिलिमिनेरी सबूत है, इस बेसिस पर कि गवर्नमेन्ट को एक्शन ले लेना चाहिए।

राव श्री धीरसिंह : अकाउन्ट बुक्स अगर जो प्रस्ताव दिया है उसी के साथ पेश कर दी जाती तो कन्सीडर कर लेते क्योंकि जो निरीक्षक की रिपोर्ट है उसमें बताया है कि कोई आरोप नहीं हैं तो इसको कन्क्लुजिव प्रूफ मानकर एक्शन ले लिया जाये तो उचित नहीं होगा। फिर इनकी जिनाइननेस को भी एग्जामिन करना पड़ेगा क्योंकि एक डाकूमेन्ट आप दे रहे हैं और यह उससे रिलेटेड है तो इसको कन्क्लुजिव प्रूफ मानकर मैनेजमेंट को भंग कर दें तो उचित नहीं होगा। इसके बारे में मैंने कह दिया कि डिप्टी डाईरेक्टर से जांच करा लेंगें और आपने हाउस में कागजात पेश कर दिये हैं तो उनको भी कन्सीडर कर लिया जायेगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैनेजमेंट भंग करके इन्सपेक्टर को संभलाने में क्या हर्ज है ? आपके डिपार्टमेंट का आदमी तनख्वाह देता रहेगा और उसको संभालता रहेगा। उसमें कौन सी बड़ी भारी बात है जिसको नहीं कर सकते ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। इस पर काफी हो चुका है।

माननीय मंत्री महोदय। अकाउन्ट्स तीनों पेश हुए हैं। इस सन्दर्भ में सही मुद्दा आपके पास आवे उसके लिये वापिस इन्क्वायरी करवा लीजिये।

राव श्री धीरसिंह: अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि डिप्टी डाइरेक्टर की नियुक्ति करके जिन्होंने अकाउन्ट्स पेश किये हैं उनको कान्फिडेन्स में लेकर दुबारा इन्क्वायरी करवा ली जावेगी।

श्री अध्यक्ष : दूसरा मुद्दा सामयिक हो तो उसको लेना चाहिये।

श्री हरजीराम बुरड़क : इन्स्पेक्टर को सम्भलाने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : डाक्युमेन्ट्स ओरिजिनल हैं और खराब हो जावेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : उनके पास जो रिकार्ड है उसको सीज करने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : दुबारा इन्क्वायरी करवा लेंगे।

श्री हरजीराम बुरड़क : इन्स्पेक्टर को सम्भलाने में क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : इन्स्पेक्टर की ही कर रहे हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः इसकी इन्क्वायरी कर लें.......

श्री रामानन्द अग्रवाल : फौरन सीज कर लें।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में आप यह एहतियात बरत लें।

राव श्री धीरसिंह : डिप्टी डाइरेक्टर जाकर कब्जे में लें लेंगे।

श्री अध्यक्ष : देवली कैम्प में तूफान से हुई क्षति के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय वक्तव्य देंगे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : स्कूल के बारे में जानकारी चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : वह चर्चा समाप्त हो चुकी है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : आप बहुत लेट रहते हैं ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। यू आर टू लेट।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सारे स्कूल समाप्त हो जायेंगे। 99 परसेन्ट स्कूलों का यह सवाल है।

श्री अध्यक्ष : भाषण चर्चा सब समाप्त हुए।

माननीय मंत्री महोदय।

शासकीय वक्तव्य

(देवली कैम्प में तूफान से मकान गिरने एवं उनकी चद्दरें उड़ने से हुई हानि सम्बन्धी)

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री पुनर्वास): स्थगन प्रस्ताव देवली के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना इस प्रकार है।

"पूर्वी पाकिस्तान से आये 1,000 विस्थापित परिवारों को भारत सरकार के आग्रह पर देवली कैम्प जो कि एक ट्रांजिट कैम्प है, में अस्थायी रूप से तम्बुओं में ठहराया गया है। इन विस्थापित परिवारों को बसाने के उद्देश्य से 1,000 अस्थायी कच्चे मकान बनाने के लिए भारत सरकार से 9,77,254) रुपये की स्वीकृति माह नवम्बर, 1970 में प्राप्त हुई है। इन अस्थायी कच्चे मकानों के लिए स्पेसिफिकेशन भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए है और उन्हीं स्पेसिफिकेशन के अनुसार इन मकानों के निर्माण हेतु राज्य सरकार ने 10,23,166) रु. की स्वीकृति प्रदान की। जिसमें सुपरविजन चार्जेज 11.75 परसेन्ट सम्मिलित किए हैं। उक्त राशि के अलावा इन मकानों के लिये लोहे की चद्दरे जिनकी कि कीमत 2,34,300) रु. है, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी हैं।

कार्य 4 माह में पूर्ण करवाने के लिए यह कार्य मुख्य अभियन्ता महोदय ने दो ठेकेदारों के टेन्डर स्वीकार कर 500-500 अस्थायी मकानों के लिए कार्य सौंपा।

कमाण्डेन्ट देवली की रिपोर्ट के अनुसार करीब 420 अस्थायी कच्चे मकान तैयार हो जाने पर 313 परिवारों को इन

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

अस्थायी कच्चे मकानों में तम्बुओं में से कमाण्डेन्ट देवली ने स्थानान्तरित किये। दिनांक 16-5-71 को रात्रि के 8 बजे 80-90 कि. मी. की गति से विशेष तूफान आने के कारण 52 ब्लाकों के 72 क्वार्टरों में नुकसान हुआ, 42 ब्लाकों के ब्लाक नं. डी. 10 व जी 2 की छतें मय टीन व बल्लियों के पीछे की तरफ गिर गयी जिसके कारण 28 व्यक्तियों के मामूली चोटें आयी हैं। एक बच्ची उम्र 4 वर्ष का देहान्त हो गया। जो ब्लॉक आबाद नहीं थे उनमें से 6 ब्लॉक यानी 60 क्वार्टरों की छतों की टीने व बल्लियां उड़ कर दूसरी तरफ गिर गयी इसी तरह कुछ और ब्लॉकों में भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। जिन ब्लॉकों में टीन की छत उड़ गयी है उनमें रहने वालों को वहां से हटा कर पुन: तम्बुओं में रखा जा रहा है। मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग की रिपोर्ट के अनुसार क्षतिग्रस्त क्वार्टरों की मरम्मत का कार्य दिनांक 18-5-71 से शुरू कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : बहुत संक्षेप में।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मै माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि मामूली चोटें आयी और एक बच्ची मर गयी। 313 परिवार बसाये, टीनें उड़ गयी। क्या यह भी मुख्य अभियन्ता ने जॉच की कि टीनें वगैरा किस प्रकार लगायी गयी, उनका ध्यान रखा या नहीं कि राजस्थान में आंधी आती ही रहती है, टिनें उड़ती है, विशेष व्यवस्था न करके टिनें लगायी, दस लाख रुपया खर्च किया। जिन परिवारों को बसाया वे अस्थायी नहीं स्थायी तौर पर रह सकें उनके लिए क्या व्यवस्था की गई ?

श्री अध्यक्ष : श्री गाड़िया !

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने यह बताया कि आंधी और तूफान बंगाल से आये विस्थापितों के लिए क्वार्टर्स बनाये गये वे क्षतिग्रस्त हुए और खर्चा आदि जो हुआ उसके सम्बन्ध में उन्होंने यहां विवरण दिया। मैं माननीय मन्त्री महोदय, यह पूछना चाहूंगा कि आपने सौ बैरक बनायी एक एक में दस दस क्वार्टर बने, एक हजार कुल क्वार्टर्स बनाये। और एक हजार प्रति क्वार्टर पर आपने खर्चा किया। इस प्रकार दस लाख रुपये खर्च हुए। आर. एस. अग्रवाल और श्री राम गोटे वाले को आपने, इन दोनों ठेकेदारों को ठेका दिया। आपने यह भी जानकारी दी है कि ये जो क्वार्टर बने है, वे आंधी और तूफान के कारण टूट गये। अध्यक्ष महोदय इस प्रकार दोवार गिरने से, छत गिरने से 29 बंगाली विस्थापित घायल हुए और एक बच्ची को मृत्यु हो गयी। आपने क्या यह जांच की कि ये दीवारें क्यों गिरी। ये दीवारे गिरीं उनका मूल कारण यह है कि उन दीवारों में जो सीमेन्ट का रेश्यो और बजरी मिलनी चाहिए, चूने का उपयोग किया जाना चाहिये था उसका उपयोग नहीं किया गया है किन्तु उसके अन्दर मिट्टी का उपयोग किया गया। अध्यक्ष महोदय, 21 तारीख को मैं स्वयं देवली में गया हूं और वहां जाकर मैंने देखा है....

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं होगा माननीय सदस्य। आप तो भाषण पर आगये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : भाषण नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैं स्वयं वहां गया था और मैंने उन बेरेक्स को देखा। उनकी दीवारों में मिट्टी का उपयोग किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जिस ठेकेदार ने सीमेन्ट और मिट्टी का उपयोग किया है उसकी

(1.27 म. प.)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

जांच करायें और जांच कराने से पता चलेगा कि इस कारण से दीवारें कमजोर थीं क्योंकि सीमेन्ट को पूरा उपयोग नहीं किया गया। मैं चाहूंगा कि दस लाख रुपया निर्माण में लगा है और सीमेन्ट में मिट्टी का उपयोग किया है और जिस आधार पर स्पेसिफिकेशन्स टेन्डर में थे, उन सब की जांच होनी चाहिये। मिट्टी और सीमेन्ट मिली हुई थी इसका नमूना मैं लेकर आया हूं जो मैं सदन की मेज पर रखता हूं और इसकी जांच करायेंगे तो पता चलेगा कि बहुत बड़ा स्केण्डल है। इतना ही नहीं मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि बरसात हुई तो सौ बैरक और 1 हजार क्वार्टर्स सारे के सारे गिरेंगे, सीम आवेगी, आंधी और तूफान आवेंगे, एक भी चद्दर और क्वार्टर बचने वाले नहीं हैं।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, आपने यह जो कहा कि 342 व्यक्तियों को उन बैरक में रहने दिया गया है। एक ओर पी. डब्ल्यू. डी. विभाग के व्यक्ति यह कहते हैं कि हमने ठेकेदार से टेक ओवर नहीं किया है तो क्यों वहां भेजा गया और क्यों सिफ्ट किया? और आपने इसकी जांच क्यों नहीं कराई?

दूसरा प्रश्न यह है कि जब से यह बंगाल के विस्थापित यहां देवली कैम्प में आये हैं, तब से दैवी प्रकोप के कारण, भूख के कारण, प्यास के कारण, बीमारी के कारण, कड़कड़ाती सर्दी के कारण 137 व्यक्ति अब तक मरे हैं। मैंने इस सदन में एक प्रश्न रखा था, उसके उत्तर में आपने कहा था कि तेरह-चौदह व्यक्ति मरे हैं, लेकिन आज इस सदन में कहा है कि 137 मरे हैं जिनमें आदमी भी है और बच्चे भी हैं बच्चे इसमें ज्यादा मरे हैं। इस प्रकार से बंगाल के विस्थापितों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, मैं मन्त्री जी से जानना चाहूंगा, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से बराबर मांग आ रही है कि जितने भी टेन्ट्स देवली कैम्प में हैं उन्हें तुरन्त दिल्ली भेज दिया जाय, ताकि तुरन्त उन्हें बंगाल भेजा जा सके। मन्त्री महोदय, यह टेन्ट्स, जिनमें विस्थापितों को बसा रखा है, वह यदि वहां चले गये तो जो बैरक्स वहां हैं वह इन्सान के रहने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इनका निर्माण ठीक नहीं होने के कारण, स्केण्डल होने के कारण जो विस्थापित इन बैरक्स में रखे जायेंगे और टेन्ट्स को बंगाल में भेज दिया जायगा, तो शनैः शनैः विस्थापित बरसात के दिन में मरेंगे क्योंकि यह गिरेंगे। मेरा निवेदन है कि इनकी नींव कितनी खुदी हुई है-इसकी

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

आप जांच करावें। नींव वह डेढ़ दो फीट मुश्किल से हैं। आगे की हवा यदि आये, तो आप अन्दाज लगाइये, जिन मकानों की नींव डेढ़ दो फीट की है वह मकान उसके आगे ठहर सकते हैं, जिन मकानों में मिटटी का उपयोग किया गया है, वह हवा के आगे ठहर नहीं सकते हैं। सभापति महोदय, उस चीज की रोकथाम के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वहां जो दीवार में पत्थर लगाये गये है, उनको हिलाया तो मिट्टी का उसमें समावेश होने के कारण वह जरा सा धक्का सहन नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बंगाल से जो लोग आ रहे हैं, जो लाखों की संख्या में आ गये हैं, उनके रहने के लिए यह टेन्ट्स देवली से मंगाये जा रहे हैं, मेरी जानकारी है कि कुछ अर्से के अन्दर शीघ्र ही वह आने वाले हैं, वह यदि चले गये तो देवली कैम्प में जो बंगाली विस्थापित रह रहे हैं मकानों में, उनकी दीवार ऐसी है जो हवा और पानी के जरा से झोंके से टूट जायेंगी तो क्या उन व्यक्तियों को आप परमात्मा के भरोसे छोड़ेंगे। उनको इन कमजोर मकानों के भरोसे छोड़ दिया तो वह निश्चित रूप से जल्दी मरेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है पुरजोर शब्दों में कि यह टेन्ट्स तब तक नहीं भेजे जायें जब तक बैरक्स मजबूत नहीं बन जायें और उनके टूटने की रोक थाम नहीं हो जाय, नये जो मकान बने हैं उनकी जांच न हो जायें। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मन्त्री महोदय आज प्रस्थान करें या कल जायें, लेकिन जाकर ठेकेदार ने जो सामान लगाया है उसकी चेकिंग करायें तो इसमें हजारों नहीं तो लाखों रुपये का घोटाला निकलेगा। यही मेरा निवेदन है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए पहले यह बता दूं कि मैं और माननीय पी.डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर देवली कैम्प का निरीक्षण कर आये हैं। जैसे ही सूचना मिली कि देवली कैम्प के अन्दर कुछ बैरक्स की छत उड़ गई है और लोगों के चोट आई है तो उसी दिन यहां से जानकर जो देवली कैम्प में बने हैं उन सभी के अन्दर जा जा कर, घूम घूम कर निरीक्षण हमने किया है और मौके की स्थिति को देखा है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बता दूं कि ब्लाक्स के क्वार्टरों की छत उड़ी है, वह हैं जो चौड़े मैदान में है, तीन दीवारें चौड़े में है और नार्थ में मुख देखता है, तो क्योंकि यह चौड़े में थे, इसलिए हवा का वेग तेजी के साथ उनमें घुस सकता था। इसलिए यह छत उड़ी है यह 72 क्वार्टरों की छत उड़ी है। मैं जानकारी के लिए कह दूं कि ब्लाक्स के पिलर्स हैं वह भी डेमेज हुए हैं, और उनके अन्दर जो लोहे की छड़े हैं, उनके अन्दर बोल्ट भी कस रखे थे, वह भी लटके हुए थे— उनको हमने देखा, इसलिए माननीय सदस्य का कहना है कि वह क्वार्टर हैं, वह रद्दी तरीके से बने हैं–यह मान्यता उनको देखने से सत्य प्रतीत नहीं हुई। परन्तु 16 तारीख को भीषण तूफान आया था, उस भीषण तूफान के कारण जो चौडे में क्वार्टर बने हुए थे, जिनके टीन की छतें थीं, उन टीन की चद्दरों के नीचे हवा भर जाने की वजह से वह टीन उलट गई और उलट जाने की वजह से जो ऊपर दीवार थी, ऐसा क्वार्टर कोई नहीं था, जिसकी दीवार गिरी हुई हो तो टीन गिरने से ऐसा हुआ है–यह देखा

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
है। उसके बाद जो रिफ्यूजी हैं, वह दिखाने के लिए जाते हैं, उन्होंने भी हमें यह जानकारी दी है...

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह गलत बात है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैं बता दूं, पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब थे, कलेक्टर थे, सभी लोग थे। ऐसी बात नहीं है, ठेकेदार ने बनाये हों, किसी ने बनाये हों, अगर उनमें त्रुटि है तो उसको छिपाने की मन्शा नहीं है। हम छिपाना चाहते तो उसकी इन्क्वायरी नहीं कराना चाहते, उसकी कोई जांच नहीं कराना चाहते, लेकिन हमने कहा है, इस बारे में अपनी ओर से पी डब्ल्यू. डी. से इस मामले में विभागीय जांच करा लेंगे और किसी प्रकार की त्रुटि हो और उस त्रुटि के लिए जो भी जिम्मेदार होगा, उसके खिलाफ हम कार्यवाही करके सजा देंगे, अगर उसने दोष किया है। यह पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर ने कार्यवाही की है, यह वहां मौजूद थे।

साथ में कहा कि प्रश्न के उत्तर में 137 के सर्दी से मरने की बात कह दी है। मैं आपकी जानकारी के लिए कह देना चाहता हूं कि देवली कैम्प में 137 अभी तक मरे हैं-यह मानता हूं। लेकिन यह भ्रम बनाया जा रहा है कि 137 सर्दी की वजह से मरे हैं, तो न सर्दी की वजह से मरे हैं, और न इस प्रकार मरने की स्थिति सामने आई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कितने मरे हैं वहां सर्दी से ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : मैंने यह कहा है, सब कारणों से मरे हैं।

मैं निवेदन करूं कि बीमारी लेकर आया था वह पहला बैच आया था, उसमें कम मरे हैं और दूसरा बैच आया उसमें ज्यादा मरे हैं। 28 को चोट की बात है, मामूली सी मैंने स्वयं ने देखा है। लड़के के माता-पिता दोनों को बुलाया था, और मिनिस्टर फण्ड से लड़के के माता-पिता को पांच सौ रुपये इस बात के लिए दिये क्योंकि उनका बहुत नुकसान हुआ है। यह घोषणा वहां की थी कि पांच सौ रुपये दे दिये जायेंगे क्योंकि काफी नुकसान हुआ है, क्वार्टर डेमेज हो गया, बरतन डेमेज हुए और कपड़े डेमेज हुए। उस पर बीमारी का पहले ही भार है, वह अपना इससे काम चला सकेगा। इसलिए पांच सौ रुपये भी दिये थे। उनको जो दुःख हुआ उसका हर एक को दुःख हैं। एक व्यक्ति और था जिसके मामूली चोट थीं, उस वक्त उसकी ड्रेसिंग हो रही थी, उसको मैंने देखा है, हर एक को देखा है।

टेन्ट्स के जाने का सवाल हैं, तो मौके पर हमने आदेश दे दिये हैं। जितने बंगाली विस्थापित रोज आते हैं, माननीय सदस्य को मालूम है कि बंगाल से लाखों विस्थापित आ चुके हैं, उनको बसाने की भारत सरकार को जिम्मेदारी है। उनको टेन्ट में रखा जाय, इसके लिए भारत सरकार ने दस लाख रुपये देकर एक हजार क्वार्टर तैयार करा दिये, उनमें से कुछ क्वार्टर तैयार हो गये हैं उनमें खिड़की किवाड़ लग गई हैं। जब बंगाली विस्थापितों के लिए उन्होंने टैण्ट भेजने को कहा कि टैण्ट उन लोगों के

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

लिए भेजने के लिए तैयारी कर दें क्योंकि वह चोड़े में पड़े हुए हैं। लेकिन यहां प्रकृति का प्रकोप आ गया हमारे ऊपर भीषण तूफान की वजह से कष्ट आ गया, तो मैंने मौके पर आदेश दिये हैं कि बगाली विस्थापितों के लिए इन टेन्ट को वापिस लगा दिया जाय और वापिस नहीं भेजे जायें जब तक कि यह तसल्ली न कर लें कि इन क्वार्टर में बंगाली विस्थापितों को बसाया जाय या नहीं, इनमें त्रुटि है या नहीं। इसलिए हमने वैसे टेन्ट वापिस भेजने व लगाने की बात कर दी है जिनमें से कुछ तम्बू लग भी गये हैं, काफी लग रहे हैं। इसलिए जब तक पूरा वहां विश्वास नहीं कर लेंगे तब तक इन तम्बुओं को वापिस बंगाल में नहीं भिजवायेंगे क्योंकि यह बंगाली विस्थापित एक मेहमान की तरह यहां आये हुए हैं उनको सुविधापूर्वक और अच्छी प्रकार से रखने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और वह हम निभायेंगे।

उन्होंने यह कहा है कि वहां पर बहुत अधिक काम तीन ठेकेदारों को दिया इन ठेकेदारों में किसी एक ठेकेदार का सवाल नहीं है। जैसा मैंने शुरू शुरू में स्टेटमेंट में कहा है। कच्ची हट्स बनाने की बात है वह भारत सरकार के आग्रह पर की गई है। हमने भारत सरकार से कहा था, किन्तु भारत सरकार ने कहा इस प्रकार कच्ची हट्स बनाने की स्वीकृति दे सकते हैं। उस आधार पर क्वाटर्स के लिये स्वीकृति दी है। कुछ सुपरवाइजरी के काम के चार्ज देने की बात की है और वह स्वीकृति दे दी। वह कच्ची हट्स तैयार हो गई। वे पुरुषार्थी सर्दी, बरसात में तंग हो रहे थे। राजस्थान में जिस प्रकार की बरसात आती है और देवली का जैसा क्लाइमेट है उससे आप भी परिचित हैं। इसलिये कच्ची हट्स बनाने की बात है। दैवी प्रकोप से ऐसा हो गया इसलिये यह कहना ठीक नहीं रहेगा। मैं समझता हूं माननीय सदस्य की धारणा निराधार है। कभी कोई बात हो गई तो जांच करा ली जायगी और उसे दूर करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय सभापति महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने जो स्पष्टीकरण किया और हट्स के बारे में कहा मैं एक बात पूछना चाहूंगा। आपने यह कहा जो पिलर उखड़े और जो तार व वोल्ट थे, आंधी आई और उखड़ गये जैसी आपकी रिपोर्ट है, इसका क्या कारण है? गहराई में जाकर जांच की? यह सेम्पिल जिसको मैं लाया हूं, उसकी दीवार में से लाया हूं। आप इस सेम्पिल को लेकर जितनी हट्स बनी हैं, जिन पर 10 लाख रुपया खर्च हुआ है। आपके कलक्टर और तकनीकी विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाकर और उचित समझें तो इस सदन के एक दो माननीय सदस्यों को भी सम्मिलित करें। और यह स्पष्ट दिखाई देगा और यह पता लग जायगा कि इन हट्स के अन्दर बरसात की मौसम में क्या हाल होगा। आज तो एक बच्ची मरी है और 29 अन्य आदमी घायल हुये हैं। बरसात में इन सारी हट्स में सील आयेगी और यह सब बैठ जायगी क्योंकि इनकी नींव कमजोर है। एक फीट, डेढ़ फीट नींव कोई कीमत नहीं रखती है। इसलिये मेरा निवेदन है एक कमेटी नियुक्त करके जांच करवाई जाय और जो कमेटी रिपोर्ट

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
दे, उसको आप भेज दें—एक प्रश्न तो यह है। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है जब तक पी० डब्ल्यू० डी०....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन हट्स को, हैंड ओवर नहीं करें और वे टेक ओवर न करें तब तक आपने किन कारणों से उनको वहां भेजा ? क्या पी. डबल्यू. डी. के अधिकारियों ने यह लिख कर दे दिया था कि ये हट्स उपयुक्त हैं और नहीं दिया तो फिर किस आधार पर भेज दिया ? इसलिये मेरा निवेदन है पी. डब्ल्यू. डी. टेक ओवर नहीं करें, अधिकारी अपनी रिपोर्ट नहीं करें जब तक न भेजा जाय और पी. डब्ल्यू. डी. की रिपोर्ट के बिना भेजा है तो इसकी जांच करायें।

श्री जगन्नाथ पटेल (टोड़ा रायसिंह): सभापति महोदय जी, इसमें मेरा भी एक प्रस्ताव है। सभापति महोदय जी राज्य की प्रगति में फर्क है। मेरा निवेदन है कि राज्य जो प्रगतिशील काम करता है इससे राज्य को बहुत बड़ी भारी प्रगति होती है। राज्य की प्रगति जबरदस्त होने से ही यह होता है। सभापति महोदय जी इसकी रिपोर्ट मैं राज्य सरकार को दूं, क्योंकि यह मेरे क्षेत्र के अन्दर है जो शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये हैं। मैंने राज्य सरकार को निवेदन कर दिया था क्योंकि 16 मई को उस रोज मैं वहीं पर था लेकिन ईश्वर को मरजी हुई मेरे एक बच्चे के सांस हुआ इसलिये नहीं जा सका और यहां आकर इलाज किया। अब वह बच्चा ठीक है। इसलिये मुख्य मन्त्री जी को रिपोर्ट दी और यहां अध्यक्ष महोदय को इत्तला दी कि देवली में ऐसा प्रकोप हो गया है। चद्दरें उखड़ गई, एक बच्ची मर गई 29 आदमी घायल हो गये। मैंने मंत्री महोदय को निवेदन नहीं किया। मुख्य मंत्री जी को निवेदन करके गया। 19 तारीख को मंत्री जी वहां पधारे थे और कलेक्टर, एस. पी. के जरिये वहां पहुंचे और मौका देखा। उस समय मेरे विचार में आया कि राज्य में प्रगति बड़ी होती है....

(मा० रामकिशन जी के व्यवधान करने पर)

पं. जी आप ज्ञानी शख्स हैं। मेरे में ज्ञान नहीं है। मुझे भी निवेदन करने दीजिये आपकी मरजी आये तो आप भी कहना—आपका फर्ज है विरोध करने का और मेरा फर्ज है साथ देने का—तो सभापति महोदय जी वहां जाकर उन दीवारों को देखा जो चादर है जिनका मुंह उत्तर की तरफ है और वह एक बड़ी ऐसी लगी हुई है जिसका मुंह उत्तर में था, उस पर बोल्ट रखे थे सीमेन्ट थी और नट कसे हुये थे। लेकिन प्रकृति ऐसी होती है सभापति महोदय जी जो उड़ाकर नीचे ला देती है। यह हवा का इतना असर हुआ है। आप इस सदन के ज्ञानी शख्स हैं सभापति महोदय जी। आप खूब पेपर्स पढ़ते हैं। ऐसा प्रकोप हुआ 25 आदमी घायल हो गये। आप ज्ञानी शख्स हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, न तो कोई ठेकेदार का दोष है और न कोई दोष, मंत्री महोदय का। इसमें पी. डब्ल्यू. डी. का भी दोष नहीं है। थोड़ा निवेदन कर दूं यह जो शरणार्थी गये हैं, यह बिना किसी इजाजत से गये हैं, अपने आप ही उन क्वार्टर्स में आये हैं पी. डब्ल्यू डी. ने अपने ठेकेदारों से कोई

(श्री जगन्नाथ पटेल)

चार्ज नहीं लिया और अच्छी तरह सम्भाला नहीं। इसलिये पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर का कोई कसूर नहीं है। वह तो ईश्वर के प्रकोप से हुआ है। यही मेरा निवेदन है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदय, मैं तो एक ही प्रश्न मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं और वह यह पूछना चाहता हूं क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है कि विस्थापितों की तादाद इन कैम्पों में और भी निकट भविष्य में बढ़ेगी ?

श्री जयकिशन शर्मा : अभी तक कोई सूचना ऐसी है नहीं। माननीय सदस्य ने एक बात कही टेक ओवर और हैण्ड ओवर की। पी. डब्ल्यू. डी. के कैम्प कमान्डेन्ट को यह क्वार्टर हैन्ड ओवर नहीं किये थे। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये कह दूं कि कैम्प कमान्डेन्ट ने जैसा कहा देवली से लगातार तार आ रहे हैं इन टेन्ट्स की कलकत्ता में जरूरत है-क्वार्टर तैयार हो गये। उन्होंने कहा 42 तैयार हो गये और भी तैयार कर रहे हैं। शरणार्थियों को पूर्णतया उनमें लाया जा सकता है। किसी बात पर दोनों के बीच में आदान प्रदान हुआ और उस आधार पर 43 परिवारों को वहां लाया गया, बिना पूछे बसा दिया गया, यह बात नहीं है। कैम्प कमान्डेन्ट ने उन परिवारों को वहां पर बसाया था। जैसा मैंने कहा हम भी गये थे और जो भी वहां पर मेटेरियल था, उसका नमूना भी लाये हैं। पी. डबल्यू. डी. मिनिस्टर साहब भी वहां गये थे। मैं आपको विश्वास दिलाऊं पूर्णतया जानकारी कर रहे हैं और पूर्णतया जानकारी करने के बाद और लोगों को बसायेंगे और जो कुछ आपने कहा है उस पर ध्यान रखा जायगा। मैं फिर भी यह कह दूं बहुत कुछ देखने के बाद यह बात नहीं है। कहां सीमेन्ट लगनी चाहिये थी और कहां चूना लगना चाहिये था। अगर आप कहें कि नीचे की दिवारों में चूना था तो यह तो चूने से ही बनने के लिये थी। खंभे कितनी सीमेन्ट से बनने चाहिये, एक कच्ची हट के लिये, उसकी दिवारों के लिये कहें कि सीमेन्ट से चुनी जानी चाहिये या चूने से चुनी जानी चाहिये—यह तो कोई बात भी हो। इसमें भी जो पी. डब्ल्यू. डी. के टेन्डर स्वीकृत हुये हैं उसमें सब कुछ लिखा हुआ है किस जगह सीमेन्ट होनी चाहिये और किस जगह चूना होना चाहिये, किस जगह लोहे की छड़ें होनी चाहिये—यह सब कुछ उसमें है और उसकी विभागीय जांच के लिए पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब कार्यवाही कर रहे हैं। उनको मैं अपनी ओर से निवेदन करूंगा कि वे इसकी टेक्निकल आदमी से जानकारी करवा लेंगे जैसा कि मैंने शुरू में कहा और आप विश्वास रखें कि उसी आधार पर यह काम किया जायगा और जब तक यह विश्वास नहीं हो जायगा कि क्वार्टर्स आबाद करने के काबिल हैं तब तक किसी को बसाया नहीं जायगा।

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971 पर विचार

श्री सभापति : विनियोग विधेयक पर विचार। श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने…

श्री सभापति : इस विधेयक पर राज्य सरकार की ओर से साढ़े तीन बजे उत्तर दिया जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : थोड़ा समय शायद बढ़ाना पड़े।

श्री सभापति : मैं अभी नहीं कह सकता कि समय बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन अभी तो समय सीमा के बारे में ध्यान रखें। समय निर्धारित तो करना मैं नहीं चाहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : कृपा करके जो बोलना चाहें उन्हें फर्मा दें कि इससे अधिक न बोलें तभी तो साढ़े तीन बजे तक हो सकेगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य 15 मिनिट से अधिक नहीं लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, 15 मिनिट में तो मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री सभापति : ऐसा है कि इस एप्रोप्रियेशन बिल पर जो डिबेट हो रही है उसमें 15 सम्माननीय सदस्य तो भाग ले चुके हैं और जो समय डेढ़, पौने दो घन्टे का है इसमें लगभग 6-7 सदस्य और बोल चुकेंगे। साढ़े तीन के बजाय पौने चार हो सकता है लेकिन साढ़े तीन का साढ़ेचार मानकर चलें तो सुविधा नहीं होगी। समय के बारे में स्वयं ध्यान रखें। साधारणतया 15 मिनिट में भाषण समाप्त हो जाना चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : रामानन्दजी को कितना दे रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : 15 मिनिट मेरे लिए एप्रोप्रियेशन बिल पर आप स्वयं महसूस करेंगे कि बोलना इसके साथ में मेरे से न्याय नहीं हो सकेगा।

श्री रामकिशन : दो ही पार्टियां तो रह गई हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं कोशिश करूंगा....

श्री सभापति : आप प्रयत्न करें समाप्त करने का। महत्वपूर्ण मुद्दा आयेगा तो समय के बारे में विचार कर लूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं आधा घन्टे में खत्म करने का प्रयत्न करूंगा। सभापति महोदय,....

श्री मदनसिंह : (श्री रामकिशन से) आपकी पार्टी तो दलदल हो गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो विनियोग विधेयक इस सदन के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया गया है, इस सदन में पिछले एक महीने से अधिक समय तक बजट पर आमतौर पर बहस हुई और मांगों पर भी बहस हुई, और उस पर गवर्नमेंट की तरफ से उत्तर दिया गया, इन सबसे एक ही नतीजा सामने आया। वित्त मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया उसमें माननीय सदस्यों की ओर से जो कुछ संशोधन करने के सम्बन्ध में कटमोशन्स मूव किये या नीतियों के प्रश्न उठाये उन पर सरकार ने जो जवाब दिया है उससे एक ही नतीजे पर पहुंचा हूं कि अभी तक न तो इस बेकग्राउन्ड में कि यह बजट इस मिड-टर्म इलेक्शन के बाद पेश हुआ है, जिस मिड-टर्म इलेक्शन में कांग्रेस दल की तरफ से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नीतियों के सम्बन्ध में घोषणायें की गई थीं और यह आशा की जाती थी कि उन घोषणाओं को कार्यरूप में परिणत करने कि दिशा में गवर्नमेंट अपनी नीतियों का दिग्दर्शन इस बजट के जरिये करवायेगी, तो न तो बजट इस प्रकार से पेश किया गया और न ही जो सरकार ने विचार व्यक्त किये बार-बार कटमोशन्स या डिमाण्ड की बहस में उस तरह की कोई तैयारी दिखाई।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात यह थी कि जो बजट राज्य का सामान्य प्रशासन चलाने के लिए वित्त मंत्री जी यहां बजट पेश करदें वह कोई नई बात या महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस बात को सरकार ने स्वयं ने महसूस किया कि हमारी इन नीतियों का अधिक से अधिक लाभ उन उच्च वर्ग को मिला है, हमारे जो भी विकास कार्य हुए हैं उनका फायदा एक छोटी सी जनसंख्या को मिला है और अधिकतर वे लोग जो धनी हैं वे ज्यादा धनी हुए हैं चाहे वे किसी क्षेत्र में हों चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हों और गरीब ज्यादा गरीब हुआ है, उन नीतियों में बुनियादी परिवर्तन करके गरीबी को खत्म करने की दिशा में कदम उठा सके, यानी सरकार के बजट में उस दिशा में बढाने के लिए इस प्रकार के तथ्य, इस प्रकार के कदम सामने आते जिसमें कि सरकार अपने आमदनी के स्रोतों को इस प्रकार से बढ़ाने का प्रयत्न करती कि जिनकी एफोर्डिङ्ग केपेसिटी है उन लोगों से ज्यादा साधन उपलब्ध करने का प्रयत्न किया जाता, या नॉन-टेक्स रेवेन्यू को ज्यादा बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता, और जो तबका एफोर्ड नहीं कर सकता; जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है उसको राहत देने के कदम उठाये जाते तो हम समझते कि राज्य सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन करने कि दिशा में जागरूक है और आगे बढ़ रही है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्थिति तो सामने यह नजर आई कि राज्य सरकार ने इस मामले में जो कदम उठाये या जिस स्थिति में पिछले वर्ष थी और इस साल जो बजट पेश किया है किन्हीं मायनों में उससे भी पीछे हट रही है। मैं यह नहीं मानता कि राज्य सरकार जिस आर्थिक संकट में आज है जिसका सकेत इस बजट में किया गया है, जिस क्रानिक डेफिसिट बजट के शिकार हम लगातार चले आ रहे हैं उसमें कोई मूल परिवर्तन करने की दिशा में कदम नहीं उठाया जा सकता, ऐसी बात मैं नहीं मानता। मैं समझता था कि सरकार इस सम्बन्ध में इस प्रकार के कदम उठायेगी कि जिससे नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढे, जिससे कि हमारी आमदनी के स्रोत बढें, जिसमें कि जिनकी बड़ी केपेसिटी है उन लोगों पर टैक्स लगाया जाय। मैं उदाहरण के तौर पर कहूं कि हमारे यहां पर अरबन लैण्ड टैक्स लगा हुआ है। पिछले साल बजट के मौके पर वित्त मंत्री जी ने घोषणा की थी कि पिछले 5 वर्ष में जब से यह एक्ट बना हुआ है सन् 65 से एक्ट बना हुआ है—तब से टैक्स वसूल किया जाना चाहिये था। गवर्नमेंट ने खुदने इसकी आमदनी 25 लाख रुपये आंकी थी तो पिछले वर्ष वित्त मन्त्री जी ने जिनमें 5 वर्ष का पिछला टैक्स था रूल्स नहीं बनाये तो उनको एग्जेम्प्ट करने की घोषणा कर दी, लेकिन यह कहा कि इस वर्ष 70-71 में इस टैक्स को एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे और उसकी वसूली करने का 25 लाख

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रुपये का प्रावधान था, और 70-71 की घोषणा के बावजूद भी कोई कदम नहीं उठाये गये हैं और इस साल भी कोई वसूली नहीं की जायगी क्योंकि अब 1971-72 का जो बजट आपने पेश किया है उसमें उसके अन्दर उसको वसूली का कोई भी प्रावधान नहीं हुआ है। इससे साफ तौर से जाहिर होता है कि विशिष्ट लोगों को, लैण्डलाड वर्ग को, प्रोपर्टी वर्ग को—इस सदन के बड़े आग्रह के बाद आपको टैक्स लगाने के लिये मजबूर होना पड़ा था—आप अपने प्रशासनिक तरीके से उसको कोल्ड स्टोरेज में रखते जा रहे हैं। आज तक आमदनो करीब सवा करोड़, डेढ़ करोड़ हो जानी चाहिए थी और अगर आपकी इच्छा ही होती तो उसके अन्दर टैक्सेज का जो परसेन्टेज है वह और बढ़ाया जा सकता है। प्रोपर्टी, लोगों की आमदनी पर यह टैक्स लगाया जा सकता है वह कदम आपने नहीं उठाया है। इसका साफ मतलब है कि आपने न केवल जो अपनी घोषणाएं मिड-टर्म पोल में की थी, प्रोपर्टी पर टैक्स लगाने की, उस तरफ आप नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि वित्त मंत्री महोदय जो आपका एग्जीस्टेन्ट लॉ है उसके विपरीत भी आप इन तबकों को लगातार छूट देते चले जा रहे हैं। सभापति महोदय, इस प्रकार से आज जरूरत इस बात की है कि आप नॉन-टैक्स रैवेन्यू को बढ़ाते। रोडवेज के नेशनेलाइजेशन का प्रश्न है, मैं समझता हूं कि वह बड़ा महत्वपूर्ण है। जबकि गुजरात जो हमारा पड़ोसी राज्य है और वहां पर कांग्रेस (ओ.) की सरकार है जिसको हम रीएक्शनरी और वेस्टेड इन्टरेस्ट की तरफदारी करने वाली सरकार कहते हैं उस गवर्नमेन्ट ने अपनी स्टेट के अन्दर आज से दो वर्ष पहले 93 परसेन्ट रोड्स का नेशनेलाइजेशन कर दिया है और हमारे राजस्थान में आज तक केवल 7 परसेन्ट ही नेशनलाइजेशन किया गया है। यहां पर कितना बड़ा स्कोप है लेकिन जो वेस्टेड इन्टरेस्ट है प्राईवेट रोड ट्रान्सपोर्ट के, चाहे वे उदयपुर डिवीजन के हों, जोधपुर डिवीजन के हों और चाहे बीकानेर डिवीजन के हों और चाहे जयपुर-अजमेर डिवीजन में हों, मैं समझता हूं कि उनके दबाव के कारण इस दिशा में कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहां एक छोटी सी स्टेट जो हरियाणा है और अभी अस्तित्व में आई है आज वह स्टेट काफी आमदनी में है, इसी वजह से जा रही है और जनता को काफी सुविधा मिल रही है। आज आप अपनी घोषित नीतियों जिनसे आप कमीटेड हैं इस तरह से रोड्स का नेशनलाइजेशन करने के लिये उस ओर आपने कदम नहीं बढाया है और इसके लिये जो केपिटल बजट में आपने प्रोवाइड की वह नामीनल 5 लाख रुपया आपने प्रोवाइड किया है जिसका मतलब साफ है कि आपका इरादा इसके लिये कुछ भी करने का नहीं है।

सभापति महोदय, इसी प्रकार मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर आज राजस्थान में आपको आमदनी बढ़ाना है और आपको आमदनी का कोई स्रोत बहुत बड़ा स्रोत ढूंढना है तो आपको ये जो भूतपूर्व नरेश हैं, राजा लोग हैं उनकी सम्पत्ति है। यह एक सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है जिसके प्रति आपने आज आंख मूंद ली है। और भी माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया है। मैं, माननीय सभापति जी,

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आपके माध्यम से वित्त मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि राजाओं की यह जो निजी सम्पत्ति है जो कान्स्टीट्यूशन के तहत इन्वेंटरीज में दर्ज है उनको उनकी निजी सम्पत्ति मान लिया गया है तो इस क्वेश्चन को आज री-ओपन करने की जरूरत है। सभापति महोदय, आज जब कि कान्स्टीट्यूशन के अन्दर संशोधन लाने की बात-चीत चल रही है, तो इस बात की भी जरूरत है कि इन प्रोविजन्स का भी संशोधन किया जाये जिसके तहत कान्स्टीट्यूशन प्रोविजन्स में इन कन्वेयन्स को जो स्टेचूटरी रिकोग्नाइ-जेशन दिया गया है और जिसके तहत यह जो प्राइवेट प्रोपर्टी इन्वेन्टरीज में है और उनको कान्स्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन मिल जाता है उस कान्स्टीट्यूशन में अमेन्डमेन्ट कर के इस क्वेश्चन को री-ओपन किया जाये। सभापति महोदय, अगर राजाओं की प्रोपर्टीज की तरफ, उनकी लिस्ट की तरफ आपका ध्यान दिलाऊं तो आपको आश्चर्य होगा। सभापति महोदय, मैंने कुछ हाउसेज की प्रोपर्टी का एस्टीमेट करने का प्रयत्न किया है। जयपुर रूलर की प्रोपर्टी सभापति महोदय, केवल इम्मूवेबल प्रापर्टी जो कि जयपुर के अन्दर है वह करीब 80 करोड़ रुपयों की है। केवल इम्मूवेबल प्रोपर्टी जयपुर हाउस की है। और जयपुर के रूलर के पास कितनी प्राइवेट सम्पत्ति इन्वेन्टरीज में है तो वह तीन सौ करोड़ के करीब बैठेगी। इसमें ज्वेलरी भी साथ है और यह प्रोपर्टी सभापति महोदय क्वीन ऑफ इंगलेन्ड, एलिजाबेथ की जो प्रोपर्टी है वह करीब 6 करोड़ पौंड की आंकी गई है और आज वह 126 करोड़ के बैठेगी। जयपुर हाउसेज की प्रोपर्टी क्वीन ऑफ इंग्लेन्ड से ढाई गुना से भी अधिक बैठती है। तो आप यह अन्दाजा लगाइये कि वह एक सावरेन कन्ट्री है और वह भी कैपिटेलिस्ट और दुनियां उसे मदर ऑफ कैपिटेलिस्ट कन्ट्री कहती है, वहां का राजा आज भी सावरेन माना जाता है, उसके पास तो 126 करोड़ की प्रोपर्टी है और जयपुर के महाराजा के पास, जिनका कि राज्य आपने ले लिया है और समाप्त कर दिया है उनके पास, आज 300 करोड़ की प्रोपर्टी है। यह किसने तय किया। कौन पब्लिक के नुमाइन्दे थे। किस विधान सभा ने यह डिस्कसन किया। वह तो एक कम्पलशन था कांग्रेस के नेताओं का। जिस प्रकार से पूंजीवादी नेता इस प्रकार की नीतियों से कम्प्रोमाइज करते हैं, वह मजबूरी में किया है, या आपने कम्पलशन में किया है वह उनको लिख कर दे दिया है और आपने मन्जूर कर लिया। लेकिन आज यह स्थिति है। जबकि सारे देश के अन्दर समाजवाद लाना है, बेरोजगारी को दूर करना है, गरीबी और अमीरी के भेद को दूर करना है, मंहगाई पर काबू पाना है और करोड़ों लोगों की हालत को सुधारना है तो आपको निश्चित रूप से यह जो थोड़ी तादाद के लोग हैं, राजस्थान में केवल 22 राजा हैं उनकी प्रोपर्टी की तरफ आप ध्यान दें तो मैं कहना चाहता हूं कि केवल यही नहीं बीकानेर हाउस के बारे में उनकी सिक्यूरिटीज, शेयर के अन्दर कितना मनी इन्वेस्ट है उसका मैंने वेल्यूएशन कराया था तो 99 लाख रुपया शेयर के अन्दर जमा है, यह आज भी बीकानेर हाउस के पास मौजूद है। जोधपुर के राजा, रानी के पास कितनी ज्वेलरी है। 504 आइटम है जिसका मैंने एक ज्वेलर से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

एस्टीमेट कराया था और उनका अन्दाजा है कि यह ज्वेलरी कम से कम एक करोड़ रुपयों की है। यही नहीं राजदादी के पास में अलग से है, और राजमाता के पास में अलग से ज्वेलरी है और महारानी के पास अलग से है। इस प्रकार यह तो एक एक हाउस की बात है। अगर सारे 22 हाउसेज की प्रोपर्टी का टोटल लगावें तो यह कहीं जाकर के मैं समझता हूं कि यह कितने ही अरबों के अन्दर पहुंचेगा। मैं यह नहीं कहता कि इन लोगों को इन्सानियत से जीने को रियायत न दी जाय। हमें हिन्दुस्तान में तय करना पड़ेगा कि हिन्दुस्तान के आम सिटीजन को हम क्या स्टेन्डर्ड ऑफ लीविंग देना चाहते हैं। मैग्जीमम और मिनिमम कौनसा स्टेन्डर्ड देना चाहते हैं। कोई सा मैग्जीमम स्टेन्डर्ड आम सिटीजन्स को देना चाहिये? सीलिंग की बात हम कर रहे हैं अरबन प्रोपर्टी पर लगाने की। कुछ कहेंगे कि यह सीलिंग आ जायगा तब यह प्रोपर्टी ले ली जायेगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब बुनियादी तौर से यह उनकी प्रोपर्टी ही नहीं है तो उसे क्यों माना जाये। अगर उसको माना जाता है तो फिर कम्पेनसेशन का सवाल आयेगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय कि जिस पोलिटिकल एटमोसफियर में यह प्राईवेट प्रोपर्टीज की लिस्ट तय की गई। आज पोलिटिकल एक्सपेन्डेन्सी के नाते, देश की आवश्यकता के नाते इस बात पर फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और इसके लिये स्टेट गवर्नमेन्ट को भारत सरकार से आग्रह करना चाहिये और इसके लिये सिफारिश करना चाहिये कि इस इश्यू को री-ओपन किया जाये और यदि कॉन्स्टीट्यूशन में अमेन्डमेन्ट आवश्यक है तो उस पर अमेन्डमेन्ट करें। आज हम राजस्थान नहर को बनाना चाहते हैं और 200 करोड़ रुपया और कहीं से नहीं पा सकते हैं और आज राजस्थान नहर को हमें कितनी जरूरत है। अगर राजाओं के इस प्राइवेट प्रोपर्टी के इश्यू को री-ओपन कर दिया जाये, जितनी ज्वेलरी, जमीन और पेलेसेज हैं और हमारे सिटीजन का एक मैग्जीमम स्टेन्डर्ड तय कर दिया जाय तो इन 22 रजवाड़ों का भी एक मैग्जीमम स्टेन्डर्ड ऑफ लीविंग तय हो जायेगा और मैग्जीमम स्टेन्डर्ड आफ लीविंग तय हो जाने के बाद उनसे इतना रुपया निकाल सकेंगे कि पांच राजस्थान कैनाल हम यहां पर बना सकेंगे। मेरा अनुमान है कि एक हजार करोड़ इन राजाओं की प्राईवेट सम्पत्ति से, ज्विलरीज और जो इनकी इम्मूवेबल प्रोपर्टी के रूप में है और जमीन के रूप में है और जो इम्मूवेबल प्रोपर्टी एक्सेस है उनसे हमें मिल सकता है। तो मैं यह समझता हूं और वित्त मंत्री का ध्यान इस दिशा की ओर जाना चाहिये था और इसका हल ढूंढना चाहिए था कि किस तरीके से हम राजस्थान के रिसोर्सेज को बढायें और अगर आपका ध्यान इस तरफ जाए तो काफी गुंजाइश इसके अन्दर मिल सकती है। आपने अपने भाषण में कहा था कि अर्बन सीलिंग हम लागू करना चाहते हैं और इस बात को हम केन्द्रीय सरकार पर छोड़ेंगे, और आपने हम से आशा की थी कि आप जो प्रस्ताव लायेंगे उसका हम समर्थन करेंगे। हम इन्तजार करते रहे कि वित्त मंत्री कोई प्रस्ताव लाने वाले हैं इस संबन्ध

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में और हम उस बारे में विचार व्यक्त करेंगे लेकिन आश्चर्य है कि वह बात केवल वक्तव्य तक सीमित रह गई और कोई प्रस्ताव इस सदन में इस बात का नहीं आया। आज बाहर चर्चा इस अर्बन सीलिंग की चल रही है। सवाल केवल अर्बन और रूरल का नहीं है। सवाल इस बात का है कि तय करना पड़ेगा—नागरिक चाहे गांव में रहे या शहर में रहे हमें मैग्जीमम स्टेंडर्ड ऑफ लिविंग क्या देना चाहिये और मिनिमम स्टेंडर्ड ऑफ लिविंग क्या देना चाहिए। इस बात को हमें तय करना पड़ेगा फिर चाहे वह शहर में रहे चाहे गांव में। चाहे उसके पास इम्मूवेबल प्रापर्टी हो चाहे मूवेबल प्रोपर्टी, सब पर सीलिंग और फ्लोर लगाकर तय करके जो सरप्लस है उसको लेना पड़ेगा देश के हित में। मैं समझता हूं आज की इन परिस्थितियों में जिनमें से हम गुजर रहे हैं, सरकार की तरफ से या कम से कम सरकार सिफारिश की बात करके चलती है तो ऐसे सुझाव सदन में देती जिनका असर देशव्यापी हो, राजस्थानव्यापी ही नहीं। जब हम बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने की बात करते हैं तो हमें एशो-आराम व शौकीनी के सामान पर प्रतिबन्ध लगाना पड़ेगा। दूसरे राष्ट्रों की तरफ अगर देखें तो आगे बढ़ें हैं तो इस तरह से बढ़े हैं। इसलिए सीलिंग का प्रश्न ही नहीं है कितनी चीजों पर बैन लगानी पड़ेगी। क्यों लोग जवाहरात और सोने के गहने पहने? अगर कोई नहीं पहनेगा तो मर तो नहीं जायगा इन सब पर स्टेच्यूटरी बैन लगानी चाहिये। जबकि हमारा राष्ट्र इस तरीके से है कि हम एक नागरिक को दो जून भोजन नहीं दे सकते, उसको मकान नहीं दे सकते, काश्त के लिए जमीन नहीं दे सकते या थोड़ा बहुत लोन या सबसिडी नहीं दे सकते तो किसी को अधिकार नहीं है कि वह शौक की चीजें पहने, हीरे के हार पहनते रहें और एशोग्रशरत के सामान से देश की कैपीटल को ब्लोक रखें।

मैं वित्त मंत्री का ध्यान इन बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जो उनके जुरिस्डिक्शन की बात है, उन पर खुद उनको नए कदम उठाने चाहिये थे और केन्द्रीय सरकार को बात है, उनको सुझाव देने चाहिये थे। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार इन बातों की तरफ और जो माननीय सदस्य हैं वे इन बातों की ओर देखेंगे जब कि हम इस एप्रोप्रिएशन बिल पर विचार कर रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम अपने राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारने के संबंध में जैसे इन बातों पर विचार करते हैं तो साथ में बचत की बातों पर ध्यान दे पायेंगे लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस दिशा में कोई संकेत किसी प्रकार की चेंज का बजट में या जो ट्रेजरी बेंचिज का व्यवहार है, उसमें नहीं दिखाई दिया।

आज जो मिड-टर्म इलेक्शन्स हुए, प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी और उनके नेतृत्व में जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज ने देश में सफलता पाई है तो उसकी वजह एक नया इमेज, किसी प्रोग्राम के आधार पर कोई ठोस रूप में कदम उठायें उस आधार पर एक नया इमेज कायम करना पड़ेगा। क्या

Page No 88

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

राजस्थान सरकार या ट्रेजरी बैंचिज के लोग इस बात को महसूस करते हैं कि वे कोई नई इमेज दे सकते हैं जनता के सामने जिससे लगे कि अपने पोस्ट से नाता तोड़ कर नया रास्ता ट्रैवर्स करने का सोच रहे हैं। किसी किस्म की सादगी या इकानामी अपने खर्चे में या राज्य के खर्चों में दिखाई है। कोई दिखाई है तो वह इमेज मैं कहूंगा कि भौंदी है, बुरी इमेज है। आपने अपने इमेज को और खराब किया है। लोगों को भ्रम होता था कि आप कोई कदम उठायेंगे, वह राज्य सरकार ने जिस तरीके का व्यवहार दिखाया है, उससे वह बात दूर होती है। मैं इस संदर्भ में जिक्र करना चाहूंगा अभी कुछ शादियां हुई मंत्रियों के यहां—लड्ढा साहब के लड़के की शादी हुई, माथुर साहब के यहां हुई थी एक साल पहले या हमारे हैल्थ मिनिस्टर के यहां हुई थी, हमारे जो पुनर्वास राज्यमंत्री हैं श्री जयकृष्ण शर्मा, मेरे क्षेत्र से आते हैं, उनके यहां शादी हुई थी, आप देखेंगे कि उन शादियों के अन्दर क्या किया है······

श्री गोकुलचन्द : क्या इस बात का भी प्रावधान है इस बिल में ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम सब एक बिरादरी के लोग हैं, हम सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं, हम पर पब्लिक ट्रस्ट है, पब्लिक की जिम्मेदारी और आगे लेकर आगे बढ़ रहे हैं, तस्वीर जनता के सामने पेश कर रहे हैं, होड है मंत्रियों के अन्दर कि किस तरह से राजा महाराजाओं के मुकाबले में हमारी शादियां हों। इस तरह की शादियां आज हो रही हैं। अलवर में जो शादी हुई श्री जयकृष्णजी की लड़की की, उनकी लड़की का जहां तक सवाल है, उनकी लड़की हमारी लड़की है, बराबर की बात है और उसके लिए हम यह समझते हैं कि अच्छी शादी हुई, इस बात की खुशी है लेकिन मंत्री होने के नाते किस प्रकार का एक आदर्श उनको रखना चाहिए था, जो सादगी सिम्पलीसिटी जो आस्टियरिटी हम कार्यकर्ताओं को, चाहे सरकार में बैठने वाले हों चाहे इधर बैठने वाले हों, सबको प्रदर्शित करनी चाहिए थी, वह न होकर अलवर में जिस तरह से राजा महाराजाओं के जमाने में शादियां होती थीं, उनके मुकाबले में शादी वहां पर हुई है। वित्त मंत्री के यहां जो शादी थी उसके बारे में भी इसी प्रकार की चर्चा थी, मुख्यमंत्री के यहां शादी थी, उसके बारे में भी इसी प्रकार की चर्चा थी। अभी टाइम्स आफ इंडिया में मैंने पढ़ा शोलापुर में एक कांग्रेस विधायक के लड़के की शादी हुई, एक लाख लोग फीस्ट के लिए बुलाए। परसों के टाइम्स आफ इंडिया में मैंन आर्टीकल है। खैर आपकी मैजोरिटी है। लेकिन सवाल यह है कि आप इसको पसंद करते हैं ? क्या आप इस तरह के व्यवहार से जनता के अन्दर अपनी घोषणाओं के प्रति कोई आस्था प्रकट करते हैं ? मैं समझता हूं जिस प्रकार आपका व्यवहार है वह उन घोषणाओं को डिनाई करता है जो देश की प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय पैमाने पर की हैं···

श्री रामचन्द्र आर्य : पैसा कहां से आया है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह प्रश्न साथ जुड़ा हुआ है। सब लोग पूछते हैं साथ में काम करने वाले, आपके पास इतना नहीं है, इनके पास इतना कहां से आया ? इसका जवाब देना पड़ेगा और जवाब

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
नहीं देंगे तो सारी की सारी पब्लिक लाइफ खराब होती है, बदनाम होती है और इस रूप में एक नया इमेज जनता के सामने पेश करना है जिससे लोगों की आस्था हो प्रगतिशील नीतियों में प्रगतिशील व्यवस्था में तो निश्चित तौर से जो नेता हैं उनको कुछ जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राज्य सरकार ने कुछ एग्रीमेंट्स कर रखी हैं जिनमें कुछ पुरानी पोलिसीज की वजह से कैपीटलिस्ट लोगों को एडवान्टेजेज दिये गए जैसे बिजली की सप्लाई के संबंध में दिल्ली क्लाथ मिल का मामला कितनी बार सदन में आया है जिनको तीन पैसे के रेट पर बिजली दी। जितने भी एग्रीमेन्ट आपने किये हैं वास्तव में उनसे मुनाफा नहीं हो रहा है। इसलिये हम यह उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार कोई ऐसा रास्ता निकालेगी, कोई ऐसा डिसीजन लेगी जो कि जनता के हित में हो, राज्य के हित में हो। आपको माइन्स का राष्ट्रीयकरण भी कर लेना चाहिये। इसी प्रकार जो बिजली की सप्लाई के एग्रीमेन्ट आपने किये हैं, उद्योगपतियों से उन्हें आपको खतम कर देना चाहिये और नये एग्रीमेन्ट अब आप करिये। ये एग्रीमेन्ट ऐसे होने चाहिये जो राज्य सरकार के और राजस्थान की जनता के लिये डिसएडवान्टेजियस न हों। ऐसे कार्य राज्य सरकार को करने चाहिये जिससे कि छोटे लोगों को अधिक मुनाफा मिले, न कि ऐसे एग्रीमेन्ट करें जिससे कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को मुनाफा हो। सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार को जल्दी से जल्दी ऐसे कदम उठाने चाहिये जिससे कि राजस्थान के गरीब लोगों को लाभ पहुंचे।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री सभापति : आप जल्दी ही समाप्त कीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं दूसरी बात जो आपको निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि इस सदन में राजाओं के जमीन बेचने के बारे में मैंने एक प्रश्न पूछा था। इससे राज्य सरकार के सामने ऐसे कई मामले आये जिनमें कि राजाओं ने जमीन बेच दी थीं जो कि सीलिंग कानून के खिलाफ के थे। उनके हाईकोर्ट के अन्दर केस किये गये। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की है इस बारे में। इस प्रकार से जमीन बेचना नाजायज है। इसके बावजूद इन्हीं राजाओं ने 15 लाख रुपये में 15 हजार बीघा जमीन बेच दी है। सभापति महोदय, इसी प्रकार जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर आदि राजाओं ने अपनी एग्रीकल्चरल जमीन बेचना शुरू कर दिया है। अब सीलिंग जो कि अरबन प्रोपर्टी पर लागू करने की बात है तो ऐसा सुना है कि जयपुर के महाराजा रामबाग पैलेस का सौदा किसी करोड़पति से कुछ करोड़ रुपये में कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार उदयपुर के महाराणा भी अपने लेक पैलेस को टाटा को बेचने की बातचीत कर रहे हैं। इस प्रकार ये सब सीलिंग लागू करने के पहले ही अपनी प्रोपर्टीज को बेच देंगे। तो फिर सीलिंग कानून के

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तहत जो भी प्रोपर्टी हाथ आयेगी वह नहीं के बराबर आयेगी। इसलिये अगर आप वास्तव में सीलिंग कानून लागू करना चाहते हैं तो आपको इस मसले को सीरियसली लेना चाहिये। इस तरह से जो राजा लोग अपनी बड़ी प्रोपर्टीज बेच रहे थे उन्हें रोकने के लिये गवर्नमेन्ट को सक्रिय कदम उठाये जाने चाहिये। सभापति महोदय, मुझे खेद हुआ इस बात के लिये जब मैंने एक बार राजस्थान के रेवेन्यू मिनिस्टर साहिब से कहा कि इस तरह से राजा लोग अपनी जमीनें बेच रहे हैं और लोग उसे खरीद रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यह तो खरीददार को सोचना चाहिये कि वह उस जमीन को खरीदे या नहीं खरीदे। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार को इसकी चिन्ता नहीं है। जो छोटे छोटे लोग जमीनें खरीद रहे हैं वे बाद में परेशान होंगे। यह बात जरूर हो जायेगी कि जो बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर जमीनें खरीदेंगे या आपके कोई रिश्तेदार जमीनें खरीदेंगे उन्हें आप बाद में रेग्यूलराइज कर देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय, सरकार को चाहिये कि वह न केवल एग्रीकल्चरल लैण्ड जो आज लोग बेच रहे हैं जिनके पास सीलिंग की मात्रा से अधिक है उन्हें रोकना चाहिये और राजस्थान गवर्नमेन्ट को सुप्रीम कोर्ट से इन्जेक्शन लाना चाहिये इन राजाओं के खिलाफ इस बात का कि ता-फैसला, कोई भी इस प्रकार की जमीन नहीं बेचेंगे और अगर बेची तो वह इल्लीगल होगी दूसरी प्रोपर्टीज जो आज राजा लोग बेच रहे हैं या बेचने में लगे हुए हैं उसके लिये भी सुप्रीम कोर्ट से इन्जेक्शन जारी करवा कर इन जमीनों का और इन राजाओं को प्रोपर्टीज का बेचना बन्द कराया जाय ताकि राजा लोग सीलिंग कानून के लगने से पहले अनुचित लाभ नहीं उठा सकें। आप अरबन प्रोपर्टीज पर सीलिंग कानून लागू करने वाले हैं जिसकी आप घोषणा कर चुके हैं, पहले भी आपने एग्रीकल्चरल लैण्ड के सीलिंग लागू करने का नारा सन् 53 में लिया था और वह आज 71 तक लागू नहीं किया जा सका है और लोगों ने जिनके पास ज्यादा जमीन थी उन्होंने एग्रीकल्चरल लैण्ड बेच दी थी आपने इन सबके बेचान को रेग्यूलराइज कर दिया तो मुझे डर है कि आप कहीं अरबन सीलिंग के बारे में इसी तरह हिस्ट्री को फिर दुबारा रिपीट तो नहीं करने वाले हैं ? आपने आज अरबन प्रोपर्टीज पर सीलिंग लागू करने की घोषणा तो कर दी। राजा लोगों ने बड़े बड़े जमींदारों ने अपनी अरबन प्रोपर्टी को बेचना शुरू कर दिया है इस लिये सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इसके लिये जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि यह अरबन प्रोपर्टी बिकने से रुक जाय और राजा लोग सीलिंग लागू होने से पहले अपनी प्रोपर्टी बेच कर इसका लाभ नहीं उठा सकें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

एक निवेदन और करना चाहता हूं फिर समाप्त कर दूंगा। सभापति महोदय, जहां तक एग्रीकल्चरल जमीन के सीलिंग का सवाल है आज सारा सैशन निकल जाने के बावजूद कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकी है। आज डेट समाप्त हो चुकी है जो कि आखिरी तारीख थी और जैसा कि सरकार ने घोषणा की थी कि 24 मई

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आखिरी तारीख है और आखिरी तारीख तक सब जमीन जो कि सीलिंग एक्ट के तहत में आती है सरकार उसे टेक ओवर कर लेगी। उस जमीन पर सरकार अपना कब्जा कर लेगी। और जो जमीन सरकार के पास आयेगी वह जमीन भूमिहीनों में बांट दी जायेगी। मन्त्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कितनी जमीन आज तक टेक ओवर कर ली है, कितनी जमीन पर राजस्थान सरकार का कब्जा हो गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सभापति महोदय इन्हें कुछ भी अभी तक नहीं मिला है। एक बीघा जमीन भी प्राप्त नहीं कर सके हैं। गगानगर के इलाके में जहां पर लोगों के पास जमीन सीलिंग से ज्यादा थी उन लोगों से जमीन का एक मुरब्बा भी नहीं लिया गया। सरकार के पास एक्चुअल पजेशन में कुछ नहीं आया। इसका कारण यह है कि गगानगर जिले में जिनके पास सीलिंग की जमीन से ज्यादा जमीन है वह इन्हीं के पार्टी के लोगों के पास है या बड़े बड़े जमींदारों के पास हैं जो इन्हीं के रिश्तेदार हैं या बड़े बड़े सरकारी अधिकारी हैं या मिनिस्टर हैं उनके पास है इसलिये आज तक कोई भी जमीन हाथ नहीं लगी। मनफूलसिंह जी के पास जमीन है जो कि सीलिंग से ज्यादा है उनकी जमीन भी एक्वायर नहीं की। राजस्थान सरकार ने 24 मई तक कोई भी जमीन टेक ओवर नहीं की है। इसलिये आपने जनता से जो वायदे किये थे सीलिंग को लागू करने के लिये पूरे नहीं किये। इस प्रकार न केवल आपने जनता के प्रति ही बिट्रे किया है बल्कि आपने अपनी पार्टी के प्रति भी बिट्रे किया है आप अपनी पार्टी के प्रति बिट्रे करते हैं, जिस पर आप चुनाव जीत कर आते हैं, जिन वायदों के ऊपर आपको लोग वोट देते हैं आप उन्हें पूर्ण नहीं करके जनता की पीठ पर छुरा भोंकते हैं। आज सरकार ने टिनेन्सी लेजिस्लेशन में जो पुराने संशोधन करने हैं वह भी नहीं कर सके हैं। संशोधन करना तो दूर किनार टीनेन्सी एक्ट भी बेकार पड़ा हुआ है। प्रवर समिति की रिपोर्ट पड़ी हुई है पर आप इस रिपोर्ट को पेश नहीं कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि आप इसको लागू नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको डर है इस बात का कि अगर इसे लागू किया गया तो आपकी पार्टी में झगड़े हो जाते हैं। सभापति महोदय, जो पुराने एमेण्डमेन्ट हैं वो तो लागू नहीं हुए हैं नये एमेण्डमेन्ट आप इन्ट्रोड्यूस करना नहीं चाहते। इस प्रकार यह सीलिंग का कानून लागू नहीं हो रहा है। इसमें ही समय गुजर जायेगा और तब तक 72 के इलेक्शन आ जावेंगे और जब कोई दूसरे लोग आयेंगे तब वही लागू करेंगे। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं ......

श्री सभापति : आधा घंटा हो चुका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक मजदूरों और किसानों का, उन गरीबों को कोई राहत देने का, सवाल है, क्या वित्त मंत्री इस बात का क्लेम कर सकते हैं कि इस बजट में जिसके लिये हम 417 करोड़ रुपये मन्जूर करने जा रहे हैं, उनकी दशा सुधारने के लिये कुछ है? आपको अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिये 50 करोड़ रुपये सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने दिये, और आपने एक साल के

Page No 92

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

अन्दर एक हजार लोगों को रोजगार देने की बात कही। राजस्थान के अन्दर 232 पंचायत समितियां हैं, तो इस हिसाब से एक पंचायत समिति में 100 आदमी भी नहीं आते। आप एक सड़क बनायेंगे और उसमें 100 आदमी लगा लेंगे तो इससे क्या अनएम्प्लॉयमेंट का प्रोब्लम दूर हो जायेगा ? अगर यही आपने अनएम्प्लॉयमेंट हल करने का तरीका समझा है, तो इससे आप की समस्या का हल नहीं होने वाला है।

सीलोन का उदाहरण आपके सामने है। सीलोन के नौजवानों ने वहां की गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, लेकिन जब हालात नहीं बदली तो वहां पर आज आन्दोलन हो रहा है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक बात बतायेंगे क्या ? लंका में सोवियट यूनियन और अमेरिका वहां की फौजों की मदद कर रहे हैं, इसको क्या आप उचित समझते हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : दूसरे गवर्नमेंट्स की ब्रीफ तो मेरे पास है नहीं। उनकी बात वे ही कहेंगे। लेकिन मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि सोश्यो एकॉनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उन सवालों का हल किसी को प्रिजन्स में भेजने से, जेल में भेजने से हल नहीं होगा। इन सोश्यो एकॉनामिक प्रॉब्लम्स का हल केवल प्रोग्रेसिव कदम उठाने से ही होगा।

आपकी स्टेट फाइनेन्सेज के बारे में, जहां यह विचार करते हैं, तो आपको सेन्ट्रल और स्टेट रिलेशन्स के प्रश्न को भी रेज करना पड़ेगा। आज यह प्रश्न सारे हिन्दुस्तान में खड़ा हो रहा है कि क्या मौजूदा आवश्यकताओं में जो फाइनेन्शल पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को हैं वे पर्याप्त हैं। आज 23 वर्ष के अनुभव के बाद क्या स्टेट गवर्नमेंट महसूस करती है कि जो रेस्पोन्सीबिलिटीज आज स्टेट्स पर हैं वे मौजूदा फाइनेन्शल प्रोवीजन्स के तहत जिम्मेदारी से पूरा कर सकती हैं? वे पूरा नहीं कर सकती। आज तामिल नाडू सरकार ने राजामनार कमेटी बनाई, उसने अपनी रिकमेंडेशन्स दी हैं। मैंने उसको गौर से पढ़ा नहीं है लेकिन कम से कम उस कमेटी ने एक बात की तरफ ध्यान दिलाया है कि संविधान के अन्तर्गत जो प्रोवीजन्स स्टेट गवर्नमेंट्स के लिये हैं उनके अन्दर बढ़ोतरी होनी चाहिये। इस साल जो पाकिस्तान में हो रहा है, जो कुछ बंगला देश में हो रहा है, उसका क्या बैकग्राउन्ड है, उससे अगर सबक लेकर आप आगे नहीं बढ़े, तो राजस्थान की सरकार कोई कार्यवाही करे या न करे, देश की जनता चुप नहीं बैठेगी। यह प्रश्न आज उठ रहा है, दूसरी स्टेट्स में उठ रहा है, और यहां भी उठेगा। इतना बड़ा डेफीसिट आप बजट में लेकर चल रहे हैं, तो इस प्रकार से आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर सकते। इस प्रकार को लायबिलिटीज राजस्थान जैसी स्टेट अपने ही रिसोर्सेज से पूरा नहीं कर सकती। इसलिये जो इस प्रकार के लोन्स हैं, वे राइट ऑफ होने चाहिये। आपको फोर्स, फुल्ली इस बात को कहना चाहिए कि जो राजस्थान केनाल है यह राजस्थान का ही प्रश्न नहीं है, यह राजस्थान का ही प्रोजेक्ट नहीं है, यह एक

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नेशनल प्रोजेक्ट है और इसको हमारे प्लान सीलिंग में नहीं रखकर सेन्टर का प्लान होना चाहिए। केवल यह घोषणा हो गई कि भारत सरकार इसके ऊपर विचार करने जा रही है उससे समस्या हल हो नहीं सकती।

सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि राजस्थान सरकार जो इस समय पावर में है आज राजस्थान कैनाल को एक स्टैप चाइल्ड की तरह ट्रीट कर रही है, इसको एक व्हाइट एलीफैन्ट जैसा महसूस करती है और मैं मानता हूं कि राजस्थान के मौजूदा फाइनेन्संज जो हैं वह जैसे हैं वैसे ही रहे तो उसमें इतने बड़े प्लान को फाइनेन्स करना सम्भव भी नहीं है और उससे प्रान्त के दूसरे हिस्सों में असन्तोष भी फैलेगा और विकास का रास्ता भी रुकता है यह भी सही है। इसलिये सही बात तो यह है कि राजस्थान कैनाल को केन्द्रीय प्रोजेक्ट माना जाये और इसके लिए पूरे सदन और सारी की सारी पार्टियों में कोई मतभेद नहीं है। पिछली साल हमने गवर्नमेन्ट को कहा कि हम सब मिलकर चलें और लड्ढा साहब ने उसको स्वीकार भी किया पर मैं नहीं समझता कि किस बिना पर वह बात वहीं पर रख दी गयी। राजस्थान कैनाल को बीच में छोड़ना बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। आज जिस तरह से गवर्नमेन्ट चल रही है उसका नतीजा यह होगा कि राजस्थान केनाल बीच में ही रह जाए। मैं यह कहूंगा कि हमें प्रेशर डालना चाहिए कि सेन्टर इसको टेक-अप करे और डिफेन्स प्लान के रूप में इसको जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट किया जाये।

अन्त में सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा और खासतौर से कांग्रेस के माननीय सदस्यों से कि आज बहुत बड़े चेन्ज के बीच में हम हैं और हम हिन्दुस्तान के इतिहास और राजस्थान के इतिहास के मोड़ पर हैं और प्रगतिशील शक्तियों के बीच में कन्फन्टेशन हुआ और वह कन्फन्टेशन बाद में भी होने वाला है। राजस्थान के अन्दर कांग्रेस का नेतृत्व चाहे नई कांग्रेस बन गई हो लेकिन राजस्थान के अन्दर कांग्रेस का वह नेतृत्व उन्हीं पुराने मठाधीशों के हाथ में है—चाहे वे संगठन में हों चाहे सरकार में हों जिससे कांग्रेस अपना नया इमेज पेश नहीं कर सकती। मैं कहता हूं कि माथुर साहब हों, या सुखाड़िया साहब हों या दामोदरलालजी व्यास हों या रामकिशोर जी हों या हरिदेवजी जोशी हों ये पांचों सज्जन विराजते हैं फ्रन्ट बेंच पर आज, मैं समझता हूं कि पालिटीकल फील्ड में ये कितने ही वर्षों से चले आ रहे हैं। माथुर साहब आपने 23 वर्ष तक राज्य किया है, अपनी अपनी सूझ और समझ है, आपके अपने तरीके हैं आपने अपने तरीके अपनाये हैं कि किस तरह से सर्विसेज के साथ डील करें और किस तरह से जनता के साथ डील करें। इस सदन में भी हमने देखा है कि आप अपने आपको नहीं बदल सकते। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर उड़ीसा और बिहार जैसे नहीं थे, मैं उनसे नहीं कहना चाहता हूं बल्कि कांग्रेस के उन सज्जनों से कहना चाहता हूं जो नई कांग्रेस का स्वरूप बतलाते हैं, उसको नया इमेज देना चाहते हैं। अगर कांग्रेस की नई इमेज बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी सिन्डीकेट को उठाकर फेंकना पड़ेगा। उड़ीसा के अन्दर बीजी पटनायक या बिहार के अन्दर कृष्णवल्लभ सहाय वगैहरा जितने भी नेता थे आज वही हालत आपके

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

राजस्थान के पांचों नेताओं ने राजस्थान के अन्दर करदी है और इनके बस का कोई नहीं है। पालीटिकली राजस्थान के अन्दर जो परिस्थितियां हैं तमाम के तमाम नेता हीरालाल जी शास्त्री को ले लीजिए वे 47 48 और 50 में ही आउट आफ डेट हो गए तो आपने तो माथुर साहब 20-22 वर्ष राज्य कर लिया लेकिन आगे आने वाली समस्याओं को फेस करने की आपको शक्ति नहीं है। मैं यह जानता हूं और यह कोई बैगिंग नहीं है। कोई लीडरशिप अपने आप में छोड़ने वाला नहीं है। इसके लिए कोई शक्ति बड़ी होनी चाहिए और वही शक्ति हटा सकती है इसलिए मैं समझता हूं कि राजस्थान के प्रोग्रेसिव सैक्शन के हित में यह होगा। उस दस पाइन्ट प्रोग्राम को आगे बढायें और देश की जो लेफटिस्ट फोर्स है उसके बीच में सामन्जस्य हो। यह तभी सम्भव है जबकि इस प्रकार जो सिन्डीकेट में जाने वाले हैं जब कुशल पाइन्ट आये उस समय वह बात तय होगी। वह लोग आज अवसरवाद की वजह से मौजूद हैं इस लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वास्तव में कांग्रेस दल कोई नई कांग्रेस सचमुच यहां बनाना चाहते हैं, नई इमेज प्रेषित करना चाहते हैं तो जो बजट सैशन हो रहा है, जो बजट पास हो रहा है और जितने पैसे की आप मांग कर रहे हैं यह उस इमेज को बिल्कुल प्रोजेक्ट नहीं कर सकता और इससे आप प्रतिक्रियावादी शक्तियों और दक्षिणपंथी शक्तियों को बढ़ावा दे रहे हैं। आपके ये नेता उन्हीं के साथ हैं और उन्हीं के केलोबरेशन में चल रहे हैं और चोरी से उन्हीं को सहयोग दे रहे हैं। इसलिए राजस्थान के हित में यह है कि इमीडियेटली जो भी आल्टरनेटिव हो सकता है वह यही सम्भावना है कि राजस्थान का यंग कॉंग्रेसमैन है, जो प्रोग्रेसिव कांग्रेसमैन है वे बिना लिहाज और मुरव्वत के अपने सिन्डीकेटी नेताओं को उखाड़कर फेंके और ये स्ट्रगल के बिना भी लड़ रहे हैं। आपकी पी. सी. सी. में जो संघर्ष हो रहा है उसमें कुछ नेताओं के प्रश्न भी हैं। यह बात अलग है कि आपके पी. सी. सी. प्रेसीडेन्ट जिन्होंने इन सवालों को पोज किया "राजस्थान क्रानिकल" में अपने स्टेटमेन्ट के जरिये वे खुद ऐसे व्यक्ति के जरिये आये हैं जिसकी इन्टीग्रिटी बहुत डाउटफुल है। लेकिन जो बातें उन्होंने कहीं, जिन समस्याओं को पोज किया है वह बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं और उनमें वजन है और इसलिए मैं समझता हूं कि जो राज्य का शासन है यह कुछ लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए मैं विशेषतौर पर राजस्थान के तमाम जन नेताओं से और खास तौर से कांग्रेस के प्रगतिशील तबकों से यह कहूंगा कि हिम्मत करके तमाम अपनी शर्म और लिहाज को भूलकर उन नेताओं को निकालने में मैदान में आयें ताकि राजस्थान को हम आगे बढ़ा सकें।

श्री सभापति : श्री रामनारायण चौधरी

(अनुपस्थित)

श्री दिग्विजय सिंह

(अनुपस्थित)

श्री पृथ्वीसिंह

(अनुपस्थित)

श्री विजयसिंह मकराना

(अनुपस्थित)

श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : सभापति जी, जो 5 वर्षों में हम लोगों ने यहां देखा और यह अन्तिम बजट भाषण है या यों कहें कि अन्तिम बजट यहां पर पेश हुआ है और हम लोग जब अपने क्षेत्रों में जायेंगे तो लोग हमसे पूछेंगे कि हमने अरबों रुपया खर्च किया तो क्या तुमने भ्रष्टाचार मिटाया तो हमें अपना मस्तक नीचे करके कहना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार बढ़ा है लेकिन कम नहीं हुआ तो फिर इसके मूल में कौन है ? अगर मूल में मंत्री महोदय ईमानदार होते, इन पर अंकुश रखने के लिए कोई एजेन्सी होती तो आज यह स्थिति नहीं आती। दुर्भाग्य तो यह है कि अगर मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले पेश हों तो वह भी बहुमत के आधार पर और वोटों के आधार पर तय हो जाते हैं और वह मामला टल गया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार मिटाना है, अगर जनता को आराम देना है तो हमें कोई एजेन्सी ऐसी कायम करनी होगी और वह एजेंसी या तो लोकपाल की एजेन्सी हो सकती है या लोक आयुक्त की हो सकती है और जब इनके ऊपर अंकुश होगा और जब इनकी प्रोपर्टी पर निगरानी होगी कि इनके पास आजादी के पहले कितनी जायदाद थी और आजादी के बाद कितनी बना ली तो अधिकारी भी डरेंगे। लेकिन जब ये खुद करते हैं, मनमानी मौज करते हैं, इनमें से तो एक ही व्यक्ति ने उदाहरण प्रस्तुत किया है, शोभाराम जी ने अपनी दो लड़कियों की शादी बहुत ही सादगी से की लेकिन दूसरों के यहां तो राजा महाराजाओं के यहां जिस प्रकार शादी होती उसी प्रकार से शादियां होती हैं। 22 राजस्थान के राजाओं के साथ इन 35 का भी नाम ले लीजिये। जनता तो जब ही सुखी होगी जबकि ये मंत्री और दूसरे लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर कोई न कोई अंकुश होगा। जो राज्य केवल 35 करोड़ रुपया तो ब्याज का ही चुकाये उसके लिये आप ही अन्दाज लगाइये कि क्या हालत है। मितव्ययता कहां से होगी ? यह तो मिनिस्टरों से ही हो सकती है। यहां से शुरू होगी तो दूसरों में भी आवेगी। एम्पाला गाड़ियों में बैठना कम करो। आज बंगाल की जो हालत हो रही है और उसके कारण लाखों शरणार्थी भारतवर्ष में दौड़ कर आ रहे हैं, 30 लाख शरणार्थी आ चुके हैं, जहां एक ओर लोगों की यह दुर्दशा हो और दूसरी तरफ आप गुलछर्रे उड़ायें और एम्पाला गाड़ियों में घूमें और अनाप शनाप खर्चा करें। यह कैसे चलेगा ? जो राज्य 35 करोड़ रुपया ब्याज का चुकाये हर वर्ष और राज्य के मंत्री गुलछर्रे उड़ायें, मौज करें, ऐश-आराम करें, अपने बिजली पानी और टेलीफोन पर सीलिंग न लगायें यह कैसे चल सकता है ? आपको चाहिये कि आप मितव्ययता बढ़ायें। आप लोग मितव्ययी बनिये। दूसरी तरफ राज्य की आमदनी को बढ़ाइये। रोडवेज का ऐसा साधन है कि करोड़ों रुपयों की आमदनी बढ़ सकती है। भीलवाड़ा से उदयपुर तक रोड़वेज की कोई भी गाड़ी नहीं लगी है। उदयपुर से भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से उदयपुर जब जाते हैं तो इस कदर भीड़ जाती हैं कि बस मत पूछिये। मांडलगढ़ से भीलवाड़ा वाया काछोला जब जाते हैं तो भेड़े भर कर जाती हैं उसी प्रकार भरा जाता है। पता नहीं किन नेताओं की गाड़ियां

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
लगी हुई हैं जिनके कारण रोडवेज की गाड़ियां नहीं लगाते हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वहां राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ होगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हमारा काम कहने का है। आपके तीस आदमी भी हिम्मत करलें तो कैसे नहीं होगी। आज आप यह कहते हैं तो कल कहेंगे कि शराब बन्द नहीं होगा। जोधपुर में शराब बन्दी को असफल कर दिया। हम में हिम्मत है लेकिन हम थोड़े हैं। लेकिन आप हमारी तो सुन लेते हैं, आप बोल नहीं सकते हैं, भ्रष्टाचार के मामले आये कई लोगों की बोलने की हिम्मत होती है लेकिन पार्टी व्हिप पड़ जाता है। भ्रष्टाचार पर बोलने के लिये छूट हो आप को तो कल भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है।

ग्राम उद्योगों की ओर भी आप नहीं बढ रहे हैं। इतने से करोड़ डेढ़ करोड़ रुपयों से काम नहीं चलेगा।

महारावल साहब का उदाहरण दूंगा। पीढ़ियों से राजा चलते आ रहे हैं। अच्छी गाड़ियों में बैठे होंगे। लेकिन आज मैं उनको देखता हूं कि उनके पास अच्छी गाड़ी नहीं है, जीप में आते हैं। लेकिन जो मंत्री जिनके पुरखाओं ने भी गाड़ी नहीं देखी थी वे आज एम्पाला गाड़ियों में बैठते हैं। एक एक लाख की गाड़ियों में बैठते हैं। वित्त मंत्री जो आप मितव्ययता चाहते हैं तो आपको इस पर सोचना पड़ेगा। करोड़ों रुपया क्रिमिनल रूप से वेस्ट हो रहा है उसको आपको कम करना पड़ेगा और एक दम कम करना पड़ेगा और उसके एवज में आपको ग्रामोद्योग को बढ़ाना पड़ेगा। भीलवाड़ा में डालडा मिल खोली है। हजारों लाखों गायों और भैंसों का नुकसान कर दिया। उस मिल को ओक्ट्रोय की छूट दे रखी है। आप कहते हैं कि आपने वादा किया इसलिये निभाना पड़ेगा लेकिन आपने वादा तो राजा महाराजाओं से भी किया था। उन्होंने तो बहुत कुरबानियां की थीं। समय के साथ परिवर्तन करना पड़ेगा सब में। ओक्ट्रोय की छूट क्यों देते हैं? ये लोग कहते हैं कि हम घाटा उठा रहे हैं, लेकिन ये लोग आपको इलेक्शन में मदद करते हैं इसलिये। जिस प्रकार से शराब के ठेकेदार मदद कर रहे हैं। सचमुच आप समाजवाद लाना चाहते हैं तो पहले मन में समाजवाद को उतारना पड़ेगा। मैं खासतौर से माथुर साहब से कहना चाहता हूं कि यदि आप सीरियसली सोचते हैं कि देश में सचमुच में समाजवाद आयेऔर लोगों को आराम मिले तो आप इस ओर कदम उठाइये। आज आप गावों में जाकर देखिये तो सही कि क्या हालत है। आज 23 वर्ष की आजादी में भी देश में लोगों को गांवों में दवा के साधन नहीं हैं। पांच वर्ष से मेरे क्षेत्र में लोग बिना दवा के मर रहे हैं। मानपुरा, खटवाड़ आदि में लोग मर रहे हैं लेकिन दवाखाना नहीं खुलेगा क्योंकि पैसा नहीं है। विरोधी पक्ष में हम बैठें। मुझे क्षमा करिये, हम यहां पर विरोध जरूर कर लेते हैं लेकिन हमारे मन में भी एक तड़फ होनी चाहिये वह नहीं है। तड़फ होती तो 12 हजार मील की यात्रा, फ्री यात्रा को हम काम में नहीं लेते। हमारा मालिक तो बिना दवा के मर रहा है और हम उनके चाकर

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
होकर भी 12 हजार मील की फ्री यात्रा का उपभोग करते हैं। हम अपने पर सीलिंग रखते बिजली, पानी आदि के तो उनको भी अपने ऊपर सीलिंग लगाना पड़ता। उनके खर्चे तो देखिये, बंगले का, पानी का, बिजली का, टेलीफोन का और वह अनाप शनाप हो गया है। रोज सदन में भ्रष्टाचार के मामले उठते हैं। ये भी तब ही ध्यान देंगे जब कि विरोधी दल वाले भी चरित्रवान होंगे, सबल होंगे और प्रबल होंगे, हुंकार करने की उनमें ताकत होगी। कृपा कर आप इस ओर ध्यान दीजिये।

बड़ी बड़ी योजनायें तालाबों की बननी चाहिये। मैं उसके लिये बधाई देता हूं। माण्डलगढ़ क्षेत्र में आपने ऐसा तालाब बनाया है जो स्वाभाविक ही था, दस नदियां मिलती हैं। कई छोटे छोटे तालाब हैं, जिनसे सौ बीघा, पचास बीघा की पिलाई हो सकती है और कुओं को भी अधिक पानी उनसे मिल सकता है, यह नहीं होता है तो सिंचाई का मामला अधूरा रहता है कृपा करके इन छोटी छोटी योजनाओं को भी हाथ में लीजिये।

शिक्षा के बारे में बार बार निवेदन किया है कि एक भी कॉलेज न बढ़ायें। जितने प्राइमरी स्कूल आप खोल सकते हैं उतने खोलिये। मुझे तो यह लगता है कि आपको यह डर लगता है कि यदि लोग शिक्षित हो जावेंगे यो जागृत हो जावेंगे तब उन पर जो आज जुल्म ढाये जाते हैं वे नहीं ढहा सकेंगे। 23 वर्ष की आजादी में भी एक आदमी आज दस्तखत न कर सकता हो क्या किया है आपने ? समाजवाद की बात करते हैं, समाज कल्याण की बात करते हैं। समाज तो एक तरफ हो गया और कल्याण किसका हो रहा है ? बंगाल से आये विस्थापितों को देवली कैम्प में ठहराया गया और अभी सदन में मामला आया। एक हजार क्वार्टर्स बनाये। प्रकृति का प्रकोप हुआ। शासन का तो पहले ही उन पर प्रकोप हुआ कि उनको अपने घरों से उखड़ कर आना पड़ा और उनको यहां ठहराया। सीमेन्ट में रेत कम डालने से दीवारें गिरी और उनकी यह हालत बनी। अकाल और शरणार्थियों के नाम पर आये पैसे को भी खा जायं यह कैसी विडम्बना है। यह तो किसी के कत्ल से भी अधिक मामला है। लोगों को फांसी पर नहीं लटका सके लेकिन ऐसे लोगों के तो हथकड़ी लगाकर गांवों में फिराया जाय चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी हो, या आदमी हो। सब इन्स्पेक्टर कंजरों से खा जाय। कंजर तो है ही मांग कर खाता है लेकिन रिश्वत जो कंजरों से खा जाय वह कंजर का भी बाप हुआ। रिश्वत खाये, रात को सोये नहीं, ठाट बाट से शादी करे, पहले गोद में एक दो रुपये से अधिक नहीं रखा जाता था। वाकई सच्ची बात है कि इन नेताओं के लिए तो शादी एक आमदनी का जरिया हो गया है क्योंकि बहुत गोद में रखते हैं। जो हमारे यहां हाकिम थे वह रिश्वत नहीं खाते थे लेकिन उन्होंने एक भगवान का मंदिर बना रखा था, उस पर भेंट चढ़ा जाय तो वह पुजारी का, इसलिए ले लेते थे। एक हजार चढ़ा जाय तो भी ले लेते थे क्योंकि पुजारी थे। यही आज हो रहा है, कृपा करके इस ओर ध्यान दीजिये, आप अरबों रुपये खर्च कर रहे हैं और जनता जहां की तहां है। इससे फायदा

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

क्या है। यही हालत रही तो बंगाल की हालत होगी। एकदम बंगाल में यह हालत हो गई हो--ऐसा नहीं है। जो आग वर्षों से सुलग रही थी, जो भेद भाव था, जिस प्रकार पश्चिमी पाकिस्तान वालों ने दबाया, अन्त में उसका परिणाम क्या हुआ ? इसी तरह से यहां जो कल गरीब था, वह अब गरीब नहीं है ? क्या यह स्थिति आज नहीं है कि गरीब अधिक गरीब हुआ है और अमीर अधिक अमीर हुआ है। इसलिए इस पर विचार कीजिये, चिन्तन कीजिये, सम्मलिये, नहीं तो स्थिति खराब होने वाली है। हो सकता है, एक दफा फिर आप धोखा दे दें, और आप चुन कर आ जांय। चुन कर आ सकते हैं, वैसे आप कहीं भी चले जायं, जनता हर जगह बुराई करती है। चुन कर तो इसलिए आते हैं कि जो वोट देने वाले हैं वह अशिक्षित हैं, इसलिए आप आ रहे हैं। आपको चेतना है क्योंकि आप मिनिस्टर हैं और दीपक तले ही अंधेरा इससे सिद्ध होता है। अगर जनता सोच समझ कर वोट दे, तो जन जागृति आ जायगी और वह समझ लेंगे कि समाज कल्याण का काम नहीं हो रहा है, जो कुछ यह कर रहे हैं वह वोट प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। यह समझ में आ जायगा, तब सही चुनाव होंगे। आज जो हरिजन मंत्री पहले थे, वही हरिजन मंत्री चले आ रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। जगजीवन राम जब से सरकार बनी है तब से हैं। अब हालत यह हो गई है कि दस साल तक इन्कम टैक्स देना भूल जाते हैं, तब भी उनको नहीं हटायेंगे। इससे अधिक क्या अर्ज करूं। मुझे लगता यह है, अब मौका आ गया है, इसलिए मैं कहता हूं पर न मालूम इनके कौनसी खाल लगी हुई है कि कोई असर नहीं होता है, शायद गेंडे की खाल पहन रखी है शरीर पर जिसके कारण असर नहीं होता। हम चिल्लाते हैं तो हम ही में दोष है चरित्र में, इनका दोष नहीं है, हमारा चरित्र बल जोरदार होता तो इन पर असर होता....

श्री नत्थीसिंह : (श्री विश्वम्भर नाथ जोशी से) आज मौका मिलेगा आपको बोलने का।

श्री मनोहरसिंह मेहता : लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है कि इस सब को सहती रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा करके आजादी के पहले जो चालीस चालीस पैबन्द वाले कपड़े पहनते थे, उनको आप सम्भाल कर रखें, क्योंकि वह समय दूर नहीं है जब जिस तरह आज पूर्वी बंगाल वाले पश्चिमी बंगाल वालों को मार रहे हैं वैसे लोग आपको मारेंगे, उन दिनों का सहारा यह कपड़े होंगे। इसलिए उन कपड़ों को सम्भाल कर रखना, उनको फेंकना मत। गांधीजी के जो शब्द थे, वह साकार होने वाले हैं। उन्होंने कहा था वह दिन दूर नहीं है जब जनता चुन चुन कर मारेगी....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सर्वोदयी होकर आप यह कह रहे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : चुन चुन कर मारेगी, इसका मतलब यह नहीं है कि हमको नहीं मारेगी, हमें भी नहीं छोड़ने वाली है क्योंकि हम खुद उनमें से रहे हैं। तब कहेंगे, तुम एक से हो। जितना जुल्म करने वाले का दोष है, उससे अधिक सहन

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

करने वाले का दोष है। इसलिये आप और हम एक ही नाव में बैठे हुए हैं। आप यह मत समझना कि आप ही डूबोगे, हमें भी लेकर डूबोगे। हम आपको रोक सकते थे लेकिन क्योंकि नहीं रोक सके इसलिए लोग हमें भी मारेंगे। इसमें दो राय नहीं है। इसलिए कृपा करके सम्भलिये। आप जो अरबों रुपये का खर्च कर रहे हैं, यह वेस्ट कर रहे हैं। यह बजट पास करा लिया अरबों रुपयों का, क्या इसका भी यही करने वाले हैं। अगर जनता को समृद्ध बनाने वाले हैं, जनता को सुखी बनाने वाले हैं, जनता को सुरक्षा देने वाले हैं और बेकारी मिटाने वाले हैं तब तो ठीक है, बाकी जैसा बंगाल में चल रहा है, वही बंगाल की हालत यहां लाने के लिए आप काम कर रहे हैं। इसलिए कृपा करके आप सावधान रहिये। जिन मंत्रियों ने शादी में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया, उनके लिए मुझे दुःख है, जिन दो ने उदाहरण प्रस्तुत किया उनको मैं बधाई देना चाहता हूं....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आपका गला थक गया है, तशरीफ रखिये बहुत थक गये हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप बोलिये मैं बैठने वाला हूं। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं, कृपा करके जीवन में सादगी उतारिये तब समाजवाद आयेगा। यदि सादगी नहीं उतारेंगे जीवन में तो नहीं आने वाला है। लेकिन इसमें आपका भी क्या दोष है। समाज में आज बड़ा उसको मानते हैं जिसके पास वैभव होता है। जो गरीब है, जो शोषित है उसकी समाज में कद्र नहीं होती है। आपके जो लड़के हैं, वह पचास हजार से ऊंचो लड़के को शादी करना चाहता हैं. यह चाहता है कि दो लाख दहेज दे। सब लोग यह देखते हैं कि इतना दहेज आया है। चाहिये तो यह कि ऐसे लोगों से घृणा करें जिन्होंने ऐसा पैसा लिया है। लेकिन आज बड़ा वह है जिसके यहां दो एक लाख का तिलक आता है। लड़के वाला गौरव के साथ पैसा लेता है। वह नहीं सोचता, मैं लड़का बेच रहा हूं, मांस बेच रहा हूं कसाई का घृणित काम कर रहा हूं। यह नहीं सोचता है। समाज कहता है कि दो लाख का तिलक आया है इसलिए यह बड़ा है। समाज में आज यह दशा है, यह सही नहीं है, वह बड़ा नहीं है, सच्चाई वाला बड़ा है, नैतिकता वाला बड़ा है, तभी जाकर भारत का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा। इसलिए कृपा करके सोचिये। बस इतनी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल बाजार) : सभापति महोदय, विनियोग विधेयक के द्वारा राज्य सरकार ने बजट में पारित मांगों को लागू करने के सम्बन्ध में सदन से अनुमति चाही है। राजस्थान की जिस प्रकार की वित्तीय स्थिति है उस सम्बन्ध में इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को चिन्ता है, राजस्थान की जनता की जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति हो रही है वह भी सबके लिए एक चिन्ता का विषय है परन्तु बार बार सरकार को सावधान करने के उपरान्त भी सरकारी पक्ष की ओर से इस प्रकार का कोई व्यवहार किया हुआ प्रतीत नहीं होता जिससे यह विश्वास उत्पन्न हो कि राज्य सरकार निकट भविष्य में ही कुछ ऐसे सुधार वादी काम करने वाली है जिससे राजस्थान

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार और राजस्थान की जनता—इन दोनों की बहबूदी हम सब लोगों के सामने आ जायगी। राज्य सरकार अपनी आय के स्रोतों में सबसे बड़ा स्रोत कर को मानकर चल रही है। सभापति महोदय, सन् 1952 से लेकर सन् 1971 तक लगभग 20 वर्ष का समय हो गया लेकिन इस लम्बे समय में भी राजस्थान सरकार कर के अलावा किसी अन्य स्रोत को इतना प्रभावशील नहीं बना पाई जिसके कारण हमारी वित्तीय स्थिति सुधर जाय। राजस्थान में बढ़ती हुई मंहगाई, रुपये का अवमूल्यन—यह कुछ फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स के कारण आज जनता की आय भी और खास तौर से सीमित आय वाले वर्ग की स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही है। गत वर्ष सभापति महोदय, हम सब लोगों ने फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट को देखा है और उसके साथ राजस्थान सरकार की ओर से फाइनेन्स कमीशन को जो अपना मेमोरेण्डम प्रस्तुत किया गया, उस मेमोरेण्डम को भी सदन के माननीय सदस्यों ने अच्छी तरह से देखा है। मैं यह आशा करके चलता था कि फाइनेन्शियल मेमोरेण्डम में फाईनेन्स कमीशन के सामने जो पेश किया गया, सरकार ने जिन मुद्दों को उठाया है, कम से कम सरकार उनकी पालना शुरू करेगी। फाईनेन्स कमीशन ने भी कहा है कि रेवेन्यू खाते में, एक्सपेंडीचर को कम करने की व्यवस्था की जाय। वित्त मंत्री ने भी राजस्थान सरकार की ओर से ज्ञापन प्रस्तुत किया उसमें इस तथ्य को स्वीकार किया और यह भी कहा कि हम आगे भी इस बात का प्रयास करेंगे लेकिन कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद जो बजट प्रस्तुत हुआ उसमें इकोनामी नाम का कोई फैक्टर नहीं है और इससे हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राजस्थान सरकार अब अपने खर्च में किसी प्रकार की कटौती नहीं कर सकती। यह सरकार नहीं कर सकती, जिन मदों के ऊपर खर्च हो रहा है उन खर्चों में सरकार का कोई न कोई तत्व अपने स्वयं के इन्ट्रेस्ट को लेकर चलता है। वरना आज राजस्थान सरकार के मंत्री मण्डल के सदस्य चाहे प्रशासनिक दृष्टि से योग्य न हों वे स्वयं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में योग्य हैं इससे कोई भी इन्कार नहीं कर सकता है। जो स्वयं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है यदि कलेक्टिवली विचार करें और प्रयास करें तो निश्चित रूप से राजस्थान की वित्तीय स्थिति सुधर सकती है। सभापति महोदय, राजस्थान राज्य का अन्य राज्यों से मुकाबला करें तो मुख्य मन्त्री जी स्वयं कई बार स्वीकार कर चुके हैं। उन बातों को अब मैं दोहराना नहीं चाहता हूं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति, राजस्थान को पर कैपिटा इन्कम और जनता से सम्बन्धित अन्य मसलों से हम अन्य राज्यों से पीछे हैं और हम अन्य राज्यों के साथ आने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कब तक आयेंगे, इस बारे में कोई लक्ष्य नहीं है।

सभापति महोदय, इसी सदन में पिछली बार चर्चा हुई थी कि भारत सरकार के जो प्रोजेक्ट हैं वे राजस्थान में भी ज्यादा स्थापित हों, इस बात की चेष्टा की जाय लेकिन मैं समझता हूं भारत सरकार भी राजस्थान सरकार को कुछ ऐसा समझ कर चलती है कि यहां कोई कारखाने खोले जायं या नहीं खोले जायं—राजस्थान सरकार की तरफ से तो कोई आग्रह होने वाला

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं है। शायद इसी वजह से भारत सरकार के कारखाने जैसे खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट, जिन्क स्मैल्टर, कोटा इन्स्ट्रूमेन्टेशन, एच. एम. टी. अजमेर और इसी प्रकार हिन्दुस्तान साल्ट—इन सब में राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से कोई दिलचस्पी नहीं ली और यहां तक दिलचस्पी नहीं ली कि इनकी तरफ कभी ध्यान भी नहीं दिया। एटोमिक कमीशन द्वारा जो राणा प्रताप सागर पर काम हो रहा है, उस काम को कभी देखने की चिन्ता नहीं की और उसका परिणाम आज राजस्थान को भुगतना पड़ रहा है। आज जिन्क स्मेल्टर में रॉ मेटेरियल की इस राजस्थान की सरकार को चिन्ता नहीं। इसका प्राफिट न केवल भारत सरकार को मिलेगा बल्कि रॉ मेटेरियल के नाते, उस प्रोजेक्ट के नाते राजस्थान की सरकार को बहुत लाभ होगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने कभी इसकी चिन्ता नहीं की और इसी प्रकार एटोमिक प्लान्ट जिस समय प्लान्ट प्रोजेक्ट के रूप में सरकार के सामने आया उस समय जनरेटर की कास्ट केवल 5 पैसे थी उससे बढ़कर 7 पैसे हो गई और फिर उसके बाद 8 पैसे हो गई और जो लेटेस्ट एस्टीमेट मेरी जानकारी के अनुसार है उसके अनुसार, सभापति महोदय, 5 पैसे से बढ़कर 11 पैसे पर चली गई। अब आप अन्दाजा लगायें, हरियाणा और पंजाब के भाखरा और चम्बल के मुकाबले कास्ट आफ जनरेशन लेना चाहते हैं, वह पूल के आधार पर निर्धारित करना चाहते हैं। किस स्थिति में लें, यदि एटोमिक पावर नहीं भी आयेगी तो राजस्थान के उद्योग धन्धों पर और एग्रीकल्चर के ऊपर एक ऐडवर्स इफेक्ट पड़ेगा-इस स्थिति पर इनका कोई ध्यान नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि राजस्थान सरकार भारत सरकार के इन प्रोजेक्टों को राजस्थान के हित में किस प्रकार हो सकते हैं, इसका चिन्तन करती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं राजस्थान के मन्त्रिमण्डल के सदस्यों ने शायद खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट को देखा भी नहीं होगा, एटोमिक पावर प्लान्ट पर कभी इनकी नजर गई भी नहीं होगी—जिन्क स्मैल्टर की कोई जानकारी की हो, ऐसा भी नहीं लगता है। जब राजस्थान की सरकार भारत सरकार के इन कल कारखानों के अन्दर कोई इन्ट्रेस्ट नहीं लेती है तो परिणाम यह निकलता है भारत सरकार भी राजस्थान के अन्दर कल कारखाने स्थापित किये जाने के बारे में उदासीन होकर चलती है। मैं कहना चाहता हूं अगले साल राणा प्रताप सागर से बिजली मिलेगी, वहां मुख्य मंत्री जी ने लुधियाना में वायदा कर दिया राजस्थान सरप्लस बिजली देगा। आज राजस्थान की सरकार यह नहीं समझती है जो राणा प्रताप सागर से एटोमिक पावर की बिजली मिलेगी उसको हन्डरेड परसेन्ट युटिलाइज कर लेंगे। हमारे पास बिजली सरप्लस है और इस बात का संकेत है कि आज के इस डवलपमेंट के युग में बिजली सरप्लस की स्थिति में आ जायगी, लेकिन राजस्थान सरकार राजस्थान के इन्डस्ट्रियलाइजेशन के बारे में चिन्ता नहीं करती है। मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मन्त्री जी ने किस आधार पर यह वायदा पंजाब सरकार से किया है कि हम सरप्लस बिजली पंजाब को देंगे? क्या

(श्री भैरोंसिंह)

यह मानकर चलते हैं कि राजस्थान में और बिजली की आवश्यकता नहीं है ? क्या यह मानकर चलते हैं कि राजस्थान के एग्रीकल्चर के सेक्टर में जितनी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति कर दी और इस क्षेत्र में कोई डिमान्ड नहीं रही ? केवल इसीलये राजस्थान को सरकार ने उस बिजली के उपयोग के लिये भविष्य में किसी प्रकार कार्यक्रम बनाया जाय, इसकी चिन्ता नहीं की। एटोमिक पावर से बिजली मिले वह पंजाब सरकार के काम में आये, इसकी चिन्ता है। दूसरों के लिए कमिट करने की कोशिश करते हैं जब कि हालत यह है कि राजस्थान की सरकार की स्थिति कमजोर है। हमारे यहां बिजली युटिलाइजेशन हो इसकी चिन्ता नही है, सेन्ट्रल प्रोजेक्ट न आये इसके बारे में चिन्ता नहीं है लेकिन राजस्थान की बिजली अन्य राज्यों में जाय, इसकी चिन्ता है। राजस्थान का पानी मध्य प्रदेश में चला जाय, राजस्थान का पानी गुजरात में चला जाय, इसकी चिन्ता नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह निकलता है राजस्थान की सरकार केवल रुटीन में जो मेजारिटी मिल गई उसके आधार पर एडमिनिस्ट्रेशन लेकर चला रही है। राजस्थान सरकार को चिन्ता हो जायगी जयपुर उद्योग के साहू शान्तिप्रसाद को किस प्रकार प्रोटेक्शन दिया जाय, उसके ज्यादा से ज्यादा कारखाने किस प्रकार स्थापित किये जायं। राजस्थान भारत का एक अंग है। भारत सरकार कह कर चलती है कि राजस्थान में कारखाने खुलें लेकिन मोनोपोली नहीं होनी चाहिये। आज अगर इन्दिरा गांधी भी आकर देखें और राजस्थान सरकार अपने कल कारखानों और लाइसेन्स की पद्धति का ज्ञान कराये तो दो आदमी राजस्थान की इन्डस्ट्री पर हावी मिलेंगे एक तो बिड़ला ग्रुप और दूसरा साहू ग्रुप। अब किसी होटल के खोलने की बात हो तो साहू शान्तिप्रसाद, ब्यावर में सीमेन्ट फैक्ट्री खुले तो वह श्री साहू की खुले। इस तरह धीरे धीरे इनका एक्सपेन्शन चल रहा है। मतलब यह है कि इन लोगों के पास राजस्थान की पूंजी इकट्ठी हो रही है—आज उन लोगों को प्रोत्साहन देकर राजस्थान सरकार बढ़ रही है। इस बात को महसूस नहीं करती है कि पूंजी का अधिक से अधिक लाभ किस प्रकार हो। बड़े बड़े धन्ना सेठ किस प्रकार यूटिलाईजेशन कर सकते हैं उनको सहयोग करती है। सभापति महोदय, अभी राजस्थान सरकार पैसे की चिन्ता करे तो जनता पर टैक्स की बात करेगी। एक प्रश्न इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया था डी.सी.एम. में बिजली के बारे में और डी. सी. एम. के श्री राम फर्टीलाइजर फैक्ट्री में 35 मेगावाट का प्लान्ट लगाया गया, उसकी आवश्यकता नहीं थी ? लेकिन सरकारी हस्तक्षेप हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से 35 मेगावाट बिजली इस शर्त पर कि, भाखरा से जो बिजली राजस्थान को मिलेगी उसमें से 25 मेगावाट बिजली देगी और बाकी बिजली राजस्थान सरकार देगी, दें वह अनुमति भी आज तक, सभापति महोदय, एक एग्रीमेंट के रूप में नहीं है। वह एक लैटर के रूप में है और यह शर्त मन्जूर कर ली और इस कारसपोन्डेन्स के आधार पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को आज्ञा कर दी गई। लेकिन 25 मेगावाट का प्लान्ट लग गया। उसने कहा, अब 25 मेगावाट के स्थान पर वह 20 मेगावाट बिजली लेगा। और जब

(श्री भैरोंसिंह)

प्लान्ट पूर्ण रूप से लग गया तो लगने के बाद कहा, मुझे 20 को जरूरत नहीं है 20 से घटाकर 15 मेगावाट बिजली कर दी। अब फिर इसके बाद कहा, मुझे 15 मेगावाट बिजली भी नहीं चाहिये केवल 10 चाहिये। सभापति महोदय, 10 मेगावाट बिजली पर आ गये और 10 मेगावाट की सेंक्शन कर दी और अब 10 मेगावाट को घटाकर 6 मेगावाट बिजली कर दी और यह 6 मेगावाट बिजली भी किसी काम के लिये, उसमें लिख दिया जिस समय मेरे प्लांट बन्द हो जायेंगे तो उस समय इनके टूल्स की सफाई वगैरह करने के लिए जो बिजली की आवश्यकता है वह बिजली नार्मल टेरिफ के आधार पर दी जाय तो आप अन्दाजा लगाइये की 35 मेगावाट से 6 मेगावाट पर आगये तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कहा कि इससे घाटा होता है। और घाटा क्या होता है कि जो नांगल प्रोजेक्ट से 25 मेगावाट बिजली उनको केवल खाद कारखाने के लिये मिलने वाली थी वह भाखरा नांगल प्रोजेक्ट से खाद कारखाने के लिए बिजली देने वाले हैं और किसी काम के लिए बिजली नहीं देंगे तो 68 से वह बिजली मिलती तो 68 का साल गया, 69 का साल गया, 70 का साल गया और 71 का जा रहा है। तीन वर्ष निकल गये और उसका परिणाम सरकार को क्या भुगतना पड़ा कि एक साल मे 25 मेगावाट मिलने को थी तो इसके लिए जो रेट्स हैं और फर्टीलाइजर के लिये जिस रेट पर बिजली मिलती है वह डेढ पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से है। उसी डेढ पैसा प्रति यूनिट के हिसाब से इसमें बिजली मिलती और नॉर्मली जो इन्डस्ट्रीज को बिजली देते हैं वह 7 पैसे के हिसाब से देते हैं तो डेढ़ पैसे के हिसाब से बिजली और ट्रान्समिशन पर खर्चा होकर 3 पैसे का खर्चा एक यूनिट पर होता तो भी, सभापति महोदय, 4 पैसे की बचत होती और उस आधार पर राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 1,34,00,000 रु. का मुनाफा होता। लेकिन तीन वर्ष तो निकल गये तीन वर्ष निकलने के कारण इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को चार करोड़ का घाटा हो गया। अब भविष्य में यह बिजली मिलने वाली है उसके लिए पिछली बार कह दिया कि जालान ब्रदर्स से फर्टीलाइजर्स के लिए बात चल रही है और सीकर में पाइरेट मिल गया है उसके आधार पर खाद का कारखाना चालू किया जायगा न तो पाइरेट से खाद का कारखाना खुलेगा और न जालान ब्रदर्स खोलने वाले हैं इन 5-6 वर्षों में। मुझे तो सरकार की ऐसी योजना लगती है कि कोई दूसरा कारखाना खुल जायगा। वैसी स्थिति में कम से कम यह स्थिति तो मानकर चलें कि 10 वर्ष तक जो 25 मेगावाट का उपयोग कर सकते थे वह नहीं कर पायेंगे, तो उसका एक वर्ष में 1,34,00,000 रु. के नुकसान से अन्दाजा लगायें तो 10 वर्षों में कितना नुकसान होगा? इसके लिए जिम्मेदार कौन? मैं भी मानता हूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यह काम करना चाहता था और आखिर में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार था, लेकिन मुझको सुनकर अफसोस हुआ कि राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को मनवाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के मातहत डाईरेक्शन्स इश्यू कर दिये। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार को डी. सी. एम. के पक्ष में डाइरेक्शन्स इश्यू करने की क्या

(श्री भैरोंसिंह)

जरूरत थी ? क्यों राजस्थान की जनता को 15 करोड़ के घाटे के अन्दर दिया गया? ऐसी कौन सी विशेषता थी कि जिसके कारण यह डाइरेक्शन्स इश्यू करके राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को और उसके मार्फत राजस्थान की जनता को 15 करोड़ का घाटा पहुंचाया ? आप आज समाजवाद का कितना ही ढोल पीटें, और समाजवाद लाने के लिये कुछ भी बात करें, लेकिन आपकी मनोवृत्ति सेठों की गुलामी की है, और जो सरकार सेठों की गुलाम है और उनसे नियन्त्रित होती है वह सेठों के ऊपर नहीं जा सकती और न सेठों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए जो उसकी प्रवृत्ति है उसको रोक सकते हैं, न उनके मुनाफे को रोक सकते हैं, न उनके द्वारा किये जाने वाले जनता के शोषण को रोक सकते हैं। सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में कई बार यह कहा गया है कि राजस्थान में इन सेठों और सरकार में कॉलेबोरेशन नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि आज राजस्थान सरकार और गरीबों में कॉलेबोरेशन नहीं है। आज गरीब और राजस्थान सरकार में सामन्जस्य नहीं है। सामन्जस्य तो राजस्थान सरकार और सेठों के बीच में है। ये दोनों मिलकर जनता का शोषण कर रहे हैं। इस शोषण से जब तक राजस्थान को नहीं बचाया जायगा मैं विश्वास से कह सकता हूं कि राजस्थान की स्थिति चाहे सरकार की हो, चाहे राजस्थान की जनता की स्थिति हो, उसके आर्थिक दिवालियेपन को मिटा नहीं सकते।

सभापति महोदय, अभी एक क्वेश्चन के बारे में रामानन्द जी कह रहे थे कि नेशनेलाइजेशन रूट्स का क्यों नहीं हो रहा है ? क्योंकि ये लोग मिले हुए हैं और ये मिले हुए किस प्रकार से हैं यह मैं सदन में एक बार संकेत के रूप में कह चुका हूं, और आज भी कहना चाहूंगा। सभापति महोदय, कि राजस्थान सरकार नेशनेलाइजेशन के नाम पर कितना शोषण कर रही है—वह इस सदन में मैं बताना चाहूंगा। वह किस प्रकार से कर रही है। मोटर व्हीकल्स एक्ट में 1969 म एक अमेंडमेंट किया गया और उस अमेन्डमेन्ट के जरिये यह व्यवस्था कर दी कि जिस रूट के सम्बन्ध में स्कीम का पब्लिकेशन हो जाय, तो जब पब्लिकेशन होता है उसके बाद में उस रूट पर चलने वाली जितनी गाड़ियां हैं उनका रिन्यूअल हो सकता है। उसका मतलब यह है कि कोई भी नया परमिट नहीं मिल सकता है। नये परमिट के लिए एप्लीकेशन्स इन्वाइट नहीं की जा सकती हैं, और पुराने परमिट होल्डर का केवल रिन्यूअल हो सकता है। यह अमेन्डमेन्ट की धारा है। मैं इसको सुनाकर सदन का समय नहीं लेना चाहता, लेकिन सदन में यह बताना चाहूंगा कि कितनी रूट्स ऐसी हैं कि जिनकी स्कीमें पब्लिश हो गईं और जिस समय से पब्लिश हो गईं तो उन रूट्स पर नये परमिट होल्डर्स तो जा नहीं सकते, लेकिन उस स्कीम के पब्लिश होने के समय जो परमिट होल्डर थे वह आज मोनोपोली लेकर बैठे हैं। अजमेर से भीलवाडा 65 में स्कीम पब्लिश हुई, भीलवाड़ा से उदयपुर 18-12-65 को, सिरोही से अनादरा 12-5-65 को, सिरोही से रामसिंह 12-5-65 को, सिरोही से रामसिंह वाया सिरोही रोड 12-5-67 को, अलवर से भरतपुर 10-7-67 को, अलवर से गोविन्दगढ़ 10-7-68 को, अलवर से डीग

(श्री भैरोंसिंह)

10-7-67 को, अलवर से लक्ष्मणगढ़ 10-8-67 को, नगर से भरतपुर 10-8-67 को, अलवर से खेड़ली 10-8-67 को, एरिनपुरा से जालोर 10-8-67 को, जोधपुर से नागौर 28-9-67 को, नागौर से नोखा 28-9-67 को, नागौर से बीकानेर 28-9-67 को, जोधपुर से बीकानेर 28-9-67 को, किशनगढ़ से परबतसर 30-10-67 को, उदयपुर से रिखबदेव 9-1-68 को, उदयपुर से खैरवाड़ा-डूंगरपुर 9-1-68 को, डूंगरपुर से रतनपुरा 9-1-68 को। ये 24 की 24 स्कीमें आज एल. आर. के पास पड़ी हुई हैं। स्कीमें पब्लिश हो गई। तो पब्लिश होने के बाद में 65, 67 और 68 के मामले एल. आर. के पास अब तक क्यों पड़े हैं? एल. आर. उन पर सांप बनकर क्यों बैठा हुआ है? मैं कहना नहीं चाहता पर इसका परिणाम यह निकलता है कि कुछ दूसरी नई गाड़ियां नहीं चलाई जा सकें, और वे परमिट होल्डर्स मोनोपोली का फायदा उठाते रहें। आप यह समझते हैं कि यह काम यों ही किया जा रहा है? एल. आर. यों ही बैठा रहेगा। इसका बड़ा लम्बा चौड़ा चिट्ठा है कि कौन कौन परमिट होल्डर्स हैं, किन किन का इन बसों में शेयर है और किस तरह से मुनाफा कमाया जा रहा है। मुनाफा कमाने की यह प्रवृत्ति है। जैसा कि मैंने कहा, सरकार के लोग सरकारी काम में मुनाफा करने की योग्यता रखते हुए भी शायद नहीं कर रहे हैं लेकिन उसको घाटे में घुसाने के अन्दर इनकी योग्यता इतनी है कि अगर सरकार नेशनेलाइजेशन करना चाहती है तो उसके उपरान्त भी वे उसमें लाभ कमाने की चेष्टा कर रहे हैं। सभापति महोदय, आप ताज्जुब करेंगे कि नेशनेलाइजेशन में लगभग 47 रूट्स ऐसी हैं जिनमें 1100 किलोमीटर का कुल नेशनेलाइजेशन हुआ है ..

(3.1 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उस 1100 में से 900 किलोमीटर ऐसे हैं जिन पर ओवरलेपिंग होता है और उस कारण से राजस्थान रोड ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन को जबरदस्त घाटा हो रहा है और यातायात की व्यवस्था में बड़ी दुविधा हो रही है। राज्य सरकार ने जो स्कीमें पब्लिश कीं वे स्कीमें भी इस प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, बस्ता-ए-खामोशी में पड़ी हुई हैं। इसका परिणाम यह निकलता है कि कार्पोरेशन को जितना मुनाफा होना चाहिए वह नहीं हो रहा है और सरकार कहीं न कहीं इन कार्पोरेशन्स को घाटा पहुंचाने की मनोवृत्ति को लेकर चल रही है। अपनी खुद की इन्डस्ट्रीज के अन्दर राज्य सरकार को घाटा पहुंचाने की स्थिति को लेकर चलें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति का भी सुधार नहीं हो सकता। कभी राजस्थान सरकार ने बिजली बोर्ड के सम्बन्ध में चिन्ता नहीं की, कभी ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन के सम्बन्ध में चिन्ता नहीं की। इसी प्रकार से जितने भी बाकी के कार्पोरेशन्स हैं उनके सम्बन्ध में कोई चिन्ता नहीं की। चिन्ता है तो इस बात की, उपाध्यक्ष महोदय, कि चिन्ता करने वाले स्वयं अपने इस प्रकार के कार्य को शुरू कर दें।

(श्री भैरोंसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने मंत्रियों के सम्बन्ध में एक आचरण संहिता तय की है। वह लम्बी-चौड़ी है। इसमें इस बात पर पाबन्दी अवश्य है कि यदि किसी मंत्री का पुत्र या निकट का रिश्तेदार है और वह कोई सरकार के साथ बिजनेस करता होगा तो मन्त्रिमन्डल में शामिल होते ही इस प्रकार के बिजनेस को रोक दिया जायेगा। इस प्रकार की इसमें व्यवस्था है। अगर माननीय सदस्य इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। मंत्रियों को तो मालूम है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि उनको चिन्ता क्यों नहीं है? इसके अन्दर कुछ ऐसे वायरस क्रियेट हो गये कि यह लोग सरकार को ही खाने की प्रवृत्ति लेकर चलते हैं। सरकार को घाटा पहुंचा कर और फिर अपना पेट भरने की चिन्ता करने लगते हैं तो यह मानकर चलें कि भविष्य बड़ा अन्धकारमय है।

भीलवाड़ा में, उपाध्यक्ष महोदय, 5 इन्डस्ट्रीज हैं—एक है राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विसेज, एक है राजस्थान ऑटो सर्विसेज, एक है राजस्थान एग्रो इन्डस्ट्रियल सर्विसेज, एक है श्याम कॉटेज इन्डस्ट्रीज और एक है शीतल पेय। अब ये पांच इन्डस्ट्रीज हैं। अब इन पांच इन्डस्ट्रीज के बारे में सभी जानते हैं और अगर इन इन्डस्ट्रीज का सामान राजस्थान की सरकार खरीदे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और भी इन्डस्ट्रीज हैं, फर्म्स हैं राजस्थान सरकार उनसे सामान खरीदती है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। बार-बार इरिगेशन डिपार्टमेंट पर्चेजेज करता है, पी. डब्ल्यू. डी. पर्चेज करता है, और बाकी के डिपार्टमेंट पर्चेजेज करते हैं। एक रेट कॉन्ट्रेक्ट होता है, टेन्डर्स इनवाइट होते हैं और एक सेट प्रोसीजर के अन्दर पर्चेजेज होती हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, जो यह राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विसेज हैं उनके पार्टनर्स कौन कौन हैं। यह मैं समझता हूं कि सदन जानता है। इनके पार्टनर एक श्री ओमप्रकाश लड्ढा हैं, दूसरे श्री विनोद लड्ढा हैं और तीसरे श्री रामप्रसाद बल्दुआ हैं। ये लड्ढा कोई दूसरे लड्ढा नहीं हैं। ये रामप्रसाद जी लड्ढा के दोनों पुत्र हैं। इनसे 33 डीजल सेट्स खरीदे गये। रेट कॉन्ट्रेक्ट के बेसिस पर या कैसे खरीदे गये हैं इसका तो मन्त्री महोदय ही जवाब देंगे। परन्तु मेरी यह जानकारी है कि दो हजार का एक सेट तीन हजार रुपयों में बेचा गया है। मेरी जानकारी के अनुसार पर्चेजेज जब की गई हैं तब 55 डीजल सैट्स स्टॉक में थे और उसके बाद भी ये सेट्स खरीदे गये हैं। उनकी कोई आवश्यकता नहीं थी और आवश्यकता न होते हुए भी यह इस फर्म राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विसेज से खरीदी गई हैं। और भी दूसरी फर्म हैं। इस बीच में, उपाध्यक्ष महोदय, शायद मन्त्री महोदय यह जवाब देंगे कि मैंने तो एक हुक्म दिया था कि आइन्दा इरिगेशन को पर्चेजेज इस फर्म से नहीं की जायें। यह सही है कि यह हुक्म दिया गया है और यह इस बात का सबूत है कि इस फर्म से इरिगेशन डिपार्टमेंट ने पर्चेजेज की हैं और यह फेक्ट उनकी नॉलेज में आया है। कोई मन्त्री यह कहता है कि उनके बच्चे क्या करते हैं, यह उनको जानकारी नहीं है। उनको जानकारी मिल रही है और यह हुक्म निकाल दिया गया। उसके

(श्री भैरोंसिंह)

बाद भी, उपाध्यक्ष महोदय, मेजा डेम के लिये चार सैट्स इसी फर्म से फिर खरीद किये गये हैं। अब इससे आपको पता लग गया होगा कि हालत किस प्रकार की है। इसी प्रकार से राजस्थान ऑटो सर्विसेज है, उसमें भी साझेदारी है और इरिगेशन डिपार्टमेंट इस फर्म से भी करोड़ों रुपयों की पर्चेजेज करता है। बेडफोर्ड की पर्चेजेज करता है और इस बेडफोर्ड के बारे में कोई अच्छी रेपूटेशन आज नहीं है और इरिगेशन डिपार्टमेंट इसी फर्म से बेडफोर्ड की पर्चेजेज करता है। एग्रो इंडस्ट्रियल सर्विसेज है उसके मातहत इन्टरनेशनल ट्रैक्टर्स को इस फर्म के अन्दर बेचते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर को बेचते हैं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन फर्मों के पार्टनर्स भी क्या ये ही हैं?

श्री भैरोंसिंह : अलग अलग नाम हैं और इनमें एक यह है और दूसरे भी हैं। आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन भी ले आया हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अब ये ट्रैक्टर कैसे बेचे जा रहे हैं। भीलवाड़ा की जनता कहती है कि इनको ब्लैक में बेचा जा रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक मोटर्स नहीं बिकती हैं। तो भीलवाड़ा के क्रय विक्रय संघ को ये इलेक्ट्रिक मोटर्स दी गई और उस क्रय-विक्रय संघ से इरिगेशन डिपार्टमेन्ट पर्चेज करता है। एक दूसरा तरीका निकाला गया। यह वोल्टाज का है। यह कैसे हो गया। इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा कि आज से दो साल पहले मुख्य मंत्री महोदय जानते हैं उदयपुर डिवीजन के सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर का करोड़ों रुपयों का पर्चेजेज किया था। यह अनावश्यक था और कोई इसकी आवश्यकता नहीं थी। करोड़ों रुपयों की पर्चेजेज हुई और इनाम में यह मिला कि इन्टरनेशनल ट्रैक्टर्स की उनको एजेन्सी मिल गई। इन पर्चेजेज के बारे में ऑडिट वाले पीछे पड़े हैं और लोगों ने भी इसकी शिकायत की है परन्तु इसकी जांच कराने की आवश्यकता नहीं है और ट्रैक्टर बेचने का काम चालू है। एक श्याम कॉटेज इण्डस्ट्रीज है। यह कोटा में है। इसने स्विच गीयर्स, जो चम्बल कोटा के इरिगेशन के काम में आते हैं, बीस से पच्चीस हजार में बेचे हैं इसके अलावा एक और उदाहरण माननीय मनोहरसिंह जी मेहता की जानकारी के लिये निवेदन कर रहा हूं कि माण्डलगढ़ के पास जैतपुरा का एक बांध बन रहा है और उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है लेकिन वहां पर स्विच गीयर खरीद लिये गये हैं, वह चार लाख रुपयों के लिये गये हैं और ढाई लाख का पेमेन्ट भी कर दिया गया है। अब, उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की स्थिति जहां मन्त्री महोदय की हो वहां कभी भी यह समझ कर नहीं चल सकते कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी—जहां पर मन्त्री स्वयं बैठ करके बिजनेस करें, लड़कों के नाम से फर्म्स खुलवायें और अपने अधीन के विभागों से पर्चेजेज करवायें। तो मैं समझता हूं मुख्य मन्त्री जी आप भी यह मान कर चलेंगे कि या तो आपके मन्त्रियों ने आपको पूरी जानकारी नहीं दी है या आपकी भी उनसे सहमति है। परन्तु अनुमति दी होती तो उनका क्या क्या बिजनेस है यह आपसे छिपा नहीं रहता। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि किस किस मंत्री का किस किस प्रकार का बिजनेस है और उनके पास कितनी 2

(श्री भैरोंसिंह)

जमीन है। उसमें उनके नाम के खाने के आगे क्रास लगाया गया है। ऐसा लगता है कि किसी प्रकार की अनुमति या जानकारी नहीं दी गई है और मैं समझता हूं कि मोरेलिटी के नाते नहीं दी जानी चाहिये। इसी आधार पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने लड़के की शादी पर इन्होंने इतना पैसा खर्च कर दिया है। खर्चा करेंगे, वे कोई गरीब नहीं हैं, अमीर हैं और लखपति हैं तो लखपति के नाते पैसा खर्च करेंगे तो उपाध्यक्ष महोदय, लखपति कैसे पीछे रहेगा। मुख्य मन्त्री महोदय जानते हैं कि राजस्थान के उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में इन्होंने हेमनदास, गोरधनदास, नानजी पटेल, मायादास का चार लाख रुपयों का एक्स्ट्रा लीड के नाम पर लाखों रुपयों का भुगतान किया गया है। आप ताज्जुब करेंगे कांट्रेक्ट खतम हो गया, काम पूरा हो गया, फाइनल बिल पेश हो गया और फाइनल बिल पास होने के बाद में एक्स्ट्रा लीड के नाम पर बिल बनता है और लाखों रुपयों का भुगतान किया जाता है। इन बिल्स को लॉ डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर देता है, इरिगेशन डिपार्टमेंट रिजेक्ट कर देता है, फाइनेन्स डिपार्टमेंट द्वारा भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर 67 के बाद में जब यह विभाग लड्ढा साहब के पास में आया—उन सब के नामों को मैं यहां पर गिनाना चाहूंगा-आपने दीवान मायादास को गालविया प्रोजेक्ट पर 80 हजार का एक्स्ट्रा पेमेन्ट कर दिया। नानजी पटेल को वल्लभनगर पार्ट-2 पर 15 हजार रुपयों का भुगतान किया, हेमनदास को वल्लभनगर पार्ट-5 पर 28 हजार का भुगतान किया, मुखी गोवर्धनदास को ओरई प्राजेक्ट पर 55 हजार का पेमेन्ट किया गया। इसी प्रकार से हेमनदास को खारी पार्ट एक व तीन पर 86 हजार का एक्स्ट्रा पेमेन्ट किया गया सरेरी के लिये हेमनदास को 40 हजार का पेमेन्ट किया गया और वल्लभनगर के ओवर कम्पेन्सेशन के लिये हेमनदास को 1 लाख का पेमेन्ट किया गया, नारायण सागर पर ओवरकम्पन्सेशन का हेमनदास को 40 हजार रुपयों का पेमेन्ट किया गया, बडगांव में भी हेमनदास को 15 हजार का पेमेन्ट किया गया। वेस्ट बनास के पार्ट दो और तीन पर लालसिंह को 80 हजार का ओवर पेमेन्ट किया गया, वेस्ट बनास के पार्ट एक पर हिन्द कन्स्ट्रक्शन को 40 हजार का ओवर कम्पन्सेशन के नाम पर पेमेन्ट किया गया, दांतड़ा बांध पर हिन्द कन्स्ट्रक्शन को ओवर कम्पन्सेशन के नाम पर 42 हजार का पेमेन्ट किया गया। अजमेर सर्किल में सोनी ब्रादर्स को एक लाख का, मानकचन्द को 25 हजार का, गुप्ता ब्रदर्स को 42 हजार का और उदयपुर सर्किल में नेशनल कन्स्ट्रक्शन को 20 हजार का पेमेन्ट किया गया। यह लाखों रुपयों का पेमेन्ट है। इसी तरह से लेबर लाज के तहत मुखी गोरधनदास को 2 लाख 87 हजार का पेमेन्ट किया गया है। इस लेबर लॉ के अनुसार लेबर को कोई पेमेन्ट नहीं किया गया है। उदयपुर में मुख्य मन्त्रीजी से लेबर का एक प्रतिनिधि मण्डल मिला था और उनसे यह कहा था कि इस व्यक्ति ने लेबर लाज के नाते किसी भी व्यक्ति को एक पैसे का पेमेन्ट नहीं किया है इसलिये लेबर लॉ के नाते एक्स्ट्रा पेमेन्ट करने की आवश्यकता नहीं है इस प्रकार यह 2 लाख 87 हजार का पेमेन्ट है। इसी प्रकार

(श्री भैरोंसिंह)

एक्स्ट्रा लीड ऑफ स्टोन के नाम के ऊपर हेमनदास को 1 लाख 87 हजार का पेमेन्ट किया गया । इस प्रकार हेमनदास को क्लासीफिकेशन चेन्ज कर वल्लभनगर में लाखों रुपयों का लाभ पहुंचाया है । इसी तरह से हेमनदास को बड़गांव, ओरई, वल्लभनगर, वल्लभनगर वेस्ट के अन्दर चेन्ज आफ लेवल कर के लाखों का फायदा पहुंचाया गया है । इसकी जांच की गई उसको भी दबा दिया गया । 1964 में जब चोखाना ने जांच की तो एक लाख से ऊपर का ओवर पेमेन्ट पाया गया उसको दबा दिया गया । यह लाखों रुपयों का पेमेन्ट है और सदन यह मानकर न चले कि यह न्याय के आधार पर किया गया है । मैं समझता हूं कि लड्ढा जी की काबलियत में इस सदन के सभी सदस्यों को विश्वास है । उनको अपने विभाग की छोटी छोटी बातें मालूम है तो इतना जानकार आदमी इतनी आंख बन्द नहीं कर सकता बशर्ते कि आंखों पर पैसा नहीं रखें, सोने की मोहरें नहीं रखें । मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन मसलों की जांच कराई जाय, कमीशन नियुक्त किया जाय तो पता लगेगा कि श्री लड्ढा ने राज्य सरकार को कितना घाटा पहुंचाया है । ऐसी स्थिति में आज कोई समझ कर चले कि राजस्थान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, हम राजस्थान में समाजवाद लाकर गरीब और अमीर के बीच का भेद मिटायेंगे—तो वे भ्रम में हैं । आप अमीर और गरीब का भेद मिटाने के लिए बिड़ला और टाटा को लक्ष्य के रूप में लेकर चलते हैं । मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के मंत्रिमण्डल के किसी सदस्य के बारे में कहा जाए कि इस सदस्य और गरीब का अन्तर मिट सकेगा, तो वह नहीं मिट सकेगा । लखपति बनकर बैठे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास कार्ड आया है दीप सिनेमा का—

"The Management of Deep Cinema (a new name in show business)

Messrs Ajanta Arts, Bombay

Messrs Vijay Movies, Delhi

requests the pleasure of your company at the inauguration of

DEEP

by Hon'ble Lt. Governor, Dr. A. N. Jha on 30th April, 1971, 9 A. M. at A-39, Wazirpur, Delhi-7. Shri Ram Niwas Mirdha, Minister of State for Home Affairs will be Chief Guest."

अब यह कौन हैं ?

"With best compliments, from:—

Kuldip Singh Walia, Kulwant Singh Walia, Jaspal Singh Walia, Smt. Kaushalya Devi"

अब ये तीन आदमी वे हैं जिन्होंने जनता कॉलोनी में सिनेमा के लिए जमीन

(श्री भैरोंसिंह)
खरीदी। इन्स्टॉलमेंट का भुगतान नहीं किया। सरकार ने कार्यवाही को निरस्त करने की घोषणा सदन में की। और बैकडोर से वे कोशिश कर रहे हैं उस जमीन को लेने को। उन्होंने घोषणा कर दी, नीलामी कार्यवाही निरस्त की, तो परसों 1.14 लाख का चैक भेजा। हमने कहा, नहीं लेना चाहिए, उसको वापिस रिटर्न किया। मैंने तीन के नाम दिये। अब कौशल्या देवी कौन हैं? मनफूलसिंह जी बता सकते हैं........

श्री मनफूलसिंह (राज्य मंत्री) : बिजनेस करना गुनाह है?

श्री भैरोंसिंह : मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। कौशल्या देवी उनकी पत्नी है और, उपाध्यक्ष महोदय, मेरी शिकायत है कि इनका जो बिजनेस का टैलेन्ट है वह राज्य सरकार के काम में क्यों नहीं आता, घर के काम में क्यों आता है? अगर इनकी लेटेन्ट से सिनेमा का काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं आप बिजनेस करें लेकिन मुझे तो शिकायत यह है कि आपकी इस योग्यता का प्रदर्शन राज्य सरकार के कामों में क्यों नहीं होता? अगर योग्यता दिखाते तो निश्चित रूप से मनफूलसिंहजी आप स्वीकार करेंगे कि जयसमंद का ठेका कपूर को नहीं मिलता, ऑक्शन होता, लाखों रुपए का सरकार को फायदा होता। मन में आप जानते हैं और जो सरकारी पक्ष में बैठे हैं वे इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि मुख्य मंत्रीजी की तरफ से आपको छूट है। छूट है इस कारण से चिंता नहीं लेकिन आजकल हालत यह है कि चुनावों में पैसा खर्च किए बिना काम चलता नहीं तो पैसा आप सब लोगों ने इकट्ठा कर लिया। लोकतंत्र की दुहाई देते हैं तो ऐसी हालत में मैं कहना चाहता हूं कि लड्ढा साहब की योग्यता का पहले मैंने सर्टीफिकेट दे दिया, मनफूलसिंहजी योग्य हैं, यह सर्टीफिकेट दे दिया। लेकिन योग्य सिर्फ अपने बिजनेस के अन्दर ही क्यों हैं। राज्य सरकार के बिजनेस में घाटा क्यों होता है? परेशानी केवल यही है। इसके लिए मैंने प्रश्न सदन के सामने प्रस्तुत किया....

श्री रामचन्द्र आर्य : मनफूलसिंहजी की योग्यता आपने प्रमाणित कर दी, अब फुल मंत्री बन जायेंगे।

श्री भैरोंसिंह : सिनेमा खोलना कोई मामूली बिजनेस नहीं है कि कोई भी खोल ले। लेकिन दीप सिनेमा में 4 पार्टनर्स हैं। 2.20 लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से जमीन लीज पर ली गई। 35 लाख रुपए का निर्माण का एस्टीमेट दिया गया है। अब इससे अन्दाज लगा सकते हैं। बिल्कुल ऑफिशियल फिगर्स हैं, आने पाई का भी कहीं फर्क नहीं। आप अन्दाज लगायें, 35 लाख का इन्वेस्टमेंट यह करें, ढाई लाख रुपए की लीज मनी है और जयपुर में दूसरा सिनेमा बना रहे हैं तो आखिर पैसा छप्पर फाड़ कर आता है तब तो नहीं कह सकता। अगर किसी की तनख्वाह 100) और खर्चा 2,000) तो लोग कहते हैं भगवान ने छप्पर फाड़कर पैसा दिया है। बाकी सदन में संशोधन मूव करके सरकार ने व्यवस्था की थी कि यदि किसी सरकारी अधिकारी की आय और व्यय में व्यय उसकी नोन इन्कम से ज्यादा होगा तो

(श्री भैरोंसिंह)

एन्टी-करप्शन विभाग उस संबंध में एक्शन ले सकता है, सरकार सिविल रूल्स के तहत एक्शन ले सकती है। इस आधार पर यह संशोधन किया। मुख्य मन्त्रीजी मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में कोई एक मंत्री हैं जिसके नोन वेज से माने वली आय से ज्यादा उनके असेट्स नहीं हैं? कोई है राजस्थान में मन्त्री ऐसा जिसने एग्रीकल्चरल लण्ड पर कब्जा नहीं किया, कोई है मन्त्री ऐसा 'कुछ' को छोड़कर जिसने अपने परिवार के लोगों के नाम पर जयपुर में भूमि पर, अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जमीन पर कब्जा नहीं किया? जिस रूप में जहां भी जमीन मिलती है जयपुर में भी कब्जा, माउण्ट आबू में कब्जा, जोधपुर में कब्जा, पाली में कब्जा। रामानन्द जी कह रहे थे सीलिंग लागू करने की बात, मैं दावे के साथ कहता हूं कि राजा महाराजा और जागीरदार जितने दोषी हैं उतने दोषी राजस्थान के मन्त्रीमण्डल के सदस्य हैं। जागीरदारों और राजाओं से इन्होंने सीलिंग कानून को डिफेट करने के लिये जमीन खरीदी है। पाली का उदाहरण है। ऐसी हालत में जनता से कहना चाहती है राजस्थान सरकार कि बहुत जल्दी बहुत बढ़िया काम करने वाली है। मैं समझता हूं इसकी कोई आशा नहीं। हमारे एक नेता ने 150 बीघा जमीन जयपुर में एलॉट कराई, पॉल्ट्री फार्म के लिए एलॉट करवाई। सरकार ने एलॉट कर दी पॉल्ट्री फार्म के लिये लेकिन उन्होंने रेजीडेन्शियल प्लॉट्स में लेकर विक्रय कर दी। वह क्रय-विक्रय संघ के अध्यक्ष हैं मोतीलाल जी। पॉल्ट्री फार्म के लिये ली थी और रेजीडेन्शियल प्लॉट्स में बदलकर बेच दी। राज्य सरकार कोई एक्शन नहीं ले पाई। आज कोई गरीब आदमी जयपुर के आसपास में जमीन पर अतिक्रमण कर लें तो पुलिस जाएगी, राजस्व विभाग उसको फांसी पर चढ़ाने की कोशिश करेगा। आज जयपुर में कोई झोंपड़ी खड़ी कर दे तो अर्बन इम्प्रूवमैन्ट ट्रस्ट, म्यूनिसिपल, कलेक्टर और तहसीलदार झोंपड़ी उखाड़ने की कोशिश करेंगे। जयपुर में को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटीज के नाम पर राजस्थान के बड़े बड़े अधिकारी व मन्त्री जिस प्रकार से लूट मचा रहे हैं, उस सारी लूट को देखते हुए, मुख्य मन्त्री जी नाराज होंगे, मुझे कहने को विवश होना पड़ता है, कांग्रेस मन्त्रिमण्डल में पिंडारियों का राज है। जनता साफ कहकर चलती है कि विधान सभा में कितना ही चिल्लायें बहुमत के आधार पर सुनाई नहीं। मैं लोकतंत्र का हामी हूं, लोकतंत्र में श्रद्धा है इसके बावजूद भी कई बार इस बात के लिये सोचने को विवश होना पड़ता है कि हमारी बात सुनेगा कोई नहीं, हम सदन में बोलेंगे, उसका इम्पेक्ट क्या होने वाला है, इन चीजों की चिन्ता होती है....

श्री उपाध्यक्ष : समय काफी हो गया है।

श्री भैरोंसिंह : राज्य सरकार चिंता कर रही है कि हमें राजस्थान की वित्तीय स्थिति सुधारनी है। राज्य सरकार के आंकड़े देखें, उद्योगपतियों में कितनी बकाया है, बाकी लोगों में कितनी बकाया है। आज बाड़मेर, जैसलमेर, पाली और सिरोही चले जाइए, तहसीलदार डंडा लेकर किसानों के पीछे पड़ रहे हैं। किसान मारे डर के घर छोड़कर भाग गए, उसके लिए सरकार कड़ा कानून लाएगी लेकिन साहू जैन के लिए

(श्री भैरोंसिंह)

नहीं लाएगी, डी. सी. एम. के लिए नहीं लाएगी, बाकी उद्योगपतियों के लिए नहीं लाएगी। इसलिये कोई उद्योगपति राजस्थान का ऐसा नहीं है जिस पर लाखों रुपयों की बकाया नहीं चलती आ रही है। उनमें बकाया नहीं हो। सरकार के 20 लाख रुपये का भुगतान आज तक नहीं किया गया है। आज अगर सरकार उनसे रुपये वसूल करने के लिए जाती है तो वह यह कहते हैं कि बाद में देंगे। मान लीजिये अगर वह भुगतान उस रकम का दस वर्ष बाद करेंगे तो इस रकम का जो ब्याज दस वर्ष तक राजस्थान सरकार को मिलता वह राजस्थान सरकार को नहीं मिलकर उस पूंजीपति या उस उद्योगपति को मिलेगा। उस रकम का, जो कि राजस्थान सरकार की है, ब्याज सरकार को मिलना चाहिये वह उसे नहीं मिलेगा और इस तरह, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को इन पूंजीपतियों के कारण लाखों रुपये का घाटा हो रहा है। मुनाफा आज उद्योगपति उठा रहा है। इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने एक उदाहरण देना चाहता हूं। इस राजस्थान सरकार ने भारत सेवक समाज को तीन लाख रुपये का ऋण सन् 1962-63 में दिया था। आज तक वह रुपया राजस्थान सरकार उस भारत सेवक समाज से वापिस वसूल नहीं कर सकी है। इसका कारण यह है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस भारत सेवक समाज में जो बैठे हुए हैं उन्होंने अपने को तो दिवालिया घोषित कर रक्खा है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता देना चाहता हूं कि इन एक एक नेताओं में किसी के भाई के नाम फार्म है, किसी की बीबी के नाम भवन बने हुए हैं, छोटे बच्चे के नाम इन्होंने खेती कर ली है और होने वाले बच्चे के नाम से जमीन ले रखी है। इस तरह से इन्होंने ऐसा इन्तजाम कर लिया है कि आप उनसे यह रुपया वसूल नहीं कर सकते। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर असलियत में राजस्थान सरकार लोगों से वसूली करना चाहती है तो सरकार को चाहिये कि जो रुपया आपने उद्योगपतियों को दिये हैं उनसे वसूल करें, जो रुपया शराब के ठेकेदारों में बकाया है उनसे वसूल करें। जो रुपया माइन्स के मालिकों में बाकी है उनसे वसूल करें। यह जो सारा कर्जा आपने इन लोगों को दिया है और जिनमें राज्य सरकार की बकाया है उनकी वसूली की जाय। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार इन लोगों से वसूल नहीं करती है। यह सरकार गरीब किसानों से वसूल करती है, आज राजस्थान सरकार वसूल कर रही है डूंगरपुर और बांसवाड़ा के काश्तकारों से। उपाध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि किस प्रकार डूंगरपुर और बांसवाड़ा में खड़ी की खड़ी फसल गिरवी रखी जाती है। उपाध्यक्ष महोदय, बिना फसल कटे ही, बिना वह फसल काश्तकार के हाथ में आये फसल जो रुपया उधार देता है वह ले जाता है। इस क्षेत्र के किसानों को, उपाध्यक्ष महोदय, खेती के लिये बीज तक समय पर नहीं मिलते। बेचारे किसान भूखे मर रहे हैं। उनके खेतों में पानी देने को नहीं मिलता है और इस तरह से आज गरीब लोगों को यह राजस्थान सरकार वसूली के लिए परेशान करती है।

एक माननीय सदस्य : डूंगरपुर और बांसवाड़ा में तो सागड़ी प्रथा है।

श्री भैरोंसिंह : ठहरिये मैं अभी आपको बता दूंगा कि सागरी प्रथा क्या है। यह सागरी प्रथा वह है जिसमें आदमी को गुलाम बना दिया जाता है। वह आदमी एक तरह से अपने आपको गिरवी रख देता है। मुख्य मन्त्री जी गरदन हिला रहे हैं। मुख्य मन्त्री जी! मैं आपको सही कह रहा हूं अभी भी आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सागरी प्रथा चल रही है, आप चाहें तो पता लगा लें। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सागरी प्रथा के अन्दर जो मनुष्य कर्ज लेता है उस इन्सान को कर्ज देने वाले का एक तरह से गुलाम बनना पड़ता है। यह प्रथा लार्ज स्केल में डूंगरपुर और बांसवाड़ा की भील जाती में है। एक व्यक्ति जो अपनी आवश्यकता के लिये रुपये लेता है वह क्योंकि उसको वापिस चुका नहीं सकता है इसलिये उस कर्ज लेने वाले के यहां पर खुद को या अपने किसी बच्चे को वह काम करने छोड़ देता है। वह उस जगह पर तब तक काम करता रहेगा जब तक कि कर्जा पूरा मय ब्याज के नहीं चुक जाय। इस प्रकार के भी उदाहरण हैं कि जिस फसल के लिये रुपया लिया जाता है उसका रुपया इस हिसाब से लिया जायेगा कि वह उससे कम न हो। मान लीजिये उस वक्त 28 रुपये मन बाजरा था तो उसका चुकारा उस भाव से न होकर उस भाव से होगा जो कि अगली फसल के वक्त भाव बाजरे का होगा। कई बार ऐसा होता है कि भाव नीचे होता है और बेचारे काश्तकार को नुक्सान होता है। उपाध्यक्ष महोदय, हालांकि इसके लिये राजस्थान सरकार ने कई कानून बनाये हैं जैसे मनी लैण्डर्स एक्ट वगैरह पर इन कानूनों का वास्तव में कोई मूल्य नहीं है क्योंकि किसानों की आज भी वही हालत है। तो मेरा निवेदन यह है कि अगर वास्तव में राज्य सरकार अपनी आर्थिक हालत को सुधारना चाहती है तो उसे अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को अपने इस सारे मामले को लिपिबद्ध करना पड़ेगा। अगर एक मन्त्री का काम 100 रुपये में चलता है तो आप उसे सौ रुपये तक दीजिये और अगर माथुर साहब का काम 1,000 रुपये में चलता है तो उन्हें एक हजार रुपये दीजिये। उसी तरह दूसरे मन्त्री कोई भी हों अगर उनका काम आठ हजार से चलता है तो उन्हें आठ हजार रुपये दें कोई। उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह जिसने एक बार यह कह दिया कि इतने रुपये में काम चल जायेगा तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूं आप चाहें उनकी तनख्वाह 8 हजार रुपये तक कर दें। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इससे आज जो भ्रष्टाचार के बारे में सुन रहे हैं वह बन्द हो जायेगा। इसके बारे में कोई तो हल निकलना चाहिये। बजट में चाहें तो ऐसा प्रावधान कर दिया जाये कि इनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाय इससे राज्य सरकार पर चाहे 25 लाख रुपये का खर्चा और बढ़ जाय उसको हम सहन कर लेंगे। लेकिन 20-25 लाख रुपये खर्च होने के बाद भी अगर यही स्थिति रही तो इसे जनता सहन नहीं करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो आरोप लगाये हैं वह कोई व्यक्तिगत द्वेष से नहीं लगाये हैं। मैंने इस आधार पर आरोप लगाये हैं कि जिनके खिलाफ शिकायत आये और अगर वे दोषी पाये जायें तो उन्हें दण्ड दिया जाये। मुझे आशा है, राजस्थान सरकार इन सारे मसले की जांच करेगी। लेकिन मुख्य

Page No 114

(श्री भैरोंसिंह)

मन्त्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि इन मसलों को आप अमृतलाल यादव के मामले की तरह बहुमत के आधार पर तय करना चाहें, या जिस तरह श्री बृजसुन्दर जी शर्मा के मामले को बहुमत के आधार पर तय किया, या श्री शिवचरण जी माथुर के मामले की तरह बहुमत के आधार पर तय करके इन्हें ईमानदार घोषित करें तो गलत होगा। आप अपनी हुकूमत जाने के डर से अगर ऐसा करते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। मुख्य मन्त्री जी इस तरह से हुकूमत आपकी चलेगी नहीं। आप रह नहीं सकेंगे। और आपके बाद जो आवेंगे वे ही इसका हल निकालेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य जल्दी समाप्त करें।

श्री भैरोंसिंह : बस जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान की वित्तीय स्थिति बहुत ही चिन्ताजनक है। आप चाहें मुख्य मन्त्री जी भारत सरकार से कर्जा लें, चाहे आप कहीं और से कर्जा लें इससे राजस्थान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी नहीं। जो सरकारी अधिकारियों में आज भ्रष्टाचार फैला हुआ है आप जब तक उसे नहीं रोकेंगे और दोषी मन्त्रियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेंगे जब तक यह राजस्थान की हालत ठीक नहीं हो सकेगी। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस तरह की करप्शन की कार्यवाहियों का आप बहुमत के आधार पर फैसला नहीं करायें तो उचित होगा। मैं समझता हूं कि इससे राजस्थान की स्थिति सुधर नहीं सकेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सिंचाई मन्त्री जी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी कुछ मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाये हैं। उनसे इस सदन में कोई भ्रांति हो सकती है इसलिये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि वस्तुस्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत कर दूं ताकि उसकी जानकारी सदन के सभी माननीय सदस्यों को हो सके। राजस्थान एग्रो-इन्डस्ट्रियल सर्विसेज में मेरे लड़के की पार्टनरशिप है और इसके साथ इन्टरनेशनल ट्रेक्टर्स की एजेन्सी है। और वोल्टाज की हैवी मशीनरी के साथ मोटर पम्प सप्लाई करना जरूरी था इसलिये एजेन्सी ली गई। आपने कहा कि क्रय विक्रय संघ से कर्जा लिया गया और उसके कर्ज लेने के बाद इरिगेशन डिपार्टमेन्ट द्वारा वह पम्प खरीदने की बात हुई। ऐसी कोई बात नहीं थी। आपने कहा, मुनाफा मेरे राजस्थान एग्रो-इन्डस्ट्रियल सर्विसेज को हुआ। राजस्थान एग्रो-इन्डस्ट्रियल सर्विसेज में मेरा लड़का, छोटा लड़का और उनके अलावा लडके का साला—ये पार्टनर हैं। इन्टरनेशनल ट्रेक्टर्स की सब एजेन्सी उनको अभी पांच महीने हुए, मिली है। वोल्टाज की हैवी मशीनरी के साथ मोटर पम्प की एजेन्सी

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

लेना लाजिमी था। पर यह बात सही नहीं है कि मैंने इस कारण से उदयपुर डिवीजन में सिंचाई विभाग में कोई लाखों रुपये की खरीद इनसे की है और उसके फलस्वरूप मैंने इनको कोई लाभ पहुंचाया है। इन्टरनेशनल ट्रैक्टर्स को एजेन्सी की मुख्य मन्त्री जी को जानकारी है। जहां तक क्रय-विक्रय संघ से कर्ज लेकर मोटर पम्प की खरीद की गई है—यह सवाल है। यह बात मैंने बताई। मोटरों की खरीद के बारे में आपको यह बता दूं कि जितना कोटा आता है वह सब फिक्स्ड होता है। इसके सम्बन्ध में मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि अभी तक तीन मोटर ही बिकी हैं और बाकी की बैंक में प्लेज्ड पड़ी हुई हैं, इसलिये न तो क्रय-विक्रय संघ से कर्ज लिया है और न इरिगेशन डिपार्टमेन्ट उदयपुर डिवीजन में कोई मशीन खरीदने का ऑर्डर वोल्टॉज कम्पनी को इस एजेन्सी के बदले में दिया गया है। आप चाहें तो देख सकते हैं....

श्री भैरोंसिंह : वोल्टॉज कम्पनी की एजेन्सी कैसे मिली ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दो साल से कोशिश कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : कोशिश तो आपने की है और आपके लड़के को एजेन्सी मिली है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वोल्टाज कम्पनी को, आपने यह आरोप लगाया है, एजेन्सी के बदले में ऑर्डर दिया गया है—इस बात का मैं खण्डन करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : पर्चेजेज की गई या नहीं—यह जानकारी दे दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पर्चेजेज की गई हैं, वोल्टाज से इरिगेशन डिपार्टमेन्ट के द्वारा इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं यह बात सदन में कह देना चाहता हूं। मैं यह बात सदन के सामने सही निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी बदले में यह एजेन्सी प्राप्त नहीं की गयी है। यह आरोप आपका सही नहीं है। यह बात सही है कि राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विसेज में मेरा लड़का पार्टनर है और मेरे भाई का लड़का पार्टनर है और यह फर्म डीजल एंजिन का कारोबार करती है लेकिन इस फर्म में अब मेरा लड़का या कोई भी पार्टनर नहीं है 1-4-71 से क्योंकि पहले कुछ समय में याने 30-5-70 को यह फर्म बनी तब से 31 मार्च, 71 तक तो मेरा लड़का और मेरा भतीजा पार्टनर्स थे उसके बाद में वह पार्टनर्स नहीं रहे। उस दौरान में जो खरीद के बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उसके बारे में मैंने भी जानकारी की है तो शायद 23 या 25 डीजल सैट्स के बारे में जानकारी मिली और आपने जो 31 की बात कही वह सही नहीं है....

श्री भैरोंसिंह : आपकी जानकारी सही नहीं है, मेरी बिल्कुल सही है। आप कहें तो तारीखें बता दूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 25 की जानकारी मेरे पास है। तो जो एंजिन खरीदे गये वे भिन्न-भिन्न जगहों पर खरीदे गये और भिन्न-भिन्न जगहों पर काफी एंजिन तो कोटेशन्स काल करके टेन्डर्स के आधार

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
पर, लोएस्ट की बिना पर हैं और कुछ एंजिन रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर भी हैं। मैंने जानकारी मिलने पर ये जनरल आदेश निकाल दिये थे कि इस फर्म से नहीं खरीदे जायें। आपने कहा है कि उस आदेश के बाद भी कुछ एंजिन खरीदे गये हैं। मंजा डैम का नाम आपने अपनी बहस में दिया है। हो सकता है कि खरीदे गये हों लेकिन मैं कभी यह नहीं चाहता था और न मैं इसमें विश्वास ही रखता हूं इसलिए ज्यों ही मेरे नोटिस में आया तो मैंने आदेश निकाले, वरना कोई जरूरत नहीं थी। किसी के लड़के व्यापार करते हैं कोटेशन के आधार पर या रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर जब कि राजस्थान में सैकड़ों एंजिन खरीदे जाते हैं भिन्न-भिन्न फर्मों से उसी बेसिस पर अगर यह फर्म भी दे या बेचे या इससे भी खरीदे जाते तो कोई नाजायज चीज नहीं थी। लेकिन क्योंकि मैं इरीगेशन मिनिस्टर हूं इसलिये मैं नहीं चाहता कि किसी फर्म में मेरा लड़का पार्टनर हो और उससे कोई सामान खरीदा जाये और मुझ पर आरोप लगाया जाये। इसलिए ही मैंने आदेश दिये और अल्टीमेटली 1-4-71 से मेरे लड़के ने अपनी पार्टनरशिप के इन्ट्रेस्ट को छोड़ दिया और उस फर्म का नाम बदल गया और रामप्रताप बल्देवा के नाम से है और अब इस फर्म से मेरे लड़के का सम्बन्ध नहीं है...

श्री भैरोंसिंह। आपके लड़के थे उस समय पर्चेजेज हुई और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने पर्चेजेज कीं—यह सही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 25 या 23 एंजिन उस दौरान में खरीदे गये। कुछ तो रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर और कुछ लोएस्ट टेन्डर के आधार पर...

श्री भैरोंसिंह : लोएस्ट टेन्डर्स के आधार पर एक भी नहीं खरीदा गया, सब रेट कान्ट्रेक्ट के आधार पर ही खरीदे गये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा। 8 खरीदे गये लोएस्ट टेन्डर के आधार पर। आपका सवाल इस सिलसिले में है...

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको तारीखवार बता दूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं भी तारीखवार बता दूंगा आपका सवाल इस सिलसिले में है उसके सिलसिले में मैंने जो जानकारी मंगवाई है उसके बेसिस पर कह रहा हूं कि 8 एंजिन तो कोटेशन्स और टेन्डर के आधार पर हैं और 15 या 17 एंजिन रेट कॉन्ट्रेक्ट याने स्टोर्स पर्चेजेज कमेटी की फिक्स्ड रेट्स के आधार पर हैं। ये 25 एंजिन के बारे में मैंने जो सूचना मंगाई है उसके बेसिस पर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं यद्यपि ट्रान्जेक्शन में कोई अनियमिततायें नहीं हैं, कोई उसमें नाजायज बात नहीं है लेकिन मैं स्वयं ही इसको ठीक नहीं समझता...

श्री भैरोंसिंह : यदि आप राजस्थान के मार्केट में कहीं एंजिन खरीदें तो 2 हजार रुपये में मिल जायेगा। लेकिन इस फर्म को इसकी कीमत 3 हजार दी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 2 हजार रुपये का सवाल नहीं है, आपका प्रश्न आयेगा तो मालूम होगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं बता देता हूं, प्रश्न क्या आयेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : स्टोर्स पर्चेजेज कमेटी की रेट्स हैं वे फिक्स्ड रेट्स हैं और उसमें रेट प्रेस्काइब्ड हैं उन्हीं रेट्स पर सारे राजस्थान में खरीदे जाते थे केवल इन्हीं से नहीं खरीदे गये....

श्री भैरोंसिंह : ज्यादा एंजिन इस फर्म से खरीदे गये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने भीलवाड़ा की फर्म के बारे में जानकारी चाही है इसलिए कह रहा हूं। भिन्न भिन्न जगहों पर अब 250 एंजिन खरीदे गये हैं और वे रेट कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर खरीदे हैं और कोई टेन्डर्स के बेसिस पर खरीदे गये हैं लेकिन चूंकि इस फर्म में मेरे लड़के का इन्ट्रेस्ट है जिस समय खरीदे गये तो मैंने मुनासिब समझा कि यह ठीक नहीं है। इसलिए मैंने आदेश जारी किये कि यह नहीं लिये जायें...

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके लड़कों का ही इन्ट्रेस्ट है या आपका भी इन्ट्रेस्ट है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के जरिये पार्टनर थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका लड़का अलग है क्या आपसे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अलग से क्या मतलब ?

श्री भैरोंसिंह : अलग क्या कल ही शादी में खर्चा किया है, अलग का क्या प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर माननीय मंत्री जी का फाइनेन्शल इन्ट्रेस्ट है तो कोई भी मन्त्री बिजनेस नहीं कर सकता और इस बेसिस पर वह डिस्क्वालीफाई हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो अलग प्रश्न है। एक बार सही सामने बात आ जाये। वह तो कान्स्टीट्यूशनल आस्पेक्ट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन्होंने तो यह माना है कि मिनिस्टर होते हुये इन्टरनेशनल ट्रेक्टर की एजेन्सी लेने का प्रयत्न किया है आपने खुद ने इन्टरनेशनल ट्रेक्टर की एजेन्सी वोल्टाज से लेने का प्रयत्न आप दो साल से कर रहे हैं और अब कामयाब हुए हैं—यह सही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दो साल से मेरे लड़के ने एप्लीकेशन दी है। वोल्टाज की एजेन्सी लेने के लिए मेरा लड़का दो साल से कोशिश कर रहा था और तब से ही यह डिविजन खुलने वाला था लेकिन उस समय प्रोडक्शन कम था और जब प्रोडक्शन बढ़ा और डिविजन खुला एजेन्सी के लिये तो एजेन्सी इसको मिली ..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर मन्त्री महोदय, पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने की मानसिक स्थिति में आज नहीं हैं तो नहीं दें। आपने हाउस में केटेगोरीकली कहा है कि मुख्य मन्त्री जी की भी जानकारी में है और मैं दो वर्षों से कोशिश कर रहा हूं....

श्री रामानन्द अग्रवाल : You should immediately resign or the Chief Minister should ask him to resign or he should be dismissed.

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह : इस तरह से हाउस में बयान देते हैं···

(शोरगुल—व्यवधान—अश्रव्य)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस संविधान की आपने शपथ खाई है, माननीय मंत्री महोदय, कोई बिजनेस नहीं कर सकते। आपने एजेन्सी प्राप्त की है, बिजनेस किया है, आपके लड़के ने किया है और आपका यह काम सारा का सारा अनकान्स्टीट्यूशनल है, इम्मोरल है और आपको एक मिनिट भी इस मन्त्रिमण्डल में बैठने का अधिकार नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री जी ने अभी कहा कि मुख्य मन्त्री जी के यह बात ध्यान में है—मैं पिछले दो साल से इसकी एजेन्सी प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था, यह कहा मंत्री जी ने और अब दुबारा जब कि प्रश्न किया श्री रामानन्द जी ने तो उसका दूसरी तरह से स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो पहले जिस बात के लिए मंत्री जी ने हां किया है और हां कहने के बाद और विवरण देने के पश्चात् आप उससे मुकर रहे हैं, यह बात गलत है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुकरने का प्रश्न ही नहीं है। मैंने कहा कि इन्टरनेशनल ट्रैक्टर्स की जो बात है उसकी जानकारी मैंने मुख्य मंत्री जी को दे दी है।

श्री भैरोंसिंह : वह तो दे दी और···

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मंत्री कन्डोन नहीं कर सकते।

श्री विजयसिंह : मुख्य मंत्री जी कौनसे दूध के धुले हुए हैं ? वह भी तो आपके ही हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह : इन्दिरा जी पर तो करो।

(शोरगुल)

श्री विजयसिंह : वो थोड़े ही दूध की धुली हुई हैं।

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मसला ऐसा है, मंत्री महोदय को करेक्ट करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने यह कहा कि राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विसेज उनके एक लड़के की फर्म है।

(शोरगुल)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एक लड़का है, दूसरा भाई का लड़का है, भतीजा।

श्री भैरोंसिंह : ओमप्रकाश आपका बच्चा है और केदार नाथूलालजी का लड़का, आपका भतीजा है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : श्याम कोटेज इन्डस्ट्रीज न तो भीलवाड़ा में है ··

श्री भैरोंसिंह : कोटा में।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोटा में भी है तो उससे मेरा सम्बन्ध नहीं है। न मैं जानता हूं। माननीय गोयल साहब ने और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल पूछा था सीड सप्लाई के बारे में, उस रोज जोशी जी नहीं थे तो मुझे वह

Page No 119

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
दिया गया था। त्रिलोक जैन कोटा की उस इण्डस्ट्री में है, उनकी प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में, न मेरे लड़के ने प्रोप्राइटरशिप में और न पार्टनरशिप में और न सहकारी बोर्ड में कोई हिस्सा लिया है।

श्री भैरोंसिंह : ओमप्रकाश, राजवंशी और एक अन्य तीनों ने मिलकर यह खोली है। पार्टनरशिप रजिस्टर नहीं कराया है अभी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यदि इस फर्म से मेरे लड़के का या मेरा कोई भी सम्बन्ध पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप का साबित कर दें तो मैं सदन से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप यह अपराध मानते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जबर्दस्ती आप यह कहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो राजस्थान मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे। आपने राजस्थान एग्रो इन्डस्ट्रियल सर्विसेस में तो कहा है...

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अपराध मानने का सवाल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : ज्युडिशियल इन्क्वायरी करवा लीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने मुझे नोटिस दिया और मेरा सम्बन्ध बताया, इसलिये मैंने कहा कि मेरा अथवा मेरे लड़के का कोई सम्बन्ध नहीं है। फैक्ट्स की बात थी।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : यह गलत निकले तो ये इस्तीफा दे दें।

श्री भैरोंसिंह : जो चार्जेज लगाये हैं ये गलत साबित हो जायं तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं तैयार हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्या बात मैंने बताई थी ?

श्री भैरोंसिंह : आपके लड़के ओमप्रकाश ने कोटा में कौनसा बिजनेस किया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दो ढाई वर्ष पहले हिन्दुस्तान जिंक का सब एजेन्ट हो कर काम किया है फर्टीलाइजर की एजेन्सी ली उसमें नुकसान हुआ था। उसको छोड़ दिया और तो कोई बिजनेस नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर की एजेन्सी आपके लड़के को मिली ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पहले मिली थी।

श्री भैरोंसिंह : मिली थी।

श्री लादूराम सुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, म्यूनिसिपैलिटी का कचरा जो पड़ा हुआ है, उसकी सफाई का ठेका इनके लड़के को दिला दो। बहुत मुनाफा होगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पांच सात ठेकेदारों के नाम बतायें।

श्री भैरोंसिंह : राजस्थान ऑटो सर्विसेज के बारे में क्या कहना है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह मेरे लड़के की फर्म है और एम्बेसेडर की एजेन्सी लेने के लिए दरख्वास्त दी। अजमेर का सब एजेन्ट है।

श्री भैरोंसिंह : बेडफोर्ड ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान ऑटो सर्विसेज ने बेडफोर्ड सप्लाई नहीं की।

श्री भैरोंसिंह : ये सब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने खरीदी हैं। राजस्थान ऑटो-मोबाइल्स ने एजेन्सी ले रखी है। एम्बेसेडर के लिये कहा कि···

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डीलरशिप के लिये एप्लाई किया था वह नहीं मिली।

श्री भैरोंसिंह : मकान बना रहे हैं। बेडफोर्ड···

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डीलरशिप नहीं है। सब डीलर ऑफ अजमेर। राजस्थान ऑटो सर्विसेज ने कोई बेडफोर्ड सप्लाई नहीं की।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि एम्बेसेडर की एजेन्सी के लिये एप्लाई कर रहे हो ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एप्लाई किया हुआ है।

श्री भैरोंसिंह : कोशिश कर रहे हो ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान ऑटो सर्विसेज ने एप्लाई किया हुआ है उनको कोई एजेन्सी अब तक नहीं मिली।

एक माननीय सदस्य : कितने लड़के हैं आपके ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दो।

कुछ ठेकेदारों के नाम लेकर कहने की कोशिश की कि कोई भ्रष्टाचार कर के उनके क्लेम्ज को, जो वाजिब नहीं थे, पास किये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : केटेगोरिकली कह सकते हैं कि जिन दो लड़कों के नाम एम्बेसेडर और बेडफोर्ड की एजेन्सी, सबएजेन्सी या अन्डर एजेन्सी, whatsoever it may be, एक भी सप्लाई नहीं किया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : राजस्थान ओटो सर्विसेज के नाम से ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक्चुअली सही कहिये ना। आपको सुखाड़ियाजी हटाने वाले नहीं हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जहां तक मेरी जानकारी है वह मैं बता रहा हूं।

माननीय उपाध्यक्ष जी, कुछ ठेकेदारों के नाम, हेमनदास, लालचन्द, मुन्शी गोर्धनदास और कोई 8-10 नाम लेते हुए आपने यह भी कहने की कोशिश की कि उन ठेकेदारों को एक्स्ट्रा क्लेम देकर मैंने नाजायज फायदा उठाया और यह चुकारा नहीं हो सकता था जब तक हाथों पर सोने की मोहर न रखी जाय। मैं इसको रिफ्यूट करता हूं और डिनाई करता हूं। राजस्थान के अन्दर हजारों ठेकेदार काम करते हैं, हजारों के क्लेम्स और एक्स्ट्रा क्लेम्स होते हैं और वे सब अपने अपने लेवल पर डिसाइड होते हैं। सी.ई., एस. ई. के लेवल पर डिसाइड होते हैं, उनको सब को मिला कर भ्रम फैलाने की चेष्टा की गयी। अभी इन आदमियों के नाम खास तौर से नोटिस में आये, मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्तसर में कि जो भी क्लेम हैं, जैसे आपने भोराई

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
और हेमनदास के क्लेम्स के लिए कहा ज्यादातर सी. ई. के लेवल पर हुए हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जितने भी केसेज माननीय सदस्य जो जयपुर से आने वाले हैं उन्होंने कहे वे आपके इरिगेशन मिनिस्टर के समय में हुए हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अब आपने तीस आइटम बोल दिये, उन सबकी तो लिस्ट मेरे पास है नहीं।

श्री भैरोंसिंह : मुखी गोरधनदास और हेमनदास का बता दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दो आइटम खास तौर पर दिये, उनमें एक तो हेमनदास के बारे में है और एक दिया था मुखी गोरधनदास के बारे में दो के बारे में फर्माया और खास तौर से नाम लिये तो मैंने जल्दी से जल्दी जितनी जानकारी की है, वह माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : उस समय इरिगेशन मिनिस्टर आप थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इधर से मालूम हो जायगा, मैं बता रहा हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप इतना बता दीजिये कि उस समय इरिगेशन मिनिस्टर आप थे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इरिगेशन मिनिस्टर तो मैं था ही।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसके बाद लड्ढा साहब कुछ बचता नहीं है क्योंकि जब लेखा समिति ने इन मामलों को देख कर बताया है कि इन ठेकेदारों से नाजायज फायदा उठाया गया है। यह पी. ए. सी. की रिपोर्ट है, और ऑडिट रिपोर्ट है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोई ऐसा नहीं है।

एक मिनिमम वेजेज के बारे में माननीय सदस्य भैरोंसिंह जी ने सवाल उठाया। इस मामले में लॉ डिपार्टमेंट की राय थी, लॉ डिपार्टमेंट की एडवाइस थी तब जाकर इसको पेमेन्ट किया गया है। जो पेमेन्ट किया गया है वह लॉ डिपार्टमेंट की राय के बाद, जब लॉ डिपार्टमेन्ट ने मुनासिब समझा, तब किया गया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लॉ डिपार्टमेन्ट ने समय समय पर क्लेम रिजेक्ट किये हैं। इसी के आधार पर ऑडिट पैरा बना है और उसके आधार पर पी. ए. सी. ने एग्जामिन करके अपनी रिपोर्ट दी है"

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसमें आधे से ज्यादा क्लेम ऐसे हैं, जो नीचे के लेवल पर डिसाइड होते हैं और उनका गवर्नमेंट के सामने आने का सवाल पैदा नहीं होता है। केवल चार केसेज ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के सामने आये, उनको लॉ डिपार्टमेंट से एक्जामिन कराया, उसके बाद लॉ डिपार्टमेंट की राय के मुताबिक निर्णय लिया है, और कुछ मामलों में एडवोकेट जनरल की एडवाइज के बाद में किया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लड्ढा साहब, आप जवाब दें, उसके पहले आप इस सबको एक्जामिन कर लें। यह हर लेवल पर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
रिजेक्ट किया गया है, लॉ डिपार्टमेन्ट ने रिजेक्ट किया है, एस. ई. ने रिजेक्ट किया है, सी. ई. ने रिजेक्ट किया है और बाद में गवर्नमेंट लेवल पर फाइनेलाइज करके किया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गवर्नमेंट में वही केसेज आते हैं यह बात सही है, जिनको नीचे दाद नहीं मिलती है, वही केसेज आते हैं गवर्नमेंट के सामने।

श्री भैरोंसिंह : वही कैसेज हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो कैसेज गवर्नमेंट में रेफर हुए हैं, उन रेफर्ड कैसेज को लॉ डिपार्टमेंट से एक्जामिन करा कर उनकी राय के मुताबिक कार्यवाही की गई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें एक गलत फहमी रह गई है। आपने कहा कि लॉ डिपार्टमेंट से एक्जामिन करा कर कार्यवाही की गई है, तो क्या आप कह सकते हैं कि लॉ डिपार्टमेंट ने जो आपने एक्स्ट्रा लीड दी, तो क्या इसके बारे में लॉ डिपार्टमेंट ने रिकमण्ड किया था कि एक्स्ट्रा लीड दी जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : The facts were examined and...

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं......

श्री रामप्रसाद लड्ढा : They were referred to the Law Deptt. for advice. कई मामलों को लॉ डिपार्टमेंट को भेजा गया, उनकी जो राय थी उसके मुताबिक कार्यवाही की गई।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि एक्स्ट्रा लीड के बारे में हाई कोर्ट से फैसला हुआ है और उस फैसले में यह स्वीकार किया है कि एक्स्ट्रा लीड का पेमेन्ट नहीं किया जाय ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हां. ओरियेन्टल वाले में था।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह फैसला ले लिया गया तो फिर लॉ डिपार्टमेंट से क्या एक्जामिन कराया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लॉ डिपार्टमेंट ने उसको एक्जामिन किया है, जो पेमेन्ट कर दिया, उसको लॉ डिपार्टमेंट ने एक्जामिन करा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह केसेज 1965 में डिसाइड कर दिये और 1967 में जाकर एक्स्ट्रा लीड का प्रश्न पैदा किया है आपने।

श्री भैरोंसिंह : आप इरिगेशन मिनिस्टर बने तब यह केसेज रीओपन हुए हैं, दो साल तक ठेकेदार चुप बैठे रहे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह केस 1966 का है, 1967 का है।

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह केसेज एक साथ नहीं हुए, कोई 1966 का है, कोई 1967 का है और after thorough examination by the Law

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
Deptt., after thorough examination by the Advocate General, these decisions were taken and given.

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है कि विभाग की ओर से ठेकेदार को पेमेन्ट देने की बात स्वीकार नहीं की गई और उसके बाद में आगे गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : क्या कहा ?

श्री रामचन्द्र आर्य : ठेकेदार को पेमेन्ट देने के बारे में डिपार्टमेंट की ओर से ऐतराज था, फिर भी आपने पेमेन्ट किया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : किसकी ओर से ऐतराज था ?

श्री रामनारायण चौधरी : गलत है।

श्री रामचन्द्र आर्य : गलत नहीं है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आई, उसको एक्जामिन कराया लॉ डिपार्टमेंट से, लॉ डिपार्टमेंट की राय थी, फिर एफ. डी. की राय थी, इस प्रकार जो केसेज के अन्दर पेमेन्ट किया गया है वह उचित किया गया है। इसलिए माननीय सदस्य का यह आरोप गलत है, और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य इस बात को साबित कर दें कि हमने कोई नाजायज फायदा उठाया है तो मैं जो भी सदन सजा दे, उसको भुगतने के लिए तैयार हूं।

श्री दौलतराम सारण : सवाल यह है, उपाध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य ने चार्ज लगाया, और माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया कि माननीय सदस्य साबित कर दें तो यह ठीक बात है कि यह ठेकेदार का सवाल है, यह पी. ए. सी. में आया···

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने कहा था कि सोने की मोहर आंख पर नहीं रखे तब तक नहीं हो सकता—इसलिए कहा।

श्री भैरोंसिंह : एग्रो इंडस्ट्रियल कोर्पोरेशन की आंख पर रखी होगी, आपकी आंख पर नहीं रखी थी, मोटो एजेन्सी की आंख पर रखी होगी।

श्री दौलतराम सारण : माननीय सदस्य ने कहा कि वह त्याग-पत्र दे देंगे यदि जो केसेज उन्होंने रखे हैं वह गलत हों तो। अब मंत्री जी कह रहे हैं कि माननीय सदस्य साबित कर दें तो सदन जो भी सजा दे वह भुगतने के लिए तैयार हैं। तो यह कैसे साबित हो पायेगा ? सवाल यह है कि साबित कौन करे ? जांच कौन करे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस मामले पर बहस करते वक्त कहा था कि नाजायज फायदा उठाया है ···

श्री कृष्णकुमार गोयल : केवल क्वान्टम का फर्क है···

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के ···

श्री कृष्णकुमार गोयल : वर्ना सारे केस एडमिट किये हैं।

श्री दौलतराम सारण : मंत्रिमण्डल के स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार की जांच की कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई एजेन्सी है,

Page No 124

(श्री दौलतराम सारण)

न कोई कमेटी है, न कोई तरीका है। इस लिए अब सदन की समिति बना कर उसके माध्यम से जांच करवाई जा सकती है, जिससे साबित हो कि कौन इसमें दोषी है और कौन निर्दोष है। माननीय सदस्य ने जिस तरह से फैक्ट्स रख रहे हैं, उन्होंने जो ठेकेदारों का मसला रखा है, वह पी. ए. सी. में आया है, पी. ए. सी. ने अपनी रिपोर्ट उसके सम्बन्ध में पेश कर दी है—उसमें भी दोष माना है, तो इस तरह जब एक कमेटी के द्वारा जांच करने के उपरान्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है इस मसले में—इसलिए माननीय सदस्य गलत नहीं हो सकते हैं। दूसरी तरफ जो चार्जेज लगाये गये हैं, एक स्थिति तक माननीय मन्त्री ने मन्जूर किया है, उनकी फर्म है, वह पार्टनर हैं, एजेंसी के लिए चेष्टा की है। तो इसमें कुछ हद तक जो मुद्दे सामने आये हैं, उनके बारे में मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न का निराकरण करने के लिए जांच कराने के लिए तैयार हैं इस सदन को एक समिति के द्वारा ?

श्री भैरोंसिंह : एक जानकारी करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई मन्त्री जी से, यह तीन चार फर्म हैं जिनमें आपके लड़कों का हिस्सा है, उनमें जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वह कहां से आया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे लड़के का साला पार्टनर है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि साला इन्कम टैक्स पे नहीं करता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन्कम टैक्स पेअर है, अहमदाबाद में फर्म है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसका साफ मतलब यह हुआ कि आपका लड़का वर्किंग पार्टनर है और पार्टनर उनका साला है, और आपने मन्त्री होने के कारण से उनको रखा दिया वर्किंग पार्टनर। यह सारा क्लीअर है।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है, मैं समझता हूं, उसमें ज्यादा गुंजाइश नहीं रही है। जो सच्चाई है वह सदन के सामने है। माननीय मन्त्री जी के पास दो विभाग हैं—ट्रान्सपोर्ट विभाग है, मन्त्री ट्रान्सपोर्ट विभाग के हैं, वह फियेट वगैरह की, एम्बेसेडर वगैरह की कोशिश कर रहे हैं,....

श्री जयनारायण सालोदिया : बेडफोर्ड !

श्री रामकिशन : बेडफोर्ड, एम्बेसेडर के लिए चेष्टा कर रहे हैं। आप ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हैं। यह हाउस में कमिटमेन्ट किया है। इसी प्रकार से इरिगेशन मिनिस्टर हैं, और आपके लड़के, जैसा स्वयं ने स्वीकार किया है और सच्चाई भी है, एग्रो-इन्डस्ट्रियल सर्विसेज में शेअर होल्डर हैं। दूसरी इन्डस्ट्री में शेअर होल्डर हैं। मैं समझता हूं, नैतिकता के नाते, क्योंकि कोई कानून नहीं है, जो आचरण संहिता आपने अपने आप बना रखी है—उसका क्लीअर वायलेशन हैं। मैं समझता हूं, मन्त्री महोदय ने जवाब दिया, वह स्पष्टीकरण किया है तो मुख्य मन्त्री जी बतायें कि उनका क्या रुख है। दो तथ्य सदन के सामने हैं और दोनों मुद्दे स्पष्ट हैं—आप यह मान कर

(श्री रामकिशन)
चलिये कि कोई मन्त्री हैं और उनके लड़के व्यापारी हों तो सरकारी कर्मचारी प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता है। मैं नहीं कहना चाहता कि आप इन्वाल्व्ड हैं। मेरी जानकारी है कि जयपुर के एस. ई., सिगल इन्जिन की चीजें बाला बाला बेचते हैं। यह स्थिति है, मन्त्री होंगे और उनके लड़के व्यापारी होंगे तो सरकारी अधिकारी प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। मैं मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि लोक आचरण के लिए, शुद्ध एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और लोकतंत्र में आस्था रहे—इसके लिए दोनों तथ्यों को सामने रखने के बाद में आपका क्या रुख है?

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा, मुख्य मंत्री जी बोलें, उसके पहले। कैबिनेट के द्वारा राज्य के मंत्रिमण्डल के लिए निम्नलिखित आचरण संहिता स्वीकार की गई है, उसका क्लॉज 2 का पार्ट 'घ' है:-

"इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिवार का कोई सदस्य कोई ऐसा बिजनेस आरम्भ न करे, न ऐसे बिजनेस में शरीक हो कि जिसके द्वारा सरकार को या सरकार के अधीन उद्योगों को माल या सर्विस सप्लाई की जाती हो अथवा जो कारोबार सरकार द्वारा दिये गये लाइसेन्सों, परमिटों, कोटों एवं पट्टों (लीज) आदि पर निर्भर हो।"

श्री रामनारायण चौधरी : यह शब्द निकाल दिये।

श्री रामकिशन : कहला दीजिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका यह जवाब है कि यह कानून के तहत बनाया हुआ नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, जो भी प्रश्न यहाँ पर उठाये गये हैं जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य के जरिये, उनके सम्बन्ध में जो फैक्ट्स हैं उनका उत्तर मंत्री महोदय ने सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया है। प्रश्न यह खड़ा होता है कि मंत्री का लड़का बिजनेस कर सकता है या नहीं, और बिजनेस करे तो बिजनेस करने के बाद वह गवर्नमेंट को कोई माल सप्लाई कर सकता है कि नहीं। आमतौर से…

श्री रामानन्द अग्रवाल : मंत्री उसके लिए प्रयत्न कर सकता है या नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: आमतौर पर इन प्रश्नों में प्रश्न देखने का यह है, जो माल सप्लाई किया, उस सप्लाई करने के अन्दर जो गवर्नमेंट के टेन्डर के जरिये, या रेट कान्ट्रेक्ट के जरिये, जो गवर्नमेंट ने ले डाउन किये हैं—उसके बारे में जो पॉलिसी है, उसके विपरीत तो पर्चेज नहीं की गई है उन मुद्दों को देखना होगा और दूसरा लड़का बिजनेस करता है और गवर्नमेन्ट को सप्लाई करता है उसमें कान्स्टीट्यूशनल वायोलेशन होता है क्या—इस समय मैं ऑफ हैन्ड कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : यह तो आचार संहिता आपकी ही बनाई हुई है…

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस कान्स्टीट्यूशनल वाली बात को एग्जामिन करने की बात होगी…

श्री भैरोंसिंह : आचार संहिता आपने बनाई है यहां पर ।

श्री नत्थीसिंह : केबिनेट का जो डिसिजन है, आप मानते हैं क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो सरक्यूलर बताया गया यह जनरल गाइडेन्स के लिये आम तौर से रखा है, लड़का बिजनेस करता है या कोई चीज सप्लाई कर दे विशेष तौर से प्रभाव डालकर तो इन चीजों को अवोइड करने को आज कई जगह नहीं हुआ, बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं कि पहले से बिजनेस है, यह जनरल प्रिन्सिपल्स के तौर पर""

श्री भैरोंसिंह : प्रिन्सिपल्स का वायोलेशन है कि नहीं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें आपसे इजाजत लेकर आपके नोटिस में लाकर स्वीकृत हुआ है, ऐसी बात है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो इन्टरनेशनल ट्रैक्टर वाली एजेन्सी की बात है, मैंने कहा है—हर्ज नहीं है, इन्टरनेशनल ट्रैक्टर की एजेन्सी ले सकते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके नोटिस में है ?

श्री भैरोंसिंह : जो बात रामानन्द जी ने कही राजस्थान एग्रीकल्चर इन्डस्ट्रियल सविसेज की इसकी भी जानकारी नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : दूसरे बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : यह मिस कन्डक्ट है । अगर मुख्य मन्त्री जी ओपनली बहुमत का दुरुपयोग करना चाहते हैं तो यह देश की बहुत बड़ी बदकिस्मति है । मन्त्री ने स्वयं स्वीकार किया है अम्बेसेडर की एजेन्सी लेने के लिये प्रयत्न किया । आपने स्वयं के लड़के के लिये प्रयत्न किया और लड़का ज्वॉइन्ट फेमिली में है । अगर इन्डिपेन्डेन्टली बिजनेस करता तो भी कोई चीज समझ में आती""

(व्यवधान—अश्रव्य)

विनोद""शादी से कोई मतलब नहीं । रामानन्द जी जो राजा महाराजाओं को गाली दे रहे थे, इनकी शादियां किस तरह की हो रही है उन्हें देख लीजिये । राजा महाराजा कहां गये और ये कहां आ गये । उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं आज चार बातें राजस्थान सरकार में है—जो आचार संहिता निकाली है, लड़का बिजनेस नहीं कर सकता है और लड़के ने बिजनेस किया और फिर पिता के विभाग के अन्तर्गत, जो पोर्टफोलियों इनके पास आता है उसके अन्तर्गत किया है । दूसरा लड़का बिजनस करें तो मुख्य मन्त्री महोदय को सूचना होनी चाहिये, एक में सूचना दी और दूसरे में नहीं दी । तीसरे में एजेन्सी ली और मिनिस्टर होने के नाते एजेन्सी के लिये प्रयत्न किया गया एक में सफलता प्राप्त की और एक में कोशिश की । मन्त्री एजेन्सी नहीं ले सकता है, यह मिस कन्डक्ट है । कान्स्टीट्यूशनली क्या पोजीशन है वह आपके सामने आ रही है । ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा किस प्रकार की एन्क्वायरी की आवश्यकता रह गई ? इस सदन को चाहिये कि ऐसे भ्रष्टाचारी मन्त्री को बर्खास्त करें, जो भ्रष्टाचारी मन्त्री राजस्थान की

(श्री भैरोंसिंह)
जनता को लूट कर खा जाय, उस मन्त्री को तत्काल बर्खास्त किया जाय।

श्री विजयसिंह : मैं सदन से यह निवेदन करना चाहूंगा ऐसे भ्रष्टाचारी मन्त्री को मुख्य मंत्री जी को सदन से बाहर निकाल देना चाहिये जो समर्थन करते हैं, उनको पनपाते है, उनकी बहुमत के आधार पर यहां पर वकालत करते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत है।

श्री विजयसिंह : आप इस तरह भ्रष्टाचार को पनपाना चाहते है....

श्री कृष्णकुमार गोयल : मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा इस तरह जोर की आवाज लगाकर और ताकत के आधार पर दबाना चाहते हैं...

श्री विजयसिंह : क्या समझते हो अपने आपको... आप भ्रष्टाचारियों को पनपाते हो...

श्री उपाध्यक्ष : वित्त मन्त्री जी उत्तर देगें।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री विजयसिंह : ये मन्त्री लोग आये दिन भ्रष्टाचार करते हैं।

(व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई दल का सवाल नहीं है यह कांग्रेस और विपक्ष का सवाल नहीं है। एक सदन के माननीय सदस्य होने के नाते या मन्त्रिमण्डल के सदस्य होने के नाते क्या स्टेन्डर्ड उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है—यह इस सदन की मर्यादा का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, इसे इस दृष्टिकोण से नहीं रखें। वे चाहे भ्रष्टाचार की संज्ञा में आते हैं या नहीं आते हैं परन्तु जो कोड ऑफ कन्डक्ट है, जो एक व्यवहार एक मंत्री से और मैं कहूंगा एक सदन के माननीय सदस्य से ऐक्सपेक्ट किया जाता है कि वह इस सदन का सदस्य होने के बाद कोई इस प्रकार का बिजनेस नहीं कर सकता है जिसका ताल्लुक स्टेट गवर्नमैन्ट से पड़ता है, सप्लाई करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती है यह रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पिपुल्स एक्ट के खिलाफ है जो कोड ऑफ कन्डक्ट माननीय मुख्य मन्त्री जी ने बताया है, क्लियरली मुख्य मंत्री जी ने कहा इसकी कोई जानकारी नहीं दी और न कोई स्वीकृति प्राप्त की फिर जिस विभाग के मंत्री हैं ट्रान्सपोर्ट के मंत्री है और उधर खड़े होकर कह रहे हैं अम्बेसेडर कार के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। जो भी जितनी सप्लाई होती है उसमें वह कम्पनी उनको ओब्लाइज करने का प्रयत्न करेगी। अगर मंत्री लोग क्यू में खड़े होकर ऐजेन्सी लेने लगे तो यह क्लियर कट ऑफिस का दुरुपयोग है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं केस क्लियर है और प्रभाव काम में लाया गया है। मुख्य मंत्री जी को इस पर निर्णय लेना चाहिए और कम से कम मंत्रिमण्डल के सदस्य नहीं रखकर रिजाइन कराना चाहिये और बर्खास्त करना चाहिये।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय यह प्रश्न ऐसा है और सारे सदन के सामने स्थिति आ गई है। हम जानना चाहते हैं इस पर मुख्य मंत्री जी की प्रतिक्रिया क्या है। यह बात सही है वोल्टाज इन्टरनेशनल ट्रेक्टर को सूचना दो-बाकी को सूचना नहीं दी। जो तथ्य सामने आये हैं उसमें

(श्री नत्थीसिंह)

सदन के नेता की हैसियत से, गवर्नमेंट की हैसियत से वे क्या सोचते हैं? उनकी कैबिनेट ने फैसला किया है। सारे देश के सामने यह मसला आ जायगा। क्या सदन के नेता महोदय चुप बैठना चाहते है? मुख्य मंत्री जी चुप क्यों हैं? हम जानना चाहते हैं जो कुछ हुआ है क्या उस पर सील लगाना चाहते हैं? मैं समझता हूं ऐसी स्थिति नहीं है इसलिए साफ तौर से क्या करना चाहते हैं वह सदन के सामने रखना चाहेंगे?

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके सम्बन्ध में मुझे भी एक निवेदन करना है ...

श्री दौलतराम सारण : जैसा अभी माननीय नत्थीसिंह जी ने कहा, माननीय मंत्री महोदय ने वोल्टाज की एजेन्सी की जानकारी दी लेकिन मुख्य मंत्री जी जानकारी देने के बाद बरी नहीं हो जाते हैं। मुख्य मंत्री जी कह दें, ठीक है करें जो उनका दायित्व है और निर्णय किया है, उस तरह से बरी नहीं हो जाते हैं। मुख्य मंत्री जी चाहे अनुमति दे दें लेकिन उनकी स्थिति ज्यों की त्यों रहती है। इसलिये इस मामले को दलों का सवाल नहीं मानना चाहिये। यह गम्भीरता का प्रश्न है, परम्परा का प्रश्न है, एक मर्यादा का प्रश्न है इसलिए मर्यादाओं और परम्पराओं को दल से ऊपर उठाकर हमें भावी पीढ़ी के लिए आदर्श की दृष्टि से विचार करना चाहिये। ममता, मोह छोड़कर इस पर गम्भीरता से निर्णय लेना चाहिये। मैं कहूंगा मुख्य मंत्री जी सलाह करके निर्णय लें और लड्ढा जी से त्याग-पत्र की घोषणा करवायें और या डिक्लेयर करें हाईकोर्ट के जज के द्वारा जांच कराने का यदि वास्तव में परम्परा रखनी है और वास्तव में जनता में विश्वास पैदा करना है आज आपके मंत्रिमण्डल के प्रति यह विश्वास नहीं है। यह तो अलग प्रश्न है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न इस प्रकार दबाया नहीं जा सकता है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं और मैं आग्रह करना चाहता हूं इसे मुख्य मंत्री जी गंभीरता से लें साधारण रूप से टरकाये नहीं।

(4.35 म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री मदनसिंह : सवाल यह है कि एक मंत्री महोदय, जिनका कि पोर्टफोलियो है, के लड़के का बिजनेस है और ज्यों ज्यों पोर्टफोलियो बदलते गये वह छोड़ता गया और कई जगह छूटता गया तो सब मंत्रियों के लड़के और चीफ मिनिस्टर के लड़के एजेन्सियां ले लें तो शायद किसी के पांती बिजनेस आयेगा ही नहीं। इसलिए यह हो सकता है कि मंत्री महोदय को यह पता नहीं हो लेकिन उनके लड़के को बिजनेस देने में दुनिया पर कुप्रभाव पड़ता है या ऐसी चीज आती है तो कमसे कम यह वायदा करें कि आज से एजेन्सी खत्म करके आयन्दा नहीं होने देंगे लेकिन उसको जस्टीफाई करना उचित नहीं होगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख एक संवैधानिक मसला है और संवैधानिक प्रश्न यह है कि यह हो सकता है, अगर बहस के तौर पर इस बात को मान भी लिया जाय कि जो कुछ भी सप्लाई

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)
किया गया है वह कम रेट पर किया गया और घाटा खाकर भी किया गया—यह भी मान लिया जाए, और आर्ग्यूमेंण्ट के लिए यह बात भी मान ली जाय ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, संक्षेप में।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : कि इन्होंने ऑटो सर्विसेज या दूसरी फर्म, जिनमें इनका हित था, जिनमें ये इन्ट्रेस्टेड थे, गवर्नमेंट को सप्लाई किया, और जो कुछ भी बिजनेस इन्होंने किया गवर्नमेंट को सप्लाई करने का उसमें इन्होंने मुनाफा कमाने के बजाय लाखों रुपयों का घाटा उठाया, यह बात भी अगर मान ली जाय तो यह डिस्क्वालिफिकेशन इस सदन के मेम्बरशिप के लिए है। जबकि जो एम. एल. ए. के लिए खड़ा होता है तो उसको यह देना पड़ता है बराबर कि गवर्नमेंट के साथ कोई सप्लाई करने का कान्ट्रेक्ट है या नहीं अगर है तो कानून में ऐसा प्रॉविजन है कि उसका नामांकन पत्र रिजेक्ट हो जाता है। अगर चुने जाने के बाद भी इस प्रकार का कन्डक्ट करता है तो उसकी मेम्बरशिप एटवन्स सीज हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : अब पर्याप्त है। सारा प्रश्न सदन के प्रांगण में आ चुका है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : संविधान के अन्तर्गत गवर्नर महोदय को इस बात का अधिकार है कि वह फौरन ही ऐसे आदमी को जो सीट है उसको फौरन ही वेकेन्ट करा दें। तो यह संविधान का मसला भी है।

अगर यह बात मान ली जाय आर्ग्यूमेंट के लिए कि नियत साफ थी, ईमानदारी के साथ बिजनेस हुआ और किसी प्रकार का लाभ नहीं था तो भी इसके अन्तर्गत आप मानते हैं। इसलिए इस संवैधानिक मसले पर सदन विचार करे।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री भैरोंसिंह : मुझे एक निवेदन करना है। मैं दो मिनिट की इजाजत चाहता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह बात इस हाउस में कही कि राजस्थान ऑटो ट्रेडर्स और राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विसेज और राजस्थान ऑटो सर्विसेज के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है और न जानकारी दी। यह इन्होंने अभी हाउस के अन्दर स्वीकार किया है, अध्यक्ष महोदय। यहां इस सदन के अन्दर एक बार स्वीकार किया था कि मन्त्रियों को अपनी सम्पत्ति के बारे में, लेन-देन के बारे में चीफ मिनिस्टर को जानकारी देनी चाहिये। अब एक प्रश्न कुछ समय पहले उनियारा से आने वाले माननीय सदस्य श्री दिग्विजयसिंह जी ने पूछा था इसी सत्र में, वह प्रश्न मैं पढ़कर सुना देता हूं—

"क्या यह सही है कि मन्त्रियों को आचरण संहिता के अनुसार प्रत्येक मन्त्री को अपनी अपनी सम्पत्ति की सूची माननीय मुख्य मन्त्री जी को देना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या मन्त्रिमण्डल के सदस्यों ने यह सूची दे दी है ?"

आपने कहा—

श्री अध्यक्ष : क्या यह सूची मन्त्री बनने के पूर्व की है सम्पत्ति की....

श्री भैरोंसिंह : "यह प्रावधान जब से लागू है उस समय से मन्त्रीगण अपनी

(श्री भैरोंसिंह)

सम्पत्ति व देनदारी का ब्योरा बराबर देते आ रहे हैं।"

तो प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि मन्त्रियों ने सारी सम्पत्ति की जानकारी आपको दे दी, और अभी आपने स्वीकार किया और जिसको लड्ढा साहब ने भी स्वीकार किया कि मेरे लड़के की फर्म एजेन्सी का बिजनेस करती है इसकी आपको कोई सूचना नहीं दी। तो क्या आप यह मानकर चलते हैं कि अगर ईमानदारी का बिजनेस होता है तो उसकी सूचना नहीं दें? क्या यह सूचना इसी बात के लिए मांगी गई है कि सारे मन्त्रियों के आचरण सम्बन्धी सूचना मुख्य मन्त्री को मिलती रहे? क्या आप इस आधार पर इसको मानकर नहीं चलते कि इसकी जानकारी लड्ढा साहब ने नहीं दी तो यह अनुचित काम था और इसकी जानकारी नहीं दी जानी चाहिए? और इसके बावजूद भी आप यह मानकर चलते हैं कि जो कुछ फार्मेलिटीज पूरी करनी चाहिए थी वह उन्होंने नहीं की। यह बहुत बड़ा आफेन्स नहीं तो और कौनसा बड़ा आफेन्स हो सकता है? कौनसा मिसकन्डक्ट हो सकता है? माननीय मुख्य मन्त्री जी अपने इस सम्बन्ध में विचार प्रकट करते तो ज्यादा अच्छा होता।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: जिस असेट्स और लायेबिलिटीज के स्टेटमेन्ट का आप जिक्र कर रहे हैं उसकी जानकारी पूरी क्या दी है—इस वक्त इसके डिटेल्स तो मेरे पास नहीं है।

श्री भैरोंसिंह: आपने कह दिया कि नहीं दी है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: मैं कैसे कह देता। मैंने तो यह जो बिजनेस इन्टरनेशनल वाला था उसके लिए कहा था। दूसरी साइड में क्या क्या बिजनेस ले सकते हैं उनके लिए मैं कह सकूं ऐसी स्थिति में नहीं हूं जो कुछ कहा था और जो मैंने उत्तर दिया है उसके हिसाब से कहा था।

श्री भैरोंसिंह: वह भी कह रहे हैं कि मैंने नहीं कहा फिर क्या परमिशन चाहते हैं उनसे कि लिखकर दें?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: उन्होंने कहा तो इन्टरनेशनल के बारे में मैंने कह दिया। उन्होंने कहा कि केवल इन्टरनेशनल के बारे में मुख्य मन्त्री जी को जानकारी दी है।

श्री अध्यक्ष: इसके ऊपर अब चर्चा नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह: चर्चा चलेगी, आप चाहें चलने दें या न चलने दें।

श्री अध्यक्ष: मेरे पास कोई उपाय नहीं है।

(शोरगुल)

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: लड्ढा साहब से मिल गये।

श्री अध्यक्ष: जो कुछ बहस हो सकती थी की गई। जितनी जानकारी हो सकती थी करा दी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इसका निराकरण हुआ कहां?

श्री अध्यक्ष: आप क्या यह चाहते हैं कि आज डिबेट ही न चले? अगर यह चाहते हों तो मैं साफ कर लेना चाहता हूं।

Page No 131

श्री दौलतराम सारण : डिबेट डिबेट के हिसाब से होगी और डिबेट में जो पॉइन्ट रेज़ करेंगे ...

श्री अध्यक्ष : मेरे पास चारा नहीं कि आगे का बिजनेस कैसे चले।

श्री भैरोंसिंह : आपके पास चारा नहीं तो हमारे पास है --

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप यह व्यवस्था दे सकते हैं कि अगर ऐसा कन्डक्ट माननीय सदस्य का हुआ है और चर्चा चली है और आगे भी एक मन्त्री का हुआ है और आगे एक जानकारी दी हुई है तो इस बात पर आप अपनी व्यवस्था दे सकते हैं। इसके मुताबिक करें वरना डिबेट बन्द होने की नहीं।

श्री अध्यक्ष : ऐसी व्यवस्था कैसे दे सकता हूं It is not a question of interpretation of the rules. I cannot give any ruling. यह कैसे व्यवस्था दे सकता हूं।

श्री भैरोंसिंह : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। श्री रामप्रसाद जी लड्ढा का एक विधायक के नाते मिसकन्डक्ट है और इस प्रश्न के आधार पर यह उठा सकते हैं कि लड्ढा साहब ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, मिसकन्डक्ट किया है, और इस मिसकन्डक्ट के बारे में आपको रूलिंग देनी है।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में मैं रूलिंग दूं Whether it is a question of misconduct of a member or not,.........

अभी तक ऐसी अध्यक्षीय व्यवस्था मेरे सामने नहीं आई है।

श्री भैरोंसिंह : ऐसा कोई भ्रष्टाचार का मामला, जिसमें मंत्री महोदय ने स्वयं ने स्वीकार कर लिया हो, आपके सामने नहीं आया है पहले।

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

मैं हाउस को आदेश के लिए कहता हूं।

(शोरगुल)

श्री कृष्णकुमार गोयल : ये डाकू बन कर खाते चले जा रहे हैं राजस्थान को। आखिर यह लोकतन्त्रीय प्रणाली को बनाया जा रहा है या खत्म किया जा रहा है। कोई प्रश्न रखा जाय तो मुश्किल से कोई मंत्री पकड़ में आता है।

श्री अध्यक्ष : अगर हाउस मूड में न हो कि इस क्वेश्चन से आगे बढ़े तो दूसरा तरीका लूं। मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने रिप्लाई को आरम्भ करें।

विपक्ष के कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आप कहें कि लड्ढा को बर्खास्त करें।

श्री अध्यक्ष : Now I have no option but to request the Hon' ble Finance Minister to.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a Point of order. I rise on a point of order.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान संविधान की धारा 191 की ओर दिलाना चाहता हूं—

"A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State if he holds any office of profit under the Government of India or the Govt. of any State specified in the First Schedule, other than an office declared by the Legislature of the State by law not to disqualify its holder; ..."

श्री रामनारायण चौधरी : रेलेवेन्ट हो वह बताएं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (e) If he is so disqualified by or under any law made by Parliament.

श्री अध्यक्ष : 191 क्लाज (ई)।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : This is Article 191 (e) of the Constitution of India which lays down certain disqualification for membership.

"A person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State-if he is so disqualified by or under any law made by Parliament."

इसका मतलब है कि चुनावों से पूर्व और उसके पश्चात् यदि कोई सदस्य यह करता है तो वह डिसक्वालिफाइड हो जाता है और कोई व्यक्ति कन्टीन्यू कर रहा है तो उसके लिये 191 कहता है, उसका 'ई' है 'made by the Parliament'। सेक्शन सात है, रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट, उसका जो सेक्शन 7 है वह कहता है Representation of Peoples Act is an Act made by Parliament. It is coverd by Article 191."

अब सेक्शन 7 इस पर अप्लाय करते हैं आपको सेटिस्फाई करता हूं....

श्री अध्यक्ष : Of the Constitution ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, कॉन्स्टीट्यूशन तो हमारा सरल है। वह कहता है कि कोई भी आदमी कानून के तहत डिसक्वालिफिकेशन करता है तो वह हाउस का मेम्बर नहीं कहा जा सकता है। तो कानून क्या है ? वह पार्लियामेन्ट ने बनाया है और वह है रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट। उसका सेक्शन है 7। वह यह कहता है:—

"A person shall be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State."

Now I come to Sec. 7 (d). It says—"If there subsists a contract entered into in the course of his trade or business by him with the appropriate Government for the supply of goods to or for the execution of any works undertaken by that Government."

सप्लाई किया है या पहले का एग्जीक्यूशन किया है, कोई भी किसी प्रकार का मामला हो तो इसमें रेट कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, उसमें इन्ट्रेस्ट का कान्ट्रैक्ट भी आ गया। मुख्य मन्त्री महोदय शायद यह जानते हैं कि रेट कान्टेक्ट बिना प्रॉफिट के नहीं किया जाता है। यदि रेट कॉन्ट्रैक्ट किया है तो कितने मुनाफे के साथ किया है और उसका कोई नाजायज उपयोग तो नहीं किया गया है? इसके बारे में थाड़ा निवेदन करना चाहता हूं। इस सिलसिले में जो संविधान की धारा 15 है उसकी कमेन्टरी की एक लाइन मैं पढ़ना चाहता हूं:—

"Making of profit out of the contract is not essential." यह 191 की कमेन्टरी है। प्रॉफिट किया गया—यह असेन्शियल भी नहीं है। कितना मुनाफा उससे कमाया यह मोरिलिटी या इम्मोरिलिटी की बात हो सकती है। लेकिन लीगल पोजीशन तो यह है If there was a contract, if there is a contract. तो यह पोजीशन मैं सेक्शन 7 को बता रहा हूं। इसके आधार पर मैंने सेक्शन 7 को यहां पर पढ़ा है। मैं अब 1959 में आन्ध्र प्रदेश में एक इसी प्रकार का केस आया था। उसमें यह है उसका पेज 116 है:—

'Elections-Representation of the Peoplse Act S. 7 (d)—Disqualification on ground of subsisting contract with Government—."

जजमेंट और है। उस में यह है।

"Pearl Surgical and Dressing works submitted a tender for the supply of requirement of the Government consisting of lint and bandages and this was accepted by Government in respect of which supplies were being made from time to time. Pursuant to the tender orders were being placed by the officers of Government to buy the goods at the rates approved by the Government which constituted an offer, and this was accepted by the firm, and when the goods were sent as per orders the offer was accepted by the Government.

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

Held that the essential ingradients to constitute a contract were present and as soon as an order was placed and accepted a contract arose."

श्री अध्यक्ष : यह सिद्धान्त मैं समझ रहा हूं। दूसरा पॉइन्ट ले लीजिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य जो यहां पर रेफ़ेन्स कर रहे हैं, वैसे मैं कानून का बहुत ज्ञाता नहीं हूं, परन्तु जहां तक मैं समझता हूं कि मेम्बर्स स्वयं कोई कॉन्ट्रैक्ट करें या और कोई चीज हो—तो उस पर लागू होती है। उस पर लागू होने वाला यह क्लाज है न उनके लड़के या दूसरे कोई हों उन पर।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उसमें डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट भी आते हैं।

श्री अध्यक्ष : जल्दी से समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसकी रेलेवेन्सी है।

श्री अध्यक्ष : एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर है :

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब मैं पढ़ रहा हूं। 1954 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेन्ट। वह कहता है—यह सेक्शन 7 पर है : Page 235.

"The purpose of the Act is to maintain the purity of the legislatures and to avoid a conflict. between duty and interest."

श्री अध्यक्ष : And to be interpreted by whom ? By which Body ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब तो वही मैं पढ़ रहा हूं :—

"The purpose of the Act is to maintain the purity of the Legislatures and to avoid a conflict between duty and interest. It is obvious that the temptation to place interst before duty is just as great when there is likely to be some difficulty in recovering the money from Government as when the there is none."

It also says—

"Certain firm having contract for supply of goods with Government-partner in the firm must also be held to have both a share and an interest in the contract."
फर्म्स तक आ गई, पार्टनर्स तक आ गये, इन्डीविजुअल पार्टनर्स तक आ गये और प्रॉफिट और शेअर में उनको माना जायेगा, उस कान्ट्रैक्ट में माना जायेगा, एक इन्डीविजुअल पार्टनर है उसका भी इन्ट्रेस्ट इस आधार पर माना जायेगा। तो यह पोजीशन है। श्री लड्ढा और उनके लड़के एक

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल).

ज्वॉइन्ट फेमिली के हैं। यह फेमिली ज्वॉइन्ट फेमिली है और उनका लड़का पार्टनरशिप में है और पार्टनरशिप में सेपरेशन का हक नहीं है और जो बिजनेस किया गया है उसमें उनका भी ताल्लुक है। वे इससे सेपरेशन नहीं कर सकते। मुख्य मन्त्री महोदय यह कहें कि ज्वॉइन्ट फेमिली है तो जो ज्वॉइन्ट फेमेली है उसकी भी रूलिंग मेरे पास में मौजूद है। ज्वॉइन्ट फेमिली किस प्रकार से फर्म की पार्टनर हो सकती है। कॉन्ट्रेक्ट में उसको माना जायेगा ज्वॉइन्ट फेमिली अगर इस तरह से कोई बिजनेस करती है तो उसका इन्ट्रेस्ट ऑफ शेअर होगा और वह भी उसी तरह से डिसक्वालिफाइड होगा। प्राइमा फेसी हाउस के सामने तथ्य आ चुका है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें गवर्नर को रेफर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इलेक्शन कमीशन की राय जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज्वॉइन्ट फेमिली की पार्टनरशिप है और इसमें एम्प्लाय किया है क्लॉज 7 आता है और 191 के तहत श्री रामप्रसाद जी लड्ढा इस हाउस की मेम्बरशिप के लिये डिसक्वालिफाइड हैं और वे इस हाउस में नहीं बैठ सकते हैं। वे स्ट्रेन्जर हैं और इसके बाद इस हाउस में नहीं बैठ सकते हैं और बैठते हैं तो नियमों के अनुसार पांच सौ रुपया रोजाना जुर्माना देने के लिये भागीदार हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करूंगा कि नियमों के अन्तर्गत कोई स्ट्रेन्जर इस हाउस में नहीं बैठ सकता है। यह फेक्ट नॉलेज में आ गया है इसलिये स्ट्रेन्जर को इस हाउस से निकाला जाये और इनको हाउस से बाहर भेजा जाये।

श्री अध्यक्ष : Law Minister please.

श्री यशवन्तसिंह नाहर : Whatever the facts may be, we are not concerned. Are we sitting here as a judge of the case ? Whether the question of disqualifying a member can be decided by this Hon'ble House ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : स्पीकर साहब को है ....

श्री अध्यक्ष : लॉ मिनिस्टर ! ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह : यह जानना चाहूंगा....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मेम्बर्स के कन्डक्ट के बारे में रूलिंग देने का अधिकार स्पीकर महोदय को है।

श्री अध्यक्ष : मैं देखूंगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह जानना चाहूंगा कि नाहर साहब ने कानूनी मुद्दे पर राय दी है कि यह प्रॉपर प्लेस नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा कि मन्त्रीजी के लड़के बिजनेस करते हैं तो क्या यह मिस कन्डक्ट में नहीं आता है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं तो यह अर्ज कर रहा था कि फेक्टस् सामने आ गये हैं और जो कुछ आपने कहा है उस पर मन्त्री महोदय ने जवाब दे दिया है। उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। परन्तु यह सत्य है कि इस सदन में चर्चा करने के बाद मेरी समझ में नहीं आता कि यह सदन ही जज

Page No 136

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)
होकर कैसे बैठ सकता है। यह तो बड़ा मुश्किल हो जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : आप विशेषाधिकार समिति के चेयरमैन हैं...

श्री यशवन्तसिंह नाहर : यह अलग बात है I speak only as a member.

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री नाहर। ऑर्डर प्लीज। लॉ मिनिस्टर...

श्री बरकतुल्ला खां (विधि मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक डिसक्वालिफिकेशन का सवाल है वह उस वक्त डिसक्वालिफिकेशन इनकर होती है जब कोई डेफीनेट कॉन्ट्रैक्ट हो, कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट पर हो और गवर्नमेन्ट को सप्लाई करने का, पेमेन्ट की वसूली करने का बाकायदा एप्रूव्ड लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हो...

श्री भैरोंसिंह : यह तो बता दिया है। जिस समय यह कहा था उस समय आप हाउस में नहीं थे। He has admitted.

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। यह बुद्धि का मामला है।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, जहां तक कॉन्ट्रैक्ट का सवाल है, कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट होती है, कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट एप्रूव की जाती है और जब वह कॉन्ट्रैक्टर होता है तो वह इलेक्शन कन्टेस्ट करने के लिए डिस्क्वालिफाइड माना जाता है अगर वह स्टेट से डील करता है। उसके बाद अगर वह कान्ट्रैक्टर बनता है तो डिस्क्वालिफिकेशन इन्कर करता है लेकिन सवाल यह मीयर सेल एण्ड पर्चेज का है...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : वह भी कॉन्ट्रैक्ट होता है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी जानकारी के लिए बता दूं...

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। सिर्फ संवैधानिक इश्यूज पर राय चाहते हैं, फैक्टस पर नहीं। Can you benefit me by your advice on constitutional issue ?

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट पर होना चाहिए और आपने कहा रेट कॉन्ट्रैक्ट पर सप्लाई किया है। रेट कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई वह होती है जो लिस्ट में है, लिस्ट ऑफ कान्ट्रैक्टर्स में जिनके नाम हों, तो आपका मतलब है कि ये लिस्ट आफ कॉन्ट्रैक्टर्स में नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष : उसको छोड़ दें, कॉन्स्टीट्युशनल इश्यू पर कहिए।

श्री बरकतुल्ला खां : मैं फैक्ट्स पर नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ यह कह रहा था कि कोई आदमी कॉन्ट्रैक्टर है वह इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर बनाया गया है तो उसने डिस्क्वालिफकेशन इन्कर नहीं की जिस पर गवर्नमेंट को मूव कर सकें। लेकिन अगर सेल है, बगैर कॉन्ट्रैक्टर के होती हैं बगैर कॉन्ट्रैक्टर्स लिस्ट के होती है वह सेल, अगर किसी की दुकान

(श्री बरकतुल्ला खां)
हों और सामान खरीदा जाए जो उस समय अवेलेबल हैं तो उसके अन्दर डिसक्वाली-फिकेशन इन्कर नहीं होती । बाकायदा रूल्स हैं, लॉज हैं इसलिए कॉन्ट्रेक्टर की डेफिनेशन अलग है लेकिन रेट कॉन्ट्रेक्ट होता है, उस पर सेलर ऑफर करता है कि इस प्राइस पर दे सकता हूं, उस समय डिस्क्वालिफिकेन इन्कर नहीं करता । डिसक्वालिफिकेशन उस समय इन्कर करता है जब कॉन्ट्रेक्टर बनता है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लॉ मिनिस्टर मेरी पोजीशन को सबस्टेन्शिएट करते हैं । उन्होंने फैक्ट्स पर कुछ नहीं कहा । कहते हैं कि रेट कान्ट्रेक्ट है तो कॉन्ट्रेक्टर की डेफिनेशन में आता है । उसके लिए रूल्स मैंने पढ़ कर सुनाए । लॉ मिनिस्टर ने कोई रेप्यूडिएशन नहीं किया···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जिस फेमिली के प्रधानकर्त्ता श्री लड्ढा साहब हैं and it is a...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य दुबारा लीगल पोजिशन बता रहे हैं । जो तथ्य है, आपने रख दिये हैं ।

श्री भैरोंसिंह : यह फर्म एप्रूव्ड डीजर्स की लिस्ट में है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : समय बढ़ा दिया जाये ।

कई माननीय सदस्य : कहां का समय ?

श्री अध्यक्ष : सदन की सहमति से···

कई माननीय सदस्य : जब तक इस मसले का फैसला हो तब तक···

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : मैं इस सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न पर कोई निर्णय दूं और निर्णय देते हुए यदि समय समाप्त हो जाए और एक मिनिट आगे निकल जाये तो मैं उसको भुगता हुआ हूं इसलिए मैं खतरा नहीं लेना चाहता । जब तक यह प्रश्न और वित्त मंत्री का उत्तर समाप्त न हो तब तक···

कई माननीय सदस्य : नहीं नहीं ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : एप्रोप्रिएशन बिल पारित होने तक ।

श्री अध्यक्ष : जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पारित न हो तब तक सदन की सहमति से सदन का समय बढ़ाता हूं ।

अब माननीय सतीशचन्द्र जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया । इस व्यवस्था के प्रश्न के दो अंग हैं । एक तो तथ्य पर आधारित है. दूसरा कानूनी और संवैधानिक है । जहां तक तथ्यों का सम्बन्ध है उन पर निर्णय भी अध्ययन पर आधारित विश्लेषण का रहता है । जहां तक कानूनी और संवैधानिक प्रश्न है, वह भी इंटरप्रिटेशन का प्रश्न है । दोनों प्रश्नों पर पूर्णतः विचार करके ही इस पर निर्णय लिया जा सकता है लेकिन मुख्य प्रश्न यह कि संविधान के प्रश्न पर क्या यह सदन कोई निर्णय ले सकता है ? और क्या अध्यक्ष भी उस पर निर्णय दे सकता है, ये दो प्रश्न संविधान के आधार पर हैं ।

(श्री अध्यक्ष)

दूसरा प्रश्न है रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने जो प्रकाश डाला है कि संविधान की धारा 191 एन्ड पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट का सेक्शन 7, इन दोनों को दृष्टिगत रखते हुए सदन के अधिकार क्षेत्र में है अथवा अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में है कि राज्यपाल के समक्ष इस मामले की याचिका प्रस्तुत किये जाने पर निर्णय लिया जा सकता है या नहीं ? अत: ये सब प्रश्न संवैधानिक और कानूनी और तथ्यों पर आधारित हैं जिनकी तीनों स्थितियां पेचीदगी में उलझी हुई हैं। इसलिए मैं इस स्थिति में नहीं हूं, इस पर निर्णय दूं। क्योंकि इस सदन में पहले भी ऐसे ही प्रश्न पर व्यवस्थायें हो चुकी हैं, जो मुझे पूर्णत: याद नहीं है लेकिन ऐसे ही प्रश्न पर एक व्यवस्था सदन की भी है। उस व्यवस्था के संदर्भ में और सारे लीगल और कॉन्सटीट्यूशनल इश्यूज एवं फैक्चुएल सबको अध्ययन करके ही मैं व्यवस्था दे सकता हूं। ऐसी हालत में मैं इस रूलिंग को रिजर्व करता हूं। मैं कल ही इस पर निर्णय दे दूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : मुझे और लाभ मिलेगा आपकी राय से। (श्री कृष्णकुमार गोयल के खड़े होने पर) व्यवस्था के बाद मैं अभी खड़ा हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं करता।

श्री अध्यक्ष : मैं गुस्ताखी आपको रोकने की नहीं कर सकता।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह एडमिटेड फैक्ट है कि श्री लड्ढा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं और इरिगेशन मिनिस्टर भी हैं...

श्री अध्यक्ष : पुनरावृत्ति कर दूं फैक्टस की ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : सवाल यह है कि मुख्य मन्त्री ने और लड्ढा साहब ने, प्रश्न लीगल है, कॉन्स्टीट्यूशनल है, व्यवस्था हो गई है...

श्री अध्यक्ष : फैक्चूअल है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लड्ढा साहब ट्रांसपोर्ट और इरिगेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एडमिट किया है कि उनके दो लड़के हैं। 3-4 कम्पनियों के अन्दर पार्टनर्स हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उनकी कम्पनीज ने इरिगेशन और ट्रांसपोर्ट को माल सप्लाई किया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि अपने पास से एक पैसा नहीं लगाया है। सारे का सारा दो दो लड़कों का है जो वर्किंग पार्टनर्स हैं। आज के युग में वर्किंग पार्टनर्स को बिना पैसा लगाये कौन किसी को रख लेगा ? इन्होंने मैनीप्यूलेट करके...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री कृष्णकुमार गोयल : एजेन्सी के माध्यम से सरकार को नुकसान पहुंचाया है, यह एडमिटेड फैक्ट है इसके बाद क्या रह जाता है ?

श्री लादूराम सुलानिया : बाहर निकालना।

श्री कृष्णकुमार गोयल : लेकिन कहते हैं कि किसी प्रकार, बिना मुख्य मन्त्री की सहमति...

Page No 139

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न आ चुके हैं। एडमिटेड, नोट एडमिटेड....

श्री कृष्णकुमार गोयल : Everything is admitted on the record.

श्री अध्यक्ष : आप व्यवस्था चाहते हैं, मैंने अपनी कठिनाई बताई। मेरे स्थान पर आप होते तो भी वही कठिनाई महसूस करते क्योंकि यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप सरकार और हमारे बीच में न आयें, हम अपने आप निपटेंगे।

श्री अध्यक्ष : तो मैं चला जाता हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : जीती मक्खी को....

(शोरगुल)

श्री मदनसिंह : सतीशचन्द्र जी को इशारा कर दें, वह बैठ जायं।

श्री अध्यक्ष : वह बैठ जायेंगे तो और शान्ति रहेगी सदन में। इसलिए मैं सदन से आग्रह करता हूं कि आज का बिजनेस समाप्त किया जाए, इस प्रश्न पर कल वापिस निर्णय ले लूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : 191 के तहत आप फैसला करें या 192 के तहत, राज्यपाल महोदय को सारे सवाल को फार्वर्ड करें, या हम लिखकर दें, सवाल बनता है या नहीं यह कॉन्सटीट्यूशनल आसपेक्ट है। लेकिन यहां मोरीलिटी का सवाल है, मोरल स्क्रूपुलस का सवाल है, सारे के सारे अनस्क्रूपुलस मन्त्रिमण्डल में बैठे हों, जीती मक्खी निगलना चाहें ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर लड़के को एजेंसी दिलादें, आप ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर होकर...बेडफोर्ड की एजेन्सी लेकर, एम्बेसेडर की एजेन्सी लेकर, लड़कों के नाम से धन्धा कर रहे हैं और लाखों रुपये कमा रहे हैं....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री शंकरलाल : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब मैं इस प्रश्न को नहीं उठने दूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता के प्रतिनिधि किसी मामले को रखते हैं...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उसको इसी सदन के अन्दर दवाया गया....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! मैंने निर्णय को सुरक्षित रखा है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आम जनता यह मानकर चलती है, अध्यक्ष महोदय, कि यह सदन भी भ्रष्टाचार को पनाह देता है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस सदन की मर्यादा और परिपाटी बनाये रखने की जिम्मेदारी आपकी है उतनी ही जिम्मेदारी हमारी भी है....

Page No 140

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें, जिम्मेदारी को मैं समझ रहा हूं, माननीय सदस्य।

(श्री देवीदत्त गाड़िया के पुनः बोलने पर) माननीय सदस्य

श्री देवीदत्त गाड़िया : तो इस सदन के प्रति राजस्थान की 2½ करोड़ जनता का विश्वास नहीं रहेगा और लोकतन्त्र की हत्या होगी और इसलिए लोकतन्त्र को बचायें ...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! मैंने कल के लिए माननीय सदस्यों को निवेदन किया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इस पर जब तक अन्तिम निर्णय नहीं होगा तब तक इस मामले को आगे नहीं चलने देंगे। क्या इसी लिए हम आते हैं ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आज हम एप्रोप्रियेशन बिल पास करने जा रहे हैं और सरकार चाह रही है कि उसे 416 करोड़ रुपये का अधिकार दें। जिस सरकार में ऐसे भ्रष्ट मन्त्री बैठे हैं—कोई दिल्ली में सिनेमा बनवाये, 35 लाख कन्सट्रक्शन में लगाये, जयपुर में 35 लाख रुपया लगायें, 70 लाख रुपये का सिनेमा हाउस बने और यहां पर माल सप्लाई कर रहे हैं, डीजल सैट्स सप्लाई कर रहे हैं इरिगेशन के ऑर्डर्स ले रहे हैं, एजेन्सी ले लें ऐसे लोगों के हाथ में...

श्री अध्यक्ष : You are agitating on the same score.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष, महोदय, बिल्ली को दूध की रखवाली का काम नहीं दे सकते। ऐसे भ्रष्ट मंत्रियों के हाथ में 416 करोड़ रुपये नहीं दिये जा सकते ..

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय यह बात भी सही है....

श्री अध्यक्ष : अब आप वापिस खड़े हो गए, श्री गाड़िया जी।

अंकित नहीं हो। (श्री देवीदत्त गाड़िया के पुनः खड़े होने पर) दोबारे खड़े हो गए हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : XXX

श्री अध्यक्ष : Nothig should be recorded.

श्री देवीदत्त गाड़िया : XXX

श्री अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामचन्द्र आर्य : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह है कि लड्ढा साहब के बारे में सब कुछ ले लिया लेकिन मैं यह मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या श्री मनफूलसिंह जी ने सिनेमा बनाया उसकी इजाजत मुख्य मंत्री से ली है और क्या इसकी सूचना उनको दी है ?

श्री अध्यक्ष : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सदन इस सहमति में है कि बिजनेस आगे बढ़ाया जाये ?

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

अनेक माननीय सदस्य : ऐसी हालत में नहीं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, बढ़ाया जाये।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, सदन तो इस सद्मति में है कि सदन से जिस 4 अरब 18 करोड़ रुपये की अनुमति ली जा रही है उसकी क्या सुरक्षा है ? इसके लिए यह सदन चिन्तित है। $4\frac{1}{2}$ अरब रुपये का क्या होगा ? इस मंत्रिमण्डल को अध्यक्ष महोदय, यह रुपया खर्च करने के लिए नहीं दिया जा सकता और वह इसलिए नहीं दिया जा सकता कि यह मंत्रिमण्डल सारे अनैतिक तरीकों से धन उपार्जन में लग रहा है....

श्री अध्यक्ष : कुछ भी अंकित नहीं हो।

श्री दौलतराम सारण : XXX

(विराम)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, रघुपति राघव शुरू किया जाये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्षजी, जो प्रश्न यहां सामने आया है उस प्रश्न में दो पहलू हैं। एक तो कानूनी दृष्टि से डिसक्वालीफाई किया जाये या डिसक्वालीफाई हो उसके बारे में आप विचार करके कल कहेंगे तो मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता लेकिन जो भी मैं समझता था मैंने उसके बारे में जिक्र किया था।

दूसरा प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, यहां बार बार इसका उठाया जा रहा है और अभी कहा गया कि एप्रोप्रियेशन बिल कैसे पास करें जबकि इतना भ्रष्टाचार हो।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : सही है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर। मिस्टर सिंघवी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनके लड़के ने जो कि अडल्ट है पार्टनरशिप फर्म बनाई और उस पार्टनरशिप फर्म बनाने के बारे में उसकी इनफार्मेशन दी, उसकी नहीं दी यह मानकर चलें कि यह जो कोड ऑफ कन्डक्ट है यह जनरल गाइडेन्स के लिए सरकुलेटेड है—इससे भ्रष्टाचार हो गया इस बात को कहकर नहीं चला जा सकता। भ्रष्टाचार वाली बात के लिए जो भी बात हमारे सामने आई जिन फर्म्स का जिक्र किया गया उसमें 25 या 31 या जैसा माननीय सदस्य ने कहा एजिन्स गवर्नमेंट को सप्लाई करने वाली बात कही गयी। वे 25 या 31 एजिन्स जो भी सप्लाई किये गये वे एजिन्स अगर गवर्नमेन्ट के स्टोर पर्चेजेज कमेटी ने कान्ट्रेक्ट के लिए उन एजिन्स को जायज माना हुआ है और उस प्राइस के ऊपर किसी फर्म से अगर खरीदे जाते हैं तो उसको भ्रष्टाचार की संज्ञा में नहीं लाया जा सकता। अगर कोई टेन्डर्स इनवाइट किये जायं और लोएस्ट टेन्डर के ऊपर अगर कोई माल खरीदा जाये तो बेचने वाला भ्रष्टाचार की केटेगरी में आ जाता हो—यह कहकर भी नहीं चला जा सकता। इसका जो मसला उठाया गया है बेडफोर्ड की एजेन्सी

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 142

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

के लिए इनके लड़के या पार्टनरशिप फर्म ट्राई करे और जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया उसके अनुसार वेडफोर्ड ट्रक ट्रान्सपोर्ट के अन्दर उस फर्म ने सप्लाई नहीं किये—वह बात भी सामने है...

श्री भैरोंसिंह : ट्रान्सपोर्ट में नहीं इरिगेशन में।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उस फर्म के जरिये जैसा उन्होंने कहा कि इस फर्म के जरिये, जो फर्म कि इन क्वेश्चन है, सप्लाई नहीं किया गया और अगर किया गया है तो उसकी रेट कॉन्ट्रेक्ट थी या नहीं, एप्रूव्ड थी या नहीं वह मैटेरियल बात होगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि लड़के बिजनेस नहीं करें इस बात के ऊपर बंदिश नहीं हो सकती। अगर अडल्ट लड़के हैं तो बिजनेस करने के लिए उनको आजादी है कि वह बिजनेस करें और उसके अनुसार उन्होंने करके गवर्नमेंट से रेट कॉन्ट्रेक्ट के अलावा ज्यादा चार्जेज ले लिये होते या गवर्नमेंट का कोई रेट कॉन्ट्रेक्ट नहीं होता, एप्रूव्ड लिस्ट पर वह चीज नहीं होती तब भी उसके बारे में कहने वाली बात हो सकती थी मिनिस्टर के लड़के ने, पार्टनरशिप फर्म ने सप्लाई किये इसकी वजह से भ्रष्टाचार खड़ा हुआ, मैं समझता हूं, वह कहना वाजिब नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह जानना चाहूंगा कि कोड ऑफ कन्डक्ट की क्या वेल्यू है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : कोड ऑफ कन्डक्ट जनरल गाइडेन्स ऑफ प्रिन्सिपल के तौर पर है। इन बातों को ध्यान में रख कर चलना चाहिये। किसी को सौ एन्जिन की जरूरत है, दो जगह उन्होंने भेज दिये और गवर्नमेन्ट की एप्रूव्ड रेट पर बेच दिये तो भ्रष्टाचार हो गया यह कहने का प्रश्न नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई मंत्री आपके और आपके द्वारा लेड डाउन कोड ऑफ कन्डक्ट का क्लीयरली वायोलेशन करे तो उसको मन्त्रिमंडल में रखना पसन्द करेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसके पीछे इन्टेंशन देखना पड़ेगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : इतना कमाया, आधा तू खा ले और आधा मुझे दे दे।

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं मानता। जो ऐसा समझते हैं उनसे यही आशा की जा सकती थी।

आपने पर्चेज के बारे में यह कह दिया कि जो पर्चेजेज की गयी, जो ऑर्डिनरी रेट्स गवर्नमेंट की थी...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गवर्नमेन्ट की स्टोर्स पर्चेज कमेटी द्वारा एप्रूव्ड की हुई जो रेट्स थी, पर्टीकुलर चीज के लिये, उस पर सप्लाई किया जाता है, तो गवर्नमेन्ट द्वारा प्राइस निर्धारित की जाती है, लोएस्ट टेन्डर है...

श्री भैरोंसिंह : उस बात पर मुख्यमंत्रीजी ने कहा कि प्राइस में कोई अन्तर होगा तो मेटेरियल इफेक्ट पड़ेगा। उसको आप छोड़ें। दो बातें माननीय मंत्री महोदय

(श्री भैरोंसिंह)
ने हाउस में स्वीकार की है कि मैंने एम्बेसेडर और बेड फोर्ड की एजेन्सी लेने की चेष्टा की, मैंने इन्टरनेशनल ट्रैक्टर, नेशनल ट्रैक्टर की एजेन्सी लेने की चेष्टा की। मुख्य मंत्रीजी आप इसको स्वीकार करेंगे कि रामप्रसाद जी ने माना है कि उन्होंने बेडफोर्ड और एम्बेसेडर और इन्टरनेशनल ट्रैक्टर की एजेन्सी लेने की कोशिश की है और कर रहे हैं और एक की दो साल तक कोशिश की है तब सफल हुए और बाकी की अभी कर रहे हैं। इरिगेशन और खास तौर से ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर होकर बल्क पर्चेजेज, जैसे वोल्टाज का काफी माल राजस्थान सरकार खरीदती है और लाखों करोड़ों रुपये का माल इरिगेशन में खरीदा जाता है, ऐसे कन्सर्न से, जो करोड़ों का माल सप्लाई करते हों, एक मिनिस्टर एजेन्सी लेने का प्रयत्न करें क्या यह जायज है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस कोड ऑफ कन्डक्ट को आप एक मिनिस्टर के लिये एप्रूव करते हैं ? आपका लड़का बिजनेस कर रहा है, आप बम्बई में जाकर कहें कि दिलीप सुखाड़िया को एजेन्सी दे दो उसको आपकी डिग्निटी के अनुकूल समझते हैं क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जहां तक मेरा खयाल है मंत्री महोदय ने जाकर कोशिश की मुझे याद नहीं आता है।

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह : श्री कृष्णकुमार गोयल, श्री रामानन्द अग्रवाल एवं कई अन्य माननीय सदस्य वे कह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है। प्रोसिडिंग्स में है।

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लड्ढा साहब ने यह कहा तो मिसकन्डक्ट है ...

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह प्रोसिडिंग्स में देखा जा सकता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : 17 साल के चीफ मिनिस्टरशिप में यह देख रहे हैं कि किस किस ने भ्रष्टाचार किया ....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अगर मंत्री स्वयं ...

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मि. सिंघवी : ऑर्डर। ऑर्डर।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मंत्री स्वयम् जिस किसी विभाग में हों, उसको सप्लाई करने वाली कोई कम्पनी हो और कनेक्टेड एजेन्सी हो, उसके लिये एन्जेसी दिलाने की बात करें यह उचित नहीं है, यह निश्चित बात है।

श्री भैरोंसिंह : यह उन्होंने मंजूर कर लिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हाउस में प्रोसिडिंग्स मंगवाइये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यातायात मंत्री राजस्थान ट्रान्सपोर्ट कोर्पोरेशन बहुत सी गाड़ियां खरीदता है, उस विभाग के इन्चार्ज हैं, माननीय मंत्री ने बेडफोड गाड़ियां भी राजस्थान ट्रान्सपोर्ट कोर्पोरेशन में खरीदीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

हैं। इस प्रकार माननीय मंत्री महोदय ने खुद ने कहा है कि एम्बेसेडर के लिये खुद ट्राई कर रहे हैं एम्बेसेडर के लिए ...

श्री अध्यक्ष : काफी हो चुका है। ऑर्डर प्लीज। Much has been discussed about it.

श्री भैरोंसिंह : मुख्य मन्त्रीजी जान बूझ कर बोल रहे हैं। यह अच्छी चीज होगी और पवित्र चीज होगी, सदन की प्रोसिडिंग्स सुनाई जाकर उन बातों को प्रस्तुत किया जाय जो कुछ लड्ढा साहब ने कहा है वह मालूम हो जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : रामप्रसादजी लड्ढा ने हाउस में कहा कि दो वर्ष से कोशिश कर रहा हूं तब जाकर मिली है।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रोसिडिंग्स देख कर इसको वापिस लूं और जब कि प्रश्न मुझ में निहित हो गया है सारा....

(व्यवधान—शोरगुल)

ऑर्डर। ऑर्डर प्लीज।

उसमें निर्णय देते समय इस प्रश्न पर भी, फेक्चुअल पोजिशन पर मुझसे प्रकाश चाहते हैं, उसमें वह भी आ जाता है। प्रोसिडिंग्स को देखने के लिये सदन की कार्यवाही को बन्द रखें और उसको देखें।

(शोरगुल—व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

माननीय वित्त मंत्रीजी उधर से भाषण प्रारम्भ करें, मैं प्रोसिडिंग्स देखता हूं।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय...

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके नेता बोल रहे हैं, उनका थोड़ा तो खयाल रखें।

श्री भैरोंसिंह : हाउस को एडजोर्न कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : हाउस एडजोर्न नहीं हो सकता।

(शोरगुल-व्यवधान)

वित्त मंत्रीजी। आरम्भ करिये।

कई माननीय सदस्य : No No पहले प्रोसिडिंग्स मंगवायी जाय।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : हम आपसे आशा कर रहे हैं कि जो मांग की जा रही है उसकी पूर्ति करते हुए....

(शोरगुल)

श्री मथुरादास माथुर : मेरा भाषण समझ लिया जाय....

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्री महोदय ने कहा और हमारी भी यह मांग है कि दस पन्द्रह मिनिट के लिये हाउस को स्थगित किया जाय। माननीय लड्ढाजी ने कहा और आप कह रहे हैं, सही जानकारी देने के

Page No 145

(श्री देवीदत्त गाड़िया)
लिये, मुख्य मंत्रीजी कई कारणों से जानते हुए भी अवमानना कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : The question may be put.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हम विरोधी पक्ष में बैठने वाले बहुत संयम और धैर्य से काम लेते आ रहे हैं। खास कर जिन जिन स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ है, किस प्रकार से डेकोरम को समाप्त किया है। छः महीने का मैसूर का उदाहरण हमारे सामने है।

(शोरगुल-व्यवधान)

कांग्रेस पार्टी में बैठने वालों के उत्तेजनात्मक कारण होने के बावजूद भी विरोधी पक्ष 15 वर्ष से और आज भी इतने संयम और धैर्य से काम ले रहा है इसकी सराहना करना दूर रहा और कहें कि गिरेंगे तो हम साथ हैं। आखिरकार हम राजस्थान की जनता के प्रतिनिधि हैं। राजस्थान की ढाई करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करने सदन में आये हैं। हम भ्रष्टाचार के, सरे आम प्रमाणित मामले पेश करें, मुख्य मंत्री जी कहें, ऐसा कोई मामला पेश करो, वह पेश करें —यह दोनों बातों की पूर्ति हो गई, उसके बाद मुख्यमंत्री जी, आप मानते हैं कि यह इम्प्रोपर है, क्या मंत्री महोदय की इम्प्रोपराइटी नहीं मानते हैं ? आप इम्प्रोपराइटी मानते हैं, तो मैं समझता हूं—इसके दो पक्ष हैं, एक तो संवैधानिक पक्ष है, उस पक्ष को मुख्य मंत्री जी आप रद्द कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा पक्ष है, प्रोपेराइटी का पक्ष, उसके अन्दर जो मिनिस्टरी और इन्टेग्रिटी का प्रश्न है, और खास तौर पर आज के दिन जब राजस्थान की विधान सभा 416 करोड़ रुपये खर्च करने का अधिकार इस हुकूमत को देने जा रही है इस कानून के द्वारा, इस कानून की कोई सेन्क्टिटी नहीं है क्योंकि 416 करोड़ रुपये खर्च करने के अधिकार के पीछे पवित्रता नहीं है। उसके पीछे कोई कन्ट्रीब्यूशन नहीं है और डिस्क्रिटी का रूप दिया जाय तो क्या जरूरत है इस एप्रोप्रियेशन बिल की, इसको फाड़ कर फेंक दें, एक कागज के टुकड़े की तरह। इसे हमें पास नहीं करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब मुझ को क्या सुझाव देते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रोसीडिंग्स मंगाये।

श्री भैरोंसिंह : प्रोसीडिंग्स मंगा दीजिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक मिनट के लिए मुझे अर्ज करना है ...

श्री गिरधारीलाल व्यास : The question may be put now.

श्री मनोहरसिंह मेहता : एक मिनट के लिए अर्ज करना है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, माननीय सदस्य !

श्री रामनारायण चौधरी : Please put the question to vote.

श्री अध्यक्ष : अभी माननीय वित्त मंत्री का उत्तर अवशेष है। उत्तर में शायद कुछ

Page No 146

(श्री अध्यक्ष)

कहा है, मुझे पता है, लेकिन अपरोर में सुना नहीं। उत्तर में यह कह दिया है शायद, मेरा दिया हुआ मान लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : यह कह दें, उठ कर जायें, चले जायं। यहां पुलिस नहीं है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह डीसेंसी नहीं है, यह डिकोरम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : आप उद्विग्न नहीं हों। (श्री विजयसिंह से) आप बीच में बोलने वाले हैं बैठे बैठे।

श्री मदनसिंह : हम सब....

श्री अध्यक्ष : Chair is on its leg. माननीय सदस्य, आप सुप्रीम सोल्जर रहे हैं। (व्यवधान) आॅर्डर, आॅर्डर। मैं यह नहीं चाहता हूं, उद्विग्नता के अन्दर, आक्रोश में यह विधेयक पारित हो। मेरे सामने दो ही विकल्प हैं—एक विकल्प कुछ अच्छा नहीं जंचता, जो हमेशा दूसरी विधान सभाओं में हुआ है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : निकाल दें।

श्री अध्यक्ष : वह कदम नहीं लिया है....

श्री भैरोंसिंह : वहां निकाल दिया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: लेकिन राजस्थान की जनता ...

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह हमारा विशेषाधिकार है।

श्री अध्यक्ष : माननीय गाड़िया ! ऑर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : इससे बिगड़ता क्या है। बहुमत के आधार पर यह सत्तारूढ़ दल अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, यह लोकतन्त्र की हत्या है...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य को, जनसंघ के नेता महोदय, थोड़ा सा समझायें।

श्री भैरोंसिंह : समझा दिया है।

श्री अध्यक्ष : मुझे गलत समझे हैं...

श्री गिरधारीलाल व्यास : बहुमत है...

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री लाभचन्द वैद : सुरक्षा के लिए कानून बना हुआ है....

(शोरगुल-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मुझको गलत समझ लिया है। मैंने नहीं कहा है....

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! मैंने यह नहीं कहा है। मैंने कहा है, दो विकल्प रहते हैं....

श्री कृष्णकुमार गोयल : प्रश्न पर हम एजीटेटेड हैं...

श्री अध्यक्ष: मैं आ रहा हूं नतीजे पर। दो विकल्प रहते हैं। बाहर निकालने की बात आप कल्पना में मत लाइये। एक रहता है...

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन को

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया) पन्द्रह बीस मिनिट के लिए एडजोर्न कर दिया जाय और उसके बाद में वापिस मीट किया जाय।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : प्रोसीडिंग्स मंगा ली जायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : प्रोसीडिंग्स मंगा ली जायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : प्रोसीडिंग्स मंगा ली जायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पौने छः बजे तक, 5.45 तक।

श्री अध्यक्ष : मैं सदन की कार्यवाही

श्री रामकिशन : किस लिए ?

श्री अध्यक्ष : उस समय तक के लिए ...

श्री रामकिशन : किस बात के लिए ?

श्री अध्यक्ष : आप थोड़ा सा धैर्य रखें। जब तक कोरम घण्टी न बजे, उस समय तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित करता हूं।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् 5 बज कर 24 मिनिट पर पुनः प्रारम्भ होने के समय तक के लिए स्थगित हुई)

(विधान सभा की कार्यवाही पुनः 6-40 म. प. प्रारम्भ हुई)

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री रामचन्द्र आर्य : अलख निरंजन।

श्री अध्यक्ष : मैंने सुना नहीं।

एक माननीय सदस्य : अलख निरंजन कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप भी अलग हैं।

मुख्य मन्त्री जी !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, जो प्रोसीडिंग, इस सम्बन्ध में, यहां पर जो वाद-विवाद हुआ उसके सम्बन्ध में मैंने देखी, उसमें इसको देखने से तीन चार जगह जिक्र आता है जिसके अन्दर प्रश्न पूछा गया और कहा गया उस सारी चीज को जब देखते हैं तो स्पष्टतया मालूम होता है, उनके लड़के ने कोशिश की, यह जाहिर होता है। एक जगह यह आया, दो साल से कोशिश कर रहा हूं यह बात शुरू में आई थी। जो पूछा गया और वापिस जवाब दिये गये। भैरोंसिंह जी ने पूछा वोल्टाज कम्पनी पर यह आरोप लगाया—एजेन्सी के बदले आर्डर दिया गया, इसका मैं खण्डन करता हूं। इसके अलावा फिर उन्होंने कहा दो साल से मेरे लड़के ने एप्लीकेशन की थी—वोल्टाज की ऐजेन्सी लेने के लिये मेरा लड़का दो साल से कोशिश कर रहा है और तब से यह डिविजन खुलने वाला था लेकिन इस समय प्रोडक्शन कम था इसलिये नहीं मिली। फिर आगे और दौलतरामजी के पूछने पर उन्होंने कहा कि चेष्टा कर रहे हैं। यह सही नहीं है कि आप मुकर रहे है तब भी इन्होंने कहा मुकरने का प्रश्न नहीं है। इन्टरनेशनल ट्रैक्टर की जो बात है उसकी जानकारी मैंने मुख्य मंत्री जी को दे दी है ...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ठीक है, एडमिटेड।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस सम्बन्ध में जो सारा वाद-विवाद हुआ—फर्स्ट सेन्टेन्स में यह कहा, कर रहा हूं जबकि ऐजेन्सी मिल चुकी थी। यह कहने वाली बात कि मैंने कोशिश की, यह बात जो है बाद में जब इस सवाल को रखा था उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा मेरे लड़के ने दो साल से कोशिश की और मेरी कोशिश करने वाली बात नहीं है, यह जाहिर हो जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनके लड़के के प्रयत्न में और खुद के प्रयत्न में कोई फर्क नहीं है। ज्वाइन्ट फेमिली है-खुद ने कोशिश की, लड़के ने कोशिश की—यह तो आपके सब-कान्सेस ब्रेन में क्लियर है। उस इन्टरनेशनल ट्रैक्टर के मामले में केटेगिरीकली इन्होंने यह कहा, मैं गत दो वर्षों से कोशिश कर रहा हूं। कहा है, आप सारी प्रोसीडिंग को सुना दीजिये। शुरू में जो बात कही है वह यही है। दो साल से कोशिश कर रहा हूं.......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : लड़के कर रहे हैं। इसी बहस के सिलसिले में जब इसके बारे में आगे स्पेसिफिक पूछा गया तो उनहोंने स्पष्ट कर दिया....

श्री भैरोंसिंह : इन्कार कहां किया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : अम्बेसेडर कार के बारे में क्या शब्द हैं ?

श्री विजयसिंह : एक बात पूछना चाहता हूं एक तो लड़के की उम्र क्या है....

(शोरगुल—व्यवधान)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : शुरू शुरू में क्या कहा है। स्पीच के 5-6 सेन्टेन्सेज बता दीजिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, आप भी विधान सभा की कार्यवाही को प्रिसाइड कर रहे हैं। आपने सुना या नहीं सुना ? हमने तो सभी ने सुना है। आप सदन के सबसे बड़े अध्यक्ष हैं। आपने सुनकर क्या आब्जर्वेशन किया है ..

श्री अध्यक्ष : आपने सुनने ही नहीं दिया—बहुत हल्ला था।

श्री नत्थीसिंह : यह तो आपने युधिष्ठिर वाली बात कर दी।

श्री अध्यक्ष : हां, नरो वा कुंजरो।

श्री भैरोंसिंह : श्री लड्ढा साहब का जबसे भाषण शुरू हुआ है, जिस समय यह टॉपिक शुरू हुआ तब से ही सारी प्रोसीडिंग्स सुना दी जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फर्स्ट टू मिनिट्स में कहा है।

कई माननीय सदस्य : कहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बस यही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं पढ़े देता हूं—

"श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी कुछ मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाये हैं उनसे इस सदन में कोई भ्रान्ति हो सकती है इसलिये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि वस्तु स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)।

कर दूं ताकि उसकी जानकारी सदन के सभी माननीय सदस्यों को हो सके। राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्रियल सर्विसेज में मेरे लड़के की पार्टनरशिप है और इसके साथ इन्टरनेशनल ट्रैक्टर्स की एजेन्सी है और वोल्टाज की हैवी मशीनरी के साथ मोटर पम्प सप्लाई करना जरूरी था इसलिये एजेन्सी ली गई। आपने कहा कि क्रय-विक्रय संघ से कर्जा लिया गया और उसके कर्ज लेने के बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा वह पम्प खरीदने की बात हुई। ऐसी कोई बात नहीं थी। आपने कहा, मुनाफा मेरे राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्रियल सर्विसेज को हुआ। राजस्थान एग्रो इण्डस्ट्रियल सर्विसेज में मेरा लड़का, छोटा लड़का और उनके अलावा लड़के का साला—ये पार्टनर हैं। इन्टरनेशनल ट्रैक्टर्स की सब एजेन्सी उनको अभी पांच महिने हुये, मिली है। वोल्टाज की हैवी मशीनरी के साथ पम्प की एजेन्सी लेना लाजिमि था पर यह बात सही नहीं है कि मैंने इस कारण से उदयपुर डिविजन में सिंचाई विभाग में कोई लाखों रुपये कि खरीद इनसे की है और उसके फलस्वरूप मैंने उनको कोई लाभ पहुंचाया है। इन्टरनेशनल ट्रैक्टर्स की एजेन्सी की मुख्य मन्त्री जी को जानकारी है। जहां तक क्रय-विक्रय संघ से कर्ज लेकर मोटरों की खरीद के बारे में आपको यह बता दूं कि जितना कोटा आता है वह सब फिक्सड होता है। इसके संबंध में यह भी बता देना चाहता हूं कि अभी तक तीन मोटर ही बिकी हैं और बाकी की बैंक में प्लेज्ड पड़ी हुई है, इसलिये न तो क्रय-विक्रय संघ से कर्ज लिया है और न इरिगेशन डिपार्टमेंट, उदयपुर डिविजन में कोई मशीन खरीदने का ऑर्डर वोल्टाज कम्पनी को इस एजेन्सी के बदले में दिया गया है। आप चाहें तो देख सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : वोल्टाज कम्पनी की एजेन्सी कैसे मिली ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दो साल से कोशिश कर रहा हूं....

श्री अध्यक्ष : वह तो कहा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : श्री भैरोंसिंह : कोशिश तो आपने की है और आपके लड़के को एजेन्सी मिली है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वोल्टाज कंपनी को, आपने यह आरोप लगाया है, एजेन्सी के बदले में ऑर्डर दिया गया है इस बात का मैं खण्डन करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : पर्चेजेज की गई या नहीं—यह जानकारी दे दें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : पर्चेजेज की गई हैं; वोल्टाज से इरिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं यह यह बात सदन में कह देना चाहता हूं कि किसी भी बदले में यह एजेन्सी प्राप्त नहीं की गई है। यह आरोप आपका सही नहीं है यह बात सही है कि राजस्थान एग्रो कल्चर सर्विसेज में मेरा लड़का पार्टनर है और मेरे भाई का लड़का पार्टनर है और यह फर्म डीजल एन्जिन का कारोबार करती है लेकिन इस फर्म में मेरा लड़का या कोई भी पार्टनर नहीं है। 1-4-71 से क्योंकि पहले कुछ समय में याने 30-5-70 को यह फर्म बनी तब से 31 मार्च, 71 तक तो मेरा लड़का और मेरा भतीजा पार्टनर्स थे उसके बाद में वह पार्टनर्स नहीं

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

रहे। उस दौरान में जो खरीद के बारे में जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा उसके बारे में मैंने भी जानकारी की है तो शायद 23 या 25 डीजल सैट्स के बारे में जानकारी मिली और आपने जो 31 की बात कही वह सही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी जानकारी सही नहीं है, मेरी बिलकुल सही है। आप कहें तो तारीखें बता दूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 25 की जानकारी मेरे पास है। तो जो एंजिन खरीदे गये हैं वे भिन्न भिन्न जगहों पर खरीदे गये और भिन्न भिन्न जगहों पर काफी एंजिन तो कोटेशन्स कॉल करके टेन्डर्स के आधार पर, लोएस्ट की बिना पर हैं और कुछ एंजिन रेट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर भी हैं। मैंने जानकारी मिलने पर ये जनरल आदेश निकाल दिये थे कि इस फर्म से नहीं खरीदे जायें। आपने कहा है कि उस आदेश के बाद भी कुछ एंजिन खरीदे गये हैं। मेजा डेम का नाम आपने अपनी बहस में दिया है। हो सकता है कि खरीदे गये हों लेकिन मैं कभी यह नहीं चाहता था और न मैं इसमें विश्वास ही रखता हूं इसलिए ज्योंही मेरे नोटिस में आया तो मैंने आदेश निकाले वरना कोई जरूरत नहीं थी किसी के लड़के व्यापार करते हैं, कोटेशन्स के आधार पर या रेट कॉन्ट्रैक्ट के आधार जब कि राजस्थान में सैकड़ों एन्जिन खरीदे जाते हैं भिन्न भिन्न फर्मों से उस बेसिस पर अगर यह फर्म भी दे या बेचे या इससे भी खरीदे जाते हैं तो कोई नाजायज चीज नहीं थी। लेकिन क्योंकि मैं इरिगेशन मिनिस्टर हूं इसलिये मैं नहीं चाहता कि किसी फर्म में मेरा लड़का पार्टनर हो और उससे कोई सामान खरीदा जाये और मुझ पर आरोप लगाये जाये। इसलिये ही मैंने आदेश दिये और मल्टी-मेटली 1-4-71 से मेरे लड़कों ने अपनी पार्टनरशिप के इन्ट्रेस्ट को छोड़ दिया और उस फर्म को बदला गया और राणा प्रताप बल्दवा के नाम से है और अब इस फर्म से मेरे लड़के का सम्बन्ध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : आपके लड़के थे उस समय पर्चेजेज हुई और इरिगेशन डिपार्टमैंट ने पर्चेजेज की—यह सही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 25 या 23 एन्जिन उस दौरान में खरीदे गये। कुछ तो रेट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर और कुछ लोएस्ट टेन्डर के आधार पर...

श्री भैरोंसिंह : लोएस्ट टेन्डर्स के आधार पर एक भी नहीं खरीदा गया, सब रेट कान्ट्रैक्ट के आधार पर ही खरीदे गये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 8 खरीदे गये लोएस्ट टेन्डर के आधार पर। आपका सवाल इस सिलसिले में है...

श्री भैरोंसिंह : मैं आपको तारीखवार बता दूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं भी तारीखवार बता दूंगा। आपका सवाल इस सिलसिले में है उसके सिलसिले में मैंने जो जानकारी मंगवाई है उसके बेसिस पर कह रहा हूं कि 8 एन्जिन तो कॉटेशन्स और टेन्डर के आधार पर हैं और 15 या 17 एन्जिन रेट कॉन्ट्रैक्ट याने स्टोर पर्चेजेज कमेटी की फिक्स्ड रेट्स के आधार पर हैं। ये 25 एन्जिन मैंने जो सूचना मंगाई है

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
उसके बेसिस पर मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। यद्यपि ट्रान्जेक्शन में कोई अनियमिततायें नहीं है, कोई उसमें नाजायज बात नहीं है लेकिन मैं स्वयं ही इसको ठीक नहीं समझता।

श्री भैरोंसिंह : यदि आप राजस्थान के मार्केट में कहीं एन्जिन खरीदें तो 2 हजार में मिल जायेगा लेकिन इस फर्म को इसकी कीमत 3 हजार दी।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : 2 हजार रुपये का सवाल नहीं है, आपका प्रश्न आयेगा तो मालूम होगा।

श्री भैरोंसिंह : मैं बता देता हूं, प्रश्न क्या आयेगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : स्टोर पर्चेजेज कमेटी की रेट्स हैं वे फिक्स्ड रेट्स हैं और उसमें रेट प्रेस्क्राइब्ड हैं उन्हीं रेट्स पर सारे राजस्थान में खरीदे जाते थे केवल इन्हीं से नहीं खरीदे गये।

श्री भैरोंसिंह : ज्यादा एन्जिन इस फर्म से खरीदे गये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपने भीलवाड़ा की फर्म के बारे में जानकारी चाही है इसलिए कह रहा हूं। भिन्न भिन्न जगहों पर अब 250 एन्जिन खरीदे गये हैं और वे रेट कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर खरीदे हैं और कोई टेन्डर्स के बेसिस पर खरीदे गये हैं लेकिन चूंकि इस फर्म में मेरे लड़के का इन्ट्रेस्ट है जिस समय खरीदे गये तो मैंने मुनासिब समझा कि यह ठीक नहीं है। इसलिए मैंने आदेश जारी किये कि वह नहीं लिये जायें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके लड़कों का ही इन्ट्रेस्ट है या आपका भी इन्ट्रेस्ट है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के जरिये पार्टनर थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपका लड़का अलग है क्या आपसे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अलग से क्या मतलब?

श्री भैरोंसिंह : अलग क्या कल ही शादी में खर्चा किया है, अलग का क्या प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर माननीय मंत्री जी का फाइनेन्शल इन्ट्रेस्ट है तो कोई भी मंत्री बिजनेस नहीं कर सकता और इस बेसिस पर वह डिस्क्वालीफाई हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो अलग प्रश्न है। एक बार सही सामने बात आजाये। वह तो कॉन्स्टीट्यूशनल प्रास्पेक्ट है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इन्होंने तो यह माना है कि मिनिस्टर होते हुए इन्टरनेशनल ट्रेक्टर की एजेन्सी लेने का प्रयत्न किया है। आपने खुद ने इन्टरनेशनल ट्रेक्टर की एजेन्सी वोल्टाज से लेने का प्रयत्न आप दो साल से कर रहे हैं और अब कामयाब हुए हैं—यह सही है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दो साल से मेरे लड़के ने एप्लीकेशन दी है। वोल्टाज की एजेन्सी लेने के लिए मेरा लड़का दो साल से कोशिश कर रहा था और तब से

Page No 152

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

ही यह डिविजन खुलने वाला था लेकिन उस समय प्रोडक्शन कम था और अब प्रोडक्शन बढ़ा और डिविजन खुला एजेन्सी के लिए तो एजेन्सी इसको मिली।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर मंत्री महोदय पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने की मानसिक स्थिति में आज नहीं हैं तो नहीं दें। आपने हाउस में केटेगोरीकली कहा है कि मुख्य मंत्री जी की भी जानकारी में हैं और मैं दो वर्षों से कोशिश कर रहा हूं...

श्री रामानन्द अग्रवाल : You should immediately resign. Or the Chif Minister should ask him to resign or he should be dismissed.

(शोरगुल)

श्री भैरोंसिंह : इस तरह से हाउस में बयान देते हैं...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जिस संविधान की आपने शपथ खाई है, माननीय मंत्री महोदय कोई बिजनेस नहीं कर सकते। आपने एजेन्सी प्राप्त की है, बिजनेस किया है, आपके लड़के ने किया है और आपका यह काम सारा का सारा अनकॉन्स्टीट्यूशनल है, इम्मोरल है और आपको एक मिनिट भी इस मन्त्रिमण्डल में बैठने का अधिकार नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि मुख्य मंत्री जी के यह बात ध्यान में है, मैं पिछले दो साल से इसकी एजेन्सी प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था, यह कहा मंत्री जी ने और अब दुबारा जब कि प्रश्न किया श्री रामानन्द जी ने तो उसका दूसरी तरह से स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो पहले जिस बात के लिये मंत्री जी ने हां किया और हां कहने के बाद और विवरण देने के पश्चात् आप उससे मुकर रहे हैं, यह बात गलत है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुकरने का प्रश्न ही नहीं है। मैंने कहा कि इन्टरनेशनल ट्रेक्टर्स की जो बात है उसकी जानकारी मैंने मुख्य मंत्री जी को दे दी है।

श्री भैरोंसिंह : वह तो दे दी और...

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुख्य मंत्री कन्डोन नहीं कर सकते।

श्री विजयसिंह : मुख्य मंत्री जी कौन से दूध के धुले हुए हैं ? वह भी आपके हो हैं।"

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें एम्बेसेडर कार वाला आया नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : प्रोसीडिंग्स अभी तक मिली नहीं है पूरी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एम्बेसेडर कार वाला जिक्र नहीं आया। एम्बेसेडर कार की एजेन्सी लेने का प्रयत्न किया है, वह नहीं आया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : वह आगे वाला होगा, जितना पोर्शन आया है वह बता दिया।

श्री अध्यक्ष : जो पोर्शन प्राप्त हो सकता था वह मैंने दिया।

श्री भैरोंसिंह : एजेन्सी का सवाल है दो प्रश्न पर—एक प्रश्न तो बेडफोर्ड, एम्बेसेडर का है, दूसरा प्रश्न था, इन्टरनेशनल ट्रैक्टर के बारे में। मत्रो महोदय ने स्वीकार किया है, दो वर्ष से कोशिश कर रहा हूं। जब रामानन्द जी ने इन्टरनेशनल ट्रैक्टर के बारे में कहा, तब उन्होंने बदलने की कोशिश की है। जो उस समय टोका गया है, प्रोसीडिंग्स इस बात की गवाह है—एजेन्सी का सवाल था वह दो विषयों को लेकर था। एक के विषय में मंत्री महोदय ने स्वीकार कर लिया। दुबारा चेलेंज किया गया तो कहा, मैं मुकरने को तैयार नहीं हूं...

एक माननीय सदस्य : मुकरे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मुकरने को तैयार नहीं है। जो उस समय कहा वह यह कहा है, इसका मतलब है, एजेन्सी लेने के लिए दो साल से प्रयत्न कर रहा हूं—इससे यह इम्प्रेशन हुआ कि मुकरने की कोशिश कर रहे हैं। तब मंत्री महोदय ने स्पष्ट कर दिया, मैं मुकर नहीं रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि एजेन्सी के लिए उन्होंने स्वयं ने प्रयत्न किया है। यह प्रोसीडिंग्स से साफ है, जो उन्होंने कहा; उससे साफ है। अब मुख्य मंत्री जी का फैसला क्या है, जब उन्होंने कहा एजेन्सी के लिए कि मंत्री कोशिश करे तो अनुचित है। तो अनुचित के लिए आप क्या एक्शन मंत्री महोदय के खिलाफ लेना चाहते हैं ? यह प्रश्न सदन को तय करना है।'

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : माफी मांग लें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जो प्रोसीडिंग्स हैं उन प्रोसीडिंग्स को ध्यान में रखते हुए मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आप विचार क्या करेंगे ? हाउस क्या करेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हाउस के सामने प्रोसीडिंग्स नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह आ गया है, इन दोनों पॉइन्ट को लेकर चलिये। दोनों को मिक्सअप मत करिये। पहले कहा, एजेन्सी के लिए दो साल से कोशिश कर रहा हूं वह डिफरेन्ट आस्पेक्ट में है। बाद में रामानन्द जी ने क्वेश्चन किया, मैंने किया, वह डिफरेन्ट आस्पेक्ट है। इस स्थिति में यह कह कर नहीं निकला जा सकता कि इन्होंने कोशिश नहीं की। इन्होंने कहा है, मैंने कोशिश की है और जानकारी मुख्य मंत्री जी को है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इन्होंने कहा है, मुकर नहीं रहा हूं, इसका तात्पर्य यह नहीं था कि मैंने बात कही है उससे मुकर रहा हूं। रामानन्द जी ने लीडिंग क्वेश्चन पूछा था, स्पष्ट कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : यह इन्टरनेशनल ट्रैक्टर के बारे में पूछा है, तब लड़कों ने कोशिश की, यह कहा है।

श्री अध्यक्ष : आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, मुख्य मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है।

श्री भैरोंसिंह : इसके सम्बन्ध में नहीं है। हम कैसे मान लेंगे कि लड़कों ने कोशिश की, इन्होंने नहीं की ? मेरा कहना था, स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि लड्ढा साहब ने एजेन्सी लेने के बारे में कोशिश नहीं की। इसका सारा इम्प्लीकेशन ध्यान में आ गया जब, कि मेरे कोशिश करने का क्या इम्प्लीकेशन होगा, तब इसको बदला है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा है, जब यह आया है ।

श्री भैरोंसिंह : आपने नहीं कहा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा है । वोल्टाज की एजेन्सी की उन्होंने कोशिश की और यह एजेन्सी मिले, यह मैंने कोशिश नहीं की । उन्होंने कोशिश की थी और वहां 'हूं' लफ्ज है, 'हूं' प्रजेंट टेंस है, प्रजेंट टेंस से मतलब नहीं था । एजेन्सी मिले, इस सम्बन्ध में 'था' के बजाय 'हूं' हो गया है ।

श्री भैरोंसिंह : 'था' के बजाय 'हूं'....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने कहा, वह 'हूं' नहीं 'था' था ।

श्री नत्थीसिंह : यह स्पष्ट बात है । बयान में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, इम्प्रूवमेंट नहीं हो सका । आपने साफ कहा है, मैं कोशिश दो वर्ष से कर रहा हूं । फिर उसकी सूचना मुख्य मंत्री जी को देने की क्या जरूरत पड़ी, अगर आप इन्वॉल्व नहीं हैं, आप कोशिश नहीं कर रहे थे, आपकी असेट्स एण्ड लाइबिलिटी नहीं थी तो मुख्य मंत्री जी को सूचना देने को क्या जरूरत पड़ी ।

श्री अध्यक्ष : अब इस प्रश्न पर....

श्री नत्थीसिंह : मुख्य मंत्री जी को सूचना दी है, तो मेरा इन्ट्रेस्ट है, तभी दी है । मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं, मेरे को सूचना दी है । यह साफ तौर पर बता दिया है । इससे मुकरे नहीं है कहीं । मैं तो कहता हूं कि यह अच्छी बात है कि मुकरे नहीं हैं । लेकिन अब मुकरने की कोशिश की जा रही है—यह गलत बात है । जो स्थिति सही है, उसके आधार पर प्रोपराइटी, मुख्य मन्त्री जी क्या समझते हैं—यह सदन जानना चाहता है ।

श्री अध्यक्ष : सारी चर्चा मुख्य मन्त्री जी का उत्तर आने के बाद समाप्त हो गई । मैं इसको आगे बढ़ाने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री विजयसिंह : यह आगे बढ़ेगा ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : ऐसा कैसे होगा ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह प्रोसीडिंग्स हम लोगों के पास करेक्शन के लिए भेजी जाती है, यह सुनाई । मेरा ऑब्जेक्शन है वह यह कि इसमें एम्बेसेडर कार का जिक्र नहीं है, यह क्लीयर नहीं है । वह इससे पहले हुआ है । इस बहस से पहले हो गई वह बात !

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब यह प्रोसीडिंग्स, जितनी सहूलियत से मुझको मिल सकी वह थी, अभी कुछ अंश हो सकता है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वोल्टाज की एजेन्सी के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, इसके पहले कही है वह बात ..

श्री अध्यक्ष : रिलेवेन्ट पोर्शन ही मैंने टाइप करवाया है ।

श्री विजयसिंह : प्रोसीडिंग्स के बारे में तो बाफना साहब कह रहे थे कि क्या सुई के अन्दर ऊंट निकल सकता है और प्रोसीडिंग्स में लिखा है सीप के अन्दर से मोती निकलता है तो बराबर सही बात है सीप के अन्दर से मोती निकलता है और फॉरिन

(श्री विजयसिंह)

कन्ट्रीज में सहकारिता इतनी बढ़ी हुई है, इतना गलत लिखा जाता है....

श्री अध्यक्ष : मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करूंगा...

श्री देवीदत्त गाड़िया : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बड़ा गम्भीर है।

....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो प्रोसीडिंग्स हमारे सामने माननीय मुख्य मन्त्री जी ने सदन में पढ़कर सुनाई है उनके सम्बन्ध में शुरू में जो बात आई है तो शुरू के स्टेटमेन्ट में इस बात को स्वीकार किया है और मैं यह समझता हूं कि एक अच्छी परम्परा नहीं होगी। आपने वह बात इन्नोसेन्टली कही है, इन्नोरेन्टली कही है और आप बराबर सेन्स में नहीं थे और इसीलिए मैंने एक सुझाव दिया था कि अगर आज आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं हो वक्तव्य न दें। मैंने सुझाव इसीलिए दिया था कि हो सकता है कि आदमी कई बार नॉरमल कण्डीशन में न हो, लेकिन आपने मेरे सुझाव को माना नहीं और यह आप कह गये हाउस में। मैं समझता हूं कि क्रिमिनल जुरिसप्रुडेन्स का प्रिन्सीपल है और एवीडेन्स का प्रिन्सीपल है कि एक बार जो एवीडेन्स में कह दिया कि मैंने इस आदमी का मर्डर किया है तो उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन कुछ भी देते रहें उससे उसको मदद मिलती नहीं मामले में। आपने एक बार एडमिट कर लिया है कि पिछले दो साल से आप कोशिश कर रहे हैं। उनके इस कहने को यह गवर्नमेंट चेलेन्ज करती है और यह कहती है कि 'था' की जगह 'हूं' हो गया है प्रोसीडिंग में। गवर्नमेंट यह चेलेन्ज करती है कि हाउस की प्रोसीडिंग्स सही नहीं लिखी गई है, परन्तु मैं यह बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट असेम्बली पर एस्पर्शन कास्ट करती है असेम्बली सेक्रेटेरियेट पर केवल एक व्यक्ति को बचाने के लिए, मैं समझता हूं कि इस प्रकार का एस्पर्शन कास्ट करना, एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है। मेरा मतलब यह था आपका मतलब क्या था वह तो आपने कह दिया। रामानन्द जी उस समय इन्टरप्रिटेशन नहीं करते और क्लेरिफिकेशन नहीं मांगते और दौलतराम जी बात कहने की स्थिति में नहीं होते तो आप क्या मुकर नहीं जाते। He is still conforming कि अर्लियर जो स्टेटमेन्ट दिया है वह ठीक दिया है। उसका इन्टरप्रिटेशन माननीय मुख्य मन्त्री जी यह करना चाहते हैं तो उसको हम कभी भी मानकर नहीं चल सकते हैं। मुख्य मन्त्री जी उनको बचाना चाहते हैं। अमृतलाल जी का सवाल खड़ा हुआ था तो द्रोपदी का चीर हरण की बात कहकर रो पड़े थे। बृजसुन्दर जी और शिवचरण जी का मामला आया था तो दबकर रह गया। जब रामप्रसाद लड्ढा का मामला आया तो मुख्य मन्त्री जी कोई एक्शन नहीं लेंगे जबकि उनको कन्वीन्स कर दिया गया है तथ्यों के आधार पर और उन्होंने कहा था कि तथ्यों के आधार पर विचार करूंगा। अब कौन सी बात रह गई है? जो लोकतन्त्र और डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हाउस के सामने जो वाद-विवाद हुआ है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने माना है बीच हाउस मे कि इस प्रकार के मंत्री रहते समय उनकी फर्म गवर्नमेन्ट से डील करती है, जो फर्म उनको माल सप्लाई करे और वोल्टाज को

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
ऐजेन्सी के लिए स्वयं मंत्री प्रयत्न करें तो फिर क्या कमी है? इस हाउस की डिग-निटी को मेन्टेन करने के लिए, डेमोक्रेसी की हेल्दी ग्रोथ के लिए माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इमीजियेटली इसके बारे में विचार कर लिया होगा कि इनसे रेजिग्नेशन लेना चाहिए और अगर खुद रेजिग्नेशन नहीं देते हैं तो रामप्रसाद लड्ढा को मन्त्री पद से बरखास्त करता हूं यह खुद इस हाउस में कहना चाहिये।

श्री गोकुलचन्द जाटव : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि आपने एक दो बार यह दोहराया है कि मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ दो वर्षों से लेकिन चूंकि एजेन्सी मिल चुकी है तो उसके बाद में वह लागू नहीं होता है। अगर वह यह कहते हैं, ऐसा स्वीकार करें कि मैं कर रहा हूँ तो वह कैसे कह सकते है कि मैं कर रहा हूं। यह गलतफहमी पैदा की जा रही है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो सदन की प्रोसीडिंग्स सुनाई और अब भी कुछ बाकी है और मैं पहले से निवेदन करना चाहूँगा कि इस मसले पर विचार करने के लिए पूरी प्रोसीडिंग्स सदन में मौजूद की जाय। अब मसला प्रोसीडिंग्स के ऊपर ही आता है इसलिए पूरी प्रोसीडिंग्स में आयेगा कि इन्होंने यह कहा। एम्बेसेडर कार के सम्बन्ध में जो खुले आम चर्चा हुई थी और अब माननीय सदस्यों ने सुना था उसका कहीं जिक्र नहीं आया"

एक माननीय सदस्य : आगे आ गया।

श्री भैरोंसिंह : वह आयेगा तो प्रश्न यह आता है—

"श्री भैरोंसिंह : वोल्टाज की एजेन्सी कैसे मिली?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : दो साल से कोशिश कर रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : कोशिश तो आपने की......"

मैं फिर कह रहा हूं। मन्त्री जी का उत्तर इसके बारे में यह होता तो मैं खुद इसको रिपीट नहीं करता मैंने कहा—

"श्री भैरोंसिंह : कोशिश तो आपने की है और आपके लड़के को एजेन्सी मिली है।" यह मैंने कैटेगोरिकली, जान बूझ कर कहा। मैं कन्फर्म करना चाहता था लड्ढा साहब ने तो कहा था तो उसको रिव्यू करना चाहते थे तो इसमें रिव्यू कर सकते थे जिस समय रामानन्द जी ने कहा। रामप्रसाद लड्ढा कह रहे हैं।

"वोल्टाज कम्पनी को, आपने यह आरोप लगाया है, एजेन्सी के बदले में आर्डर दिया गया है इस बात का मैं खण्डन करता हूं।"

यह नहीं कहा एजेन्सी के बारे में। यह मैंने स्वयं ने नहीं कहा कि आपने एजेन्सी ली। यह आप कह रहे है कि आपने कोशिश की है और आपके लड़के को एजेन्सी मिली है तो रिव्यू करने की कोई बात होती या किसी तरह से मुकरने की बात होती तो लड्ढा साहब यहां मुकर सकते थे। इस बात पर कुछ माननीय सदस्यों ने प्रश्न किये उनके उत्तर में आपने यह कहा

(श्री भैरोंसिंह)

और इन्होंने तब यह माना। रामानन्द जी ने फिर कहा तो यहां पर लड्ढा साहब कह रहे हैं—

"दो साल से मेरे लड़के ने एप्लीकेशन दी है। वोल्टाज की एजेन्सी लेने के लिए मेरा लड़का दो साल से कोशिश कर रहा था और तब से ही यह डिविजन खुलने वाला था लेकिन उस समय प्रोडक्शन कम था और जब प्रोडक्शन बढ़ा...."

लेकिन इससे यह अर्थ नहीं लगा सकते कि लड्ढा साहब थोड़ी देर के बाद में इस बात को कहते हैं तो उसका कन्ट्राडिक्शन हो गया। कोई कन्ट्राडिक्शन नहीं किया। उसमें इन्होंने यह कहा कि मैं भी कोशिश कर रहा था और दो साल से मेरा लड़का भी कोशिश कर रहा था। यह स्वाभाविक है, अध्यक्ष महोदय, कि लड्ढा साहब कोशिश करें तो लड्ढा साहब के सुपुत्र भी कोशिश करें। यह स्वाभाविक है कि जब लड़का कोशिश करता है तो बाप भी करेगा और बाप कोशिश कर रहा है, तो लड़का भी कोशिश करेगा। उस स्थिति में प्रश्न यह आता है कि लड्ढा साहब ने कोशिश नहीं की तो जैसा कि नत्थीसिंह जी कह रहे थे कि माननीय मुख्य मन्त्री जी से कहने का मतलब क्या था, उसकी आवश्यकता क्या थी। एक बात के लिए आवश्यकता हो सकती है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी अपने प्रभाव का उपयोग करके एजेन्सी दिला दें। किसलिए मुख्य मन्त्री जी के पास लड्ढा साहब जाते? मुख्य मन्त्री जी का उन्होंने किस सम्बन्ध में उपयोग किया? लेकिन जहां किसी रेफरेन्स में मैटर आता है तो मुख्य मन्त्री जी आचार संहिता का आता है और लड्ढा साहब ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि मुख्य मन्त्री जी को इत्तला दी है तो इसका मतलब इस एजेन्सी के बारे में आचार संहिता से निकला। वे स्वयं समझते थे कि मुख्य मन्त्री जी को इत्तला देनी चाहिए, और मुख्य मन्त्री जी को इत्तला देने का प्रश्न इस आचार संहिता पर ही था। इसके अलावा और कोई दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता है कि जिसके आधार पर वे माननीय मुख्य मन्त्री जी को इत्तला देते। इन बातों के आधार पर जो कुछ प्रश्न हमारे सामने आया है उसमें स्पष्ट है कि मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है एजेन्सी के लिए इन्होंने कोशिश की है। एक बात। दूसरी, यह बात कि उनका लड़का भी कोशिश कर रहा है। मैंने इसको सूचना दी है। अध्यक्ष महोदय, आप भी वकील रहे हैं, मैं तो वकील रहा नहीं....

श्री अध्यक्ष : छोड़ दिया।

श्री भैरोंसिंह : अगर यह बात पहले छोड़ जाते तो अध्यक्ष पद पर आपका चुनाव नहीं होता यह बात अब आप कह रहे हैं। चुनाव में खड़े होते वक्त कहते। आज आप बदल रहे हैं लड्ढा साहब की तरह तो उचित नहीं है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में अब किसी प्रकार की गुन्जाइश नहीं रही। जिसमें यह कहा जा सके कि मन्त्री महोदय ने एजेन्सी के लिए कोशिश नहीं की। तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लड्ढा एप्लीकेन्ट हैं तो यह स्वाभाविक है कि इतनी दूरी

(श्री भैरोंसिंह)
आदमी के लिए अपने लड़के से मेन्टेन करना सम्भव नहीं है। इतनी दूरी मेन्टेन करना सम्भव नहीं है जब कि लड़का एजेन्सी के लिए····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य पर्याप्त हो गया।

श्री भैरोंसिंह : कहां से पर्याप्त है।

श्री अध्यक्ष : You will repeat through out.

श्री भैरोंसिंह : यह स्वाभाविक है।

अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनके लड़कों की हैसियत क्या है कि उनको एजेन्सी मिल जाय। एजेन्सी के लिए इनके दोनों लड़कों का असर क्या है जिनके कारण इनको वाल्टाज की एजेन्सी मिल जाय। एजेंसी उनको मिलती है जो बड़ी बड़ी फर्में हैं और जिन्होंने लाखों रुपया इन्वेस्ट कर रखा है और जिनके पास सारे देश की एजेन्सी मिली है हुई उनको भी नहीं मिलती है तो इनके लड़कों का कितना प्रभावशाली बिजनेस है कि जिसके आधार पर कि इनको इस प्रकार की एजेन्सी मिलेगी। इसलिए मैं तो स्पष्ट रूप से कहूंगा कि एजेन्सी के लिए इन्होंने कोशिश की है और इन्होंने हाउस में एडमिट किया है कि ऐसी एजेन्सी के लिए कोशिश की है वह बिल्कुल सही है। यदि मन्त्री अपने लड़के के नाम एजेन्सी की कोशिश करता है तो वह मिसकन्डक्ट है और मिसकन्डक्ट के आधार पर ग्रेसफुल्ली तो यह था कि शिवचरण जो माथुर, जो कि उसी भीलवाड़ा की धरती से आते हैं, पर आरोप लगाया तो स्पष्ट रूप से खड़े होकर कह दिया कि मैं त्याग-पत्र देता हूं। त्याग-पत्र के साथ सबसे बड़ी बात यह कही कि जब तक मैं मन्त्री हूं और मेरे खिलाफ कोई जांच की जाये तो मैं मन्त्री पद पर रह कर गलत परम्परा का निर्माण नहीं करना चाहता। भीलवाड़ा के एक आदमी ने एक प्रकार की स्वस्थ परम्परा को सदन में रखा है और दूसरे जो भीलवाड़ा से आते हैं वे एक अस्वस्थ परम्परा को सदन के सामने रख रहे हैं जिसका कारण केवल शब्दों का जाल बनाकर चलें, किन्तु वह जाल बनता ही कहां पर है। उसके आगे बचने को कोशिश की जाती है तो मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि यह राजस्थान के इतिहास में एक काला दिवस है जिस दिन को रेड हैन्डेड एक भ्रष्ट मन्त्री पकड़ा गया है और उसके मामले में मुख्य मन्त्री इस प्रकार का दृष्टिकोण लेकर चलें तो मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी प्रकार की रियायत के प्रश्न की आवश्यकता नहीं है। मुझे खुशी है कि कांग्रेस के कई माननीय सदस्य लड्ढा साहब के पक्ष में बोलने के लिये तैयार नहीं है। यह लक्षण अच्छा है। इस सदन की सारी भावना को लेकर···

(शोरगुल)

यह मैंने इसलिये कहा है···

एक माननीय सदस्य : सब बोलने के लिए तैयार हैं····

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसीलिये जानबूझ कर कहा है। ये अब कह रहे हैं कि हम बोलेंगे। पहले उनका ख्याल

(श्री भैरोंसिंह)

हो गया था कि लड्ढा साहब तो गये और अब लड्ढा साहब की कोई खुशामद करने की आवश्यकता नहीं है। और अब सुखाड़िया जी का रूप बदला हुआ देख, तो कहने लगे कि हम बोलेंगे। यह तो स्थिति है सदन की।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं तो निवेदन करूंगा....

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपका रुख बदला कि नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : आप तो बैठ जाओ। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए भी जगह हो। ये गये कि आपको जगह मिली....

श्री मदनसिंह : यह नहीं बैठेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि एप्रोप्रियेशन बिल महत्वपूर्ण है लेकिन उससे भी कम महत्व पूर्ण यह प्रश्न नहीं है। एक मन्त्री ने मिस कन्डक्ट किया और मिस कन्डक्ट के बारे में खुद ने कन्फेस किया और कन्फेस करने के बाद उसके आफिस को मिसयूज करने की बात भी प्रमाणित हो गई और उसके बाद वह त्याग-पत्र नहीं दे तो मैं इस सदन से निवेदन करूंगा कि ऐसे भ्रष्टाचारी मन्त्री को बरखास्त किया जाकर हम हिन्दुस्तान के एतिहास में राजस्थान की विधान सभा का नाम उज्ज्वल करेंगे और यह त्याग-पत्र नहीं देंगे तो आप अपने बहुमत के अधिकार का दुरुपयोग करेंगे और इस सदन में जो चाहें करलें लेकिन विरोधी दल का कोई भी सदस्य इसमें सहयोगी नहीं होगा। ऐसे भ्रष्टाचारी मन्त्री को नहीं निकाला गया तो इसकी कोई गारन्टी नहीं यह साढ़े चार अरब रुपया जनता के हित के लिये खर्च किया जायगा। यह इनके हाथों सुरक्षित नहीं है। यह रुपया काले पानी में डूबो दिया जाये तो ज्यादा अच्छा है लेकिन भ्रष्टाचारी मन्त्रियों के हाथ में पिन्डारियों की तरह खाने के लिये नहीं छोड़ना चाहिये। यह गलत बात होगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो प्रश्न यहां पर बहस का है, आया कि, अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर आगे डिबेट अलाऊ नहीं करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो तथ्य, यह जो आरोप श्री लड्ढा जी के ऊपर सामने आये हैं

श्री रामनारायण चौधरी : कार्य का आरोप है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक उनके लड़के को एजेन्सी दिलाने की बात आई है कि आया यह एक मिनिस्टर के नाते किया। केवल उनका स्टेटमेन्ट ही नहीं है कन्फेशन किया है और अब इस प्रकार से उनके कन्फेशन को विथड्रा करने से यह डिसएप्रुव नहीं हो सकता है कि आया यह स्टेटमेन्ट दिया गया है या नहीं दिया गया है। लेकिन यहां पर फेक्ट्स सामने आये हैं लड्ढा साहब ने मिनिस्टर होते हुये भी अपने लड़के के लिए खुद ने प्रयत्न किया है, एजेन्सी दिलाई है। चाहे लड्ढा साहब

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इससे इन्कार करें परन्तु यह फैक्ट है और इसकी इन्क्वायरी आवश्यक हो जाती है। यह सत्य है कि एजेन्सी मिली है और यह उस डिपार्टमेन्ट के मिनिस्टर हैं। यह भी फैक्ट है और इस तरह से उनके लड़के पर नहीं छोड़ा जा सकता है। जो उनके बयानात हैं वे अपने आप में कोलोब्रेरेट करने के लिये काफी है। अगर बाद में लड्ढा साहब इस बात से निकलने का प्रयत्न करते हैं तो इससे यह डिसप्रूव नहीं हो सकता है। लड्ढा साहब ने अपने लड़के के लिये प्रयत्न किया है और इन्टरनैशनल और एम्बेसेडर की एजेन्सी दिलवाई है। यह फैक्ट है और अपने आप में प्रीलिमिनरी प्रूफ देने के लिए काफी है। इस प्रकार से एक सन्देह की अवस्था है। इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्री जी इस पर विचार करेंगे। उन्हें अपने कलीग के कन्डेक्ट के बारे में एक्शन लेना चाहिये और फिर बाद में यह समझें, इन्क्वायरी के बाद में कि वह ठीक नहीं है तो उनको रिइन्स्टेट भी कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : वित्त मन्त्री जी।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मनफूलसिंह जी के बारे में भी मैंने आरोप लगाया था···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय···

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री जी को जो उत्तर देना था वह दे दिया है (शोरगुल) आपने प्रश्न रख दिया, मुख्य मन्त्री जी ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। तो इसका अर्थ यह नहीं है (शोरगुल) मैं आगे चलूं··· इसका क्या अर्थ हो सकता है।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के सामने और भी बातें हैं··· मामले हैं······

श्री देवीदत्त गाड़िया : अध्यक्ष महोदय, आप जनता के प्रतिनिधि हैं और इस प्रकार से हाउस के अन्दर एक षड़यन्त्र प्रमाणित हो गया है और यह कह कर टालें कि मुख्य मंत्री जी ने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं। मुख्य मंत्री जी को जनता देखती आ रही है कि इन्होंने अपने 16-17 साल के शासन काल में सिवाय भ्रष्टाचार के और कुछ नहीं पनपाया है···

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : चोरों और डाकुओं को बिठा रखा है···

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया :
श्री मुकटबिहारीलाल गोयल :
श्री नरपतसिंह :
श्री कृष्णकुमार गोयल :
(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। फाइनेन्स मिनिस्टर का उत्तर मान लिया जाये।

ऑर्डर प्लीज !

(शोरगुल)

Page No 161

(श्री अध्यक्ष)

ऑर्डर प्लीज ! मैं अब मजबूरी में ... वोट के लिये रखना पड़ेगा ।

(शोरगुल)

प्रश्न यह है कि विधेयक को......(शोरगुल)

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971 को विचारार्थ लिया जाये ।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । प्रश्न यह है कि विधेयक राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक, 1971 को विचारार्थ लिया जाये ।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया ।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971 को पारित किया जाये ।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971 को पारित किया जाये ।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया । मैं सदन की कार्यवाही कल दिनांक 25 मई, 1971 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित करता हूं ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 7 बज कर 18 मिनिट पर मंगलवार, दिनांक 25 मई, 1971 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की गई ।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 879 की सूची.)

Revenue (A) Department

From,

The Deputy Secretary to Government,
Rajasthan, Jaipur.

To,

The Commissioner,
Devasthan Department,
Rajasthan, Udaipur.

No. F. 3 (d) (78) Rev./A/67 Dated 29-5-68

Sub:—Grant of Loan of Rs. 2 lacs to Nawab of Tonk from Devasthan Department.

Sir,

I am directed to convey sanction of the Governor to the grant of loan of Rs. 2,00,000/-(Rupees two lacs) only to Nawab of Tonk for domestic purposes on the following terms and conditions:—

(a) that the loan shall bear an interest @ 12% P. A.

(b) that the loan shall be repayable in 12 equal Quarterly instalments which alongwith interest shall be recoverable from the Privy Purse amount which a rular is in receipt of under article 291 of the Constitution read with the covenant Appendix XV. White paper on Indian State. An undertaking to this effect may be obtained from the Nawab of Tonk.

(c) the first instalment will be recovered from the next quarterly payment Privy Purse after the payment of the loan.

(d) that the Nawab of Tonk shall execute an agreement on such form as may be prescribed by the Government for the re-payment of the loan.

(e) that the Nawab of Tonk shall mortgage his property *viz.* Nazar Bagh Tonk and the said property shall remain mortgaged till the repayment of the Loan and Interest.

(f) that at the time of payment of this loan, a sum of Rs. 7,500/- shall be recovered as departmental charges @ 1% for preparing estimates by the Public Works Department.

The Devasthan Department shall arrange payment of this loan through encashment of the securities already held by them or fixed Deposits. There will be no drawal of funds from the P. D. Accounts.

This issues with the concurrence of Finance Department *vide* I. D. No. 1439/FM/68, dated 7-5-1968.

Yours faithfully,
Sd/-
Deputy Secretary to Government.

Copy forwarded to:—

1. Accountant General, Rajasthan, Jaipur.
2. Finance Department (Exp-II) with one spare copy.
3. Nawab Sahib of Tonk with reference to his D. O. letter dated 23-3-68 addressed the Chief Minister.
4. Guard file.

Sd—
Deputy Secretary to Government.

DECLARATION

I, H. H. the Nawab Mohammad Ismail Ali Khan of Tonk do hereby declare as under:—

1. That the Nazar Bagh Palace, which is being mortgaged against a loan of Rs. Two Lakhs to be drawn by me from Devasthan Department Rajsathan, is included in the list of my private properties approved by the Government and as such I have a right to mortgage it to the Government against the above loan.

2. That the said property (Nazar Bagh palace) is free from all encumbrances and there is absolutely no prior mortgage or charge thereon.

3. That I shall make repayment or the said loan by 12 equal quarterly instalments.

These instalments will be paid quarterly and each instalment will be for Rs. 16,667/- with accrued interest. The first instalment will be paid to me before that date, and if the loan is paid to me after 1st July, 1968 and before 1st October, 1968, the first instalment will be paid on 1st October, 1968, and so on.

4. The expenses of preparation of deed, registration and stamps duty shall be borne by me.

5. That the said loan will be repaid from my Privy Purse. In case the Privy Purse is abolished, I shall be personally liable for the repayment of the balance money. Besides the balance of debt with interest may be realised by the Government out of the, compensation that would be payable to me in lieu of Privy Purse, and the Government can also realise the balance by sale of the mortgaged property.

Sd/-

Dated 13-6-1968. H. H. the Nawab of Tonk.

Identified.

Sd/-Illegible. Sd/-

13-6-68. 13-6-68

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न सं. 881 की सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

Finance (Commercial & Accounts) Department

From,

Shri Mangilal,
Senior Accounts Officer.

To,

The Director of Insurance,
Rajasthan,
JAIPUR.

N. D. 7531/F. 8(42) F. Com./61, Dated Jaipur the 27th Dec., 19.

Subject:—Creation of additional posts of Gazetted Officers in the State Insurance Department.

Reference:—Your letter No. 191/A/I, Dated 2-12-1961.

Sir,

I am directed to say that it is proposed to create two additional posts of Deputy Directors temporarily for one year from the next financial year. The post of existing Deputy Director will be re-designated as Senior Deputy Director in the scale of Deputy Director plus a special pay of Rs. 150/- p.m. No special pay relating to maintenance of Provident Fund shall be paid to any of the Deputy Directors until further orders from the next financial year. The revised set up of work in the State Insurance Department will be as under from the next financial year :—

Senior Deputy Director:

Accounts, policy matters, and general assistance to the Director. (He need not be given any Super-

vision work and there is no need for an Assistant Director of Insu rance for Accounts Work).

Deputy Director I:

Valuation, Establishment and other departmental matters, and supervision over the 5th Asstt. Director of Insurance who will have 15,000 policies plus valuation and over one more Assistant Director of the Insurance.

Deputy Director II:

Supervision over remaining 3 Assistant Directors of Insurance.

Necessary proposals for inclusion of these posts as items of expenditure in the Budget Estimates for 1962-63 may please be sent early.

Yours faithfully,
Sd/-Mangi Lal,
Accounts Officer (Sr.).

Copy of letter No. F. 8 (42) F. Com./61, dated the 8th Feb., 1962 from Shri Mangi Lal, Sr. Accounts Officer Finance (Commercial and Accounts) Department, Raj., Jaipur addressed to the Director of Insurance, Rajasthan, Jaipur.

Subject:—Special pay to the Director and Deputy Director.

Reference:– Your letter No. J/201/AI, Dated 1-1-1962.

I am directed to say that with effect from 1-3-1962 the special pays drawn by the Director and the Deputy Director of Insurance shall be charged to the head "25-GAD—e—Accounts Officers P.F. Accounts" instead of the present practice. The Senior Deputy Director shall continue to hold charge of all the P.F. work and the rate of special pay will be increased to Rs. 150/- p. m. The schedule of new items of expenditure is returned herewith for necessary amendments and early return.

Copy of letter No. F.8 (42) FD/Accounts/61, Dated 26-8-70 from the Deputy Secretary to Government of Rajasthan, Finance (Accounts and Investment) Department, Rajasthan, Jaipur addressed to the Director of Insurance, Rajasthan, Jaipur.

Subject:—Redesignation the post of one Deputy Director of Insurance into that of Senior Deputy Director of Insurance.

I am directed to your letter No. 32/PA/DI/Estt. dated 20-6-70 and to say that in the absence of any difference in the pay scales of the post of Senior Deputy Director and of other Deputy Directors, it is difficult to redesignate it as proposed and no amendments in the Rules can be made.

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न सं. 883 की सूची)

नशाबन्दी क्षेत्र का विवरण

क्र. सं. नशाबन्दी क्षेत्र	तिथि जिससे नशाबन्दी लागू की गई
1. आबू तहसील	सिरोही जिले के राजस्थान में शामिल होने के समय से ही नशाबन्दी लागू है। (बोम्बे प्रोहीबीशन एक्ट, 1949 के तहत)।
2. गुजरात राज्य की सम्पूर्ण सीमा से लगे राजस्थान का 25 किलो मीटर चौड़ा क्षेत्र।	2-10-1967
3. डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही (आबू क्षेत्र को छोड़ते हुए) व उदयपुर जिले की झाड़ोल, खेरवाड़ा एवं कोटड़ा तहसीलें।	1-4-1968
4. बाडमेर, जैसलमेर, जालोर व उदयपुर जिले की गोगुन्दा, धरियावद व सराड़ा तहसीलें।	1-4-1970

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

अलवर जिले के ग्रामों में विजली

890. श्री अमीलाल यादव (बहरोड़)। क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भूपसेड़ा, तहसील बानसूर, जिला अलवर के विद्युतीकरण हेतु कुछ खम्बे लोहे के सन् 1970-71 में डाले गये थे ? यदि हां, तो किस माह व तारीख को डाले गये थे ?

(2) क्या वे सारे खम्बे उसी ग्राम में लगाये गये ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि उनमें से छः खम्बे चोरी चले गये ? यदि हां, तो किस माह व तारीख को चोरी गये ?

(3) क्या उन खम्बों के चोरी चले जाने की कोई पुलिस मुकामी में एफ. आई. आर. दर्ज कराई गई ? यदि हां, तो किस व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई है ?

(4) क्या यह सही है कि इन खम्बों की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां के लाइनमैन की थी ? यदि हां, तो क्या उसके अथवा उसके जिम्मेवार कर्मचारी से कोई जबाब तलब किया गया है अथवा उसके खिलाफ महकमाना कार्यवाही की गई है ?

(5) जो एफ. आई. आर. पुलिस में दर्ज हुई है उसकी क्या प्रोग्रेस है और क्या वे खम्बे बरामद करा लिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

(6) बानसूर से ग्राम भूपसेड़ा तक कितने खम्बे डाले गये और चोरी जाने पर कितने मौजूद हैं ?

(7) क्या राज्य सरकार हरियाणा राज्य की सीमा से लगे हुये राजस्थान के ग्रामों का इसी वित्तीय वर्ष में विद्युतीकरण करने की नीति रखती है ? यदि हां, तो अलवर जिले की उन तहसीलों के ग्रामों की सूची जिनका कि विद्युतीकरण करना है, सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(8) अलवर जिले के कितने ग्रामों का वित्तीय वर्ष 1971-7. में विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है ? प्रत्येक तहसील के ग्रामों की सूची तहसील वाइज सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं, यह खम्बे बानसूर से दांवला पहाड़ी 11 के० वी० लाइन के लिये भूपसेरा ग्राम के निकट दिनांक 16-1-1971 को डाले गये थे।

(2) जी नहीं। ये खम्बे उसी गांव में नहीं लगाये गये। जी हां, इनमें से 6 खम्बे दिनांक 12-2-1971 को चोरी चले गये।

(3) जी हां, इस चोरी की एफ. आई. आर. पुलिस स्टेशन बानसूर में श्री के. एल. नागपाल, कनिष्ठ अभियन्ता, कोटपूतली द्वारा दिनांक 16-2-71 को दर्ज कराई गई थी।

(विद्युत् मंत्री)

(4) "साइट" पर पड़े सामान की देखभाल सम्बन्धित कर्मचारी करते हैं। सम्बन्धित लाइनमेन से जवाब मांगा गया है पर पुलिस की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है।

(5) खम्बे अभी बरामद नहीं हुए हैं। बानसूर के थानेदार ने बताया है कि मामले में जांच-पड़ताल जारी है।

(6) उपरोक्त लाइन के लिए भूपसेरा पर कुल 28 खम्बे डाले गये थे। जिनमें से 6 चोरी हो जाने के बाद 22 मौजूद हैं।

(7) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(8) अलवर जिले के करीब 40 ग्रामों को चालू वर्ष में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत करने का लक्ष्य है। ग्रामों के नामों का चयन अभी नहीं किया गया है।

कृषि फार्म के लिये पाइप की खरीद

891. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या केकड़ी पंचायत समिति के कृषि फार्म के लिए पाइप खरीदे गये थे? अगर हां, तो कौन सी तारीख को?

(2) पाइप किस साइज के, किस दर से कुल कितने फिट लम्बे और किस फर्म से खरीदे गये थे? केशमीमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सच है कि उक्त फर्म से कमीशन लिया गया था? अगर हां, तो कितना रुपया?

(4) उक्त पाइप खरीदने हेतु पंचायत समिति, केकड़ी के किस अधिकारी को नियुक्त किया गया? प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सच है कि जहां से उक्त पाइप खरीदे गये वहां पर उक्त अधिकारी ने पेमेन्ट कम कर दिया है और केशमीमो ज्यादा पैसे का बनवाया है।

(6) क्या सरकार उक्त फर्म के उक्त तारीख के केशमीमों की जांच करवायेगी, जिससे असलियत मालूम हो सके?

उत्तर

(1) जी हां। खरीद दिनांक 16-9-68, 15-11-69, 5-2-70 व 21-5-70 को की गई।

(2) सूचना सदन की मेज पर रखदी गई है। केशमीमों की प्रतियां भी सदन की मेज पर रख दी गई हैं।

(3) जी नहीं।

(4) किसी अधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया। अतः प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी नहीं।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भरतपुर में सिंचाई भवन के निर्माण पर व्यय

892. श्री नत्थीलाल (भरतपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर में सिंचाई भवन बनाया गया है ?

(2) यदि हां, तो उस कार्य पर विभाग ने कितना व्यय किया है और उस व्यय को किस फण्ड से किया गया है ।

(3) इस कार्य के लिए कितने मूल्य के टेण्डर थे और कार्य पूरा होने तक कितना खर्चा आया है ।

(4) अगर इस भवन पर टेण्डर से अधिक खर्चा आया है तो उसके क्या कारण रहे और उस अधिक खर्चे का किस प्रकार भुगतान किया गया है ?

(5) क्या सिंचाई भवन बनाने की मांग जनता द्वारा की गई थी ?

(6) यदि नहीं, तो भरतपुर में इस भवन की क्या आवश्यकता थी ?

(7) क्या भरतपुर में ठहरने के लिए रेस्ट हाउस अपर्याप्त थे ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) इस भवन निर्माण में 1,30,000) रु. खर्च हुये । चार्जबल हैड 100 था ।

(3) टेण्डर का मूल्य 50,780) रु. था और पूरा होने तक 1,30,000) रु. खर्च किया गया ।

(4) जी हां, नक्शा बदलने के कारण खर्चा अधिक हुआ तथा अधिक खर्चे का भुगतान नियमानुसार किया गया ।

(5) जी नहीं ।

(6) सार्वजनिक निर्माण विभाग के विश्रामगृह में अवसर जगह नहीं मिलने के कारण सिंचाई भवन का निर्माण सिंचाई विभाग के अधिकारी तथा अन्य विभाग के अधिकारियों एवं अन्य लोगों व यात्रियों की सुविधा के लिये अत्यन्त आवश्यक था ।

(7) जी हां ।

चूरू जिले के पशु चिकित्सालय

893. श्री लालचन्द, वैद (सुजानगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू जिले में पशु चिकित्सालय कितने हैं ?

(2) ये चिकित्सालय सरकारी भवनों में कितने हैं और किराये के भवनों में कितने हैं ?

(3) किस किस स्थान में किस किस भवन का कितना कितना किराया दिया जा रहा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इन चिकित्सालयों के लिये किराये पर लिये गये कई एक भवनों का किराया बहुत अर्सा बीत जाने के बाद भी मकान मालिकों को नहीं दिया गया ? अगर हां, तो कौन कौन से स्थानों में किस के मकान हैं और उनको किराया क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

(स्थगित किया गया)

मेड़ता अस्पताल की एक्स-रे मशीन

894. श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता राजकीय अस्पताल की एक्स-रे मशीन कई दिनों से खराब पड़ी है ? यदि हां, तो कितने महीनों से ?

(2) क्या यह सही है कि ऐसी अवस्था में रोगियों को उचित सुविधा नहीं मिल सकती ? यदि हां, तो मशीन इतने दिन तक ठीक क्यों नहीं करवाई गई ?

उत्तर

(1) जी हां। खराब पड़ी है।

(2) जी हां। मशीन चूंकि वार (war) डिस्पोजल की पुरानी है। उसके रिपेयर पार्ट्स उपलब्ध नहीं हो रहे थे अतःएवं इसको उपयोग में लाने योग्य नहीं किया जा सका। अब एक्स-रे इंजीनियर द्वारा चाहा गया सामान उपलब्ध हो गया है और शीघ्र ही यह उपयोग में ली जाने लगेगी।

राजस्थान नहर की योजना

895. श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : क्या राजस्थान नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान नहर की मूल योजना कब बनी और किस अधिकारी द्वारा बनाई गई और किस वर्ष में मूल योजना को कार्य रूप में दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि मूल योजना में कई बार परिवर्तन किया गया है ? अगर हां, तो किस आधार पर और कितनी बार ?

(3) मूल योजना कितने की थी और वर्तमान योजना पर कितनी लागत होगी ?

(4) राजस्थान नहर में जैसलमेर व बीकानेर जिलों में कुल कितनी भूमि सिंचित होगी और किस वर्ष में कितनी भूमि में सिंचाई की जावेगी ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान नहर की मूल योजना सन् 1957 में स्वीकृत हुई और केन्द्रीय जल एवं शक्ति आयोग द्वारा बनाई गई। योजना का कार्य सन् 1958 में प्रारम्भ किया गया।

(2) जी हां। मूल योजना में दो बार परिवर्तन किया गया है। योजना में मुख्यतः निम्न कारणों से परिवर्तन किए गए:—

1. व्यास नदी पर पौंग बांध की लागत में वृद्धि।
2. यह सारी योजना बारह मासी हो गई है और कुल सिंचाई 31.24 लाख एकड़ होगी।
3. निर्माण सामग्री तथा मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी।
4. लिफ्ट नहरों का समावेश।

Page No 173

(नहर परियोजना मंत्री)

5. 110 मील लम्बाई में राजस्थान फीडर को पक्का करने के बजाय पूरी लम्बाई (426 मील) में नहर को पक्का करने का प्रावधान।

6. सिचाई क्षमता 78% से 110% बढ़ाना।

7. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पक्का करना।

राजस्थान एवं देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये एवं 1960 की भारत-पाक संधि के अन्तर्गत उपलब्ध पानी को समुचित रूप से काम में लेने के विचार से परिवर्तन किये गये हैं।

(3) मूल योजना 66.46 करोड़ रुपयों की थी। वर्तमान योजना 282.18 करोड़ रुपयों की तैयार की गई है। इसमें 69.11 करोड़ रुपया पोंग बांध तथा माधोपुर व्यास लिंक के हिस्से की लागत भी सम्मलित है।

(4) परिवर्तित (1969-70) के अनुमानों के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर जिलों में करीबन 18 लाख एकड़ भूमि सिंचित होगी। वर्षवार तथा जिलेवार सिंचाई की सूची संलग्न है।

राजस्थान नहर से बीकानेर व जैसलमेर जिलों में सिंचित होने वाले क्षेत्र की सूची

सन्	क्षेत्रफल एकड़ में		योग
	जिला बीकानेर	जिला जैसलमेर	
1	2	3	4
1970-71	4,000	—	4,000
1971-72	50,000	—	50,000
1972-73	1,00,000	—	1,00,000
1973-74	1,50,000	—	1,50,000
1974-75	1,93,000	—	1,93,000
1975-76	2,19,000	—	2,19,000
1976-77	2,37,000	—	2,37,000
1977-78	2,93,000	17,000	3,10,000
1978-79	3,32,000	35,000	3,67,000
1979-80	3,70,000	58,000	4,28,000
1980-81	4,06,000	87,000	4,93,000
1981-82	4,33,000	2,05,000	6,38,000
1982-83	4,55,000	3,14,000	7,69,000

1	2	3	4
1983-84	4 76 000	4,25,000	9,01,000
1984-85	4,97,000	6,50 000	10,47,000
1985-86	5,15,000	6,75,000	11,90,000
1986-87	5,30 000	7,58,000	12,88,000
1987-88	5,44,000	8,41 000	13,85,000
1988-89	5,52,000	9,07,000	14,59,000
1989-90	5,58,000	9,68,000	15,26,000
1990-91	5,62,000	10,36,000	15,98,000
1991-92	5,66,000	10,97,000	16,63,000
1992-93	5,70,000	11,37,000	17,07,000
1993-94	5,70,000	11,96,000	17,66,000
1994-95	5,70,000	12,30,000	18 00,000

राज्य में खोले गये महाविद्यालय

896. श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1967 से 1970 तक राजस्थान सरकार ने कहां कहां पर महाविद्यालय किस किस विषय में चालू किये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जहां जहां पर महाविद्यालय खोले गये हैं वहां पर कहां कहां पर जन सहयोग से भवन निर्माण किया गया है, और कहां कहां पर नहीं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) ऐसे कितने स्थानों को महाविद्यालय खोलने की मांग है जहां पर जन सहयोग से भवन निर्माण हो चुके है पर अभी तक वहां पर महाविद्यालय नहीं खोले गये और इसका क्या कारण है? स्पष्ट करें।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) जन सहयोग द्वारा लाडनूं, सुजानगढ़ रामगढ़, नागौर, साम्भर, जैसलमेर में महाविद्यालय भवन निर्माण किये गये हैं। नसीराबाद व राजगढ़ के भवन सरकार द्वारा बनाये जा रहे हैं।

(3) महाविद्यालय निदेशालय में इस सम्बन्ध में अधिकृत रूप से कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

सन् 1967 से 1970 तक सरकार द्वारा खोले गये महाविद्यालयों की सूची

1967

1. राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़ (अलवर) कला

1968

2. मोतीलाल बेगानी विज्ञान महाविद्यालय, लाडनूं - विज्ञान
3. सेठ ज्ञानीराम हरकचन्द सरावगी कला व वाणिज्य महाविद्यालय, सुजानगढ़। कला, वाणिज्य
4. राजकीय रूइया महाविद्यालय, रामगढ़ (सीकर) कला, वाणिज्य

1969

5. राजकीय महाविद्यालय, नागौर कला व वाणिज्य (1970 से विज्ञान संकाय भी प्रारम्भ किया गया)।

1970

6. राजकीय महाविद्यालय, साम्भर कला व वाणिज्य
7. राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर कला व वाणिज्य
8. राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद कला व वाणिज्य

लकड़ी व कोयले का बेचान

897. श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में जलाऊ लकड़ी व कोयले का कार्य स्टेट-ट्रेडिंग के रूप में कब से प्रारम्भ हुआ?

(2) वर्ष 69-70 में उपरोक्त कार्य हेतु जंगल की कटाई का कितना लक्ष्य रखा गया था? व उसके विरुद्ध कितनी उपलब्धियां हुईं?

(3) वर्ष 1969-70 में इस कार्य से कितना लाभ अथवा कितनी हानि हुई? लाभ व हानि के लिये किस-किस आय व व्यय को जोड़ा तथा घटाया जाता है?

(4) वर्ष 69-70 में जलाऊ लकड़ी को विभाग द्वारा कहां-कहां किस किस ठेकेदार को बेचा गया तथा कहां सरकारी डिपो कायम की गई?

उत्तर

(1) फरवरी, 1969 से।

(2) लक्ष्य 15,000 एकड़ था तथा उपलब्धि 9,260 एकड़ हुई।

(3) सकल लाभ 23,43,600 रुपये हुआ जिसमें 14,04,085 रुपये वन रायल्टी सम्मिलित है। कुल वन उपज के मूल्य (वास्तविक बिक्री से प्राप्त राशि तथा शेष उपज के सम्मिलित मूल्य) में से शुद्ध लाभ/हानि के लिये वन उपज का उत्पादन व्यय, स्टाफ तथा कार्यालय व्यय, स्टोर का ह्रास, मूल्य पूंजी का ब्याज, कूपों की रायल्टी आदि व्यय घटाया जाता है।

(4) विभाग द्वारा कटाई गई जलाऊ लकड़ी फुटकर अथवा नीलामी द्वारा बेची गई जिन व्यक्तियों को बेची गई उनकी सूची तथा जहां जहां सरकारी बिक्री डिपो कायम किए गए उन स्थानों की सूची संलग्न है।

1969-70 में जलाऊ लकड़ी नीलामी में खरीदने वालों की सूची

क्रम सं०	नाम कूप	नाम इकाई	नाम खरीददार
1	2	3	4
1.	छीरत का बास	राजगढ़	श्री रघुवीर प्रसाद, अजमेर
2.	,,	,,	श्री लाभसिंह, जयपुर
3.	धन'कवला देव	,,	श्री महावीर, भरतपुर
4.	,,	,,	श्री तारासिंह, भरतपुर
5.	केशरिया भूमकिया	कोटा	श्री गागन दास, कोटा
6.	,,	,,	श्री बजरंग लाल, कोटा
7.	,,	,,	श्री मनोहरसिंह, कोटा
8.	,,	,,	श्री डी. सी. लुहाड़िया, कोटा
9.	नगरीगुढ़ा	सवाई माधोपुर	श्री सलामत खां, सवाई माधोपुर
10.	,,	,,	श्री सम्पतसिंह, जयपुर
11.	डबकन	राजगढ़	श्री प्रभाती लाल
12.	,,	,,	श्री जगदीश प्रसाद,
13.	,,	,,	श्री रघुवीर, राजगढ़
14.	,,	,,	श्री बाला बक्स, अलवर
15.	,,	,,	श्री हुण्डल दास, अजमेर
16.	,,	,,	श्री मेला राम, जयपुर
17.	,,	,,	श्री नसीरुद्दीन, जयपुर
18.	,,	,,	श्री लाभसिंह, जयपुर
19.	,,	,,	श्री रूपचन्द लखमीचन्द, जयपुर
20.	,,	,,	श्री गजानन्द, अलवर
21.	,,	,,	श्री अमर चन्द, अलवर
22.	,,	,,	श्री नबिबक्स, जयपुर
23.	,,	,,	श्री कुन्ज लाल, अलवर
24.	थूमका खण्डार	सवाई माधोपुर	श्री हुण्डलदास, अजमेर
25.	,,	,,	श्री प्रभुदयाल, खण्डार
26.	,,	,,	श्री गुलाम मुस्तफा, सवाई माधोपुर
27.	,,	,,	श्री छोटू, सवाई माधोपुर
28.	,,	,,	श्री मोहम्मद सद्दीक, सवाई माधोपुर
29.	,,	,,	श्री रिखब चन्द, टोंक
30.	,,	,,	श्री रहीम मियां, टोंक
31.	,,	,,	श्री कल्ला, खण्डार

1	2	3	4
32.	घूम का खण्डार	सवाई माधोपुर	श्री रामनाथ, खण्डार
33.	,,	,,	श्री सम्पत सिंह, जयपुर
34.	काली घाटी, सीलीवरी	राजगढ़	श्री जगदीश प्रसाद, अलवर
35.	,,	,,	श्री दीप चन्द, अलवर
36.	,,	,,	श्री रामसहाय, अलवर
37.	,,	,,	श्री हुण्डल दास, अजमेर
38.	,,	,,	श्री गजानन्द, अलवर
39.	,,	,,	श्री लाभसिंह, जयपुर
40.	,,	,,	श्री हुकमचन्द, अलवर
41.	,,	,,	श्री राधेश्याम , अलवर
42.	बौदल की पिछवाल	सवाई माधोपुर	श्री दौलतराम पुत्र थानमल, टोंक
43.	,,	,,	श्री अजीज, टोंक
44.	,,	,,	श्री जयराम दास, टोंक
45.	,,	,,	श्री दशरथ लाल, चौथ का बरवाड़ा
46.	,,	,,	श्री सलामत खां सवाई माधोपुर
47.	,,	,,	श्री रिखब चन्द, टोंक
48.	,,	,,	श्री मंरूलाल, टोंक
49.	,,	,,	श्री महमूद खां, सवाई माधोपुर
50.	,,	,,	श्री सत्यनारायण रामपाल, टोंक
51.	,,	,,	श्री गुलाम मुस्तफा, सवाई माधोपुर
52.	डिगोढ़ा	जमवा रामगढ़	श्री नसीरूद्दीन, जयपुर
53.	,,	,,	श्री सरदार बेग
54.	,,	,,	श्री लाभसिंह, जयपुर
55.	,,	,,	श्री बालू खां, जयपुर
55.	,,	,,	श्री यामीन खां, जयपुर
57.	,,	,,	श्री फयाज अली, दौसा
58.	,,	,,	श्री नबी बक्स, जयपुर
59.	,,	,,	श्री नारायण दास, जयपुर
60.	,,	,,	श्री ठाकुरदास, अजमेर
61.	किरायका	राजगढ़	श्री प्रभातीलाल, रेणी
62.	,,	,,	श्री जगदीश प्रसाद
63.	,,	,,	श्री लाभसिंह, जयपुर
64.	,,	,,	श्री हुण्डल दास, अजमेर

Page No 178

1	2	3	4
65.	फिरथका	राजगढ़	श्री नसीरुद्दीन, जयपुर
66.	,,	,,	श्री सूरजमल, अलवर
67.	,,	,,	श्री मेला राम, अलवर
68.	,,	,,	श्री रामसहाय, अजमेर
69.	बीगोता नं. 5	,,	श्री बालाबक्स, अलवर
70.	,,	,,	श्री कुण्डल दास, अजमेर
71.	चितरीमाता	बान्सी	श्री सुरजीतसिंह, उदयपुर
72.	,,	,,	श्री सुजानसिंह, उदयपुर
73.	नया नगर	मांडलगढ़	श्री गोवर्धनसिंह, चित्तौड़गढ़
74.	,,	,,	श्री जीजनदास, अजमेर
75.	,,	,,	श्री भगवानदास, अजमेर
76.	चितरीमाता	बान्सी	सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर
77.	उमरकोटा 14 बी.	,,	सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर
78.	खाता कुड़ी	,,	सार्वजनिक निर्माण विभाग, उदयपुर
79.	पांचागुढ़ा	,,	,, ,, ,, ,,
80.	चितरीमाता	,,	,, ,, ,, ,,
81.	मेहन्दी छीड़ा	प्रतापगढ़	,, ,, ,, ,,
82.	कोटकूप	देसूरी	श्री नन्दलाल मेहता
83.	रातापानी कूप	बांसवाड़ा	सूफदीन
84.	जोजावर	देसूरी	बाबू खां
85.	पांचागुढ़ा	देसूरी	योगेन्द्रसिंह

सूची डिपो जो 69-70 में खोले गये

नाम मण्डल	नाम इकाई	कूप का नाम	नाम सेल डिपो
1	2	3	4
1. जयपुर	1. सवाई माधोपुर	1. बोदल की पिछवाल	बोदल की पिछवाल
		2. नगदी गुढ़ा	नगदी गुढ़ा
		3. धूमका खण्डार	धूमका खण्डार
	2. कोटा	1. केसरिया झूमक्या	केसरिया झूमक्या

1	2	3	4
1. जयपुर (क्रमशः)	3. बुन्दी	1. झरपीर	झरपीर
		2. नारगढ़ भेजगढ़	नारगढ़ भेजगढ़
		3. तलवास	तलवास
	4. राजगढ़	1. किरास्का	किरास्का
		2. कोरत का वास	कोरत का वास
		3. बीगोता	बीगोता
		4. डबकन	डबकन
		5. कालीखोल	कालीखोल
2. उदयपुर	1. देसूरी	1. जोजावर	फुलाद
		2. कोट	फुलाद
		3. सारन	फुलाद
	2. कोटड़ा	1. डेढमारिया	1 उदयपुर
		2. सोरेना	2 स्वरूप गंज
		3. लादन	
	3. बांसवाड़ा	1. जगमेर जोगीमाल	जगमेर जोगीमाल
		2. रातावानी	
3. चित्तौड़गढ़	1. प्रतापगढ़	1. मेहन्दीखेड़ा	प्रतापगढ़ सेलडिपो
		2. पाल I व II	
	2. माण्डलगढ़	1. बांका	बांका सेलडिपो
		2. मघरशिला	मघरशिला
		3. नयानगर	लाडपुरा (नयानगर)
		4. सीने का टंका	शाकबोर सेलडिपो
		5. शाकबोर	
	3. बान्सो	1. चितरीमाता	बांसी सेलडिपो
		2. पांचागुड़ा	
		3. साता कुड़ी	
		4. उमरकोट 14 बो	
		5. उमरकोट 15 ए. बी. सी.	

Page No 180

रानोली पंचायत के सरपंच के विरुद्ध जांच

898. श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 15-4-66 को उप जिला विकास अधिकारी, सीकर ने रानोली के सरपंच श्री हीरालाल शर्मा के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग, सरकारी रकम के दुरुपयोग, रक्षा कोष के धन के दुरुपयोग के आरोपों के सम्बन्ध में जांच कर अपना प्रतिवेदन उप-विकास आयुक्त (जांच), जयपुर को प्रस्तुत किया ?

(2) अपनी जांच में उप जिला विकास अधिकारी ने जिन जिन बातों को सही पाया व जो सुझाव उन्होंने दिये हैं क्या यह सही है कि उनमें से किसी को भी न तो विभाग ने कार्यान्वित कराया है और न सरपंच स्वयं ने ही उन पर कोई कार्य किया है ?

(3) रानोली पंचायत के सरपंच द्वारा की गई अनियमितताओं, अवैध कार्यवाहियां सार्वजनिक धन एवं पद के दुरुपयोग को रोकने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही के सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है ? कृपया उप जिला विकास आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था।

(2) उप जिला विकास अधिकारी के सुझावों के अनुसार रकम मय ब्याज वसूली के आदेश दिये गये।

(3) प्राथमिक जांच के आधार पर ऐसे कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुए जिससे विभागीय जांच करवाना आवश्यक हो अतः एवं राशि मय ब्याज वसूली के आदेश दिये गये।

नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर के अध्यापकों की मांग

899. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।—

(1) क्या यह सत्य है कि नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय, जोधपुर के अध्यापकों ने जनवरी से मार्च, 71 तक का वेतन संस्था द्वारा नहीं दिये जाने और राणावत कमीशन के अनुसार फिक्सेशन की सितम्बर, 68 से जून, 69 तक की शेष राशि लेने व भविष्यनिधि का अंशदान मार्च, 70 से प्रति माह पोस्ट ऑफिस में जमा कराने और तदर्थ-सहायता जनवरी 71 से तदनर्थ सहायता दिलाये जाने के लिये कितनी ही बार संस्था को शिक्षा विभाग के अधिकारियों व शिक्षा मंत्रीजी को लिखा है ? यदि हां, तो फिर गरीब अध्यापकों की वाजिब मांगों पर अब तक विचार क्यों नहीं किया गया ?

(2) अब सरकार इस संस्था द्वारा अध्यापकों की मांगों को फौरन मंजूर कराके न्याय का परिचय देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(शिक्षा मन्त्री)

उत्तर

(1) जनवरी से मार्च, 71 तक का चुकारा संस्था द्वारा कर दिया गया है। उसकी भविष्य निधि पर संस्था का बोनस भी मार्च, 71 में पोस्ट ऑफिस में जमा करा दिया था। राणावत कमीशन के अनुसार संस्था के कर्मचारियों का स्थिरीकरण अभी नहीं हुआ है, अतः बकाया रकम देने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। संस्था को लिखा गया है कि वे कर्मचारियों का स्थिरीकरण शीघ्र करावें।

(2) प्रश्न (1) के उत्तर के तथ्यों से स्पष्ट है कि कर्मचारियों की उचित मांगों को संस्था ने स्वीकार कर लिया है।

धूलेश्वरजी महदेव मन्दिर

900. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन): क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सच है कि जयपुर में धूलेश्वरजी महादेवजी का मन्दिर देवस्थान विभाग के अधीन था ?

(2) इस मन्दिर की सेवा पूजा करने हेतु पुजारी विजयलालजी को विभाग द्वारा कितनी राशि प्रति माह दी जाती थी ?

(3) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त मन्दिर एक बड़ा विशाल मन्दिर है तथा 21 बीघा जमीन भी इस मन्दिर के नाम पर थी ?

(4) यदि हां, तो वह जमीन कहां पर थी और अब किसके कब्जे में है ?

(5) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त मन्दिर के आस-पास जो करीब 5 बीघा जमीन थी और जिस पर मेला लगता था उसको प्लाटों का रूप देकर बेच दिया गया है ?

(6) यदि हां, तो किसने बेचा है व कितने कितने रुपयों में और किसके आदेश से बेचा गया है ?

(7) उपरोक्त मन्दिर इस समय किसके कब्जे में है और कौन उसको देख भाल व अन्य सम्पति को काम में ले रहा है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं,

(2) पुजारी श्री पन्नालाल पुत्र श्री विजयलाल को रु० 7-56 पैसा मासिक सहायता विभाग द्वारा दी जाती है।

(3) जी हां, मन्दिर विशाल है जमीन के सम्बन्ध में इस विभाग में कोई रेकार्ड नहीं है, क्योंकि यह सहायता प्राप्त मन्दिर है।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) सहायता प्राप्त मन्दिर होने से इस विभाग में ऐसा कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(6) प्रश्न नहीं उठता।

(7) वर्तमान में यह मन्दिर पुजारी श्री पन्नालाल के कब्जे में है और वही देख भाल करता है।

प्रधानों के रिक्त स्थान

901. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला झालावाड़ में पंचायत समिति, मनोहर थाना एवं पंचायत समिति, पिड़ावा के प्रधानों के स्थान रिक्त पड़े हुए हैं ? यदि हां, तो कब से व क्यों ?

(2) पिड़ावा व मनोहर थाना पंचायत समितियों के प्रधानों के चुनाव कब करवाने का विचार राज्य सरकार रखती है ?

(स्थगित किया गया)

सारस डेरी फार्म पर बिजली

902. श्री बृजवल्लभ बोहरा (डीगोद): क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा से कैथून जाने वाले रूट पर किसी उद्योगपति का सारस डेरी नामक का एक फार्म है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उसे बिजली देने के लिये सरकार को 22 खम्बे लगाने पड़े हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने इतनी दूर कनेक्शन देने पर कोई मुआवजा नहीं लिया हैं ?

(4) यदि हां, तो क्यों ? यदि लिया है तो कितना ?

उत्तर

(1) कोटा से कैथून जाने वाले रूट पर "सारस डेरी" फार्म की जानकारी विद्युत् मण्डल को नहीं है ।

(2) "सारस डेरी" फार्म के नाम से कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

(4) प्रश्न नहीं उठता ।

स्थगित प्रश्न
(12-5-71)

पीपल खूंट क्षेत्र के भूमिहीन किसान

745. श्री विट्ठल भाई (पीपल खूंट): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बांसवाड़ा के पीपल खूंट क्षेत्र में वहां के भूमिहीन किसानों की संख्या क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि पीपल खूंट क्षेत्र में जंगल का क्षेत्र ज्यादा है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र के भूमिहीन किसानों ने जंगल एरिया की जमीन की मांग की है व नाजायज कब्जे भी किये हैं ? यदि हां, तो अब तक सरकार ने वहां के भूमिहीनों की समस्या को दूर करने के लिये जंगल की जमीन रेवेन्यू में कन्वर्ट करने की क्या कार्यवाही की है ?

(4) अब तक कितनी एकड़ जमीन जंगल से निकाली गई है ? यदि नहीं निकाली गई तो क्यों ?

(वन मंत्री)

उत्तर

(1) इस जिले के पीपल खूंट क्षेत्र के भूमिहीन किसानों की संख्या 2005 है।

(2) पंचायत समिति पीपल खूंट का कुल क्षेत्रफल 213227 एकड़ है जिसमें 101629 एकड़ भूमि जंगल का क्षेत्र है।

(3) भूमिहीन कृषकों द्वारा वन क्षेत्र की भूमि मिलने की मांग नहीं की गई है नाजायज कब्जे 135 व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं। वन भूमि का क्षेत्र, 2356 एकड़ राजस्व में परिवर्तन कराने की कार्यवाही चल रही है।

(4) अब तक कोई भूमि वन से राजस्व में परिवर्तन नहीं हुई है इस सम्बन्ध में परिवर्तन की कार्यवाही जारी है।

स्थगित प्रश्न
(12-5-71)

नागौर जिले में अकालराहत कार्यों के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य

763. श्री रामसिंह कुडी (जायल) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले में दस वर्षों में यानि सं. 2017 से 2027 तक अकाल राहत कार्यों में किन किन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दी गई एवं उनमें से किस किस सड़क पर कितना कितना कार्य व क्या क्या कार्य कितनी लागत से उस वर्ष में हुआ? सड़क का नाम, स्वीकृति की तारीख, रकम जो व्यय की गई एवं काम जो किया गया, उसका विवरण का ब्योरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) अकाल राहत कार्यों में शुरू की गई नागौर जिले की सड़कों की मौजूदा में क्या स्थिति है? इस बाबत जिलाधीश, नागौर की सड़क वार विवरण की रिपोर्ट सहित सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 760 की सूची)

सूची 'क'

S. No.	Name of the shop	Name of the Licensee	License fee lifted
1	2	3	4
	CIRCLE SAWAI MADHOPUR.		
1.	Station Sawai Madhopur	1. Shri Jagdish Pd, s/o Ram Niwas of Sawai Madhopur.	4,99,000.00
		2. Shri Asgar Khan s/o Suman Khan of Nawal Garh.	
2.	Torda Falodi	Shri Raj Gopal s/o Jaggan Nathji of Sawai Madhopur.	1,91,000.00
3.	Chakeri	Shri Nathu Lal s/o Onkar of Chakeri	13,620.00
4.	Sayam Pura	Shri Sukodo s/o Kishana of Sawai Madbopur.	15,000.00
5.	Piprada	Shri Dashrath singh s/o Madan Singh Rajput of Pora Gulabsingh.	9,000.00
6.	Khirni	Shri Kalyan Mal s/o Duli Lal of Batodi.	18,000.00
7.	Malranadungar	Shri Prayag Narain s/o Misri Lal.	16,401.00
8.	Khandar	Shri Lal Khan s/o Sattar Khan Muslman of Khandar.	33,000.00

Page No 185

1	2	3	4
9.	Bahraunda	Shri Ram Krishan s/o Narain Lal Jat of Bahraunda	36,260.00
10.	Choth-Ka-Barwara	Shri Mangi Lal s/o Onkar	17,000.00
11.	Bhagwatgarh	Shri Jagdish Pd. s/o Ram Niwas of Sawai Madhopur	12,000.00
12.	Siwar	Shri Durga Shanker s/o Kitsoor Chand of Siwar	20,410.00
13.	Bonli	Shri Nand Lal s/o Kalyan Bux of Sawai Madhopur	21,620.00
14.	Malarnachor	Shri Naxtar Singh s/o Chanda Singh Sikah of Sawai Madhopur	16,000.00
15.	Lasorda	—do—	31,010.00
16.	Pipalwarda	Shri Dashrat Singh s/o Madan Singh Rajput of Bonli	7,160.00
	CIRCLE GANGAPUR CITY		
17.	Gangapur City	Shri Shyam Gopal Shri Giriraj Singh Shri Madan Singh Shri Ram Swaroop	3,02,000.00
18.	Vazirpur	Shri Satya Narain s/o Bhagirath Kalal of Hindon	19,351.00

Page No 186

1	2	3	4
19.	Liwali	Shri Magan Singh s/o Chain Singh Rajput of Gangapur	9,000.00
20.	Barnala	—do—	9,000.00
21.	Batoda	—do—	15,000.00
22.	Piloda	Shri Magan Singh s/o Ram Swaroop	3,540.00
23.	Bamanwas	Shri Giriraj s/o Gyarsi Lal of Bamanwas	23,120.00
24.	Natodi	Shri Gyarsi Lal s/o Ram Narain Kalal of Bamanwas	6,590.00
25.	Gadmora	Shri Hazari Lal s/o Kahanya Lal Mahajan of Gangapur	13,310.00
26.	Gudachandarji	Shri Gyarsi Lal s/o Ram Narain Kalal of Bamanwas	5,580.00
	CIRCLE KARAULI		
27.	Karauli	Shri Mahmood s/o Azim Bux of Karauli Shri Sohan Lal s/o Ghisa Lal of Karauli	90,000.00
28.	Sangarpura	Shri Dhyanpal s/o Amrit-pal Rajput of Gordhanpura	1,950.00
29.	Mandrayal	Shri Jatan Singh s/o Hazari Singh	9,890.00
30.	Mamchari	Shri Chandrabhan Singh s/o Mahaveer Singh	8,200.00

1	2	3	4
31.	Masalpur	Shri Lakhan Singh s/o Harman Singh Rajput of Gadibadhwa	8,701.00
32.	Sapotra	Shri Durga Singh and Hakim Singh	40,001.00
33.	Kudgaon	Shri Rahaman	8,500.00
34.	[illegible]	Shri Rahaman	7,620.00
35.	Kaladevi	Shri Jatan Singh s/o Hazari Singh Rajput Shri Rahman s/o Maksood Ali	36,140.00

CIRCLE HINDON

36.	Hindon City	Mst. Bhagwat Devi w/o Bhagirath, Shri Bhori Lal s/o Kishan Lal, Shri Babu Lal s/o Chiranji Lal, Shri Satya Narain s/o Bhagirath	1,60,001.00
37.	Todabhim	Shri Johri Lal s/o Ram Narain	17,001.00
38.	Mhowghonsla	Shri Satyanarain s/o Bhagirath of Hindon	13,560.00
39.	Marwari	Shri Bhagirath s/o Amba Lal Tak of Jethana	3,640.00
40.	Suroth	Shri Bhonri Lal s/o Kishan Lal Kalal	13,600.00
41.	Mahuwa	Shri Johri Lal s/o Ram Narain of Mahuwa	

Page No 188

1	2	3	4
42.	Mandwara	Shri Narain s/o Narain Sahai	15,000.00
43.	Khedala	Shri Ram Sahai s/o Ram Pd. Kalal of Khedala	5,671.00

SD/–
DISTRICT EXCISE OFFICER, AJMER.,

नोट।—कॉलम 2 और 3 को शामिल करने से
पूरा पता मालूम हो जाता है।

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 777 की सूची)

बारां नगर में लगे लकड़ी के खम्भों की सूची

क्रम संख्या	वार्ड, गली का नाम	लकड़ी के खम्भों की संख्या जो लगे हैं
1.	रावला चौक	5 बल्ली
2.	मुमताज भाई वाली गली	2 बल्ली
3.	मोहम्मद इशाक सा. वाली गली	2 बल्ली
4.	खटीकों की गली	4 बल्ली
5.	तालाब पाडा वार्ड	2 बल्ली
6.	गली गूजरान के पास डॉ. रामाजी के पास	1 बल्ली
7.	मस्जिद सोपरियान	6 बल्ली
8.	गली मेहियान	2 बल्ली
	कुल संख्या	24 बल्लियां

Page No 190

परिशिष्ट

(अतारांकित प्रश्न संख्या

पंचायत समिति केकड़ी द्वारा कृषि फार्म

वर्ष	बीज	मजदूरी	खाद	दवाइयां	लोहे के पाइप	ट्रैक्टर
68-69	1247.01	2800.50	738.00	775.50	5808.95	4372.25
69-70	1247.31	4335.95	3454.00	995.00	—	1410.00
70-71	1119.58	1764.50	877.20	920.25	—	1500.00
योग....	3613.90	8900.95	5069.20	2690.75	5808.95	7282.25

Page No 191

7
779 की सूची)
पर किये गये व्यय का विवरण

विविध	डोहरी	चौकीदारी	टंकी	सीमेंट पाइप	वाटर पम्प	लैण्ड रेवेन्यू
896.69	[illegible]	—	—	—	—	—
255.68	5404.79	923.70	1585.90	1527.30	280.00	—
159.92	553 00	1290.00	—	2829.39	569.50	545.26
1312.29	5957.79	2213.70	1585.90	4356.69	849 50	545.26

कुल योग....50,187.13

पंचायत समिति केकड़ी में चल रहे कृषि फार्म से वर्ष वार हुई
आय व व्यय का विवरण

वर्ष	आय	व्यय
1968-69	5,452.82	16,638.90
1969-70	18,419.13	21,419.63
1970-71	8,324.55	12,128.60
योग	32,196.60	50,187.13

Page No 193

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 782 की सूची)

देहाती रेडियो गोष्ठियां पंजीकृत होने का विवरण

अवधि	पंजीकृत देहाती रेडियो गोष्ठियों की संख्या
17-11-1959 कार्यक्रम आरम्भ की तिथि	49
17-11-1960 तक	261
17-11-1961 तक	406
17-11-1962 तक	660
17-11-1963 तक	681
20-8-1964 तक	702
31-3-1965 तक	741
31-3-1966 तक	757
31-3-1967 तक	770
31-3-1968 तक	796
31-3-1969 तक	802
31-3-1970 तक	803

सन् 1970-71 में आकाशवाणी जयपुर को भेजे गये प्रश्नोत्तर का विवरण

दिनांक	प्रश्न संख्या
7-5-70	11
15-5-70	6
25-9-70	10
5-12-70	12
2-1-71	15
योग	54

Page No 194

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 590 की सूची)

क्र. सं.	नाम फर्म	स्थान	माल (टनों में)	परमिट जारी करने का दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	सरस्वती ग्रेन क्रशिंग मिल्स, बम्बई	बम्बई	100	11-4-67	
			100	26-4-67	
			250	27-5-67	
			150	3-6-67	
			200	24-6-67	
2.	बेलिका कैमिकल इण्डस्ट्रीज, अहमदाबाद	अहमदाबाद	330	19-5-67	
			90	6-6-67	
			100	26-4-67	
3.	शारदा इण्डस्ट्रीज (प्रा.) लि., देहली	देहली	42	30-6-67	
			42	30-7-67	
4.	हजरत एण्ड कम्पनी, बम्बई	बम्बई	100	6-4-67	
			50	27-5-67	
			2000	25-8-67	
5.	इण्डियन गम इन्डस्ट्रीज, बम्बई	बम्बई	1400	14-4-67	रद्द किया गया 260
			150	3-6-67	
			240	18-7-67	
			2760	27-5-67	रद्द किया गया 840
			150	2-8-67	
			1200	23-8-67	रद्द किया गया 100
			100	14-9-67	

Page No 195

1	2	3	4	5	6
6.	कृष्णा ग्रेन क्रशिंग मिल्स, बम्बई	बम्बई	1000	4-4-67	रद्द किया गया 150
					रद्द किया गया 150
			325	26-4-67	रद्द किया गया 250
					रद्द किया गया 150
			500	10-5-67	रद्द किया गया 24
			150 150	12-6-67	6-3-67 के परमिटको खारिज करा कर 164 के लिये
			350	20-6-67	
			50	24-6-67	
			24	20-7-67	
			104	21-7-67	
			40	31-7-67	
7.	प्रेम सम गम लि., बम्बई	बम्बई	100	3-4-67	
			90	15-4-67	
			1000	18-4-67	
8.	हिन्दुस्तान गम एण्ड कैमीकल्स लि., भिवानी	भिवानी	1875	7-4-67	
			250	28-4-67	13-3-67 को जारी किये गये परमिट के बदले
			1300	3-5-67	
			1300	9-6-67	
9.	गम प्रोडक्टस इन्डिया	बलारदा या काकरिया	300	12-5-67	

परमिट जारी किया उसकी सूची सन् 1968-69 व 1969-70

क्र. सं.	नाम फर्म	स्थान	तादाद क्वि.	परमिट जारी करने की दिनांक	विशेष विवरण
1.	हिन्दुस्तान एण्ड कैमीकल लि.	भिवानी	5000	3-1-69	1400 टन के परमिट रद्द किये दिनांक 14-2-69
2.	झुन्झुनूं वाल ब्रादर्स, बीसाऊ	बम्बई	200	11-3-69	ग्वार स्प्लिट
3.	हिन्दुस्तान गम एण्ड कैमीकल लि.	भिवानी	1400	14-2-69	रद्द किये परमिटों के पेटे जारी किये गये
4.	इन्डियन गम इन्डूस्टीज, बम्बई	बम्बई	500	15-12-69	
5.	आनन्द गम इन्डस्टीज, जोधपुर	बम्बई	550	3-6-70	ग्वार स्प्लिट
6.	आनन्द गम इन्डस्ट्रीज, जोधपुर	बम्बई	300	28-8-70	ग्वार स्प्लिट
7.	राजस्थान क्रय-विक्रय संघ,	बम्बई	500	26-8-70	ग्वार स्प्लिट

———

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 697 की सूची)

वन विभाग से राजस्व विभाग में स्थानान्तरित हुई भूमि की सूची

नाम जिला	मुक्त की गई वन भूमि (एकड़ों मे) टोटल
भरतपुर	982
अलवर	937
अजमेर	293.30
सीकर	200
जयपुर	356.40
टोंक	201.33
भीलवाड़ा	2514
चित्तोडगढ़	5971
झालावाड़	2086.64
बूंदी	1387
कोटा-बारां	1588
सिरोही	684
बांसवाड़ा	12589.36
डूंगरपुर	2886
उदयपुर	2655.05
	34893

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 24 मई, 1971)

स्कम्भ संख्या		पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1		2	3	4
13	अन्तिम से	7	एडमिनिस्ट्रे टटव	एडमिनिस्ट्रे टिव
15		7	लेंग्वेंज	लेंग्वेज
20		13	थी	था
24		4	मत्री	मंत्री
45		17	दिवागया	दियागया
47	अन्तिम से	11	कमिशनर	कमिश्नर
48		13	यंचायत	पंचायत
59	अन्तिम से	9	हर	पर
65		7	हा	ही
68		1	कनेक्शत	कनेक्शन
68		8	दिसबम्र	दिसम्बर
118		10	बर्षिक	वार्षिक
150	अन्तिम से	8	वीवारों	दीवारों
190		17	अप	आप
214	अन्तिम से	14	नहीं	नहीं
215	,,	16	फाइल	फाइनल
219		3	कर्यवाही	कार्यवाही
219		18	टैलेन्ट	टनैन्ट
221		8	बली	वाली
234		6	ता	तो
239	अन्तिम से	10	हुआ	हुआ
239	,,	6	अव	अब
255	,,	13	जते	जाते
255	,,	2	ानर्णय	निर्णय
259	शीर्ष		श्री भैरोंसि	श्री भैरोंसिंह
265		20	प्रॉफ्टि	प्राफिट
265	अन्तिम से	12	थाड़ा	थोड़ा
271		14	इनकर	इनकार
273		8	डिस्क्वालिफिकेन	डिस्क्वालिफिकेशन

1		2	3	4
298	अन्तिम से	14	यह	—
300	,,	15	खरीयगये	खरीदेगये
309	,,	18	या	—
314	,,	10	आर	और
314	,,	9	लरह	तरह
318	,,	9	बन्फेशन	कन्फेशन
342	,,	9	यिभाग	विभाग